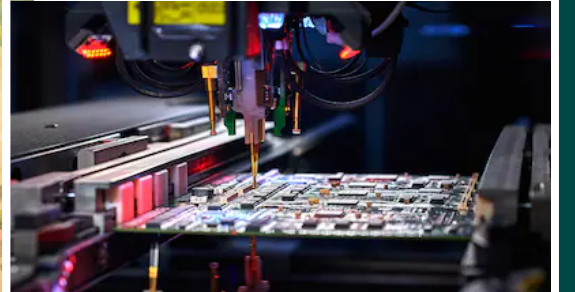


समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए



Maharishi
Dayanand Saraswati Jayanti



विशेष आकर्षण

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न
फरवरी

THE HINDU



The Indian **EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

*प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न

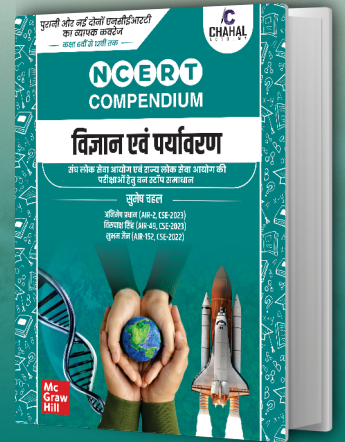
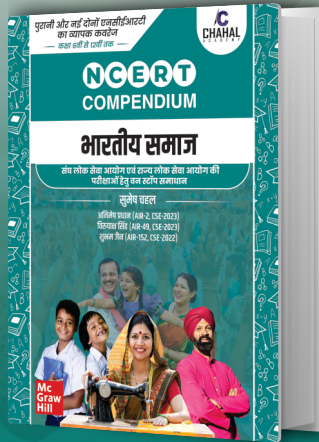
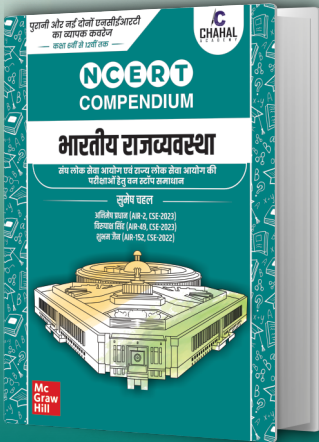
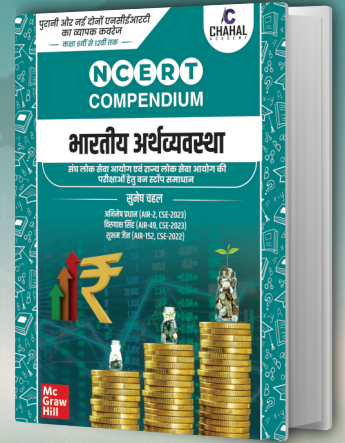
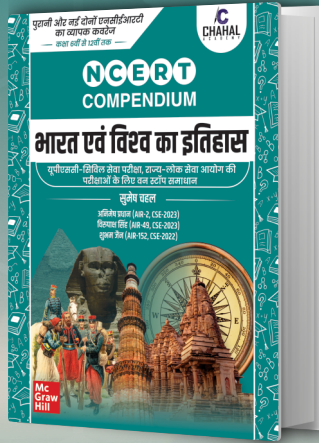
- प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा
- भारत-पाकिस्तान संबंध
- जल सुरक्षा एवं माइक्रोप्लास्टिक्स वस्त्र अर्थव्यवस्था पर बजट
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- मध्य भारत का मानव-हाथी संकट
- सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाएँ और दुर्लभ मृदा भू-राजनीति

- ओल चिकी लिपि
- होयसाल मंदिर
- भारत की 'प्रहार' नीति
- भारत में लापता बच्चे
- एनवीएस-02 उपग्रह विफलता
- महर्षि दयानंद सरस्वती
- झोन शासन और नवाचार

चहल एकेडमी द्वारा एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम

"हमारी एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज एक ही विषय के लिए विभिन्न कक्षाओं की कई एनसीईआरटी पुस्तकों को कवर करने की समस्या का समाधान करती है। यह कॉम्पेंडियम सीरीज अभ्यर्थियों को कम समय में समग्र एनसीईआरटी को कवर करने में मदद करेगी, साथ ही प्रत्येक इकाई के बाद अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपने प्रदर्शन के स्व-परीक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी।"

चहल एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज की सभी पुस्तकें



CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com

Follow Us



अनुक्रमणिका

राज्यव्यवस्था एवं शासन

■ लोकसभा अध्यक्ष	1
■ लिंग-विरोधी दिशानिर्देश 2018	2
■ शहरी शासन की विफलता	3
■ मौद्रिक नीति समिति	5
■ वित्त आयोग का संतुलन बनाने का प्रयास	6
■ धन्यवाद प्रस्ताव	8
■ प्रजनन अधिकार और स्वायत्तता	11
■ एससी/एसटी उप-वर्गीकरण निर्णय	12
■ वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	13
■ हेट स्पीच	15

अंतरराष्ट्रीय संबंध

■ भारत-ब्राज़ील संबंध	16
■ बलूचिस्तान में उग्रवाद	17
■ भारत-इज़राइल यात्रा	18
■ भारत-पाकिस्तान संबंध	20
■ ईरान-अमेरिका वार्ता: बढ़ते तनाव के बीच	21
■ प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा	22
■ भारत-फ्रांस संबंधों का रणनीतिक विकास	23
■ बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक क्षण	25

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

■ बैंकिंग सुधार एवं REITs	27
■ वस्तु अर्थव्यवस्था पर बजट	28
■ श्रम कल्याण एवं समावेशन	29
■ पूंजीगत व्यय एवं ऋण स्थिरता	30
■ विकास दर संशोधन और इसके प्रभाव	32

■ वैश्विक व्यापार एवं संस्थाएँ	33
■ RBI द्वारा यथास्थिति निर्धारित	34
■ सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन एवं दुर्लभ मृदा भू-राजनीति	36
■ मेक इन इंडिया	37
■ WHO को कम संवेदनशील वित्तीय मॉडल की आवश्यकता क्यों?	39
■ डिजिटल प्रतिस्पर्धा एवं गोपनीयता	40

पर्यावरण एवं भूगोल

■ कार्बन कैप्चर एवं नेट-जीरो लक्ष्य	42
■ रणनीतिक विकास बनाम सततता	43
■ महासागरीय शासन एवं जैव विविधता	44
■ मध्य भारत का मानव-हाथी संकट	46
■ IEA की पूर्ण सदस्यता के लिए भारत की पहल	47
■ पराली दहन की निगरानी हेतु अग्नि-पहचान एल्गोरिदम	48
■ USEPA: अब जलवायु इनकारवाद की आवाज?	49
■ अरावली को कोई नहीं छू सकता: सर्वोच्च न्यायालय	50
■ अवैध खनन शासन	51
■ कश्मीर के पुष्प-पर्यटन को बढ़ावा	52
■ डल झील	53
■ मकाक बन्दर	54
■ पैगोलिन	55

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

■ जल सुरक्षा एवं माइक्रोप्लास्टिक्स	56
■ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोजगार संक्रमण	57
■ कैंसर के संकेत पहचान हेतु एआई-संचालित उपकरण	59
■ 3D फेफड़ा मॉडल और भारत का टीबी से संघर्ष	60
■ निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं टीकाकरण	61

■ हिमशीतित भ्रूण का दान (फ्रोजन एम्ब्रियो डोनेशन)	62
■ मोटापा एक दीर्घकालिक रोग के रूप में	63
■ जीनोम एडिटिंग ट्रीटमेंट	64

रक्षा एवं सुरक्षा

■ आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी जीत, लेकिन आराम का समय नहीं	67
■ ड्रोन शासन और नवाचार	68
■ भारतीय विमानन प्रणाली की डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता ...	69
■ भारत का रक्षा उछाल	71
■ समुद्री साझेदारी सुदृढीकरण	72
■ एनवीएस-02 उपग्रह विफलता	73

सामाजिक मुद्दे

■ एचआईवी दवा नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य	75
■ भारत में लापता बच्चे	77
■ मासिक धर्म स्वास्थ्य	78
■ मातृत्व लाभ अधिनियम प्रगतिशील है	79
■ अलारा दर्शन (ALARA Philosophy)	80
■ अवॉइडेंट/रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर (ARFID)	80
■ मेनिंगोकोकल रोग	81

इतिहास एवं संस्कृति

■ त्रिवेणी कला संगम @75	82
■ उग्र राष्ट्रवाद और एकता (1946 का RIN विद्रोह)	83
■ होयसल मंदिर	84
■ उपनिवेशवाद से मुक्ति और राष्ट्रीय प्रतीक	85

सरकारी योजनाएँ

■ पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत माइलस्टोन	87
■ सड़क सुरक्षा एवं कल्याण शासन (पीएम राहत योजना)	87
■ भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR)	88
■ भारत की 'प्रहार' नीति (PRAHAAR)	90
■ 'राह-वीर' योजना	92

■ राज्य नवाचार मिशन (SIM)	92
---------------------------------	----

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

■ ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट	93
■ लैंगिक समानता अंतर (Women, Business & the Law 2026)	93
■ मानव विकास सूचकांक (HDI)	95

समाचार में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

■ महर्षि दयानंद सरस्वती	97
■ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2026	98
■ लाला लाजपत राय	99
■ चंद्रशेखर आज़ाद	100

विविध समाचार

■ दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन	102
■ भारत जीआई (Bharat GI)	103
■ ओल चिकी लिपि	103
■ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026	103
■ ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी (SFDR)	104

'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न

■ दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न	105
■ उत्तर-कुंजी	122

राजव्यवस्था एवं शासन

लोकसभा अध्यक्ष

चर्चा में क्यों: विपक्ष द्वारा जारी किए गए निष्कासन नोटिस और बढ़ते संसदीय तनाव के बीच नैतिक आधार पर अध्यक्षता से अलग होने के लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्णय के कारण अध्यक्ष सुर्खियों में आ गए हैं।

मुख्य विवरण

- स्पीकर ने पद से हटाने के नोटिस के बीच कार्यवाही की अध्यक्षता करने से परहेज किया, जो नैतिक जवाबदेही को दर्शाता है।
- यह कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 93-110 से अधिकार प्राप्त करता है।
- धन विधेयक प्रमाणीकरण और दलबदल विरोधी निर्णयों जैसी शक्तियां इस पद को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती हैं।
- अनुच्छेद 94(c) के तहत अविश्वास प्रस्ताव संस्थागत जवाबदेही तंत्र को दर्शाता है।
- बढ़ती हुई व्यवधान की घटनाएं संसदीय कामकाज में विश्वास के संकट का संकेत देती हैं।

लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति

- **अनुच्छेद 93 और 94 – संवैधानिक आधार:** संविधान लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य बनाता है और इस्तीफे तथा पद से हटाए जाने का प्रावधान करता है। अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं, जिससे निरंतरता सुनिश्चित होती है।
- **सदन के संरक्षक:** लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। यह भूमिका सुचारू विधायी कार्यप्रणाली और संस्थागत स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- **तटस्थता का प्रतीक:** यद्यपि वे किसी पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं, फिर भी स्पीकर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीति से ऊपर उठें और निष्पक्षता और न्याय के वेस्टमिंस्टर सम्मेलन का पालन करें।
- **संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षक:** अध्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों के तहत सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं और सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

शक्तियां और कार्य: संस्थागत प्राधिकार

- **धन विधेयक प्रमाणीकरण (अनुच्छेद 110):** किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जो राज्यसभा की भूमिका और संघीय संतुलन को सीधे प्रभावित करता है।
- **दल-बदल विरोधी निर्णय (दसवीं अनुसूची):** अध्यक्ष सदस्यों की अयोग्यता, दलीय अनुशासन और सरकारों की स्थिरता को प्रभावित करने के संबंध में निर्णय लेता है।
- **कार्यवाही पर नियंत्रण:** शक्तियों में एजेंडा तय करना, बहसों के लिए अनुमति देना, सदस्यों को निलंबित करना और व्यवधानों के दौरान मर्यादा बनाए रखना शामिल है।

- **समिति प्रणाली का जुड़ाव:** विधेयकों को संसदीय समितियों को संदर्भित करने से कानून निर्माण में गहन जांच, विशेषज्ञ इनपुट और जवाबदेही बढ़ती है।

लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाना: संवैधानिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 94(c) – लोकसभा अध्यक्ष को तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे उच्च सीमा सुनिश्चित हो सके।**
- **14 दिन की सूचना की आवश्यकता:** अनिवार्य सूचना अवधि गंभीरता सुनिश्चित करती है और अचानक या राजनीतिक रूप से प्रेरित निष्कासन के प्रयासों को रोकती है।
- **50 सदस्यों का समर्थन:** प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के रूप में, प्रवेश के प्रस्ताव का कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन आवश्यक है।
- **कार्यवाही के दौरान भागीदारी:** अध्यक्ष प्रथम दृष्टया भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

विधायिका-न्यायपालिका का अंतर्संबंध

- **न्यायिक समीक्षा बनाम संसदीय स्वायत्तता:** न्यायालय आम तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन देरी या पक्षपात के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं (उदाहरण के लिए, दल बदल विरोधी मामले)।
- **धन विधेयक विवाद:** विवादास्पद विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने से न्यायिक जांच और संवैधानिक सीमाओं पर बहस छिड़ गई है।
- **सत्ता का संतुलन:** यह अंतर्संबंध संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच तनाव को दर्शाता है।
- **न्यायशास्त्र का विकास:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय स्पीकर के निर्णयों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर अधिक जोर दे रहे हैं।

संघीय और संस्थागत निहितार्थ

- **राज्यसभा पर प्रभाव:** धन विधेयक का प्रमाणीकरण उच्च सदन को दरकिनार कर देता है, जिससे राज्यों के संघीय प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है।
- **केंद्र-राज्य संतुलन:** चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसकी भूमिका को सीमित करने से अप्रत्यक्ष रूप से संघवाद प्रभावित होता है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** निर्णय कराधान, व्यय और कल्याणकारी कानूनों को प्रभावित करते हैं, जिससे शासन के परिणामों पर असर पड़ता है।
- **निष्पक्षता की आवश्यकता:** निष्पक्ष निर्णय विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक हितों में विधायी प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

जनभागीदारी और लोकतांत्रिक वैधता

- **लोकप्रिय संप्रभुता से संबंध:** संसद "हम जनता" का प्रतिनिधित्व करती है, और अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज व्यवस्थित बहस के माध्यम से व्यक्त की जाए।

लिंग-विरोधी दिशानिर्देश 2018

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने 2018 के लिंग-विरोधी दिशानिर्देशों को सक्रिय रूप से लागू करने से इनकार कर दिया है, जिससे न्यायिक निगरानी, राज्य की जवाबदेही और बढ़ती हुई सतर्कतावादी हिंसा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुख्य विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में जारी किए गए अपने लिंग-विरोधी निर्देशों को "अव्यवस्थित" करार दिया और मामले-दर-मामले के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी।
- याचिकाकर्ताओं ने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने और गौरव के नाम पर हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाई की मांग की।
- 2018 के निर्णय में यह घोषित किया गया था कि लिंग को "नियंत्रित और पंगु" किया जाना चाहिए।
- राज्यों द्वारा दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन कमजोर और असंगत रहा है।

संवैधानिक ढांचा और विधि का शासन

- अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार:** भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करना सीधे तौर पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें मनमानी हिंसा और जीवन से गैरकानूनी रूप से वंचित किए जाने से सुरक्षा शामिल है।
- अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता:** स्व-न्याय समानता को कमजोर करता है, क्योंकि व्यक्तियों को उचित प्रक्रिया के बजाय भीड़ द्वारा दंडित किया जाता है, जिससे चयनात्मक और भेदभावपूर्ण लक्ष्यीकरण होता है।
- राज्य का कर्तव्य (निर्देशात्मक सिद्धांत):** राज्य सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और नागरिकों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, जो कानून द्वारा शासित कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक दृष्टि को दर्शाता है।
- विधि के शासन का सिद्धांत:** लिंग कानूनी अधिकार के टूटने का प्रतिनिधित्व करती है, संस्थागत न्याय को भीड़ के न्याय से प्रतिस्थापित करती है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के विपरीत है।

पृष्ठभूमि: 2018 का लिंग-विरोधी निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2018):** कोर्ट ने माँब लिंग और गौरव के नाम पर की जाने वाली हिंसा की निंदा करते हुए ऐसे कृत्यों को "भीड़तंत्र का एक भयावह कृत्य" घोषित किया।
- निवारक उपाय:** राज्यों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने, संवेदनशील जिलों की पहचान करने और घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
- दंडात्मक उपाय:** त्वरित अदालती कार्यवाही, पीड़ित मुआवजा योजनाएं और अपराधियों के लिए कठोर दंड की सिफारिश की गई।
- उपचारात्मक उपाय:** न्यायालय ने पीड़ित पुनर्वास, एफआईआर दर्ज करने और लापरवाही के लिए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर दिया।

- विपक्ष के अधिकार:** समय का उचित आवंटन और असहमति की मान्यता लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करती है।
- पारदर्शिता और विश्वास:** खुला और निष्पक्ष आचरण संसदीय संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है।
- विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र:** अध्यक्ष तर्कपूर्ण चर्चा को सुगम बनाता है, जो बहस और आम सहमति के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप है।

संसद में विश्वास का संकट

- बार-बार होने वाली बाधाएं:** बार-बार होने वाले स्थगन और विरोध प्रदर्शन विधायी उत्पादकता को कम करते हैं और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को कमजोर करते हैं।
- अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव:** ऐसे प्रस्ताव गहरे राजनीतिक अविश्वास और संस्थागत तनाव को दर्शाते हैं।
- बहस की गुणवत्ता में गिरावट:** चर्चा के समय में कमी और टकराव में वृद्धि संसद की विचार-विमर्श संबंधी भूमिका को कमजोर करती है।
- शिष्टता का क्षरण:** नीति-आधारित असहमति से व्यक्तिगत और संस्थागत संघर्ष की ओर बदलाव लोकतांत्रिक मानदंडों को प्रभावित करता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और लोकतांत्रिक लोकाचार

- पद से हटाने के दुर्लभ प्रयास:** 1954, 1966 और 1987 में लाए गए प्रस्ताव सफल नहीं हुए, जो इस पद के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं।
- गठबंधन युग की व्यवधान:** इससे पहले भी व्यवधान मौजूद थे, लेकिन वे अक्सर संस्थागत नहीं बल्कि मुद्दे-आधारित थे।
- नैतिक संसदीय आचरण:** सुषमा स्वराज जैसी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि विरोधी दुश्मन नहीं होते, और लोकतांत्रिक शिष्टाचार को उजागर किया।
- निरंतरता बनाम परिवर्तन:** मौजूदा तनाव संस्थागत विश्वास के लिए एक गहरी संरचनात्मक चुनौती का संकेत देते हैं।

निष्कर्ष

लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक संतुलन, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संसदीय गरिमा बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। संस्थागत निष्पक्षता, निर्णयों में पारदर्शिता और परंपराओं का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दलबदल विरोधी मामलों में समयबद्ध निर्णय, धन विधेयकों पर स्पष्ट दिशानिर्देश और समिति प्रणाली को मजबूत करना जैसे सुधार विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। अंततः, सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना और यह पुनः स्थापित करना कि लोकतंत्र बहस पर फलता-फूलता है, न कि व्यवधान पर, भारत के संसदीय गणराज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, शक्तियां और कार्यविधि पर चर्चा कीजिए। संसदीय लोकतंत्र में तटस्थता क्यों आवश्यक है? (150 शब्द, 10 अंक)

न्यायिक बदलाव: सक्रियता से संयम की ओर

- **सर्वोच्च न्यायालय का हालिया रुख:** न्यायालय ने अब निरंतर निगरानी करने से इनकार कर दिया है, और पहले के निर्देशों को "सामान्य और अव्यवहारिक" बताया है।
- **मामले-दर-मामले का दृष्टिकोण:** प्रणालीगत निगरानी के बजाय, न्यायालय व्यापक प्रवर्तन को सीमित करते हुए, व्यक्तिगत रूप से घटनाओं को संबोधित करना पसंद करता है।
- **न्यायिक पीछे हटने से जुड़ी चिंताएँ:** इस बदलाव को न्यायिक सक्रियता से न्यायिक संयम की ओर एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रवर्तन में कमियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- **संवैधानिक शासन पर प्रभाव:** न्यायिक निगरानी में कमी से मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका कमजोर हो सकती है।

कानून प्रवर्तन तंत्रों की विफलता

- **पुलिस व्यवस्था में कमियाँ:** कुछ क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ समय पर कार्रवाई करने में विफल रही हैं, जिससे भीड़ हिंसा को बढ़ने का मौका मिला है।
- **संस्थागत कमजोरी:** सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की आवश्यकता ही पुलिस की जवाबदेही और प्रशासनिक क्षमता में मौजूद कमियों को दर्शाती है।
- **घटनाओं में वृद्धि:** रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 2018 से गौ रक्षा के नाम पर हिंसा और भीड़ द्वारा हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं या उनमें वृद्धि हो रही है।
- **मिलीभगत के आरोप:** कुछ मामलों में, अधिकारियों पर निष्क्रियता या अप्रत्यक्ष समर्थन का आरोप लगाया गया है, जिससे संस्थानों में विश्वास कम हो गया है।

राज्य की कार्यवाहियाँ और स्व-न्यायपालिका

- **अर्ध-कानूनी सशक्तिकरण:** कुछ राज्यों ने कथित तौर पर सतर्कता समूहों को अनौपचारिक या कानूनी समर्थन प्रदान किया है, जिससे कानून प्रवर्तन और भीड़ की कार्यवाही के बीच की रेखा धुंधली हो गई है।
- **संघीय उत्तरदायित्व:** "सार्वजनिक व्यवस्था" एक राज्य का विषय है, इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए राज्य प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।
- **कार्यान्वयन में कमी:** कई राज्यों ने नोडल अधिकारी प्रणाली, त्वरित अदालतों या निवारक तंत्रों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है।
- **राज्यों के प्रति न्यायिक सम्मान:** न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालयों में जाने की सलाह दी है, जो प्रवर्तन के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का संकेत देता है।

विधि के शासन और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव

- **कानूनी अधिकार का क्षरण:** सतर्कतावादी हिंसा, बल के वैध उपयोग पर राज्य के एकाधिकार को चुनौती देती है।
- **मौलिक अधिकारों का कमजोर होना:** लिंग की लगातार हो रही घटनाएं समानता और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को खतरे में डाल रही हैं।
- **जनता का घटना विश्वास:** न्यायिक अनिच्छा और राज्य की निष्क्रियता नागरिकों की सुरक्षा के लिए गठित संस्थानों में विश्वास को कम कर सकती है।

- **बहुसंख्यकवादी चिंताएँ:** लिंग अक्सर पहचान की राजनीति से जुड़ी होती है, जिससे अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक सामंजस्य के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने की समस्या के लिए बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- स्पष्ट परिभाषाओं और दंडों का प्रावधान करने के लिए एक समर्पित लिंग-विरोधी कानून का अधिनियमन।
- सुधारों और स्वतंत्र निगरानी के माध्यम से पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करना।
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सतर्कता।
- गलत सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले कथनों का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता और सामाजिक सुधार।

सर्वोच्च न्यायालय के इस बदलाव से संस्थागत चुनौतियाँ उजागर होती हैं, लेकिन कानून के शासन को बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाज द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामलों में निम्नलिखित में से किस अधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन होता है?

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 32

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मॉडल लिंग की घटनाओं से निपटने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दिशानिर्देशों में किए गए हालिया बदलाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

शहरी शासन की विफलता

चर्चा में क्यों: नोएडा में हुई एक घातक घटना, जिसमें एक व्यक्ति की कार शहर की सड़क पर असुरक्षित जलभरे गड्ढे में गिरने के बाद डूब गई, ने शहरी नियोजन, शासन की विफलताओं और जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

मुख्य विवरण

- यह घटना नोएडा के सेक्टर 150 में हुई, जो एक नियोजित शहरी क्षेत्र है, न कि कोई परिधीय या ग्रामीण क्षेत्र।
- चार लेन वाली सड़क अचानक संकरी होकर तीखे मोड़ पर मुड़ जाती है, जो सड़क डिजाइन के मानक मानदंडों का उल्लंघन है।
- कोहरे से प्रभावित क्षेत्र में सड़क के किनारे एक बिना घेराबंदी वाला, पानी से भरा हुआ गड्ढा मौजूद था।
- योजना प्राधिकरण, निर्माणकर्ता, सड़क विभाग और आपातकालीन सेवाओं सहित कई एजेंसियाँ इसमें शामिल थीं।

शहरी नियोजन और सड़क डिजाइन में विफलताएँ

- **सड़क ज्यामिति मानदंडों का उल्लंघन:** चार लेन वाली सड़क से संकरे खंड की ओर अचानक 90 डिग्री का मोड़ इंडिया रोड कांग्रेस (आईआरसी) और सीआरआरआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, जो डिजाइन गति के आधार पर क्रमिक वक्रों को अनिवार्य बनाते हैं।
- **दुर्घटना अवरोधकों का अभाव:** राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार, खतरों के पास शहरी सड़कों पर गार्डरेल या दुर्घटना अवरोधक होने चाहिए, खासकर जहां कोहरे के कारण दृश्यता कम हो।
- **गति नियंत्रण का अभाव:** गति को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट उपाय या संकेत मौजूद नहीं थे, जो शहरी यातायात सुरक्षा मानदंडों के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।
- **नियोजित क्षेत्र विरोधाभास:** यह घटना एक अधिसूचित, नियोजित क्षेत्र में घटी, जिससे यह बात उजागर होती है कि शहरी नियोजन की विफलताएं अनौपचारिक बस्तियों तक ही सीमित नहीं हैं।

भूमि उपयोग योजना और बाढ़ के मैदानों का कुप्रबंधन

- **बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण:** यह भूखंड हिंडन नदी के बाढ़ग्रस्त मैदान के निकट स्थित है, जहां भूजल स्तर स्वाभाविक रूप से उच्च होता है, जिससे गहरे तहखाने संरचनात्मक रूप से जोखिम भरे हो जाते हैं।
- **जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों की अनदेखी:** शहरी विकास के मानदंडों के अनुसार भूजल रिसाव का आकलन आवश्यक है, विशेष रूप से दोहरे तहखाने वाली संरचनाओं के लिए, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया प्रतीत होता है।
- **संदिग्ध भूमि आवंटन:** बाढ़ग्रस्त या निचले इलाकों की जमीन को गहन निर्माण के लिए बेचने से पर्यावरणीय मंजूरी और ज़ोनिंग अनुपालन के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
- **शहरी बाढ़ का खतरा:** इस तरह की प्रथाओं से शहरी बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ जाता है, जो भारतीय शहरों में एक बढ़ती हुई समस्या है।

नियामक निरीक्षण और बिल्डर की जवाबदेही

- **परित्यक्त निर्माण स्थल:** पानी से भरा गड्ढा एक अधूरी परियोजना का हिस्सा था, जो रुके हुए रियल एस्टेट विकास कार्यों की खराब निगरानी का संकेत देता है।
- **योजना प्राधिकरणों की विफलता:** शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अप्रयुक्त भूखंड सुरक्षित और जोखिम मुक्त हों, जो कि नहीं किया गया।
- **स्वामित्व का बहुप्रवर्तन:** परियोजना पूर्ण हुए बिना भूखंड का बार-बार हस्तांतरण, आरईआरए जैसे ढांचों के बावजूद, रियल एस्टेट विनियमन में कमियों को दर्शाता है।
- **निवारक कार्रवाई का अभाव:** कोई अस्थायी बाड़ या चेतावनी चिह्न नहीं लगाए गए, जो बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और संस्थागत समन्वय

- **बचाव अभियान में देरी:** खबरों के अनुसार, आपातकालीन सेवाएं देर से पहुंचीं, जो शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया की कमजोर तैयारियों की ओर इशारा करती हैं।

- **एजेंसियों के बीच खराब समन्वय:** प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है, जो अपर्याप्त प्रतीत हुआ।
- **शहरी आपदा प्रबंधन में कमी:** शहरों को बाढ़, भूस्खलन और दुर्घटनाओं जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शहर-स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं अक्सर खराब तरीके से लागू की जाती हैं।
- **जवाबदेही की कमी:** कई एजेंसियों के शामिल होने से, जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत या संस्थागत जवाबदेही की संभावना कम हो जाती है।

नागरिक जागरूकता और शासन संस्कृति

- **अनियमितताओं का सामान्यीकरण:** नागरिक अक्सर असुरक्षित शहरी परिस्थितियों, जैसे कि खुले गड्ढे और खराब रोशनी, के अनुकूल हो जाते हैं, जब तक कि कोई त्रासदी नहीं हो जाती।
- **कमजोर सामाजिक लेखा परीक्षा:** शहरी बुनियादी ढांचे की निगरानी में नागरिकों की सीमित भागीदारी से अनुपालन के लिए अधिकारियों पर दबाव कम हो जाता है।
- **संस्थानों में विश्वास की कमी:** बार-बार होने वाली शहरी दुर्घटनाएं नगरपालिका प्रशासन और योजना एजेंसियों में जनता के विश्वास को कम करती हैं।
- **लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व:** शहरी शासन एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए सक्रिय नागरिकता और उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

नोएडा त्रासदी शहरी नियोजन, भूमि उपयोग विनियमन, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र में व्याप्त कमियों को उजागर करती है। भारत के तीव्र शहरीकरण के लिए नियोजन मानदंडों का कड़ाई से पालन, पारदर्शी भूमि आवंटन, सुरक्षित निर्माण स्थल और सशक्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता है। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, समन्वय और जवाबदेही पर केंद्रित शासन संस्कृति की भी आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सड़क ज्यामिति और डिजाइन से संबंधित दिशानिर्देश जारी करती है?

- (a) एनएचएआई
- (b) इंडियन रोड कांग्रेस
- (c) एनडीएमए
- (d) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में शहरी दुर्घटनाएँ अक्सर छिटपुट चूकों के बजाय व्यवस्थागत शासन की विफलताओं को दर्शाती हैं। शहरी नियोजन और संस्थागत जवाबदेही के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

चर्चा में क्यों: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हाल ही में हुई अपनी नीतिगत बैठक के बाद चर्चा में है, जिसमें मुद्रास्फीति, विकास के दृष्टिकोण और तरलता की स्थिति की समीक्षा करते हुए नीतिगत रेपो दर तय की गई।

मुख्य विवरण

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को संस्थागत रूप देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधित संस्करण के तहत 2016 में एमपीसी की स्थापना की गई थी।
- इसमें 6 सदस्य (3 आरबीआई + 3 बाहरी) होते हैं, और निर्णय आरबीआई गवर्नर के बहुमत और निर्णायक मत से लिए जाते हैं।
- इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए 4% सीपीआई मुद्रास्फीति ($\pm 2\%$) हासिल करना है।
- इसकी वार्षिक बैठक कम से कम छह बार होती है और यह रेपो दर निर्धारित करती है, जो समग्र आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती है।

एमपीसी का कानूनी आधार और विकास

- वैधानिक समर्थन (2016 सुधार):** एमपीसी का गठन वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से किया गया था, जिसने आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया, जो नियम-आधारित मौद्रिक नीति ढांचे की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।
- परिचालन में आना (अक्टूबर 2016):** इसने औपचारिक रूप से पूर्व की विवेकाधीन प्रणाली का स्थान ले लिया, जिसमें आरबीआई गवर्नर के पास एकमात्र अधिकार था, जिससे सामूहिक निर्णय लेने को सुनिश्चित किया गया।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा:** भारत ने ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाया।
- नीतिगत प्रतिमान में बदलाव:** इस परिवर्तन से भारत में मौद्रिक नीति की पूर्वानुमानशीलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ।

सृजन का औचित्य

- विवेकाधीन शक्ति को कम करना:** आरबीआई गवर्नर के पास मौजूद केंद्रीकरण अधिकार को एक समिति-आधारित प्रणाली से बदल दिया गया, जिससे नियंत्रण & संतुलन सुनिश्चित हो।
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** निर्णयों और कार्यवृत्तों का सार्वजनिक प्रकटीकरण संस्थागत जवाबदेही और बाजार की सूचित अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है।
- मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना:** एक स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य निवेशकों, व्यवसायों और परिवारों के लिए अनिश्चितता को कम करने में मदद करता है।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं:** एमपीसी को अपनाने से भारत आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग ढांचे के अनुरूप हो जाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

संरचना एवं संस्थागत ढांचा

- छह सदस्यीय समिति:** इसमें आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष), उप-गवर्नर (मौद्रिक नीति), आरबीआई द्वारा नामित एक व्यक्ति और सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं।

- बाह्य सदस्यों की भूमिका:** अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञ विविध दृष्टिकोण और स्वतंत्र विश्लेषण सुनिश्चित करते हैं।
- निश्चित कार्यकाल:** बाहरी सदस्य 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, जिससे राजनीतिक प्रभाव से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया:** निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जो बराबरी होने की स्थिति में राज्यपाल के पास निर्णायक वोट होता है।

उद्देश्य और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा

- मुख्य उद्देश्य:** आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य:** सरकार ने $\pm 2\%$ बैंड (2%–6%) के साथ 4% सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया है, जो लचीलापन प्रदान करता है।
- जवाबदेही तंत्र:** यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती है, तो आरबीआई को कारणों और सुधारात्मक उपायों को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- विकास और स्थिरता का संतुलन:** एमपीसी यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से विकास और रोजगार पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मौद्रिक नीति के साधन

- रेपो दर (प्रमुख साधन):** वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है; इसमें होने वाले परिवर्तन उधार की लागत, मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
- रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ:** इनका उपयोग अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने और अल्पकालिक ब्याज दरों को स्थिर करने के लिए किया जाता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ):** यह बैंकों को आपातकालीन तरलता प्रदान करती है, जिससे संकट के समय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ):** तरलता का प्रबंधन करने और मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री।
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर):** आरबीआई के पास बैंकों द्वारा बनाए रखा जाने वाला अनिवार्य भंडार, जो ऋण सृजन क्षमता को प्रभावित करता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया और पारदर्शिता

- नियमित बैठकें:** एमपीसी आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के लिए हर दो महीने में (वर्ष में न्यूनतम 6 बार) बैठक करती है।
- व्यापक मूल्यांकन:** इसमें मुद्रास्फीति के रुझान, जीडीपी वृद्धि, वैश्विक परिस्थितियाँ और तरलता का विश्लेषण शामिल है।
- सार्वजनिक संचार:** प्रत्येक बैठक के बाद, आरबीआई मौद्रिक नीति वक्तव्य, मतदान विवरण और कार्यवृत्त जारी करता है।
- पारदर्शिता के उपाय:** व्यक्तिगत विचारों का खुलासा विश्वसनीयता बढ़ाता है, जो नीतिगत अनिश्चितता को कम करता है।

मौद्रिक संचरण तंत्र

- ब्याज दर का प्रभाव:** रेपो दर में परिवर्तन बैंक ऋण और जमा दरों को प्रभावित करते हैं, जिससे उपभोग और निवेश पर असर पड़ता है।

- **ऋण और मांग पर प्रभाव:** कम ब्याज दरें उधार लेने और मांग को बढ़ावा देती हैं, जबकि उच्च ब्याज दरें मुद्रास्फीति के दबाव को कम करती हैं।
- **विनिमय दर चैनल:** ब्याज दरों में परिवर्तन पूंजी प्रवाह और मुद्रा मूल्य को प्रभावित करते हैं।
- **संचारण संबंधी चुनौतियाँ:** प्रभावशीलता बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य, तरलता और बाजार की अपेक्षाओं पर निर्भर करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व

- **मुद्रास्फीति की संभावनाओं को स्थिर करना:** पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति अनिश्चितता को कम करती है और क्रय शक्ति की रक्षा करती है।
- **निवेशकों का विश्वास बढ़ाना:** स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
- **वित्तीय स्थिरता:** एमपीसी अत्यधिक मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकने में मदद करता है, जिससे आर्थिक संतुलन सुनिश्चित होता है।
- **वैश्विक विश्वसनीयता:** एक स्थिर और पूर्वानुमानित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की छवि को मजबूत करता है।

एमपीसी के समक्ष चुनौतियाँ

- **आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति:** मौद्रिक नियंत्रण से परे खाद्य और ईंधन संबंधी झटके मुद्रास्फीति प्रबंधन को जटिल बना देते हैं।
- **विकास बनाम मुद्रास्फीति का संतुलन:** कठोर मौद्रिक नीति विकास को धीमा कर सकती है, खासकर आर्थिक मंदी के दौरान।
- **वैश्विक अनिश्चितताएं:** तेल की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और पूंजी प्रवाह घरेलू नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- **संचार संबंधी समस्याएं:** कमजोर बैंकिंग संचार नीतिगत दरों में बदलाव की प्रभावशीलता को कम करता है।

हालिया रुझान और समकालीन प्रासंगिकता

- **महामारी के बाद की नीतिगत दिशा:** एमपीसी ने मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ विकास पुनरुद्धार को संतुलित किया, और शुरू में उदारवादी रुख बनाए रखा।
- **तरलता सामान्यीकरण:** अर्थव्यवस्था को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए अतिरिक्त तरलता को धीरे-धीरे वापस लेना।
- **वैश्विक मौद्रिक सख्ती:** अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसे केंद्रीय बैंकों की कार्रवाइयां भारत की नीतिगत स्थिति को प्रभावित करती हैं।
- **अस्थिरता के समय भूमिका:** एमपीसी मुद्रास्फीति में तेजी, मुद्रा अस्थिरता वैश्विक संकटों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

एमपीसी ने पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता लाकर भारत के मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत किया है। आगे चलकर, मौद्रिक संचरण में सुधार, राजकोषीय नीति के साथ समन्वय और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास के बीच संतुलित दृष्टिकोण व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एमपीसी के मतदान में टाई होने की स्थिति में निर्णायक वोट किसका होगा?

- (a) वित्त मंत्री
- (b) उप राज्यपाल

- (c) आरबीआई गवर्नर
- (d) वरिष्ठतम बाहरी सदस्य

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को संस्थागत रूप देने में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसकी प्रभावशीलता और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

वित्त आयोग का संतुलन बनाने का प्रयास

चर्चा में क्यों: हाल ही में, यह बहस छिड़ गई है कि क्या 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें विभाज्य निधि में राज्यों का हिस्सा बरकरार रखने के बावजूद वास्तव में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करती हैं।

मुख्य विवरण

- 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य निधि में राज्यों का हिस्सा 41% पर बरकरार रखा।
- केंद्र द्वारा उपकरणों और अधिभारों के बढ़ते उपयोग से प्रभावी साझा करने योग्य कर कोष कम हो जाता है।
- कुछ राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, सत्ता के क्षेत्रीय हस्तांतरण की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि शीर्ष अनुपात भारत की राजकोषीय संघीय संरचना में अंतर्निहित गहरी समस्याओं को छिपा सकते हैं।

वित्त आयोग का संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 280):** वित्त आयोग (एफसी) एक संवैधानिक निकाय है जिसे राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
- **ऊर्ध्वाधर और क्षेत्रीय हस्तांतरण:** वित्त आयोग (i) केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर बंटवारा और (ii) जनसंख्या, आय दूरी और क्षेत्रफल जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों के बीच क्षेत्रीय वितरण निर्धारित करता है।
- **सहकारी संघवाद में भूमिका:** पूर्वानुमानित राजकोषीय हस्तांतरण सुनिश्चित करके, वित्त आयोग सहकारी संघवाद का समर्थन करता है, जिससे सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय संभव हो पाता है।
- **सत्ता हस्तांतरण का विकास:** 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हुए, राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% कर दिया।

मुख्य समाचार: 41% अवनति: निरंतरता या भ्रम?

- **16वें वित्त आयोग द्वारा यथावत रखना:** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41% हिस्सेदारी का जारी रहना केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में स्थिरता का संकेत देता प्रतीत होता है।
- **विभाज्य पूल का संकुचन:** हालांकि, प्रभावी लाभ विभाज्य पूल के आकार पर निर्भर करता है, जो अविभाज्य राजस्व के बढ़ते हिस्से से प्रभावित हुआ है।

- **उपकरणों और अधिभारों का बढ़ता उपयोग:** पिछले दशक में, संघ ने इन शुल्कों पर तेजी से निर्भरता बढ़ाई है, जिन्हें अनुच्छेद 270 के तहत विभाज्य कोष से बाहर रखा गया है।

- **प्रभावी हिस्सेदारी में गिरावट:** विभिन्न वित्तीय विश्लेषणों के अनुसार, सकल कर राजस्व में राज्यों की प्रभावी हिस्सेदारी 41% के अनुमानित आंकड़े से कम है, जिससे पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के मानदंड		
मानदंड	15वां वित्त आयोग (2021-26)	16वां वित्त आयोग (2026-31)
आय अंतर	45%	42.5%
जनसंख्या (2011)	15%	15.5%
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	12.5%	10%
क्षेत्रफल	15%	10%
वन	10%	10%
कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5%	-
जीडीपी में योगदान	-	10%
कुल	100%	100%
स्रोत: 15वें और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्टें।		

उपकर और अधिभार जारी करना

- **कानूनी लेकिन विवादास्पद उपकरण:** हालांकि संवैधानिक रूप से अनुमत है, उपकरणों और अधिभारों पर अत्यधिक निर्भरता को राज्यों द्वारा राजकोषीय संघवाद की भावना को दरकिनार करने के रूप में देखा जाता है।
- **बढ़ता अनुपात:** रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकरणों और अधिभारों का हिस्सा 2010 के दशक की शुरुआत में लगभग 10% से बढ़कर हाल के वर्षों में लगभग 18-20% हो गया है।
- **राज्य के वित्त पर प्रभाव:** स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में राज्यों पर व्यय की प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उन्हें साझा-योग्य संसाधनों का घटता हुआ आधार प्राप्त होता है।
- **योजना संबंधी अनिश्चितता:** अप्रत्याशित हस्तांतरणों के कारण राज्यों के लिए दीर्घकालिक निवेश योजना बनाना और राजकोषीय घाटे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना कठिन हो जाता है।

क्षेत्रीय सत्ता हस्तांतरण और क्षेत्रीय चिंताएँ

- **दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ:** कुछ दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या-आधारित मानदंड उन राज्यों के लिए नुकसानदायक हैं जिन्होंने प्रारंभिक जनसांख्यिकीय संक्रमण और बेहतर सामाजिक संकेतक हासिल किए हैं।
- **हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि:** आलोचकों का मानना है कि दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी में लगभग 15.8% से बढ़कर लगभग 17% की वृद्धि संरचनात्मक के बजाय क्रमिक है।
- **समानता बनाम दक्षता पर बहस:** वित्त आयोग परंपरागत रूप से समानता (गरीब राज्यों को समर्थन) और दक्षता (प्रदर्शन के लिए पुरस्कार) के बीच संतुलन बनाते हैं, जिससे अक्सर राजनीतिक विवाद उत्पन्न होता है।
- **ऐतिहासिक प्रवृत्ति:** 11वें वित्त वर्ष के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी 21% से अधिक थी, जो दीर्घकालिक सापेक्ष गिरावट को दर्शाती है।

प्रदर्शन-आधारित मानदंड: सीमित प्रभाव

- **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान की शुरुआत:** 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन को मान्यता देने के मानदंड के रूप में जीडीपी में राज्यों के योगदान को शामिल किया।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** हालांकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारकों को दर्शाता है, न कि केवल वर्तमान नीतिगत प्रयासों को।
- **कर प्रयास मानदंड को हटाना:** स्पष्ट कर प्रयास पैरामीटर को हटाने से राज्यों को अपने राजस्व जुटाने में सुधार करने के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन कमजोर हो जाते हैं।
- **जनसंख्या संबंधी कारकों का प्रभुत्व:** जनसंख्या-आधारित संकेतक अभी भी महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, जिससे प्रदर्शन प्रोत्साहनों का समग्र प्रभाव सीमित हो जाता है।

समकालीन भारत में राजकोषीय संघवाद

- **राज्यों की व्यय संबंधी जिम्मेदारियां:** स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय का लगभग 60% हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- **जीएसटी और राजकोषीय गुंजाइश:** जीएसटी की शुरुआत ने राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्तियों को कम कर दिया है, जिससे हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ गई है।
- **उधार लेने संबंधी प्रतिबंध:** राज्य वित्तीय प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमाओं के तहत काम करते हैं और कुछ प्रकार के ऋण के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक होती है, जिससे राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- **विश्वास-आधारित संघवाद की आवश्यकता:** प्रभावी राजकोषीय संघवाद न केवल सूत्रों पर बल्कि पूर्वानुमान, पारदर्शिता और सहयोगात्मक भावना पर भी निर्भर करता है।

वित्त आयोग

भारत में वित्त आयोग, वित्तीय संघवाद का संतुलनकारी प्रहिया है- भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280

(भारतीय संविधान भाग XII)

संविधान के अंतर्गत एक
अर्ध-न्यायिक निकाय

द्वारा गठित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा
प्रत्येक पाँच वर्ष में (या पहले)

सदस्य

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (जिनमें एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है)
- नागरिक – संसद द्वारा निर्धारित
- कार्यकाल – राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- पुनर्नियुक्ति – प्राप्त

राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्रारण्यों का वितरण
- राज्यों के बीच अनुदानों के सिद्धांत
- राज्यों की संगठित निधि को शुद्ध करने के उपयोग का मूल्यांकन, ताकि पंचायतों/नगरपालिकाओं के सेवाओं को बढ़ाया जा सके
- राष्ट्रपीय द्वारा प्रबंधित प्रकृत केन्द्रीय विषय
- वित्त आयोग की सिफारिशें केवल परामर्शात्मक होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं

नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार

प्रथम वित्त

अध्यक्ष – के. सी. निरोगी

द्वितीय वित्त आयोग

अध्यक्ष – के. संधानम

पंचद्वितीय वित्त आयोग

अध्यक्ष – एन. के. सिंह

सोलहवाँ वित्त आयोग

अध्यक्ष – डॉ. अरविंद

राज्य वित्त आयोग

- प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

निष्कर्ष

वित्त आयोग की सिफारिशें राजकोषीय स्थिरता प्रदान करती हैं, लेकिन वास्तविक संघीय संतुलन के लिए प्रभावी विभाज्य निधि को मजबूत करना, उपकरणों और अधिभारों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना और राज्यों के राजकोषीय प्रयासों को बेहतर ढंग से पुरस्कृत करना आवश्यक है। भारत का सहकारी संघवाद अभी मजबूत रहेगा जब राजकोषीय हस्तांतरण पारदर्शी और पूर्वानुमानित तरीके से समानता और दक्षता दोनों को प्रतिबिंबित करेंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी आय राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य कोष से बाहर रखी गई है?

- (a) निगम कर
- (b) आयकर
- (c) उपकर और अधिभार
- (d) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर

उत्तर: (c)

मुख्य विवरण

- धन्यवाद प्रस्ताव अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के भाषण के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव है।
- इसे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बिना ही अपना लिया गया, जो प्रक्रियात्मक विचलन का एक अभूतपूर्व उदाहरण है।
- विपक्ष के अधिकारों, बहस पर प्रतिबंधों और सुरक्षा संबंधी औचित्यों को लेकर चिंताएं जताई गईं।
- यह लोकसभा में बहुमत के समर्थन की एक अप्रत्यक्ष कसौटी के रूप में कार्य करना जारी रखता है।

धन्यवाद की भावना की अवधारणा एवं प्रकृति

- **संसदीय अभिसमय:** धन्यवाद प्रस्ताव का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक सुस्थापित संसदीय प्रथा के रूप में विकसित हुआ है, जो विधायी कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **औपचारिक आधार:** यह सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विधायी एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले संबोधन के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से धन्यवाद देता है।
- **औपचारिकता से सार की ओर:** यह राष्ट्रपति के संबोधन को एक औपचारिक भाषण से एक ठोस राजनीतिक बहस में बदल देता है, जिससे सरकारी कार्यों की जांच-पड़ताल संभव हो पाती है।
- **अप्रत्यक्ष विश्वास प्रस्ताव:** हालांकि यह औपचारिक रूप से विश्वास प्रस्ताव नहीं है, लेकिन लोकसभा में इसका पारित होना सरकार के लिए निरंतर बहुमत के समर्थन को दर्शाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

चर्चा में क्यों: हाल ही में लोकसभा में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के कारण विवाद का विषय बन गया, जिससे संसदीय परंपराओं और कार्यपालिका की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 87 – राष्ट्रपति का संबोधन:** राष्ट्रपति को आम चुनावों के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करने का आदेश देता है, जो धन्यवाद प्रस्ताव का आधार बनता है।
- **अनुच्छेद 75(3) – सामूहिक उत्तरदायित्व:** यह स्थापित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव जैसी बहसों के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- **संवैधानिक मौन और परंपरा:** यद्यपि संविधान में इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके निरंतर अभ्यास से इसे परंपरा के माध्यम से संवैधानिक महत्व प्राप्त होता है।
- **हार का अर्थ है विश्वास की हानि:** यदि लोकसभा में प्रस्ताव हार जाता है, तो इसका अर्थ है कि सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है, जिससे राजनीतिक परिणाम होंगे।

संसद में प्रक्रिया

- **आरंभ:** सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है और दूसरे सांसद द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, जो चर्चा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है।
- **व्यापक बहस:** इसके बाद कई दिनों तक चलने वाली एक बहस होती है, जिसमें सभी दलों के सदस्य सरकार के प्रदर्शन, नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- **संशोधन:** सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आलोचना, खेद व्यक्त करने या कमियों को उजागर करने के लिए संशोधन पेश कर सकते हैं।
- **संशोधनों पर सीमाएं:** संशोधनों में राष्ट्रपति की व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की जा सकती, संवैधानिक पद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, मानहानिकारक सामग्री शामिल नहीं की जा सकती या असंबंधित मामले नहीं उठाए जा सकते।
- **मतदान एवं परिणाम:** लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, जबकि राज्यसभा की मंजूरी का सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **प्रधानमंत्री का उत्तर (परंपरा):** परंपरागत रूप से, बहस का समापन प्रधानमंत्री के उत्तर के साथ होता है, जिसमें चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाता है।

हाल ही में अभूतपूर्व घटनाक्रम

- **प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं (2026):** लोकसभा ने प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया, जो संसदीय परंपरा से एक महत्वपूर्ण विचलन था।
- **सुरक्षा संबंधी औचित्य:** अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों द्वारा संभावित "अप्रत्याशित कार्रवाइयों" के संबंध में विश्वसनीय सूचनाओं का हवाला दिया, जिससे प्रधानमंत्री के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
- **विपक्ष पर प्रतिबंध:** विपक्ष के नेता को कुछ विशेष संदर्भों का हवाला देने से रोक दिया गया था, जिससे बहस का दायरा सीमित हो गया था।
- **प्रक्रियात्मक चिंताएँ:** प्रधानमंत्री के उत्तर को समाप्त करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिससे प्रक्रियात्मक वैधता पर सवाल उठते हैं।

- **आलोचना और बहस:** आलोचकों ने इस औचित्य को अविश्वसनीय बताया और तर्क दिया कि ऐसे कार्यों से लोकतांत्रिक मानदंड और पारदर्शिता कमजोर होती है।

संसदीय लोकतंत्र में महत्व

- **वार्षिक सरकारी समीक्षा:** यह प्रस्ताव सरकार के प्रदर्शन और नीतियों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **जवाबदेही का साधन:** यह कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे सांसदों को शासन पर सवाल उठाने और उसकी आलोचना करने की अनुमति मिलती है।
- **विपक्ष की भूमिका:** यह विपक्ष को वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने और शासन व्यवस्था में मौजूद कमियों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है।
- **सामूहिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में लाना:** यह सामूहिक उत्तरदायित्व के संवैधानिक सिद्धांत को बहस और जांच के माध्यम से व्यवहार में बदलता है।

लोकतांत्रिक चिंताएँ

- **बहस पर अंकुश लगाना:** चर्चा को सीमित करना या प्रधानमंत्री के जवाब को नजरअंदाज करना संसदीय लोकतंत्र की विचार-विमर्श वाली प्रकृति को कमजोर करता है।
- **जवाबदेही का कमजोर होना:** जवाब न मिलने से कार्यपालिका की प्रत्यक्ष जवाबदेही कम हो जाती है, जो संसदीय कामकाज के लिए केंद्रीय महत्व रखती है।
- **विपक्ष के अधिकारों पर प्रभाव:** विपक्ष पर प्रतिबंध नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक बहुलवाद प्रभावित होता है।
- **संवैधानिक नैतिकता:** स्थापित परंपराओं की अनदेखी करने से संवैधानिक नैतिकता के क्षरण का खतरा होता है, जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने जोर दिया था।

प्रस्ताव की सीमाएँ

- **बहुसंख्यक प्रभुत्व:** सशक्त बहुमत वाली सरकारें आम तौर पर विधेयक को पारित कराना सुनिश्चित करती हैं, जिससे व्यवहार में प्रस्ताव एक औपचारिकता बनकर रह जाता है।
- **राजनीतिक धुवीकरण:** बहसों अक्सर राजनीतिक रूप से आवेशित हो जाने से सार्थक नीतिगत चर्चा सीमित हो जाती है।
- **आलंकारिक प्रकृति:** ध्यान ठोस नीति विश्लेषण के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर केंद्रित हो सकता है।
- **उभरते प्रक्रियात्मक विचलन:** हाल के घटनाक्रम जवाबदेही तंत्र और संसदीय परंपराओं के संभाव्य जीर्णता होने का संकेत देते हैं।

निष्कर्ष

धन्यवाद प्रस्ताव भारत की संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला बना हुआ है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण को विधायी जांच और जवाबदेही के तंत्र में बदल देता है। हालांकि, हाल ही में परंपरा से विचलन—विशेष रूप से प्रधानमंत्री के उत्तर का अभाव—कार्यपालिका की जवाबदेही, विपक्ष के अधिकारों और संवैधानिक नैतिकता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। लोकतांत्रिक शासन की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना, पूर्ण बहस सुनिश्चित करना और स्थापित परंपराओं का पालन करना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री द्वारा बहस का जवाब न देने से लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है?

- (a) संघवाद
- (b) न्यायिक समीक्षा
- (c) कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही
- (d) शक्तियों का पृथक्करण

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल के प्रक्रियागत घटनाक्रमों के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

प्रजनन अधिकार और स्वायत्तता

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक किशोरी की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है, जिससे महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता की पुष्टि हुई है।

मुख्य विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश को पलटते हुए गर्भावस्था के 30 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति दे दी।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी महिला को अनचाही गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
- यह निर्णय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 2021 के तहत अधिकारों के ढांचे को मजबूत करता है।
- यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता पर न्यायिक ध्यान के बढ़ते रुझान को उजागर करता है।

कानूनी ढांचा: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट

- **कानून का विकास:** भारत ने 1971 में एमटीपी अधिनियम लागू किया, जिसे बाद में 2021 में सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य कानून को प्रजनन अधिकारों और चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के अनुरूप बनाना था।
- **गर्भावस्था की सीमा:** 2021 के संशोधन के अनुसार, चिकित्सकीय सलाह पर 20 सप्ताह तक और बलात्कार पीड़ितों, नाबालिगों और दिव्यांग महिलाओं जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।
- **24 सप्ताह के बाद:** 24 सप्ताह के बाद गर्भपात केवल भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं के मामलों में या अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से ही अनुमत है, जो बार-बार होने वाले मुकदमों का कारण बताता है।
- **मेडिकल बोर्ड की भूमिका:** राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड गर्भावस्था के अंतिम चरण के मामलों का आकलन करते हैं, लेकिन देरी और असंगत व्याख्याओं के कारण अक्सर महिलाओं को अदालतों का रुख करना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- **महिलाओं की पसंद की प्रधानता:** न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी महिला को ऐसी गर्भावस्था को जारी रखने के लिए

मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसे वह जारी रखने का इरादा नहीं रखती है, जिससे शारीरिक स्वायत्तता को बल मिलता है।

- **मानसिक स्वास्थ्य की मान्यता:** इस निर्णय ने मानसिक आघात को शारीरिक स्वास्थ्य के बराबर दर्जा दिया, जिससे एमटीपी अधिनियम के तहत "स्वास्थ्य को गंभीर क्षति" की व्याख्या का दायरा बढ़ गया।
- **जन स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून गर्भपात को रोकते नहीं हैं, बल्कि असुरक्षित प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य निकायों द्वारा उठाई गई एक चिंता है।
- **प्रगतिशील संवैधानिक व्याख्या:** यह निर्णय प्रजनन संबंधी विकल्पों को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से जोड़ने वाले पूर्व के न्यायशास्त्र पर आधारित है।

संविधान के अधीन प्रजनन स्वायत्तता

- **अनुच्छेद 21 का विस्तार:** न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 में प्रजनन संबंधी विकल्प के अधिकार को शामिल किया गया है, जिसमें निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता को मान्यता दी गई है।
- **निजता के अधिकार से संबंध (2017):** सर्वोच्च न्यायालय के निजता संबंधी निर्णय ने स्थापित किया कि प्रजनन संबंधी मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता एक मूल निजता अधिकार है।
- **लैंगिक न्याय का आयाम:** अनुच्छेद 14 के तहत वास्तविक समानता के लिए प्रजनन स्वायत्तता आवश्यक है, क्योंकि जबरन गर्भावस्था महिलाओं पर असमान रूप से बोझ डालती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:** भारत CEDAW का हस्ताक्षरकर्ता है, जो महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सूचित विकल्प सुनिश्चित करने का आह्वान करता है।

न्यायिक परिणामों में असंगति

- **मामले-दर-मामले के आधार पर दृष्टिकोण:** भारतीय अदालतों ने देर से किए गए गर्भपात के मामलों में गैर-समान निर्णय दिए हैं, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई है।
- **2023 के निर्णय से तुलना:** 2023 में, अदालत ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह में गर्भपात कराने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे न्यायिक तर्क में असंगति उजागर हुई।
- **वैवाहिक स्थिति की भूमिका:** वर्तमान मामला दर्शाता है कि नाबालिग होने की स्थिति और सामाजिक रूप से कमजोर होने की स्थिति ने न्यायिक सहानुभूति को प्रभावित किया, जिससे समान व्यवहार के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं।
- **स्पष्ट मानकों की आवश्यकता:** विशेषज्ञों का तर्क है कि एकसमान दिशानिर्देशों के अभाव से गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग मंचों पर जानकारी खोजने, देरी होने और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

नैतिक और कानूनी बहस: भ्रूण बनाम महिला

- **भ्रूण की व्यवहार्यता का प्रश्न:** न्यायालय अक्सर भ्रूण के जीवन के संभावित अधिकार और महिला की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, विशेष रूप से गर्भावस्था के अंतिम चरण के मामलों में।
- **भारतीय कानूनी स्थिति:** भारतीय कानून भ्रूण को पूर्ण रूप से व्यक्ति का दर्जा नहीं देता है, लेकिन संतुलन बनाने के प्रयास से अस्पष्टता पैदा होती है।

- **न्यायिक दृष्टिकोण में बदलाव:** हालिया निर्णय में जीवन समर्थक बनाम पसंद समर्थक के ध्रुवीकृत ढांचे से हटकर स्वास्थ्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- **वैश्विक संदर्भ:** कई देशों में गर्भपात पर गहन बहस चल रही है, ऐसे में भारत का अधिकार-आधारित लेकिन विनियमित मॉडल महत्वपूर्ण हो जाता है।

सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच में संरचनात्मक चुनौतियां

- **गर्भावस्था का पता चलने में देरी:** कई महिलाएं, विशेषकर नाबालिग और ग्रामीण महिलाएं, गर्भावस्था का देर से पता लगाती हैं, जिससे वे कानूनी सीमा से आगे निकल जाती हैं।
- **चिकित्सा अवसंरचना में कमियां:** प्रशिक्षित प्रदाताओं की कमी और कार्यरत चिकित्सा बोर्डों का अभाव कानूनी अनुमति के बावजूद चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को सीमित करता है।
- **सामाजिक कलंक:** अविवाहित महिलाओं और किशोरियों को परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ता है, जो समय पर चिकित्सा परामर्श लेने से हतोत्साहित करता है।
- **असुरक्षित गर्भपात:** सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुमानों के अनुसार, भारत में मातृ रुग्णता और मृत्यु दर में असुरक्षित गर्भपात का अभी भी महत्वपूर्ण योगदान है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रजनन स्वायत्तता को मजबूत करने और गर्भपात संबंधी कानूनी प्रावधानों में मानसिक स्वास्थ्य को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, न्यायिक निर्णयों में असंगति, प्रक्रियात्मक देरी और सामाजिक कलंक सार्थक पहुंच को सीमित करते रहते हैं। भारत को स्पष्ट कानूनी मानकों, मजबूत स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और अधिकार-आधारित जागरूकता की ओर बढ़ना होगा ताकि प्रजनन संबंधी विकल्प अदालती अपवाद के बजाय एक व्यावहारिक वास्तविकता बन सके। महिलाओं की स्वायत्तता को बनाए रखना संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है।
 2. यह मानसिक स्वास्थ्य को गर्भपात का आधार मानता है।
 3. यह इच्छानुसार गर्भपात का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

उत्तर: b (केवल 1 और 2)

एससी/एसटी उप-वर्गीकरण निर्णय

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने वाले अपने 2024 के संविधान

पीठ के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

मुख्य विवरण

- सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ (1 अगस्त, 2024) ने आरक्षण लाभों के समान वितरण के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी।
- न्यायालय ने ई.वी. चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के अपने निर्णय को पलट दिया।
- बहुमत का मानना था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं और उनके भीतर असमानता मौजूद है।
- न्यायालय ने वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का भी समर्थन किया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण का संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4):** ये प्रावधान राज्य को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
- **अनुच्छेद 341 एवं 342:** राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचित करते हैं, और केवल संसद ही इस सूची में संशोधन कर सकती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान पहचान सुनिश्चित होती है।
- **वास्तविक समानता का सिद्धांत (अनुच्छेद 14):** आरक्षण केवल औपचारिक समानता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय और संरचनात्मक भेदभाव को दूर करना है।
- **सुरक्षात्मक भेदभाव:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि में निहित है, जो संविधान की एक प्रमुख विशेषता है।

न्यायिक स्थिति का विकास

- **ई.वी. चित्रैया (2004):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह बनाती हैं और राज्यों द्वारा उप-वर्गीकृत नहीं की जा सकती, क्योंकि यह राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा।
- **दर्विंदर सिंह मामला (2024):** 7 न्यायाधीशों की पीठ ने चित्रैया के निर्णय को पलटते हुए कहा कि आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से अनुमेय है।
- **बहुमत का मत (6:1):** न्यायालय ने पाया कि अनुभवजन्य साक्ष्य एससी समुदायों के भीतर असमानता को दर्शाता है, और उन्हें एक ही ब्लॉक के रूप में मानना समानता के लक्ष्यों को विफल करता है।
- **असहमतिपूर्ण मत:** न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग का गठन करती हैं और उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 का उल्लंघन कर सकता है।

एससी के भीतर उप-वर्गीकरण की अवधारणा

- **कारण:** आंकड़े और राज्य स्तरीय अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति के भीतर कुछ उप-जातियां आरक्षण लाभों का असमान हिस्सा हथिया लेती हैं।

- **न्यायसंगत वितरण:** उप-वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के सबसे हाशिए पर स्थित समूहों को भी अवसरों तक उचित पहुंच प्राप्त हो।
- **संघीय स्वायत्तता:** यह निर्णय अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर लक्षित कल्याणकारी नीतियां तैयार करने के लिए राज्यों की शक्ति को मजबूत करता है।
- **संवैधानिक वैधता:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि इसके भीतर लाभों का पुनर्गठन करता है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत का SC/ST पर विस्तार

- **क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट:** इसकी शुरुआत इंदिरा साहनी (1992) ने ओबीसी के लिए की थी, यह सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण के लाभों से वंचित करता है।
- **न्यायिक अनुमोदन (2024):** न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने एक सहमतिपूर्ण राय में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करने पर जोर दिया।
- **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के धनी या उन्नत वर्ग के सदस्यों को आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार करने से रोकना।
- **बहस और संवेदनशीलता:** परंपरागत रूप से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण को आर्थिक मानदंडों के बजाय अस्पृश्यता और ऐतिहासिक भेदभाव से जोड़ा जाता था, जिससे यह विस्तार जटिल हो जाता है।

समसामयिक महत्व

- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौती:** कार्रवाई रिपोर्ट मांगने वाला सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्देश अनुपालन की न्यायिक निगरानी को दर्शाता है।
- **राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ:** उप-वर्गीकरण जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी और समुदाय के भीतर की गतिशीलता को नया रूप दे सकता है।
- **डेटा-आधारित शासन:** यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप, नीति के आधार के रूप में अनुभवजन्य साक्ष्य पर जोर देता है।
- **समानता का संतुलन:** यह निर्णय लाभार्थी समूहों के भीतर सामाजिक न्याय और निष्पक्षता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

आगे की राह

- **व्यापक सामाजिक-आर्थिक डेटा संग्रह:** केंद्र और राज्यों को समूह के भीतर की असमानताओं की वस्तुनिष्ठ रूप से पहचान करने के लिए जातिवार विस्तृत सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने चाहिए।
- **स्पष्ट विधायी ढांचा:** संसद या राज्यों को संवैधानिक अस्पष्टता के बिना उप-वर्गीकरण को लागू करने के लिए पारदर्शी दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।
- **संतुलित क्रीमी लेयर मानदंड:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के औचित्य को कमजोर करने से बचने के लिए किसी भी मानदंड में आर्थिक संकेतकों के साथ-साथ सामाजिक पिछड़ेपन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- **न्यायिक-कार्यकारी समन्वय:** समय पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना और परामर्श आधारित नीति निर्माण संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- **सामाजिक सद्भाव की रक्षा:** सामाजिक तनाव और नीति की गलत व्याख्या को रोकने के लिए सार्वजनिक संचार और हितधारकों की सहभागिता आवश्यक है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का निर्णय भारत में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता को मान्यता देकर और क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करके, न्यायालय ने वास्तविक समानता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। हालांकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय, संवैधानिक दायित्वों और सामाजिक एकता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। गणतंत्र का समानता का वादा सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाला हालिया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वास्तविक समानता की दिशा में एक बदलाव का संकेत है। चर्चा कीजिए।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म के शीर्षक को लेकर फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति को अपराध घोषित करने और कार्यकारी शक्ति की सीमाओं पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

मुख्य विवरण

- उत्तर प्रदेश सरकार ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हवाला देते हुए 'घुसखोर पंडित' नामक फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
- आरोप था कि शीर्षक ने धार्मिक/जातीय सद्भाव को बिगाड़ा, जिसके कारण राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा।
- निर्माता ने कानूनी कार्रवाई की धमकी के तहत प्रचार सामग्री वापस ले ली, जो जबरदस्ती के दबाव का संकेत देती है।
- यह मुद्दा कलात्मक अभिव्यक्ति को कानून-व्यवस्था की समस्या में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a) – मूल गारंटी:** यह सभी नागरिकों को कलात्मक, साहित्यिक और सिनेमाई अभिव्यक्ति सहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अधिकार लोकतंत्र और सूचित सार्वजनिक विमर्श के लिए आवश्यक है।
- **अनुच्छेद 19(2) – उचित प्रतिबंध:** संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और संप्रभुता जैसे आधारों पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है, लेकिन ये विशिष्ट, न्यायसंगत और आनुपातिक होने चाहिए।
- **न्यायिक व्याख्या:** न्यायालयों ने बार-बार यह माना है कि केवल आपत्तिजनक होना ही पर्याप्त नहीं है; केवल हिंसा या सार्वजनिक

अव्यवस्था भड़काने वाले भाषण को ही वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- **आनुपातिकता का सिद्धांत:** कोई भी प्रतिबंध न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए, जिससे मौलिक अधिकारों में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।

अभिव्यक्ति से लेकर कानून-व्यवस्था के मुद्दे तक

- **अभिव्यक्ति का अपराधीकरण:** वर्तमान मामले में, कलात्मक अभिव्यक्ति के एक मामले को सावधानीपूर्वक कानूनी जांच को दरकिनारा करते हुए, तुरंत एक आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया।
- **कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग:** एफआईआर दर्ज करने का सीधा आदेश कार्यपालिका के समय से पहले हस्तक्षेप को दर्शाता है, जिससे राज्य शक्ति के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **एफआईआर का दबावकारी प्रभाव:** न्यायिक समीक्षा से पहले भी, एफआईआर स्वयं ही धमकी के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो कानूनी परिणामों के भय के माध्यम से अनुपालन को बाध्य करती है।
- **विधिवत प्रक्रिया का क्षरण:** न्यायालयों द्वारा वैधता का निर्धारण करने के बजाय, प्रशासनिक कार्रवाई हावी हो जाती है, जिससे संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर किया जाता है।

कलात्मक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों का स्वरूप

- **सेंसरशिप में वृद्धि का रुझान:** फिल्मों और वृत्तचित्रों को लगातार प्रतिबंधों, संपादनों या हटाए जाने का सामना करना पड़ रहा है, जो रचनात्मक स्वतंत्रता के सिकुड़ने को दर्शाता है।
- **हालिया उदाहरण:** द केरल स्टोरी (2023), पद्मावत जैसी फिल्मों और इंडिया: द मोदी केश्वन जैसी वृत्तचित्रों से जुड़े विवाद बार-बार होने वाले प्रतिबंधों को उजागर करते हैं।
- **न्यायिक निगरानी का अभाव:** कई कार्रवाईयां पूर्व न्यायिक निर्णय के बिना की जाती हैं, जिससे मनमानी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **रचनात्मक स्वतंत्रता पर प्रभाव:** इस तरह के हस्तक्षेप कला और सिनेमा में प्रयोग, असहमति और आलोचनात्मक विचारों को हतोत्साहित करते हैं।

‘आहत भावनाओं’ के मानक की समस्या

- **व्यक्तिपरक प्रकृति:** भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में, आहत भावनाओं के दावे अत्यधिक व्यक्तिपरक और परिवर्तनशील होते हैं, जिससे वे अविश्वसनीय कानूनी मानक बन जाते हैं।
- **दुरुपयोग की असीमित गुंजाइश:** कोई भी समूह आपत्ति जता सकता है, जिससे प्रतिबंध या सेंसरशिप की बार-बार मांग उठती है, और इस प्रकार वैध अभिव्यक्ति प्रतिबंधित हो जाती है।
- **न्यायिक स्थिति:** न्यायालयों ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संवाद दब जाएगा।
- **बहुलतावाद के लिए खतरा:** भावनाओं पर अत्यधिक निर्भरता सहिष्णुता, विविधता और खुली बहस को कमजोर करती है, जो संविधान के मूल मूल्य हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव

- **स्व-सेंसरशिप:** कानूनी कार्रवाई के डर से रचनाकार विवादास्पद विषयों से बचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में विचारों की विविधता कम हो जाती है।

- **विचारों के आदान-प्रदान का कमजोर होता मंच:** लोकतंत्र बहस, आलोचना और असहमति पर फलता-फूलता है; अत्यधिक प्रतिबंध विचारों के इस मुक्त आदान-प्रदान को कमजोर करते हैं।
- **समाज को होने वाली हानि:** जनता वैकल्पिक दृष्टिकोणों, व्यंग्य और आलोचना तक पहुंच खो देती है, जो जवाबदेही के लिए आवश्यक हैं।
- **न्यायिक अवसर का नुकसान:** जब मामलों को शुरुआत में ही दबा दिया जाता है, तो अदालतें कानूनी मानकों को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, जिससे दीर्घकालिक न्यायशास्त्र प्रभावित होता है।

उचित संवैधानिक दृष्टिकोण

- **राज्य पर बोझ:** राज्य को यह मान लेने के बजाय कि वाक् वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, इस बात का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या इससे वास्तव में खतरा है।
- **न्यायिक समीक्षा एक उपाय के रूप में:** किसी भी कथित अवैधता का समाधान अदालतों के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि कार्यकारी आदेशों के माध्यम से, जिससे निष्पक्षता और वैधता सुनिश्चित हो सके।
- **सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय:** अधिकारियों को पूर्ण प्रतिबंध या आपराधिक कार्रवाई के बजाय सलाह जारी करने या वर्गीकरण जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए।
- **तर्कसंगत निर्णय लेना:** प्रतिबंध स्पष्ट तर्क और साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

लोकतंत्र में राज्य की भूमिका

- **अधिकारों का रक्षक:** राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, न कि उसे दबाए।
- **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना:** वैध अभिव्यक्ति को सीमित किए बिना कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, स्वतंत्रता और अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
- **लोकलुभावन दबाव से बचना:** सरकारों को उन बहुसंख्यकवादी या लोकलुभावन मांगों का विरोध करना चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती हैं।
- **संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देना:** सहिष्णुता, वाद-विवाद और असहमति को बनाए रखना लोकतांत्रिक संस्कृति को कायम रखने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

हालिया घटनाक्रम असहमति और कलात्मक अभिव्यक्ति को अपराधीकरण करने की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) की भावना को कमजोर करता है। न्यायिक जांच को दरकिनारा करते हुए और कार्यपालिका के दबाव पर निर्भर रहना रचनात्मकता और लोकतांत्रिक बहस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आनुपातिकता, न्यायिक निगरानी और असहमति के संरक्षण पर आधारित संवैधानिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।
2. राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
3. विदेशी नागरिक भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इन स्वतंत्रताओं के हकदार हैं।

सही उत्तर का चयन करें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अपराधिक कानून का दुरुपयोग लोकतांत्रिक संवाद को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द, 10 अंक)

हेट स्पीच

चर्चा में क्यों: विधानसभा चुनावों से पहले असम के मुख्यमंत्री द्वारा कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हेट स्पीच और संवैधानिक जवाबदेही पर चिंता जताई गई है।

मुख्य विवरण

- विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बावजूद, असम एचडीआई, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है।
- मुख्यमंत्री पर बंगाली मूल के मुसलमानों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयानबाजी करने के आरोप लगाए गए हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय में सीपीआई (एम)/सीपीआई द्वारा दायर एक याचिका में घृणास्पद भाषण और संवैधानिक उल्लंघनों के एक पैटर्न का आरोप लगाया गया है।
- इस मुद्दे में संविधान, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत कानूनी जांच शामिल है।

हेट स्पीच की अवधारणा

- परिभाषा और प्रकृति:** हेट स्पीच में किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति शामिल है—चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या डिजिटल—जो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर समूहों के खिलाफ घृणा, भेदभाव या हिंसा को भड़काती है।
- सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा:** यह भाईचारे और एकता को कमजोर करता है, जो कि मूल संवैधानिक मूल्य हैं, और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को जन्म दे सकता है।
- वैश्विक मान्यता:** संयुक्त राष्ट्र की रबात कार्य योजना जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे भेदभाव या हिंसा भड़काने वाले भाषण को विनियमित करने पर जोर देते हैं।
- डिजिटल प्रसार:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हेट स्पीच की गति और पहुंच को बढ़ा दिया है, जिससे विनियमन अधिक जटिल और अत्यावश्यक हो गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम प्रतिबंधों पर संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 19(1)(a) – वाक् स्वतंत्रता:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, जो लोकतंत्र और सार्वजनिक संवाद के लिए आवश्यक है।
- अनुच्छेद 19(2) – उचित प्रतिबंध:** सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, संप्रभुता और भारत की अखंडता जैसे आधारों पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
- अधिकारों का संतुलन:** संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे अभिव्यक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- भाईचारे की भूमिका:** प्रस्तावना में भाईचारे पर जोर दिया गया है, और इसे घृणा से प्रेरित अभिव्यक्ति के खिलाफ एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया है।

कानूनी ढांचा (वैधानिक प्रावधान)

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस):** इसमें समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कृत्यों को दंडित करने के प्रावधान शामिल हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951:** उम्मीदवारों को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने से रोकता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होते हैं।
- चुनाव आयोग की भूमिका:** आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान विभाजनकारी भाषणों को प्रतिबंधित करती है, हालांकि इसका प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
- प्रवर्तन में चुनौतियाँ:** अस्पष्ट परिभाषाएँ और चयनात्मक अनुप्रयोग अक्सर असंगत जवाबदेही का कारण बनते हैं।

असम का मामला: शासन बनाम ध्रुवीकरण

- विकास संबंधी चिंताएं:** असम एचडीआई, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक रोजगार और स्वास्थ्य परिणामों में पिछड़ा हुआ है, जो शासन संबंधी कमियों को दर्शाता है।
- राजनीतिक विमर्श में बदलाव:** विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, आरोप यह संकेत देते हैं कि अब पहचान-आधारित और सांप्रदायिक आख्यानों की ओर रुझान बढ़ रहा है।
- चुनावी रणनीति:** सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उपयोग वोट जुटाने के लिए किया जाता है।
- नीतिगत निहितार्थ:** इस प्रकार की चर्चा समावेशी विकास और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करने का जोखिम पैदा करती है।

सार्वजनिक पदधारियों द्वारा हेट स्पीच के आरोप

- आरोपों की प्रकृति:** ऐसे बयान जो समुदायों को जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में चित्रित करते हैं और उन्हें बाढ़ या आर्थिक गतिविधि जैसे मुद्दों से जोड़ते हैं।
- लक्षित कथाएँ:** आरोपों में "उर्वरक जिहाद" जैसे शब्द और विशिष्ट समुदायों को आर्थिक रूप से लक्षित करना शामिल है।
- उच्च पद का प्रभाव:** संवैधानिक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान अधिक प्रभावशाली और वैध होते हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ जाता है।
- नैतिक उत्तरदायित्व:** सार्वजनिक अधिकारी संवैधानिक मूल्यों, जिनमें धर्मनिरपेक्षता और समानता शामिल हैं, को बनाए रखने की शपथ से बंधे होते हैं।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य और प्रमुख सिद्धांत

- **संचयी प्रभाव सिद्धांत:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि नुकसान का आकलन करने के लिए बार-बार दिए गए भाषणों को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, न कि अलग-थलग रूप से।
- **प्रमुख निर्णय:** अमीश देवगन बनाम भारत संघ और तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ जैसे मामले घृणास्पद भाषण की गंभीरता को उजागर करते हैं।
- **वक्ता का अधिकार:** राज्य तंत्र को नियंत्रित करने वालों (जैसे पुलिस) द्वारा की गई घृणास्पद भाषणबाजी को अधिक खतरनाक माना जाता है।
- **न्यायिक सक्रियता बनाम संयम:** न्यायालयों के सामने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक नुकसान की रोकथाम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

व्यापक लोकतांत्रिक और संवैधानिक चिंताएँ

- **विधि के समक्ष समता:** यह मामला इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या हेट स्पीच संबंधी कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, जिनमें उच्च कार्यकारी पदों पर आसीन लोग भी शामिल हैं।
- **धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन:** घृणास्पद भाषण धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करता है और संवैधानिक शासन को खतरे में डालता है।
- **चुनावी अखंडता:** सांप्रदायिक बयानबाजी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को विकृत कर सकती है, जिससे लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन होता है।
- **संस्थानों में जनता का विश्वास:** जवाबदेही की कमी से शासन और न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है।

निष्कर्ष

हेट स्पीच से निपटने के लिए कानूनी स्पष्टता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता को शामिल करते हुए एक संतुलित और सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना, अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना और बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। चल रही न्यायिक जांच इस बात को उजागर करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कुछ भी हो, संवैधानिक मानदंडों से ऊपर नहीं है, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य में विधि के शासन की पुष्टि करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से आधार बताए गए हैं?

1. सार्वजनिक व्यवस्था
2. भारत की संप्रभुता और अखंडता
3. सभ्यता या नैतिकता
4. उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढांचे पर चर्चा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-ब्राज़ील संबंध

चर्चा में क्यों: ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की हालिया भारत यात्रा ने वैश्विक व्यापार तनावों के बीच भारत-ब्राज़ील संबंधों की गहराई और वैश्विक दक्षिण सहयोग पर नए सिरे से ध्यान को उजागर किया।

मुख्य विवरण

- भारत और ब्राज़ील का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक दोगुना करना है।
- महत्वपूर्ण खनिज, इस्पात एवं खनन, तथा डिजिटल सहयोग में समझौते हुए।
- दोनों देशों को अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा, जो बढ़ते संरक्षणवाद को दर्शाता है।
- बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण एकजुटता के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई।

रणनीतिक साझेदारी एवं द्विपक्षीय संबंध

- **ऐतिहासिक कूटनीतिक संबंध:** भारत और ब्राज़ील ने 1948 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, जो 2006 में रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुए। दोनों बड़े लोकतंत्र हैं जिनकी विकास संबंधी चुनौतियाँ समान हैं।
- **साझा लोकतांत्रिक मूल्य:** दोनों देश लोकतंत्र, संप्रभुता और समावेशी विकास पर बल देते हैं, जिससे वैश्विक मंचों पर सहयोग मजबूत होता है।
- **आर्थिक पूरकता:** भारत कच्चा तेल, चीनी और खनिज आयात करता है, जबकि औषधियाँ, आईटी सेवाएँ और मशीनरी का निर्यात करता है, जिससे परस्पर लाभकारी व्यापार होता है।
- **उच्च स्तरीय संपर्क:** नियमित शिखर बैठकें और यात्राएँ, जिनमें लूला की हालिया यात्रा शामिल है, नीतिगत समन्वय और दीर्घकालिक रणनीतिक संरेखण सुनिश्चित करती हैं।

व्यापार विस्तार एवं आर्थिक सहयोग

- **30 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य:** वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 15-16 अरब डॉलर है, जो 2030 तक दोगुना होने की संभावना है, जो मजबूत आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय समझौते:** महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनेरल्स), इस्पात और खनन में सहयोग का उद्देश्य चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करना है।
- **डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:** डिजिटल सहयोग पर समझौते नवाचार, फिनटेक और एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं।
- **कृषि एवं ऊर्जा संबंध:** ब्राज़ील जैव-ईंधन में अग्रणी है, जबकि भारत एक प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्था है, जिससे खाद्य सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग संभव होता है।

वैश्विक व्यापार तनाव एवं अमेरिकी टैरिफ

- **संरक्षणवाद का प्रभाव:** भारत और ब्राज़ील दोनों को अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा, जो वैश्विक व्यापार विखंडन को दर्शाता है।

- **रणनीतिक चिंताएँ:** टैरिफ का संबंध ब्रिक्स सदस्यता, रूसी तेल आयात और व्यापार नीतियों जैसे मुद्दों से जुड़ा था, जो भू-राजनीतिक-आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
- **वार्ता की चुनौतियाँ:** अमेरिका के साथ चल रही वार्ताएँ अंतिम समझौते तक नहीं पहुँची हैं, जिससे वैश्विक व्यापार नियमों में अनिश्चितता बनी हुई है।
- **विविधीकरण की आवश्यकता:** ये चुनौतियाँ दोनों देशों को बाजारों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं।

बहुपक्षीय मंच एवं वैश्विक शासन

- **ब्रिक्स सहयोग:** ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य के रूप में भारत और ब्राज़ील वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार की वकालत करते हैं।
- **आईबीएसए संवाद मंच:** आईबीएसए मंच लोकतांत्रिक विकासशील देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार हेतु G4 समूह:** जर्मनी और जापान के साथ मिलकर दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं।
- **वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन:** स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता में सहयोग जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

आईबीएसए संवाद मंच: संरचना एवं महत्व

- **पृष्ठभूमि एवं संरचना:** 2003 (ब्रासीलिया घोषणा) में स्थापित, आईबीएसए में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
- **मुख्य उद्देश्य:** बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, गरीबी उन्मूलन और विकास सहयोग को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** कृषि, रक्षा (आईबीएसएएमएआर अभ्यास), स्वास्थ्य, ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शामिल करता है।
- **आईबीएसए कोष:** अल्प विकसित देशों (एलडीसी) में परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **रणनीतिक भूमिका:** सामूहिक सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाता है और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करता है।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** बहुध्रुवीय विश्व में ऐसे गठबंधन वैश्विक संस्थानों में पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करने में सहायक हैं।

वैश्विक दक्षिण एकजुटता एवं सामूहिक सौदेबाजी

- **एकता का आह्वान:** लूला ने प्रमुख शक्तियों के साथ अलग-अलग समझौतों के बजाय सामूहिक वार्ता ("संघटन") पर बल दिया।
- **संख्या में शक्ति:** समन्वित रणनीतियाँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाती हैं।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत-ब्राज़ील सहयोग न्यायसंगत वैश्वीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

भारत-ब्राज़ील संबंधों में चुनौतियाँ

- **भौगोलिक दूरी:** दूरी के कारण लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है और व्यापार विस्तार सीमित होता है।
- **ओवरलैपिंग मंच:** ब्रिक्स के कारण आईबीएसए की प्रासंगिकता कभी-कभी कम हो जाती है।

- **घरेलू राजनीतिक परिवर्तन:** नेतृत्व परिवर्तन और चुनावी राजनीति नीतिगत निरंतरता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **व्यापार असंतुलन एवं बाधाएँ:** टैरिफ, नियामकीय मुद्दे और कनेक्टिविटी की कमी संभावनाओं को बाधित करती हैं।

निष्कर्ष

भारत-ब्राज़ील संबंध एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो व्यापार विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और साझा भू-राजनीतिक हितों से प्रेरित है। आईबीएसए और ब्रिक्स जैसे मंचों को मजबूत करना, आर्थिक एकीकरण बढ़ाना और सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। यह साझेदारी अधिक संतुलित, समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में वैश्विक दक्षिण की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-ब्राज़ील संबंधों के हालिया विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और ब्राज़ील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
2. दोनों देशों ने केवल कृषि सहयोग तक सीमित समझौते किए हैं।
3. भारत और ब्राज़ील आईबीएसए संवाद मंच के सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "उभरते संरक्षणवाद के दौर में वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को मजबूत करने में भारत-ब्राज़ील संबंध केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।" चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

बलूचिस्तान में उग्रवाद

चर्चा में क्यों: बलूचिस्तान में बढ़ते उग्रवाद, समन्वित उग्रवादी हमलों, सैन्य प्रतिकार, मानवाधिकार चिंताओं, तथा ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी इसकी रणनीतिक महत्ता के कारण यह क्षेत्र चर्चा में है।

मुख्य विवरण

- **भौगोलिक विस्तार:** बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो लगभग 3,47,190 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है और देश के कुल भू-भाग का लगभग 44% है। इसके बावजूद यह अविकसित और कम आबादी वाला है।
- **सीमाएँ:** इसकी सीमाएँ ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं तथा अरब सागर के साथ इसका समुद्री तट है। यह रणनीतिक स्थिति इसके भू-राजनीतिक और व्यापारिक महत्व को बढ़ाती है।
- **जनसंख्या:** इस प्रांत की जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ है, जिससे यह कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। कम जनसंख्या घनत्व आधारभूत संरचना और सेवाओं के विकास को प्रभावित करता है।

भौतिक संरचना

- **भू-आकृति:** यहाँ का भू-भाग सुलेमान, किरथर और चागाई जैसी पर्वत श्रेणियों तथा खारान जैसे मरुस्थलों से युक्त है। यह दुर्गम भौगोलिक स्थिति प्रशासन और संपर्क को कठिन बनाती है।
- **जलवायु:** यहाँ शुष्क से अर्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसमें बहुत कम वर्षा और अत्यधिक तापमान होते हैं। इससे कृषि उत्पादकता और आर्थिक अवसर सीमित होते हैं।
- **प्राकृतिक संसाधन:** यह क्षेत्र कोयला, तांबा, सोना, क्रोमाइट और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों से समृद्ध है, किंतु स्थानीय स्तर पर लाभ-साझेदारी की कमी के कारण असंतोष बढ़ा है।
- **रणनीतिक बंदरगाह:** ग्वादर बंदरगाह अरब सागर तक सीधा पहुंच प्रदान करता है और क्षेत्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पाकिस्तान की वैश्विक समुद्री संपर्क क्षमता को बढ़ाता है।
- **जल निकासी:** दशत, हिंदोल और झोब जैसी नदियाँ अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर निर्भर हैं। सीमित जल संसाधन विकास और कृषि को बाधित करते हैं।

उत्पत्ति एवं पृष्ठभूमि

- **विलय का मुद्दा (1948):** बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय ऐतिहासिक रूप से स्थानीय आबादी के कुछ वर्गों द्वारा विवादित रहा है। यह अनसुलझा मुद्दा राजनीतिक असंतोष का प्रमुख कारण बना हुआ है।
- **विद्रोह की बारंबारता:** 1948 से अब तक इस प्रांत में पाँच बड़े विद्रोह हो चुके हैं, जो गहरे असंतोष को दर्शाते हैं। प्रत्येक चरण हिंसा और अस्थायी दमन के चक्र से चिह्नित रहा है।
- **केंद्रीकृत शासन:** केंद्र सरकार का मजबूत नियंत्रण और सीमित प्रांतीय स्वायत्तता अलगाव की भावना को बढ़ाते हैं। स्थानीय स्तर पर अधिक स्व-शासन की मांगें काफी हद तक अधूरी रही हैं।
- **संसाधन विवाद:** प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व, राजस्व-साझेदारी और नियंत्रण को लेकर विवादों ने तनाव बढ़ाया है। स्थानीय समुदाय निर्णय-प्रक्रिया और लाभों से स्वयं को बाहर महसूस करते हैं।

उग्रवाद की प्रकृति एवं सुरक्षा परिदृश्य

- **उग्रवादी समूह:** बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। उनका उद्देश्य प्रायः स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग से जुड़ा होता है।
- **समूह समन्वय:** बीएलए और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही समूहों ने बलोच राजी आजोई संगार जैसे गठबंधनों का गठन किया है, जिससे हमलों की क्षमता और प्रभाव बढ़ा है।

उग्रवाद के कारण

- **राजनीतिक उपेक्षा:** सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की कमी ने बलूच जनता में असंतोष उत्पन्न किया है। इससे क्षेत्रीय मामलों पर अधिक नियंत्रण की मांग बढ़ी है।
- **आर्थिक बहिष्करण:** प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद स्थानीय समुदायों को न्यूनतम आर्थिक लाभ मिलता है। कथित शोषण ने राज्य के प्रति असंतोष बढ़ाया है।
- **सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण:** संवाद के स्थान पर सैन्य बल पर अत्यधिक निर्भरता ने तनाव को बढ़ाया है और राज्य व जनता के बीच दूरी बढ़ाई है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे जैसी घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। खुली सीमाएँ उग्रवादियों और हथियारों की आवाजाही को आसान बनाती हैं।

- **उग्रवादी पारिस्थितिकी तंत्र:** तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों की उपस्थिति संघर्ष को और जटिल बनाती है।

मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ

- **बलपूर्वक गायब किए गए लोग:** लापता व्यक्तियों के कई मामले सामने आए हैं, जिससे मानवाधिकार संगठनों में गंभीर चिंता है और राज्य संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ा है।
- **न्यायेतर हत्याएँ:** बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याओं के आरोप व्यापक रूप से लगाए गए हैं, जो विधि के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं।
- **मनमानी गिरफ्तारियाँ:** लोगों को अक्सर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया या पारदर्शिता के हिरासत में लिया जाता है, जिससे स्थानीय जनता में असंतोष बढ़ता है।
- **जवाबदेही की कमी:** सुरक्षा अभियानों में स्वतंत्र निगरानी की कमी के कारण जवाबदेही सीमित रहती है, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता और जनविश्वास कमजोर होता है।

आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

- **सीपीईसी केंद्र:** बलूचिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रमुख परियोजनाओं का केंद्र है, जो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाता है।
- **समुद्री पहुंच:** ग्वादर बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है और ऊर्जा परिवहन व समुद्री लॉजिस्टिक्स के लिए महत्वपूर्ण है।
- **संसाधन संपन्नता:** खनिज और ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। उचित उपयोग से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भू-राजनीतिक स्थिति:** इसका स्थान दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को जोड़ता है, जिससे इसकी रणनीतिक प्रासंगिकता बढ़ती है।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

- **उग्रवाद की बारंबारता:** बार-बार सैन्य अभियानों के बावजूद उग्रवाद बना हुआ है, जो केवल सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को दर्शाता है।
- **शासन की कमजोरी:** कमजोर प्रशासनिक क्षमता और खराब शासन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
- **विश्वास की कमी:** राज्य और स्थानीय समुदायों के बीच बड़ा अंतराल है, जो संवाद और समाधान को कठिन बनाता है।
- **विकास अंतराल:** समावेशी विकास और आधारभूत संरचना की कमी असमानता और असंतोष को बढ़ाती है।
- **नीतिगत असंतुलन:** राजनीतिक संवाद के बिना सैन्य उपायों पर अधिक निर्भरता दीर्घकालिक समाधान को सीमित करती है।

क्षेत्रीय राजनीति में समकालीन प्रासंगिकता

- **आंतरिक सुरक्षा:** यह उग्रवाद संघीय ढांचे में आंतरिक संघर्षों के प्रबंधन की जटिलताओं को दर्शाता है और संतुलित शासन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **भू-राजनीतिक आयाम:** सीपीईसी के माध्यम से चीन के रणनीतिक हित इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करते हैं।
- **संसाधन राजनीति:** यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और सतत विकास से जुड़े प्रश्न उठाता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** बलूचिस्तान की अस्थिरता दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सुरक्षा तथा व्यापार पर प्रभाव डालती है।

आगे की राह

- **राजनीतिक संवाद:** बलूच समूहों के साथ संरचित वार्ता दीर्घकालिक शांति के लिए आवश्यक है।
- **समावेशी विकास:** प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना जरूरी है।
- **विकेंद्रीकरण:** प्रांतीय स्वायत्तता और स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने से जवाबदेही और प्रतिनिधित्व मजबूत होगा।
- **मानवाधिकार संरक्षण:** विधि के शासन को मजबूत करना और दुरुपयोग रोकना विश्वास बहाली के लिए आवश्यक है।
- **समग्र रणनीति:** राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा उपायों का संतुलित दृष्टिकोण हिंसा के चक्र को तोड़ सकता है।

निष्कर्ष

बलूचिस्तान में उग्रवाद शासन, संसाधन वितरण और राजनीतिक समावेशन से जुड़ी गहरी संरचनात्मक समस्याओं को दर्शाता है। स्थायी समाधान के लिए संवाद, समावेशी विकास और संस्थागत जवाबदेही की दिशा में परिवर्तन आवश्यक है। इन मूलभूत मुद्दों का समाधान किए बिना दीर्घकालिक शांति और स्थिरता प्राप्त करना कठिन रहेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वत श्रेणियाँ बलूचिस्तान में स्थित हैं?

1. सुलेमान पर्वत श्रेणी
 2. किरथर पर्वत श्रेणी
 3. चागाई पहाड़ियाँ
 4. पीर पंजाल पर्वत श्रेणी
- उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
- (a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बलूचिस्तान में उग्रवाद के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए उपाय सुझाइए।
(150 शब्द, 10 अंक)

भारत-इज़राइल यात्रा

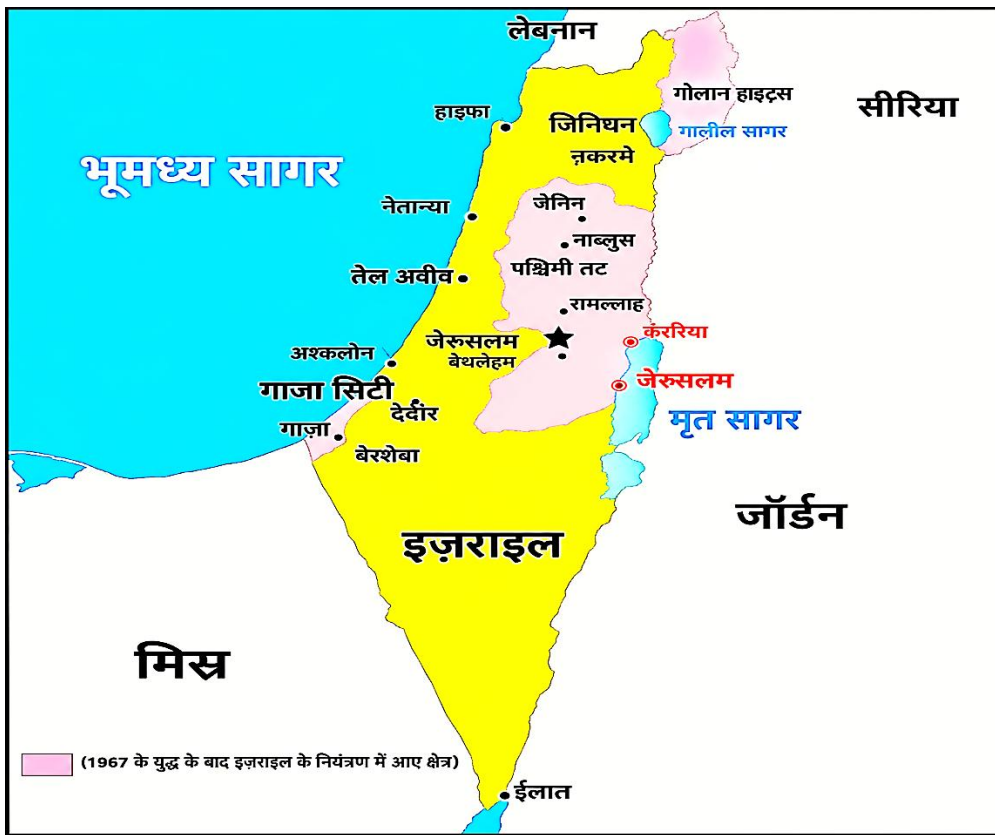
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इज़राइल यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत किया, साथ ही इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में भारत के संतुलित रुख को लेकर प्रश्न भी उठाए।

मुख्य विवरण

- भारत-इज़राइल संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 15 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।
- समझौतों में श्रम गतिशीलता शामिल है, जिसके तहत पाँच वर्षों में 50,000 भारतीय श्रमिकों को इज़राइल भेजने का लक्ष्य है।
- भारत ने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति समर्थन दोहराया, लेकिन गाज़ा में नागरिक हताहतों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया।
- I2U2 और IMEC जैसे क्षेत्रीय पहल को पुनः पुष्टि दी गई, जो पश्चिम एशिया में भारत की व्यापक भागीदारी को दर्शाते हैं।

भारत-इज़राइल संबंधों का विकास

- **सभ्यतागत एवं ऐतिहासिक संबंध:** भारत में बेने इज़राइल और कोचीन यहूदी जैसे समुदाय 2000 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, और उत्पीड़न का कोई इतिहास नहीं रहा, जो गहरी सहिष्णुता को दर्शाता है।
- **कूटनीतिक मान्यता एवं विलंब:** भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण कूटनीतिक संबंध 1992 में स्थापित किए, जिसका कारण शीत युद्ध की राजनीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़ा था।
- **1992 के बाद परिवर्तन:** व्यापार, रक्षा और कृषि में संबंध तेजी से बढ़े, जो वैचारिक झिझक से रणनीतिक व्यवहारवाद की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- **उच्च स्तरीय राजनीतिक सहभागिता:** 2017 और 2026 में प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएँ बढ़ते राजनीतिक विश्वास और संबंधों के सामान्यीकरण को दर्शाती हैं।



रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग

- **रक्षा साझेदारी:** इज़राइल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो मिसाइल प्रणाली, यूएवी, रडार और निगरानी तकनीक प्रदान करता है।
- **आतंकवाद-रोधी सहयोग:** दोनों देश आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, जिससे 26/11 मुंबई हमले और 7 अक्टूबर 2023 हमले जैसे घटनाओं के बाद खुफिया सहयोग मजबूत हुआ है।
- **सीमा एवं आंतरिक सुरक्षा:** इज़राइली तकनीक का उपयोग सीमा प्रबंधन और उग्रवाद-रोधी अभियानों में किया जाता है।
- **रणनीतिक उन्नयन:** 2026 में विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा रक्षा और सुरक्षा सहयोग की गहराई को दर्शाता है।

आर्थिक, तकनीकी एवं कृषि सहयोग

- **व्यापार एवं निवेश वृद्धि:** द्विपक्षीय व्यापार हीरे से आगे बढ़कर रसायन, रक्षा उपकरण और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ है।
- **नवाचार एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:** "स्टार्ट-अप नेशन" के रूप में प्रसिद्ध इज़राइल, भारत के साथ एआई, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और नवाचार में सहयोग करता है।
- **कृषि परिवर्तन:** ड्रिप सिंचाई और सटीक कृषि जैसी तकनीकों ने हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में उत्पादकता बढ़ाई है।
- **श्रम गतिशीलता समझौते:** 50,000 भारतीय श्रमिकों को भेजने का समझौता आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।

पश्चिम एशिया नीति एवं रणनीतिक संतुलन

- **संतुलित कूटनीति की परंपरा:** भारत ऐतिहासिक रूप से इज़राइल, फिलिस्तीन और खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाए रखता है।

- **फिलिस्तीन का समर्थन:** भारत दो-राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में निरंतर रहा है।
- **उभरती चुनौतियाँ:** इज़राइल के प्रति झुकाव की धारणा ईरान और अरब देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है।
- **अब्राहम समझौते का प्रभाव:** इज़राइल और अरब देशों के सामान्यीकरण ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं।

भू-राजनीतिक एवं क्षेत्रीय प्रभाव

- **यात्रा का समय:** यह यात्रा गाज़ा संघर्ष और पश्चिमी तट पर बस्तियों को लेकर वैश्विक आलोचना के बीच हुई, जिससे इसकी संवेदनशीलता बढ़ी।
- **क्षेत्रीय संपर्क पहल:** I2U2 और IMEC में भारत की भागीदारी बुनियादी ढाँचे और व्यापार को मजबूत करती है।
- **ईरान कारक:** ईरान से जुड़ी बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा आयात के संदर्भ में।

- **वैश्विक रणनीतिक स्थिति:** भारत पश्चिम एशिया में संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है।

कूटनीतिक प्रतीकात्मकता एवं राजनीतिक महत्व

- **उच्च कूटनीतिक गर्मजोशी:** इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सक्रिय भागीदारी मजबूत संबंधों को दर्शाती है।
- **घरेलू राजनीतिक संदर्भ (इज़राइल):** यह यात्रा नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है।
- **फिलिस्तीन के साथ अवसर की कमी:** फिलिस्तीन की समानांतर यात्रा का अभाव भारत के संतुलित रुख पर प्रश्नचिह्न है।
- **प्रतीकात्मकता बनाम वास्तविकता:** प्रतीकात्मकता के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक हितों का संतुलन आवश्यक है।

पश्चिम एशिया में 'प्रमुख शक्ति' के रूप में भारत

- **बहु-संरेखण रणनीति:** भारत इज़राइल, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और फिलिस्तीन के साथ समानांतर संबंध बनाए रखता है।
- **ऊर्जा एवं प्रवासी हित:** पश्चिम एशिया में 80 लाख से अधिक भारतीय और तेल आयात पर निर्भरता क्षेत्रीय स्थिरता को महत्वपूर्ण बनाती है।
- **वैश्विक दक्षिण नेतृत्व:** भारत शांति, संवाद और विकास का समर्थन करता है।
- **मानक एवं रणनीतिक संतुलन:** भारत को नैतिक प्रतिबद्धताओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-इज़राइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। हालांकि, भारत को पश्चिम एशिया में अपने संतुलित कूटनीतिक रुख को बनाए रखना होगा, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन की पुनः पुष्टि, सभी क्षेत्रीय पक्षों के साथ संवाद और रणनीतिक स्वायत्तता का पालन शामिल है। एक संतुलित दृष्टिकोण भारत की वैश्विक विश्वसनीयता को और सुदृढ़ करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-इज़राइल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।
 2. इज़राइल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
 3. भारत द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन नहीं करता।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

भारत-पाकिस्तान संबंध

चर्चा में क्यों: हाल के विचार लेखों और कूटनीतिक चर्चाओं ने यह बहस पुनः शुरू कर दी है कि क्या सख्त सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित संवाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में स्थायी शत्रुता को रोक सकता है।

मुख्य विवरण

- सीमा-पार आतंकवाद और विश्वास की कमी के कारण भारत-पाकिस्तान संबंध काफी हद तक ठहराव की स्थिति में हैं।
- पूर्व में शांति पहल अक्सर पाकिस्तान-आधारित समूहों से जुड़े आतंकी हमलों के कारण बाधित हुई हैं।
- पूर्ण अलगाव से परमाणु-सशस्त्र क्षेत्र में गलत आकलन और तनाव बढ़ने का जोखिम बढ़ गया है।
- शिखर-स्तरीय कूटनीति के बजाय मुद्दा-आधारित क्रमिक संवाद पर जोर बढ़ रहा है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- **स्वतंत्रता के बाद प्रतिद्वंद्विता:** 1947 से संबंध विभाजन, युद्धों (1947, 1965, 1971, 1999) और कश्मीर विवाद से प्रभावित रहे हैं, जिससे गहरा रणनीतिक अविश्वास उत्पन्न हुआ।
- **शांति प्रयास एवं विफलताएँ:** लाहौर घोषणा (1999), आगरा शिखर सम्मेलन (2001) और समग्र वार्ता जैसे प्रयास कारगिल संघर्ष और 26/11 मुंबई हमलों जैसी घटनाओं से प्रभावित हुए।
- **आतंकवाद प्रमुख बाधा:** भारत का मानना है कि पाकिस्तान की भूमि से संचालित आतंकी समूहों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई के बिना संवाद संभव नहीं है।
- **कूटनीतिक गतिरोध:** बार-बार व्यवधान के कारण औपचारिक कूटनीतिक संबंध सीमित हो गए हैं।

सुरक्षा चिंताएँ और भारत की रणनीतिक स्थिति

- **सीमा-पार आतंकवाद:** पठानकोट (2016) और पुलवामा (2019) जैसे हमलों ने भारत की इस स्थिति को मजबूत किया कि सुरक्षा आश्वासन वार्ता से पहले आवश्यक हैं।
- **जवाबदेही का सिद्धांत:** बिना जवाबदेही के संवाद शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को वैधता दे सकता है।
- **सैन्य एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया:** सर्जिकल स्ट्राइक (2016) और बालाकोट हमले (2019) ने पूर्ण युद्ध के बिना प्रतिरोध की रणनीति को दर्शाया।
- **कठोर शक्ति की सीमाएँ:** केवल प्रतिरोध दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकता।

परमाणु-सशस्त्र क्षेत्र में संवाद की कमी के जोखिम

- **संचार का अभाव:** कूटनीतिक संपर्क की कमी से गलतफहमी और अनपेक्षित तनाव बढ़ सकता है।
- **अतिराष्ट्रवाद की भूमिका:** सोशल मीडिया और घरेलू राजनीतिक दबाव तनाव को तेजी से बढ़ा सकते हैं।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** दक्षिण एशिया में छोटे घटनाक्रम भी बड़े संकट में बदल सकते हैं।
- **रणनीतिक ठहराव:** मौन तटस्थता नहीं, बल्कि तनाव को और कठोर बना देता है।

क्रमिक और बहु-स्तरीय संवाद की आवश्यकता

- **शिखर कूटनीति से आगे:** केवल उच्च-स्तरीय बैठकों से स्थायी शांति संभव नहीं है।
- **जन-से-जन संपर्क:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल, शैक्षणिक सहयोग और चिकित्सा विज्ञान आपसी समझ को बढ़ाते हैं।
- **कम जोखिम वाले क्षेत्र:** तीर्थ यात्रा, छात्र आदान-प्रदान और कला संबंधी गतिविधियाँ कम जोखिम के साथ विश्वास बढ़ाती हैं।
- **शांति समर्थक समूहों को बढ़ावा:** ऐसे प्रयास पाकिस्तान में मध्यमार्गी आवाज़ों को मजबूत करते हैं।

सशर्त और संतुलित संवाद ढाँचा

- **समर्थन के बिना संवाद:** संवाद का अर्थ शत्रुतापूर्ण कार्यों की स्वीकृति नहीं है, बल्कि संघर्ष रोकने का प्रयास है।
- **स्पष्ट मानक:** भारत आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई जैसे मापनीय मानक निर्धारित कर सकता है।
- **पारस्परिक कदम:** पाकिस्तान की सीमित कार्रवाई के बदले भारत भी सीमित सहयोग कर सकता है।
- **क्रमिक कूटनीति:** “सब या कुछ नहीं” दृष्टिकोण से हटकर लचीली नीति अपनाना आवश्यक है।

क्षेत्रीय और मुद्दा-आधारित बहुपक्षवाद की भूमिका

- **सार्क की सीमाएँ:** द्विपक्षीय तनाव के कारण सार्क की प्रभावशीलता कम हुई है।
- **वैकल्पिक क्षेत्र:** जलवायु परिवर्तन, आपदा-राहत, महामारी & सिंधु जल संधि जैसे क्षेत्र सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं।
- **मानवीय दृष्टिकोण:** गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग से विश्वास बढ़ता है।

निष्कर्ष

भारत के सामने चुनौती है कि वह सख्त सुरक्षा दृष्टिकोण और व्यावहारिक संवाद रणनीति के बीच संतुलन बनाए। पूर्ण अलगाव से संघर्ष बढ़ने का खतरा है, जबकि बिना शर्त संवाद नैतिक जोखिम पैदा कर सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण—आतंकवाद पर कठोर, संवाद में लचीला और विश्वास निर्माण में क्रमिक—सबसे व्यवहारिक मार्ग प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-पाकिस्तान संबंधों में “संवाद न करने” की नीति की प्रमुख सीमा क्या है?

- (a) यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है
- (b) यह आर्थिक लागत बढ़ाती है
- (c) यह गलत आकलन और तनाव बढ़ने का जोखिम बढ़ाती है
- (d) यह केवल क्षेत्रीय संगठनों को कमजोर करती है

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “जवाबदेही के बिना संवाद जोखिमपूर्ण है, लेकिन संवाद का अभाव भी उतना ही खतरनाक है।” भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

ईरान-अमेरिका वार्ता: बढ़ते तनाव के बीच

चर्चा में क्यों: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के साथ “न्यायसंगत और संतुलित वार्ता” की इच्छा व्यक्त की है, जबकि अमेरिका ने अभी तक वार्ता की पुष्टि नहीं की है।

मुख्य विवरण

- ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री को उपयुक्त परिस्थितियों में अमेरिका के साथ वार्ता करने के निर्देश दिए हैं।
- इस पहल को ईरान के सर्वोच्च नेता का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

- अमेरिका ने वार्ता को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ा है, विशेषकर हालिया सैन्य तनावों के संदर्भ में।
- तुर्किये और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय देश संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर रहे हैं।

ईरान-अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि

- **1979 के बाद शत्रुता:** ईरानी क्रांति (1979) के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध टूट गए, जिससे प्रतिबंध, अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ।
- **परमाणु मुद्दा:** ईरान का परमाणु कार्यक्रम मुख्य विवाद का विषय रहा है, जो 2015 के जेसीपीओए समझौते तक पहुँचा, जिससे अमेरिका 2018 में बाहर हो गया।
- **प्रतिबंध और आर्थिक दबाव:** अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात और मुद्रा पर गंभीर प्रभाव डाला है।
- **तनाव के चक्र:** सैन्य घटनाएँ, साइबर हमले और प्रॉक्सी संघर्षों ने कूटनीतिक प्रयासों को बार-बार बाधित किया है।

पेजेस्कियन के बयान का महत्व

- **राजनीतिक संदेश में बदलाव:** “न्यायसंगत और संतुलित वार्ता” का आह्वान पहले के कठोर रुख से अलग एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **सर्वोच्च नेता की स्वीकृति:** अयातुल्ला खामेनेई का समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश और सुरक्षा नीति पर अंतिम निर्णय उनका होता है।
- **घरेलू संदर्भ:** देश में विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता के बीच यह कदम बाहरी दबाव कम करने के प्रयास को दर्शाता है।
- **सशर्त संवाद:** ईरान ने स्पष्ट किया है कि वार्ता बिना धमकी और अत्यधिक शर्तों के होनी चाहिए।

अमेरिका की स्थिति और रणनीतिक गणना

- **वार्ता पर अनिश्चितता:** अमेरिका ने अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है, जो सावधानीपूर्ण कूटनीति को दर्शाता है।
- **परमाणु शर्तें:** अमेरिका ने वार्ता को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण से जोड़ा है, जैसे संवर्धन स्तर और निरीक्षण।
- **सैन्य स्थिति:** अमेरिकी विमानवाहक पोत के पास ईरानी ड्रोन को मार गिराने जैसी घटनाएँ सुरक्षा तनाव को दर्शाती हैं।
- **सहयोगी देशों का प्रभाव:** इज़राइल और खाड़ी देशों जैसे सहयोगी अमेरिका की नीति को प्रभावित करते हैं।

क्षेत्रीय और बाहरी पक्षों की भूमिका

- **तुर्किये की मध्यस्थता:** तुर्किये की संतुलित कूटनीतिक स्थिति इसे वार्ता के लिए उपयुक्त मंच बनाती है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान की भागीदारी क्षेत्र में उसकी बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** खाड़ी व्यापार मार्गों पर निर्भर देश तनाव कम करने में रुचि रखते हैं।
- **बहुपक्षीय कूटनीति:** कई देशों की भागीदारी एकतरफा से बहुपक्षीय संकट प्रबंधन की ओर बदलाव को दर्शाती है।

फारस की खाड़ी में सुरक्षा तनाव

- **हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का महत्व:** वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% इस मार्ग से गुजरता है, जिससे इसका वैश्विक महत्व बढ़ता है।

- **डोन और नौसैनिक घटनाएँ:** हालिया घटनाएँ सैन्यीकृत क्षेत्र में गलत आकलन के जोखिम को दर्शाती हैं।
- **प्रॉक्सी और हाइब्रिड युद्ध:** दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष तरीकों से संघर्ष करते हैं, जिससे कूटनीति जटिल हो जाती है।
- **वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव:** तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में अस्थिरता आ सकती है।

भारत के लिए प्रभाव

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ईरान-अमेरिका संबंधों में स्थिरता भारत के तेल आयात के लिए महत्वपूर्ण है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** बेहतर संबंध चाबहार बंदरगाह जैसे भारत के हितों को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
- **प्रवासी और व्यापार:** खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी भारतीय आबादी होने से क्षेत्रीय शांति महत्वपूर्ण है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत संतुलित कूटनीति का समर्थन करता है।

आगे की राह

- **संरचित और चरणबद्ध वार्ता:** विश्वास निर्माण उपायों से शुरू करते हुए क्रमिक वार्ता अपनायी चाहिए।
- **बहुपक्षवाद का पुनर्जीवन:** यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय मध्यस्थों की भागीदारी आवश्यक है।
- **तनाव में कमी:** सैन्य टकराव से बचने के लिए संचार तंत्र और समुद्री नियमों का पालन जरूरी है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे:** वार्ता को परमाणु मुद्दे से आगे बढ़ाकर व्यापक सुरक्षा चिंताओं तक विस्तारित करना चाहिए।
- **संप्रभुता का सम्मान:** वार्ता बिना दबाव और अत्यधिक शर्तों के होनी चाहिए।
- **मध्य शक्तियों की भूमिका:** भारत, तुर्किये और पाकिस्तान जैसे देश सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
- **आर्थिक एकीकरण:** व्यापार और निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

ईरान-अमेरिका संबंधों में स्थायी सुधार के लिए विश्वास निर्माण, चरणबद्ध वार्ता और परस्पर सुरक्षा चिंताओं का सम्मान आवश्यक है। कूटनीति ही पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक स्थिरता का सबसे प्रभावी मार्ग है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व क्यों है?

- (a) यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है
- (b) यह वैश्विक तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है
- (c) यह कैस्पियन सागर को काला सागर से अलग करता है
- (d) यहाँ संयुक्त राष्ट्र की स्थायी नौसैनिक उपस्थिति है

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान-अमेरिका वार्ता के रणनीतिक महत्व की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने संबंधों को पुनर्स्थापित करने, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने, आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने और आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के कारण सुर्खियाँ बटोरीं।

मुख्य विवरण

- प्रधानमंत्री मोदी की 24 घंटे की कुआलालंपुर यात्रा का उद्देश्य 2025 में यात्रा रद्द होने के बाद भारत-मलेशिया संबंधों को पुनः स्थापित करना था।
- प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता से कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का नया प्रयास किया गया।
- आतंकवाद से जुड़े बयानों और पाकिस्तान को लेकर पूर्व तनावों के बावजूद, दोनों पक्षों ने सीमा-पार आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की।
- प्रमुख क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी सहयोग, सेमीकंडक्टर, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संबंध शामिल रहे।
- इस यात्रा ने आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की और क्षेत्रीय समन्वय के लिए आधार तैयार किया।

यात्रा का उद्देश्य: संबंधों का पुनर्स्थापन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 घंटे की कुआलालंपुर यात्रा का मुख्य उद्देश्य 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन के कारण यात्रा रद्द होने के बाद संबंधों को सुधारना था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी कारण मलेशिया नए वर्ष में उनका पहला विदेश गंतव्य बना।

उच्च-स्तरीय सहभागिता एवं परिणाम

- प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता, जिन्होंने 2024 में भारत का दौरा किया था, के परिणामस्वरूप कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।
- दोनों पक्षों ने प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।

2025 में तनाव की पृष्ठभूमि

- 2025 में, पहलगांम आतंकी हमलों की मलेशिया द्वारा निंदा के बावजूद भारत-मलेशिया संबंधों में कुछ तनाव देखा गया।
- श्री इब्राहिम द्वारा "पूर्ण और विस्तृत जांच" की मांग, भारत-पाकिस्तान तनाव कम करने की अपील और मध्यस्थता के प्रस्ताव ने नई दिल्ली में असहजता उत्पन्न की।
- अक्टूबर 2025 में मलेशिया द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी ने भी संवेदनशीलता बढ़ाई।

आतंकवाद पर नया सहमति दृष्टिकोण

- प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मतभेदों को अलग रखते हुए कूटनीतिक पुनर्स्थापन का संकेत दिया।
- संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद, विशेषकर सीमा-पार आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की गई।
- दोनों देशों ने आतंकवाद-रोधी सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने तथा संयुक्त राष्ट्र और FATF में समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग

- सेमीकंडक्टर पर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ, जो आईआईटी मद्रास ग्लोबल और मलेशिया की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर अकादमी के बीच सहयोग पर आधारित है।
- दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्रमुखता दी।
- विवादास्पद मुद्दों, जैसे कि मलेशिया में ज़ाकिर नाइक के निरंतर प्रवास, को सार्वजनिक चर्चाओं में जानबूझकर टाल दिया गया।

बहुपक्षीय एवं व्यापारिक मुद्दे

- आसियान से जुड़े मतभेदों को सावधानीपूर्वक टाल दिया गया।
- आसियान शिखर सम्मेलन में भाग न लेने के प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व निर्णय ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा वार्ताओं को धीमा कर दिया था।
- भारत के वाणिज्य मंत्री की पूर्व आलोचनात्मक टिप्पणियों ने कुछ असंतोष उत्पन्न किया था।

यात्रा का रणनीतिक महत्व

- इस यात्रा ने आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की, भले ही भारत यूरोप और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- ब्रिक्स के संदर्भ में, भारत ने मलेशिया की सदस्यता की आकांक्षा को केवल नोट किया, साथ ही प्रधानमंत्री इब्राहिम के निमंत्रण की पुष्टि की।
- इंडोनेशिया के पहले से ब्रिक्स सदस्य होने के कारण, यह यात्रा क्षेत्रीय समन्वय को और मजबूत कर सकती है।

व्यापक प्रभाव

- प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी से स्वागत की गई यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों को और गहरा कर सकती है।
- यह भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए आधार तैयार करती है, जो साझा भौगोलिक और रणनीतिक हितों को दर्शाती है।

निष्कर्ष

यह यात्रा एक कूटनीतिक पुनर्स्थापन का प्रतीक है, जिसने भारत और मलेशिया के बीच आपसी विश्वास और रणनीतिक सहयोग को पुनः सुदृढ़ किया। आतंकवाद-रोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और आसियान के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देकर, इस यात्रा ने गहरे द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय समन्वय के लिए मजबूत आधार तैयार किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत और मलेशिया निम्नलिखित में से किन संगठनों के सदस्य हैं?

1. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
2. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)
3. क्राड
4. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

उपर्युक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 4

- (c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने किस प्रकार द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्स्थापित किया? इसके महत्व और सीमाओं का भारत की आसियान नीति और क्षेत्रीय कूटनीति के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भारत-फ्रांस संबंधों का रणनीतिक विकास

चर्चा में क्यों: 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की यात्रा ने भारत-फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन में गहरे सहयोग को दर्शाता है।

मुख्य विवरण

- भारत और फ्रांस ने 2026 में संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया।
- भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- रक्षा संबंधों का विस्तार, जिसमें राफेल-एम विमानों और हैमर मिसाइल के उत्पादन शामिल हैं।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना तथा एआई, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा में संयुक्त पहल।

संबंधों का ऐतिहासिक विकास

- **औपनिवेशिक-उपरांत सहयोग (1947-1962):** फ्रांस ने क्षेत्रों के हस्तांतरण में शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, जैसे 1962 तक पुदुचेरी को भारत को सौंपना, जो गोवा में पुर्तगाल के प्रतिरोध के विपरीत था। इससे प्रारंभिक कूटनीतिक विश्वास स्थापित हुआ।
- **शीत युद्ध के दौरान रणनीतिक स्वायत्तता:** दोनों देशों ने गुटीय राजनीति का विरोध किया और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जो गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता पर आधारित थी।
- **प्रारंभिक रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग:** भारत ने मिस्टेयर और औरागन जैसे विमान खरीदे, जबकि फ्रांस ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसमें पीएसएलवी के लिए वाइकिंग इंजन आधार शामिल है।
- **1998 के बाद रणनीतिक साझेदारी:** पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस ने भारत का समर्थन किया और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पश्चिमी देश बना, जो दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है।

रक्षा औद्योगिक एकीकरण एवं रणनीतिक स्वायत्तता

- **सह-विकास मॉडल की ओर बदलाव:** साझेदारी खरीदार-विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन तक पहुँची, जिसका उदाहरण राफेल विमानों और प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ हैं।
- **हालिया रक्षा सहयोग (2026):** बीईएल-सैफ्रान संयुक्त उद्यम द्वारा हैमर मिसाइल और एच125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देती है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता का समन्वय:** दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं और अमेरिका या चीन जैसी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हैं।

- **रक्षा व्यापार का महत्व:** फ्रांस भारत के कुल हथियार आयात का लगभग 25–30% प्रदान करता है, जिससे वह एक प्रमुख रक्षा भागीदार बनता है।



अंतरिक्ष सहयोग एवं प्रौद्योगिकी समन्वय

- **इसरो-सीएनईएस साझेदारी:** दीर्घकालिक सहयोग में उपग्रह प्रक्षेपण, प्रशिक्षण और पृथ्वी अवलोकन मिशन शामिल हैं, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताएँ मजबूत होती हैं।
- **त्रिश्रा उपग्रह मिशन:** जलवायु निगरानी के लिए संयुक्त थर्मल इन्फ्रारेड उपग्रह, अंतरिक्ष-आधारित पर्यावरणीय शासन पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग:** फ्रांस भारत के गगनयान मिशन (2027) में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और अंतरिक्ष चिकित्सा में सहयोग कर रहा है।
- **अंतरिक्ष का रणनीतिक महत्व:** अंतरिक्ष सहयोग से नेविगेशन, संचार और रक्षा क्षमताएँ मजबूत होती हैं, जो आधुनिक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण हैं।

हिंद-प्रशांत रणनीति एवं समुद्री सुरक्षा

- **साझा क्षेत्रीय हित:** रीयूनियन जैसे क्षेत्रों के कारण फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक निवासी शक्ति है, जो भारत की क्षेत्रीय दृष्टि के अनुरूप है।
- **नौसैनिक सहयोग:** 'वरुण' (2025 में 23वाँ संस्करण) जैसे अभ्यास आपसी समन्वय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
- **मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत:** दोनों देश नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, ताकि आक्रामक समुद्री विस्तार का मुकाबला किया जा सके और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- **समुद्री व्यापार संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार (~11–12 अरब डॉलर) सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है, जो रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है।

डिजिटल संप्रभुता एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- **उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी:** दोनों देश नैतिक और समावेशी एआई ढाँचे विकसित करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे अमेरिका-चीन तकनीकी प्रभुत्व से बचा जा सके।
- **भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026:** स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, अनुसंधान सहयोग और डिजिटल नवाचार को मजबूत करता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र में एआई:** स्वास्थ्य क्षेत्र (जैसे, एम्स सहयोग) में एआई केंद्रों की स्थापना व्यावहारिक उपयोग को दर्शाती है।
- **वैश्विक मानक निर्धारण:** भारत और फ्रांस एआई शासन और डिजिटल लोकतंत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग

- **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत और फ्रांस द्वारा COP21 (पेरिस) में संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
- **परमाणु ऊर्जा सहयोग:** छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) पर ध्यान, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

- **ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता:** परमाणु ऊर्जा स्थिर आधारभूत ऊर्जा प्रदान करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है।
- **जलवायु नेतृत्व:** दोनों देश पेरिस समझौते के तहत वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।

वैश्विक शासन एवं बहुध्रुवीयता

- **वैश्विक संस्थानों में सुधार:** फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज:** वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका, बहुपक्षवाद के लिए फ्रांस के समर्थन के अनुरूप है।
- **संयुक्त कूटनीतिक पहल:** संयुक्त राष्ट्र, FATF और जलवायु मंचों में सहयोग वैश्विक शासन को मजबूत करता है।
- **“तीसरा मार्ग” रणनीति:** भारत-फ्रांस साझेदारी अमेरिका-चीन द्विध्रुवीयता के विकल्प के रूप में उभरती है।

संबंधों में मतभेद के क्षेत्र

- **जैतापुर परमाणु परियोजना में देरी:** लागत, दायित्व और प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों के कारण प्रगति धीमी रही है।
- **व्यापार असंतुलन:** द्विपक्षीय व्यापार सीमित है और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे असंतुलन बना हुआ है।
- **रूस-यूक्रेन पर मतभेद:** भारत की तटस्थ नीति फ्रांस के यूरोपीय संघ-समर्थित रुख से भिन्न है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मुद्दे:** नियामकीय और बौद्धिक संपदा चिंताओं के कारण उन्नत रक्षा तकनीक हस्तांतरण में देरी होती है।

निष्कर्ष

भारत-फ्रांस संबंध विश्वास, रणनीतिक स्वायत्तता और साझा वैश्विक दृष्टि पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो चुके हैं। रक्षा निर्माण, डिजिटल शासन और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करते हुए व्यापार और परमाणु परियोजनाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। मध्यम शक्तियों के रूप में, दोनों देश 'होराइजन 2047' जैसे ढाँचों के माध्यम से स्थिर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में सक्षम हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी पहल भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी?

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- क्राड
- बेल्ट एंड रोड पहल
- ब्लू डॉट नेटवर्क

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-फ्रांस संबंधों के विकास का विश्लेषण कीजिए तथा हाल के वर्षों में रणनीतिक अभिसरण के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मुख्य विवरण

- बीएनपी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने 300 सदस्यीय जातीय संसद में 200 से अधिक सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।
- चुनाव अवामी लीग पर प्रतिबंध और शेख हसीना के निर्वासन के बाद हुए, जिससे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन बन गया।
- जमात-ए-इस्लामी संसद में सीमित लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति बनाए हुए है।
- इन घटनाओं का भारत-बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर रणनीतिक प्रभाव है।

चुनावी परिणाम और राजनीतिक पुनर्संरखण

- **निर्णायक बीएनपी जनादेश:** बीएनपी का 200 से अधिक सीटें प्राप्त करना एक मजबूत जनादेश को दर्शाता है, जो परिवर्तन की जन इच्छा और प्रतिस्पर्धी राजनीति की वापसी का संकेत है।
- **अवामी लीग के प्रभुत्व का अंत:** अवामी लीग की अनुपस्थिति बांग्लादेश की राजनीति में एक संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, हालांकि उसकी विरासत अभी भी प्रभावी है।
- **द्विध्रुवीय राजनीति की वापसी:** बांग्लादेश पुनः पारंपरिक बीएनपी बनाम अवामी लीग ढांचे की ओर लौटता दिख रहा है, जिसने 1990 के बाद लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को परिभाषित किया था।
- **तारीक रहमान के नेतृत्व में:** उभरते संकेत एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें आर्थिक स्थिरता, शासन सुधार और संस्थागत प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

जमात-ए-इस्लामी (JEI) की भूमिका

- **निरंतर संसदीय प्रासंगिकता:** सीमित सीटों के बावजूद, जमात-ए-इस्लामी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिनेता बना हुआ है, जो गठबंधन राजनीति और विधायी बहसों को प्रभावित करता है।
- **1971 की ऐतिहासिक विरासत:** बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के प्रति पार्टी का विरोध अभी भी जन धारणा और राजनीतिक वैधता के मुद्दों को प्रभावित करता है।
- **चुनावी मुख्यधारा में समावेशन:** इसकी भागीदारी यह दर्शाती है कि मतदाता लोकतांत्रिक ढांचे में धार्मिक पहचान और शासन प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
- **नीतिगत प्रभाव:** कम सीटों के बावजूद, JEI शिक्षा, सामाजिक नीति और पहचान-आधारित राजनीति पर विमर्श को प्रभावित कर सकती है।

संवैधानिक एवं संस्थागत विकास

- **संवैधानिक जनमत संग्रह:** सुधारों के प्रति जन समर्थन प्रारंभिक लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है, लेकिन स्थायित्व कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।
- **पाठ और व्यवहार के बीच अंतर:** संवैधानिक सफलता केवल प्रावधानों पर नहीं, बल्कि संस्थागत आचरण, विधि के शासन और जवाबदेही पर निर्भर करती है।
- **संस्थागत संतुलन की आवश्यकता:** लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया और विपक्ष के लिए पर्याप्त स्थान आवश्यक है।
- **स्थिर संवैधानिक व्यवस्था की ओर संक्रमण:** बांग्लादेश के सामने चुनौती है कि वह चुनावी जीत को दीर्घकालिक लोकतांत्रिक स्थिरता में परिवर्तित करे।

बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक क्षण

चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के 2026 के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्ता में आई है, जो क्षेत्रीय प्रभावों के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

पीढ़ीगत लामबंदी एवं राजनीतिक भागीदारी

- **युवा राजनीति का उदय:** चुनावों से पहले छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलनों ने बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और जवाबदेही की मांग को दर्शाया।
- **लामबंदी-प्रतिनिधित्व अंतर:** सक्रिय भागीदारी के बावजूद, युवा समूह का औपचारिक राजनीतिक संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व है।
- **शासन सुधार की मांग:** यह आंदोलन भ्रष्टाचार, संरक्षणवादी नेटवर्क और अभिजात्य वर्चस्व के प्रति असंतोष को दर्शाता है।
- **दीर्घकालिक लोकतांत्रिक प्रभाव:** युवा लामबंदी धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व पैटर्न और नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती है।

अल्पसंख्यक सुरक्षा और सामाजिक एकता

- **अल्पसंख्यक सुरक्षा पर चिंताएँ:** संक्रमण काल के दौरान हिंदू समुदायों पर हमलों की रिपोर्टें कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर प्रश्न उठाती हैं।
- **लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का संकेतक:** अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संवैधानिक लोकतंत्र और विधि के शासन की प्रमुख कसौटी है।
- **1971 की विरासत:** बांग्लादेश के स्थापना सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता और समानता पर आधारित थे, जिन्हें बनाए रखना आवश्यक है।
- **प्रशासनिक आश्वासन की आवश्यकता:** नई सरकार को स्पष्ट सुरक्षा उपाय और विश्वास निर्माण करना होगा।

आर्थिक संदर्भ और विकास दबाव

- **निर्यात-आधारित विकास मॉडल:** बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वस्त्र उद्योग (80% से अधिक निर्यात), प्रेषण और महिला श्रम भागीदारी पर आधारित है।
- **प्रति व्यक्ति आय में प्रगति:** बांग्लादेश ने मजबूत आर्थिक वृद्धि दिखाई -- कभी-कभी प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे रहा है।
- **बाहरी संकटों के प्रति संवेदनशीलता:** वस्त्र उद्योग पर अधिक निर्भरता वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव और व्यापार बाधाओं के प्रति जोखिम बढ़ाती है।
- **प्रवास का प्रभाव:** आर्थिक अस्थिरता असम और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों में अवैध प्रवासन को बढ़ा सकती है।
- **शासन और सेवा वितरण:** नई सरकार की वैधता रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और समावेशी विकास पर निर्भर करेगी।

भारत के लिए निहितार्थ – रणनीतिक भूगोल

- **सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक):** 20–22 किमी का संकीर्ण गलियारा मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, जिससे बांग्लादेश की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण बनती है।
- **स्थिर संबंधों पर निर्भरता:** बांग्लादेश के साथ सहयोग से सुचारु संपर्क, व्यापार मार्ग और सैन्य लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित होते हैं।
- **विपरीत गठबंधन का जोखिम:** राजनीतिक अस्थिरता या शत्रुतापूर्ण रुख भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति से संबंध:** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का संपर्क बांग्लादेश के माध्यम से काफी हद तक निर्भर है।

बाहरी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** चिटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों में निवेश चीन की हिंद महासागर रणनीति के अनुरूप है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ रहा है।
- **रणनीतिक घेराव की चिंताएँ:** ग्वादर और हम्बनटोटा के साथ मिलकर, चीन की उपस्थिति भारत के समुद्री क्षेत्र पर दबाव बढ़ा सकती है।
- **पाकिस्तान के सामरिक हित:** पाकिस्तान राजनीतिक परिवर्तन के दौरान ऐतिहासिक खुफिया और वैचारिक नेटवर्क को पुनः सक्रिय करने का प्रयास कर सकता है।
- **पश्चिमी सहभागिता:** अमेरिका और ब्रिटेन की भागीदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक स्थिति को दर्शाती है।
- **बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा:** बांग्लादेश की विदेश नीति समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करेगी।

निष्कर्ष

बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ चुनावी परिवर्तन को लोकतांत्रिक सुदृढीकरण, संस्थागत जवाबदेही और समावेशी शासन में परिवर्तित करना आवश्यक है। भारत के लिए प्राथमिकता भौगोलिक, आर्थिक पारस्परिकता और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर व्यावहारिक जुड़ाव की है। इस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि बांग्लादेश घरेलू स्थिरता और बाहरी भू-राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

बैंकिंग सुधार एवं REITs

चर्चा में क्यों: हाल ही में, RBI ने बैंकों के लिए अधिग्रहण वित्त सीमा को 75% तक बढ़ा दिया है और क्रेडिट व पूंजी बाजारों को गहराई देने हेतु सूचीबद्ध REITs को उधार देने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य विवरण:

- RBI ने अधिग्रहण वित्त सीमा को पहले प्रस्तावित 70% से बढ़ाकर 75% कर दिया है।
- नए नियमों के तहत नई कंपनियाँ स्थापित करने में बैंकों को अब प्रमोटरों की हिस्सेदारी को वित्तपोषित करने की अनुमति है।
- RBI ने सूचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) को उधार देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक्सपोजर सीमा कुल परिसंपत्ति मूल्य के 49% तक होगी।
- इन उपायों का उद्देश्य वित्तपोषण बाजारों को सुदृढ़ करना, M&A गतिविधि को समर्थन देना और पूंजी बाजारों को गहराई देना है।

अधिग्रहण वित्त: अर्थ और नियामकीय परिवर्तन

- अधिग्रहण वित्त क्या है:** अधिग्रहण वित्त (Acquisition Finance) से आशय उन ऋणों से है जो बैंक कंपनियों या प्रमोटरों को किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या अधिग्रहण हेतु प्रदान करते हैं। यह विलय और अधिग्रहण (M&A) में महत्वपूर्ण है।
- संशोधित ऋण सीमा (Cap 75%):** RBI ने बैंकों को अधिग्रहण मूल्य का 75% तक वित्तपोषण करने की अनुमति दी है, जो पहले 70% थी। इससे बड़े कॉर्पोरेट सौदों हेतु अधिक ऋण होगा।
- बैंक-स्तरीय ड्यू डिलिजेंस:** अधिग्रहण मूल्य का स्वतंत्र आकलन बैंकों द्वारा किया जाएगा, जिससे सावधानीपूर्ण जोखिम प्रबंधन और अधिक ऋण (Over-Leveraging) से बचाव सुनिश्चित होगा।
- कॉर्पोरेट पुनर्गठन में समर्थन:** अधिग्रहण वित्त को आसान बनाने से एकीकरण (Consolidation) को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर विनिर्माण, अवसंरचना & नई अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में।

प्रमोटर फंडिंग और नई कंपनी गठन

- प्रमोटरों (इक्विटी) को वित्तपोषण:** RBI ने बैंकों को प्रमोटरों की हिस्सेदारी को वित्तपोषित करने की अनुमति दी है, जब वे नई कंपनियाँ स्थापित करते हैं, बशर्ते कि सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन हो।
- उद्यमिता और स्टार्ट-अप को बढ़ावा:** इससे पूंजी-गहन क्षेत्रों में प्रमोटरों के लिए पूंजी तक पहुँच बेहतर हो सकती है।
- सावधानी के पहलू:** प्रमोटर फंडिंग जोखिमपूर्ण हो सकती है, जिससे हितों का टकराव और अत्यधिक ऋण लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बैंकों को सख्त ऋण मूल्यांकन बनाना होगा।
- ऋण वृद्धि की आवश्यकताओं के साथ संतुलन:** यह सुधार RBI के उस प्रयास को दर्शाता है जिसमें वित्तीय प्रणाली में वृद्धि और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

भारत में REITs: अवधारणा और महत्व

- REITs क्या हैं:** रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट ऐसे निवेश माध्यम हैं जो आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्तियों के स्वामित्व/प्रबंधन करते हैं, जिससे छोटे निवेशक भी संपत्ति बाजार में भाग ले सकते हैं।

- SEBI द्वारा विनियमित संरचना:** भारत में REITs का विनियमन SEBI करता है और इन्हें अपनी वितरित योग्य नकद प्रवाह का कम से कम 90% निवेशकों को वितरित करना होता है।
- वर्तमान स्थिति:** भारत में वर्तमान में पाँच सूचीबद्ध REITs हैं, जो मुख्यतः प्रमुख शहरों में वाणिज्यिक कार्यालय परिसंपत्तियों पर केंद्रित हैं।
- वित्त को प्रवाहित करने में भूमिका:** REITs रियल एस्टेट परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने, पारदर्शिता बढ़ाने और वैकल्पिक निवेश माध्यम प्रदान करने में मदद करते हैं।

RBI का प्रस्ताव: REITs को बैंक ऋण

- ऋण अनुमति प्रस्ताव:** RBI ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक REITs को ऋण दे सकें, जैसा कि वे वर्तमान में InvITs को देते हैं।
- एक्सपोजर सीमा (49%):** बैंक एक्सपोजर REIT की कुल परिसंपत्ति मूल्य के 49% तक सीमित रहेगा, जिससे प्रणालीगत जोखिम नियंत्रित रहेगा।
- InvITs के साथ समानता:** बैंक पहले से ही InvITs को ऋण देते हैं; REITs तक इसे बढ़ाने से नियामकीय एकरूपता सुनिश्चित होगी।
- अपेक्षित प्रभाव:** इससे REITs की पूंजी लागत कम हो सकती है और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

आर्थिक प्रभाव

- M&A गतिविधि में वृद्धि:** अधिग्रहण वित्त सीमा बढ़ने से कॉर्पोरेट एकीकरण तेज हो सकता है, जिससे दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- बैंकों के लिए ऋण वृद्धि:** REITs और प्रमोटरों के लिए नए ऋण मार्ग बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार में मदद करेंगे, जो आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
- रियल एस्टेट क्षेत्र को समर्थन:** REITs को ऋण देने से वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता सुधरेगी, जो महामारी के बाद पुनर्प्राप्ति कर रहा है।
- वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** RBI को अत्यधिक ऋण, परिसंपत्ति बुलबुले और एकाग्रता जोखिम जैसे मुद्दों की निगरानी करनी होगी, विशेषकर चक्रीय रियल एस्टेट बाजार में।

निष्कर्ष

RBI का यह संतुलित उदारीकरण एक विकासोन्मुख लेकिन सावधानीपूर्ण नियामकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों को गहरा करना और निवेश गतिविधियों को समर्थन देना है। आगे चलकर, बैंकों द्वारा मजबूत जोखिम प्रबंधन, REITs द्वारा सुदृढ़ प्रकटीकरण और कड़ी नियामकीय निगरानी आवश्यक होगी ताकि बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता स्थायी और स्थिर आर्थिक वृद्धि में परिवर्तित हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- इन्हें SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इन्हें अपने वितरित योग्य नकद प्रवाह का कम से कम 90% निवेशकों को वितरित करना होता है।

3. केवल बैंक ही REIT इकाइयों में निवेश कर सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: RBI द्वारा अधिग्रहण वित्त मानदंडों में किए गए हालिया परिवर्तनों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भारत के कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

वस्त्र अर्थव्यवस्था पर बजट

चर्चा में क्यों: केंद्रीय बजट 2026 ने वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से वृद्धि, रोजगार और निर्यात के एक रणनीतिक इंजन के रूप में पुनर्स्थापित किया है।

मुख्य विवरण:

- बजट 2026 में राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, Tex-ECON और समर्थ 2.0 जैसी कई पहलें घोषित की गईं।

- खंडित योजनाओं से हटकर मूल्य-शृंखला आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- मेगा टेक्स्टाइल पार्क, कारीगर समावेशन, कौशल विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया गया है।
- ब्रांडिंग, डिज़ाइन स्वामित्व, कारीगर आय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

वस्त्र (टेक्स्टाइल्स) क्षेत्र का रणनीतिक महत्व

- रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 10 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बनता है।
- निर्यात में योगदान:** भारत विश्व के प्रमुख वस्त्र उत्पादकों में है, जो कुल माल निर्यात का लगभग 11% योगदान देता है, जिसमें कपास, मानव-निर्मित फाइबर, परिधान & हस्तशिल्प शामिल हैं।
- सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रसार:** पूर्वोत्तर के हथकरघा समूहों से लेकर तमिलनाडु के पावरलूम केंद्रों और गुजरात के वस्त्र केंद्रों तक, वस्त्र उत्पादन क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास का समर्थन करता है।
- MSMEs से जुड़ाव:** 80% से अधिक वस्त्र इकाइयाँ MSMEs हैं, जिससे यह क्षेत्र विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बनता है।

भारत का उभरता हुआ वस्त्र क्षेत्र

- क्षेत्रफल के आधार पर कपास का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक
- रेशम और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
- जूट का सबसे बड़ा उत्पादक
- मानव-निर्मित फाइबर (MMF) खंड में दूसरा प्रमुख वैश्विक केंद्र
- पॉलिएस्टर और विस्कोस फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
- वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक

स्रोत: वित्त मंत्रालय

बजट 2026: मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण की ओर बदलाव

- **खंडित से एकीकृत:** पहले की नीतियाँ अलग-अलग मुद्दों (जैसे सब्सिडी या प्रोत्साहन) पर केंद्रित थीं; बजट 2026 फाइबर, उत्पादन, कौशल, कारीगर और निर्यात को एक पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है।
- **राष्ट्रीय फाइबर योजना:** इसका उद्देश्य संधारणीय कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसमें कपास, मानव-निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्र सम्मिलित हैं, ताकि आयात निर्भरता कम हो सके।
- **वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना:** यह योजना विशेष रूप से श्रम-प्रधान परिधान विनिर्माण में पैमाने का विस्तार और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
- **Tex-ECON पहल:** यह तकनीकी उन्नयन, अनुपालन मानकों और लॉजिस्टिक्स दक्षता के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान देती है।

अवसंरचना प्रोत्साहन: मेगा टेक्सटाइल पार्क और क्लस्टर

- **चुनौती मोड टेक्सटाइल पार्क:** कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण को एक ही स्थान पर जोड़ने वाले नए मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित हैं।
- **लागत में कमी एवं दक्षता:** एकीकृत पार्क लॉजिस्टिक्स लागत, ऊर्जा अक्षमताओं और समय विलंब को कम करते हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
- **निवेश आकर्षण:** विश्वस्तरीय अवसंरचना विशेषकर MMF और तकनीकी वस्त्रों में FDI और निजी पूंजी को आकर्षित करती है।

वैश्विक मानकीकरण और कारीगर अर्थव्यवस्था

- **वैश्विक मानकीकरण:** ऐसे पार्क वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के सफल मॉडलों की तर्ज पर हैं, जिससे भारत बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
- **कारीगर अर्थव्यवस्था और ग्राम स्वराज पहल:**
 - ✓ **महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल:** इसका उद्देश्य बेहतर ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और बाज़ार पहुँच के माध्यम से हथकरघा, कला और हस्तशिल्प को सशक्त करना है।
 - ✓ **सांस्कृतिक पूंजी:** भारत की वस्त्र शक्ति केवल कारखानों में नहीं बल्कि उसके जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं में भी निहित है, जो ग्रामीण आजीविका का समर्थन करती है।
- **महिलाएँ और अनौपचारिक कार्यबल:** कारीगर क्षेत्र में महिलाओं और अनौपचारिक श्रमिकों का बड़ा हिस्सा सम्मिलित है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **सीमाएँ:** प्राइसिंग पावर, आय सुरक्षा और बाज़ार मध्यस्थों से जुड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

कौशल एवं समर्थ 2.0: प्रगति और अंतराल

- **संचालन कौशल पर ध्यान:** समर्थ 2.0 मशीन संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण और कारखाना उत्पादकता में प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है।
- **रचनात्मक कौशल की आवश्यकता:** वैश्विक वस्त्र मूल्य अब डिज़ाइन, फैशन पूर्वानुमान, ब्रांडिंग और मर्चेन्डाइजिंग में निहित है, जो अभी भी कम विकसित हैं।
- **प्रबंधकीय एवं प्रणाली कौशल:** सप्लाई-चेन प्रबंधन, स्थिरता अनुपालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रशिक्षण की कमी प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है।

- **डिज़ाइन नेतृत्व की कमी:** रचनात्मक स्वामित्व के बिना भारत लागत-आधारित आपूर्तिकर्ता बना रहता है, न कि मूल्य निर्धारक।

वैश्विक व्यापार परिदृश्य: अवसर और जोखिम

- **व्यापार समझौते:** मुक्त व्यापार समझौते बाज़ार पहुँच को सुधार सकते हैं, लेकिन भारतीय उत्पादकों को सब्सिडी वाले और कम लागत वाले आयातों का सामना करना पड़ सकता है।
- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को बेहतर व्यापार शर्तें और कम उत्पादन लागत का लाभ मिलता है।
- **अनुपालन दबाव:** वैश्विक बाज़ार ESG मानकों, श्रम मानकों और स्थिरता प्रमाणन के पालन की मांग करते हैं।
- **आगे की दिशा:** केवल अवसंरचना पर्याप्त नहीं है; ब्रांड निर्माण, मानक अनुपालन और डिज़ाइन नवाचार अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

बजट 2026 वस्त्र नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जो इस क्षेत्र को भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना के केंद्र में स्थापित करता है। हालांकि, अगले चरण में मूल्य-श्रृंखला को ऊपर ले जाने के लिए गहरे संरचनात्मक अंतरालों जैसे कि मूल्य निर्धारण शक्ति, प्रमोटर ब्रांड स्वामित्व और रचनात्मक एवं प्रबंधकीय कौशल को संबोधित करना आवश्यक होगा। तभी वस्त्र क्षेत्र केवल विनिर्माण सफलता नहीं, बल्कि भारत के लिए एक मूल्य-आधारित वैश्विक उद्योग बन सकेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा कीजिए कि बजट 2026 भारत की वस्त्र नीति को खंडित योजनाओं से मूल्य-श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण की ओर कैसे ले जाता है। भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक मूल्य-श्रृंखला में ऊपर ले जाने के लिए किन कमियों को दूर करना आवश्यक है?

श्रम कल्याण एवं समावेशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संशोधित वेतन परिभाषा और ग्रेच्युटी प्रावधानों के क्रियान्वयन के तहत नए श्रम संहिताएँ कॉर्पोरेट दायित्वों को बढ़ा रही हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ कर रही हैं।

मुख्य विवरण:

- **वेतन परिभाषा सुधार:** वेतन कुल पारिश्रमिक का कम से कम 50% होना चाहिए, जिससे PF, पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ बढ़ते हैं।
- **नियत अवधि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी:** एक वर्ष के बाद पात्रता से अल्पकालिक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव:** कंपनियों पर दायित्व बढ़ता है, परंतु आय के अधिक न्यायसंगत वितरण में योगदान होता है।
- **कवरेज का विस्तार:** सामाजिक सुरक्षा को गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों तक विस्तारित किया गया है, जिसमें पोर्टेबिलिटी लाभ सम्मिलित हैं।

वेतन परिभाषा सुधार

- **50% नियम:** नए नियम के अनुसार मूल वेतन, DA और रिटेनिंग भत्ता कुल पारिश्रमिक का कम से कम 50% होना अनिवार्य है, जिससे कृत्रिम वेतन संरचना कम होती है।

- **पूर्व प्रथा:** कंपनियाँ मूल वेतन को 30-35% तक कम रखती थीं, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान घटता था और दीर्घकालिक लाभ कमजोर होते थे।
- **सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा:** अधिक मूल वेतन से भविष्य निधि (PF), पेंशन योगदान और ग्रेच्युटी भुगतान बढ़ते हैं, जिससे बेहतर सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **आय का औपचारिककरण:** यह सुधार वेतन को वास्तविक आय के अनुरूप बनाता है, अनौपचारिक घटकों को कम करता है और पारदर्शी पारिश्रमिक संरचना को बढ़ावा देता है।

नियत अवधि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (श्रम बाज़ार समावेशन)

- **एक वर्ष की पात्रता:** नियत अवधि के कर्मचारी एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के पात्र होते हैं, जबकि पहले पाँच वर्ष की आवश्यकता होती थी।
- **आधुनिक रोजगार की मान्यता:** IT, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संविदात्मक और अल्पकालिक रोजगार की बढ़ती प्रवृत्ति को मान्यता देता है।
- **संपत्ति निर्माण तंत्र:** अल्पकालिक नौकरियाँ भी अब दीर्घकालिक बचत में योगदान देती हैं, जिससे रोजगार वित्तीय स्थिरता का स्रोत बनता है।
- **जोखिम शमन:** नौकरी परिवर्तन, छंटनी या आर्थिक संकटों के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा मिलती है, जिससे उनकी संवेदनशीलता कम होती है।

सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से वित्तीय समावेशन

- **पीएफ, पेंशन एवं ग्रेच्युटी उपकरण:** ये औपचारिक बचत तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो दीर्घकालिक वित्तीय योजना को बढ़ावा देते हैं।
- **अनौपचारिक कार्यबल का समावेशन:** पहली बार गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों को कानूनी ढाँचे में सम्मिलित किया गया है।
- **लाभों की पोर्टेबिलिटी:** श्रमिक विभिन्न नौकरियों और राज्यों में अपने लाभ साथ ले जा सकते हैं, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर प्रोत्साहन:** इससे श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में आने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे ऋण, बीमा और कल्याण योजनाओं तक पहुँच बढ़ती है।

कॉर्पोरेट प्रभाव एवं पुनर्वितरण

- **वित्तीय दायित्व में वृद्धि:** Infosys, HCLTech और L&T जैसी कंपनियों को कर्मचारी सम्बंधित लाभों के लिए अधिक योगदान करना पड़ता है।
- **श्रम की ओर पुनर्वितरण:** अधिक योगदान से आय का अधिक न्यायसंगत वितरण होता है और आर्थिक वृद्धि में श्रम की हिस्सेदारी मजबूत होती है।
- **उपभोग में वृद्धि:** उच्च उपलब्ध आय और सुरक्षित आय क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है।
- **दीर्घकालिक लाभ (फर्मों के लिए):** बेहतर श्रमिक संतुष्टि और स्थायित्व उत्पादकता & संगठनात्मक स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

समष्टि आर्थिक प्रभाव

- **मांग-आधारित वृद्धि:** बढ़ी हुई श्रमिक आय उपभोग व्यय को बढ़ाती है, जो GDP का प्रमुख चालक है।

- **बचत और निवेश:** PF और पेंशन के माध्यम से औपचारिक बचत पूंजी निर्माण और वित्तीय गहराई में योगदान देती है।
- **आर्थिक स्थिरता:** सामाजिक सुरक्षा आर्थिक मंदी के दौरान संवेदनशीलता को कम करती है और संकटों के विरुद्ध लचीलापन बढ़ाती है।
- **समावेशी वृद्धि:** श्रम संहिताएँ व्यापक वर्गों तक लाभ पहुँचाकर समानता और सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि सुनिश्चित करती हैं।

श्रम संहिताएँ: संरचनात्मक सुधार

- **कानूनों का एकीकरण:** 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है, जिससे अनुपालन और शासन सरल होता है।
- **पारदर्शिता और दक्षता:** एकसमान वेतन परिभाषाएँ और नियम अस्पष्टता को कम करते हैं तथा व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाते हैं।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** सुधार श्रमिक कल्याण और नियोक्ता लचीलेपन के बीच संतुलन बनाते हैं, जो एक गतिशील श्रम बाज़ार के लिए आवश्यक है।
- **पुराने मुद्दों का समाधान:** पुराने और खंडित कानूनों को आधुनिक नियामकीय ढाँचे से प्रतिस्थापित किया गया है, जो वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **उद्योग का प्रतिरोध:** उच्च अनुपालन लागत और दायित्व स्वचालन की ओर झुकाव को बढ़ा सकते हैं।
- **क्रियान्वयन अंतराल:** राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन प्रशासनिक क्षमता की सीमाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- **ट्रेड यूनियन का विरोध:** कुछ यूनियन इन सुधारों को नियोक्ता-समर्थक मानती हैं और नौकरी सुरक्षा व सौदेबाजी शक्ति पर चिंता जताती हैं।
- **असंगठित क्षेत्र तक पहुँच:** असंगठित श्रमिकों तक वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए मजबूत पहचान और वितरण तंत्र की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

श्रम संहिताएँ समावेशी वृद्धि और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। वेतन परिभाषा में सुधार, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और नए युग के श्रमिकों को सम्मिलित कर ये आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। हालांकि, इनकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, हितधारकों की सहमति और संस्थागत क्षमता पर निर्भर करेगी, जिससे भारत की वृद्धि सतत और न्यायसंगत बन सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में श्रम संहिताओं के तहत वेतन परिभाषा सुधार का महत्व स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

पूँजीगत व्यय एवं ऋण स्थिरता

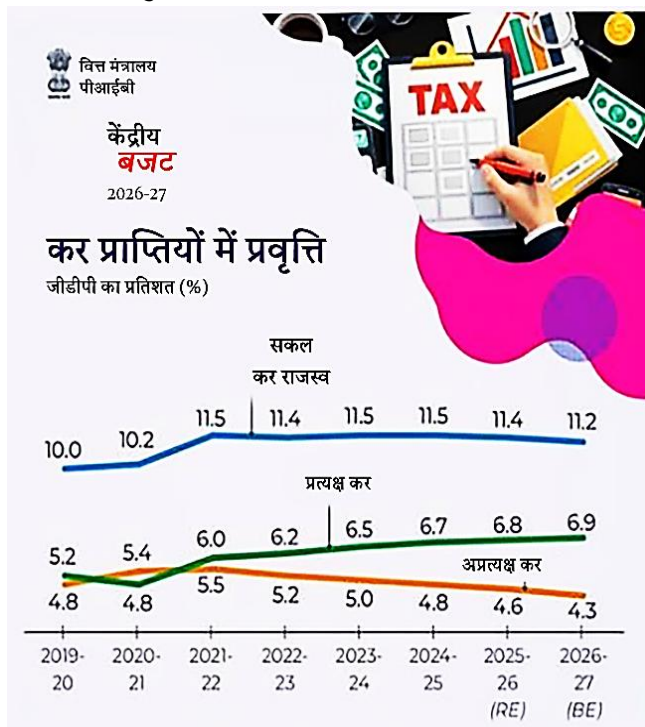
चर्चा में क्यों: केंद्रीय बजट 2026-27 ऋण-से-GDP लक्ष्य निर्धारण की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, साथ ही वृद्धि को समर्थन देने हेतु मजबूत सार्वजनिक पूँजीगत व्यय बनाए रखता है।

मुख्य विवरण:

- FY27 के लिए केंद्र का पूंजीगत व्यय ₹12.22 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो FY26 RE की तुलना में 11.5% अधिक है।
- सरकार FY27 में ऋण-से-GDP अनुपात को 55.6% तक लाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें मध्यावधि लक्ष्य ~50% है।
- FY27 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है, जो राजकोषीय समेकन को जारी रखता है।
- गैर-कर राजस्व में वृद्धि रिकॉर्ड RBI अधिशेष और अधिक विनिवेश प्राप्तियों से हुई है।

राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऋण-से-GDP लक्ष्य की ओर बदलाव

- **नया राजकोषीय आधार:** बजट ने दशकों से चले आ रहे राजकोषीय घाटा-आधारित लक्ष्य निर्धारण से हटकर ऋण-से-GDP अनुपात को प्रमुख राजकोषीय आधार के रूप में अपनाया है, जिससे भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होता है।
- **मध्यम-अवधि ऋण रणनीति:** केंद्र FY31 तक ऋण-से-GDP अनुपात को 50% ($\pm 1\%$) तक लाने का लक्ष्य रखता है, जिससे राजकोषीय विश्वसनीयता और नीति पूर्वानुमेयता बढ़ती है।
- **रेटिंग एजेंसियों का दृष्टिकोण:** S&P, Moody's और Fitch जैसी वैश्विक एजेंसियाँ उच्च सार्वजनिक ऋण को भारत की संप्रभु रेटिंग पर बाधा मानती हैं, जो उधारी लागत को प्रभावित करता है।
- **समष्टि आर्थिक तर्क:** कम ऋण अनुपात से ब्याज व्यय कम होता है, जिससे अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए संसाधन मुक्त होते हैं।



आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में पूंजीगत व्यय

- **निरंतर सार्वजनिक निवेश:** पूंजीगत व्यय FY19 के ₹3.08 लाख करोड़ से बढ़कर FY27 में ₹12.22 लाख करोड़ हो गया है, जो दीर्घकालिक अवसंरचना-नेतृत्व वाली वृद्धि रणनीति को दर्शाता है।
- **पूंजी-से-GDP स्थिरता:** केंद्र का पूंजीगत व्यय GDP का 3.1% है, जो राजकोषीय समेकन दबावों के बावजूद निरंतरता दिखाता है।

- **क्राउडिंग-इन प्रभाव:** उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, विशेषकर जब कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय कमजोर हो।
- **वृद्धि गुणक प्रभाव:** अवसंरचना व्यय का गुणक प्रभाव राजस्व व्यय की तुलना में अधिक होता है, जिससे चक्र्रीय पुनर्प्राप्ति को समर्थन मिलता है।

पूंजीगत व्यय का क्षेत्रीय वितरण

- **परिवहन अवसंरचना का प्रभुत्व:** सड़क और रेल मिलकर कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 65% हिस्सा रखते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होता है।
- **सड़क एवं राजमार्ग:** FY27 में ₹2.94 लाख करोड़ का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार & अंतिम मील संपर्क को समर्थन देता है।
- **रेलवे आधुनिकीकरण:** रेलवे को ₹2.77 लाख करोड़ प्राप्त होते हैं, जिससे माल ढुलाई गलियारों, विद्युतीकरण और यात्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- **रक्षा पूंजीगत व्यय:** रक्षा पूंजीगत व्यय ₹2.19 लाख करोड़ तक बढ़ता है, जो स्वदेशीकरण और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को समर्थन देता है।

राजकोषीय समेकन एवं उधारी रणनीति

- **घाटे में क्रमिक कमी:** राजकोषीय घाटा FY26 के 4.4% से घटकर FY27 में 4.3% रहने का अनुमान है, जो संतुलित राजकोषीय पथ को दर्शाता है।
- **उधारी आवश्यकता:** FY27 के लिए सकल बाजार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ अनुमानित है, जो FY26 से अधिक है और सावधानीपूर्ण ऋण प्रबंधन की आवश्यकता दर्शाता है।
- **व्यय की गुणवत्ता:** घटता RECO (राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय अनुपात) व्यय गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है।
- **नीति विश्वसनीयता:** सरकार ने वृद्धि संकटों से बचने और समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु क्रमिकता पर जोर दिया है।

गैर-कर राजस्व की भूमिका: RBI लाभांश और विनिवेश

- **रिकॉर्ड RBI अधिशेष:** RBI का रिकॉर्ड ₹2.69 लाख करोड़ अधिशेष FY26 में एक महत्वपूर्ण राजकोषीय समर्थन बनता है।
- **FY27 प्रक्षेपण:** RBI, PSBs और वित्तीय संस्थानों से लाभांश ₹3.16 लाख करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।
- **विनिवेश प्रोत्साहन:** विनिवेश प्राप्तियाँ ₹80,000 करोड़ अनुमानित हैं, जिसमें CPSE परिसंपत्तियों के REIT-आधारित पुनर्चक्रण पर जोर है।
- **राजकोषीय महत्व:** गैर-कर राजस्व ₹6.66 लाख करोड़ अनुमानित है, जिससे उधारी पर निर्भरता कम होती है।

उर्वरक सब्सिडी दबाव और राजकोषीय जोखिम

- **बढ़ती सब्सिडी भार:** उर्वरक सब्सिडी FY26 में BE से ₹18,500 करोड़ अधिक होकर ₹1.86 लाख करोड़ तक पहुँच गई।
- **मूल्य नियंत्रण एवं अति-उपयोग:** यूरिया की कीमतें 2012 से अपरिवर्तित हैं, जिससे अत्यधिक खपत और आयात बढ़े हैं।
- **आयात निर्भरता:** FY26 में यूरिया आयात 10 मिलियन टन से अधिक हो सकता है, जो घरेलू उत्पादन को पीछे छोड़ देता है।
- **बाह्य जोखिम:** वैश्विक मूल्य अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर रुपया FY27 के लिए राजकोषीय जोखिम उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026–27 विकास की आवश्यकताओं और राजकोषीय सावधानी के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिसमें पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए ऋण स्थिरता की ओर संक्रमण किया गया है। आगे की सफलता निजी निवेश को आकर्षित करने, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने, परिसंपत्ति मुद्रीकरण को मजबूत करने और विश्वसनीय राजकोषीय पथ बनाए रखने पर निर्भर करेगी। एक पूंजी-आधारित, फिर भी राजकोषीय रूप से जिम्मेदार रणनीति भारत की दीर्घकालिक समृद्धि आर्थिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बनी रहेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026–27 में केंद्र द्वारा अपनाया गया प्रमुख राजकोषीय आधार क्या है?

- (a) राजस्व घाटा
- (b) राजकोषीय घाटा
- (c) ऋण-से-GDP अनुपात
- (d) प्राथमिक घाटा

उत्तर: (c)

विकास दर संशोधन और इसके प्रभाव

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नया GDP श्रृंखला (आधार वर्ष 2022–23) जारी किया है, जिसमें FY26 की वृद्धि दर 7.6% आंकी गई है, जो पुरानी श्रृंखला के 7.4% अनुमान से अधिक है।

मुख्य विवरण:

- नए आधार (2022–23) के तहत भारत की वास्तविक GDP वृद्धि FY26 में 7.6% आंकी गई है।
- 2011–12 श्रृंखला के तहत पहले का अनुमान 7.4% था।
- प्रमुख पद्धतिगत सुधार: एकल अपस्फीति (single deflation) से दोहरी अपस्फीति (double deflation) की ओर बदलाव।
- GST, ई-वाहन, PLFS और ASUSE जैसे नए डेटा स्रोत सम्मिलित किए गए हैं।

राष्ट्रीय आय लेखों में आधार वर्ष संशोधन

- **आधार वर्ष संशोधन का अर्थ:** अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने हेतु GDP के आधार वर्ष को अद्यतन किया जाता है। भारत ने 2011–12 से 2022–23 को नया आधार वर्ष अपनाया है, लगभग एक दशक बाद।
- **संशोधन का उद्देश्य:** बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, उभरते उद्योगों का समावेश और सांख्यिकीय सटीकता में सुधार सुनिश्चित करना।
- **पूर्व संशोधन:** 2015 में आधार वर्ष 2004–05 से 2011–12 किया गया था, जिससे विकास आंकड़ों में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ और बहस उत्पन्न हुई।

पद्धतिगत सुधार: एकल से दोहरी अपस्फीति

- **एकल अपस्फीति (पुरानी विधि):** पहले MoSPI अधिकांश क्षेत्रों (कृषि और खनन को छोड़कर) के लिए एक ही मूल्य सूचकांक का उपयोग करता था, जिससे वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के समय वृद्धि अधिक आंकी जा सकती थी।

- **दोहरी अपस्फीति (नई विधि):** नई श्रृंखला इनपुट और आउटपुट दोनों के मूल्यों को समायोजित करती है, जिससे सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अधिक सटीक अनुमान मिलता है।
- **सूक्ष्म स्तर पर अपस्फीति:** अब मूल्य सूचकांक अधिक विस्तृत स्तर पर लागू किए जाते हैं, जिससे विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सटीकता बढ़ती है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप:** दोहरी अपस्फीति भारत की पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाती है, जिससे तुलनात्मकता बेहतर होती है।

क्षेत्रवार प्रभाव (नई श्रृंखला)

- **प्राथमिक क्षेत्र विस्तार:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों का आकार हाल के वर्षों में लगभग 4–6% अधिक आंका गया है।
- **द्वितीयक क्षेत्र संशोधन:** विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का आकार पहले के अनुमानों की तुलना में थोड़ा कम दिखाई देता है, जो संतुलन को दर्शाता है।
- **तृतीयक क्षेत्र समायोजन:** सेवाक्षेत्र में कुछ वर्षों में नीचे की ओर संशोधन किया गया है, जिससे परिशोधित मापन परिलक्षित होता है।
- **नीतिगत प्रासंगिकता:** क्षेत्रीय पुनर्संतुलन निवेश, ऋण आवंटन और रोजगार रणनीति को प्रभावित करता है।

विकास दर संशोधन और आर्थिक परिदृश्य

- **FY26 वृद्धि:** 7.6% तक संशोधित, जो पहले के 7.4% से अधिक है और अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन दर्शाता है।
- **त्रैमासिक प्रदर्शन:** Q3 वृद्धि 7.8% आंकी गई, जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाती है।
- **पिछले समायोजन:** FY24 वृद्धि को 7.2% (पहले 9.2%) तक नीचे संशोधित किया गया, जबकि FY25 को 6.5% से बढ़ाकर 7.1% किया गया।
- **FY27 परिदृश्य:** मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 7–7.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें जोखिम सकारात्मक पक्ष की ओर झुका हुआ है।

डेटा स्रोत और सांख्यिकीय आधुनिकीकरण

- **GST डेटा:** व्यापार गतिविधि और कर अनुपालन पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
- **ई-वाहन डेटाबेस:** वाहन पंजीकरण से उपभोग प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
- **PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण):** श्रम बाजार मापन और रोजगार आकलन में सुधार करता है।
- **ASUSE (असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण):** अनौपचारिक क्षेत्र के डेटा को अधिक सटीक रूप से संकलित करता है।

व्यापक आर्थिक प्रभाव

- **विश्वसनीयता और पारदर्शिता:** बार-बार और पारदर्शी संशोधन संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, लेकिन स्पष्ट संप्रेषण की आवश्यकता होती है।
- **नीति निर्धारण:** सटीक GDP डेटा राजकोषीय लक्ष्य, मुद्रास्फीति नियंत्रण और ब्याज दर निर्णयों को प्रभावित करता है।

- **अंतरराष्ट्रीय तुलना:** अधिक सटीक और आधुनिक GDP आधार भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।
- **डेटा विश्वसनीयता पर बहस:** पिछले संशोधनों ने नीति-निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के बीच सांख्यिकीय मजबूती पर चर्चा को जन्म दिया।

आगे की राह

- **पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** MoSPI को विस्तृत तकनीकी दस्तावेज, अपस्फीति विधियाँ और क्षेत्रवार संशोधन स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने चाहिए।
- **समय पर डेटा जारी करना:** बैंक-सीरीज़ (प्री-2022-23) को प्राथमिकता से जारी करना आवश्यक है ताकि प्रवृत्ति विश्लेषण और वैश्विक तुलना संभव हो सके।
- **सांख्यिकीय संस्थानों को सुदृढ़ करना:** स्वायत्तता, क्षमता और संसाधनों को बढ़ाना डेटा की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।
- **उच्च-आवृत्ति डेटा एकीकरण:** GST, डिजिटल भुगतान, उपग्रह डेटा और ई-वे बिल जैसे स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का बेहतर मापन:** ASUSE और PLFS जैसे सर्वेक्षणों को मजबूत कर अनौपचारिक कार्यबल का सटीक आकलन करना आवश्यक है।
- **केंद्र-राज्य डेटा समन्वय:** राज्य स्तर के आंकड़ों का मानकीकरण और एकीकरण अधिक सटीक GDP अनुमानों में सहायक होगा।
- **डेटा साक्षरता और संप्रेषण:** सरकारी एजेंसियों को संशोधनों और उनके प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए ताकि भ्रम से बचा जा सके।

निष्कर्ष

नई GDP श्रृंखला सांख्यिकीय आधुनिकीकरण और बेहतर मापन सटीकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, पारदर्शिता, समय पर डेटा जारी करना और स्वतंत्र सांख्यिकीय निगरानी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। एक मजबूत सांख्यिकीय ढांचा साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और भारत की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: GDP आधार वर्ष संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) यह केवल नाममात्र GDP को बदलता है
- (b) यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है
- (c) यह हर वर्ष किया जाता है
- (d) यह GDP से मुद्रास्फीति को समाप्त करता है

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: GDP गणना में आधार वर्ष संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए। दोहरी अपस्फीति की ओर बदलाव मापन की सटीकता को कैसे सुधारता है? (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III)

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क संबंधी निर्णय ने वैश्विक व्यापार में संस्थागत स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ाई हैं।

मुख्य विवरण:

- अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिसमें पहले लगाए गए दंडात्मक शुल्कों को हटाना सम्मिलित है।
- इससे निर्यात को बढ़ावा देने हेतु टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी की संभावना है।
- यह घटनाक्रम भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में प्रगति के साथ मेल खाता है।
- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के शुल्क लगाने के अधिकारों को सीमित किया है, जिससे संस्थागत नियंत्रण और अनिश्चितता उजागर हुई है।

टैरिफ में कमी एवं व्यापार प्रभाव

- **निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** कम अमेरिकी शुल्क भारत के वस्त्र, परिधान, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जो पहले घटती मांग से प्रभावित थे।
- **व्यापार प्रवाह का स्थिरीकरण:** अमेरिका (सेवाओं सहित) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार \$190 अरब तक पहुँच चुका है। शुल्क में कमी से सीमा-पार व्यापार में स्थिरता आती है।
- **क्षेत्रीय लाभ एवं सीमाएँ:** बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को अल्पकालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उत्पादकता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
- **अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक अनिश्चितता:** स्पष्ट और बाध्यकारी समझौतों के अभाव में निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है, जिससे लाभ अस्थायी रह सकते हैं।

वैश्विक व्यापार में संस्थागत नाजुकता

- **कार्यपालिका-आधारित व्यापार नीति:** हाल के अमेरिकी कदम विधायी निगरानी को दरकिनार कर कार्यपालिका के निर्णयों की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं, जिससे WTO जैसे बहुपक्षीय ढाँचे कमजोर पड़ते हैं।
- **नियम-आधारित व्यवस्था का क्षरण:** अचानक शुल्क, प्रतिशोधात्मक उपाय और एकतरफा घोषणाएँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करती हैं।
- **विश्वसनीयता की कमी:** यूरोपीय संघ जैसे निकट साझेदारों को भी नीतिगत बदलावों का सामना करना पड़ा है, जिससे केवल रणनीतिक निकटता से स्थिरता सुनिश्चित नहीं होती।
- **निवेश अनिश्चितता:** बार-बार नीतिगत बदलाव जोखिम धारणा को बढ़ाते हैं, जिससे दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबद्धताएँ प्रभावित होती हैं।

संस्थाएँ एवं आर्थिक सिद्धांत

- **विकास में संस्थाओं की भूमिका:** आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार स्थिर नियम, पूर्वानुमेय नीतियाँ और विश्वसनीय प्रतिबद्धताएँ सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
- **एंग्लो-सैक्सन मॉडल में बदलाव:** अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से संस्थागत स्थिरता का समर्थक रहा है, अब एकतरफावाद प्रदर्शित कर रहा है।

वैश्विक व्यापार एवं संस्थाएँ

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम किए हैं, जबकि समानांतर रूप से भारत-EU व्यापार समझौता और

- **शैक्षणिक दृष्टिकोण:** अर्थशास्त्री डैरॉन एसेमोग्लू के अनुसार समावेशी संस्थाएँ समृद्धि लाती हैं, जबकि कमजोर संस्थाएँ अनिश्चितता और असमानता को बढ़ाती हैं।
- **ऐतिहासिक चेतावनी:** अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने संरक्षणवादी रुझानों के खिलाफ चेतावनी दी थी, क्योंकि वे वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बाधित कर सकते हैं।

रणनीतिक राज्यकला (Strategic Statecraft) के रूप में व्यापार

- **तुलनात्मक लाभ से आगे:** आधुनिक व्यापार केवल पारस्परिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन, भू-राजनीति और रणनीतिक साधनों को भी दर्शाता है।
- **शुल्कों का हथियारकरण:** शुल्क अब आर्थिक दबाव और असंबंधित मुद्दों पर बातचीत के साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंध:** थॉमस शेलिंग के अनुसार व्यापार नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक रणनीति से जुड़ी होती है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता की चिंता:** भारत के लिए अमेरिकी साझेदारी के साथ जुड़ते हुए निर्णयों में स्वतंत्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, जैसे रूसी तेल आयात।

भारत का रणनीतिक त्रि-विधा (ट्रिलेमा)

- **मूलभूत नीति द्विविधा:** भारत एक साथ रणनीतिक स्वायत्तता, निर्बाध ऊर्जा आयात और प्रमुख शक्तियों के साथ गहरे एकीकरण को संतुलित नहीं कर सकता।
- **बहु-हितों का संतुलन:** किसानों, MSMEs और निर्यात क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ वैश्विक व्यापार एकीकरण हेतु संतुलित उदारीकरण आवश्यक है।
- **RCEP से बाहर निकलने का उदाहरण:** भारत ने 2019 में घरेलू उद्योग के जोखिमों का हवाला देते हुए RCEP से बाहर निकलकर सावधानीपूर्ण व्यापार रणनीति अपनाई।
- **धारणा एवं कूटनीति:** व्यापार समझौते पारस्परिक लाभकारी प्रतीत होने चाहिए; नकारात्मक धारणा घरेलू समर्थन और वैश्विक विश्वसनीयता दोनों को प्रभावित करती है।

संतुलनकारी विकल्प के रूप में भारत-EU साझेदारी

- **नियम-आधारित ढाँचा:** EU WTO मानकों, कानूनी प्रक्रियाओं और विवाद निपटान तंत्र का पालन करता है, जिससे अधिक पूर्वानुमेयता मिलती है।
- **बाज़ार विविधीकरण:** EU 450+ मिलियन लोगों का उच्च-आय उपभोक्ता आधार प्रदान करता है, जिससे एकल बाज़ार पर निर्भरता कम होती है।
- **पूरक व्यापार संरचना:** भारत का समुद्री खाद्य, मसाले, चावल और दवाइयों का निर्यात EU की मांग के अनुरूप है।
- **दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य:** नियामकीय जटिलताओं के बावजूद EU की संस्थागत विश्वसनीयता सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

अमेरिका में संवैधानिक एवं संस्थागत विकास

- **कार्यपालिका शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण:** अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि IEEPA के तहत लगाए गए शुल्कों के लिए कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है।
- **कार्यपालिका अधिकार की सीमाएँ:** यह निर्णय कराधान अधिकारों को विधायी स्वीकृति से जोड़ता है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही मजबूत होती है।

- **नीतिगत अनिश्चितता बनी रहती है:** न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद अन्य कानूनी प्रावधान (जैसे - Trade Act 1974) अस्थायी शुल्क की अनुमति देते हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** यह निर्णय भारत सहित अन्य देशों के साथ चल रही वार्ताओं को प्रभावित करता है, क्योंकि सौदेबाजी वातावरण और नीति विश्वसनीयता बदलती है।

भारत के लिए घरेलू नीति आवश्यकताएँ

- **विनिर्माण को सुदृढ़ करना:** वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान देना रोजगार और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है।
- **लागत और उत्पादकता में सुधार:** उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 13-14%) प्रतिस्पर्धा को कम करती है; अवसंरचना सुधार आवश्यक हैं।
- **व्यापार विविधीकरण रणनीति:** EU, ASEAN और अन्य क्षेत्रों के साथ FTA विस्तार से जोखिम कम होता है।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण:** मजबूत घरेलू संस्थाएँ वार्ता क्षमता, नीति स्थिरता और क्रियान्वयन दक्षता को बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष

भारत को अमेरिकी शुल्क कटौती से अल्पकालिक निर्यात लाभ मिल सकता है, लेकिन नीति अनिश्चितता को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। दीर्घकालिक रणनीति में व्यापार साझेदारों का विविधीकरण, घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करना और EU जैसे नियम-आधारित ढाँचों के साथ तालमेल आवश्यक है। एक अस्थिर वैश्विक व्यापार वातावरण में संस्थागत विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता भारत की सतत आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल की अमेरिकी व्यापार नीतियों से जुड़ा प्रमुख जोखिम क्या है?

- उच्च नियामकीय अनुपालन
- अत्यधिक बहुपक्षवाद
- कार्यपालिका के एकतरफावाद के कारण नीति अस्थिरता
- WTO तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित करने में संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत-EU साझेदारी एक वैकल्पिक मॉडल कैसे प्रदान करती है? (150 शब्द, 10 अंक)

RBI द्वारा यथास्थिति निर्धारित

चर्चा में क्यों: हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में लगातार दर कटौती के बाद नीति दरों को यथावत रखा, जिसका कारण संतोषजनक मुद्रास्फीति और बेहतर वृद्धि संभावनाएँ हैं।

मुख्य विवरण:

- 2025 में कुल 125 आधार अंकों की कटौती के बाद RBI ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा।
- FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि लगभग 7.4% आंकी गई है, जबकि FY27 में यह लगभग 7.2% रहने का अनुमान है।

- मुद्रास्फीति नियंत्रित बनी हुई है, जिसमें Q4 FY26 में CPI लगभग 3.2% और कोर मुद्रास्फीति 2.6% है।
- वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू तरलता चुनौतियों के बीच RBI ने नीति-स्थान (policy space) बनाए रखने का निर्णय लिया।

RBI की मौद्रिक नीति रुख: रणनीतिक सावधानी सह यथास्थिति

- **आक्रामक सहजता पर विराम:** 2025 में 125 आधार अंक की कटौती के बाद RBI ने मौद्रिक नीति के प्रभावों का आकलन करने हेतु आगे की दर कटौती रोक दी।
- **डेटा-आधारित दृष्टिकोण:** यह निर्णय संतुलित रणनीति को दर्शाता है, जहाँ आगे की कार्रवाई मुद्रास्फीति रुझान, वृद्धि की गति और वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करेगी।
- **नीति साधनों का संरक्षण:** आगे दरों में कटौती न करके RBI ने अप्रत्याशित संकटों (जैसे वैश्विक वित्तीय अस्थिरता या आपूर्ति-आधारित मुद्रास्फीति) से निपटने के लिए अपने पास नीति साधन सुरक्षित रखे हैं।
- **तरलता प्रबंधन में निरंतरता:** यद्यपि नई तरलता उपायों की घोषणा नहीं की गई, RBI ने बाज़ार स्थितियों के अनुसार हस्तक्षेप करने की तत्परता दिखाई है।

विकास परिदृश्य: घरेलू मजबूती और व्यापार आशावाद

- **मजबूत GDP प्रदर्शन:** अग्रिम अनुमानों के अनुसार FY26 में GDP वृद्धि 7.4% रहने की संभावना है, जो घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों को दर्शाती है।
- **व्यापार विकास का प्रभाव:** संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और EU के साथ चल रही वार्ताएँ निर्यात प्रतिस्पर्धा और पूंजी प्रवाह को बढ़ा सकती हैं।
- **निर्यात पुनरुद्धार की संभावना:** अमेरिकी शुल्कों में कमी के बाद गैर-तेल निर्यात में पहले 2.2% गिरावट (सितंबर-नवंबर 2025) देखी गई थी; कम शुल्क इस प्रवृत्ति को उलट सकते हैं।
- **वृद्धि में अतिरिक्त बढ़त:** प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शुल्क में कमी FY27 में GDP वृद्धि में 0.2 प्रतिशतांक तक जोड़ सकती है।

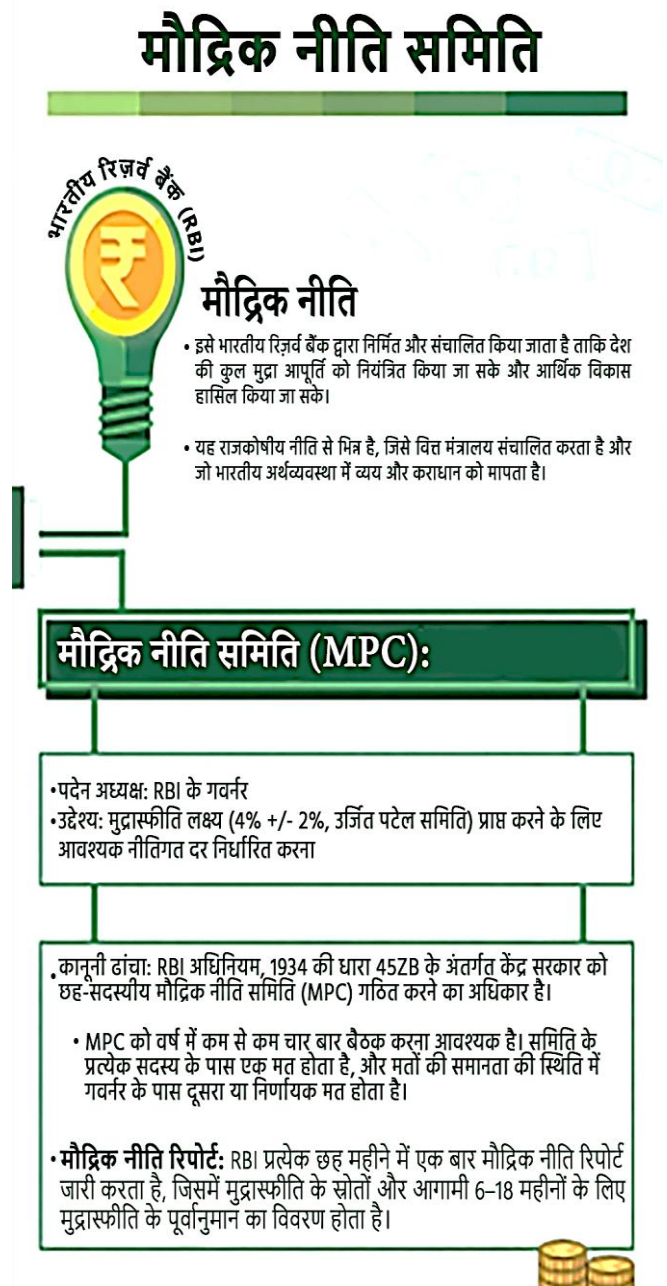
मुद्रास्फीति परिदृश्य: संतुलित लेकिन सतर्क निगरानी

- **नियंत्रित शीर्षक मुद्रास्फीति:** Q4 FY26 में मुद्रास्फीति लगभग 3.2% रहने का अनुमान है, जो RBI के 2-6% लक्ष्य दायरे में है।
- **निम्न कोर मुद्रास्फीति:** दिसंबर 2025 में कोर मुद्रास्फीति 2.6% रही, जो मांग-पक्षीय दबावों की कमी दर्शाती है।
- **आपूर्ति परिस्थितियों की भूमिका:** सामान्य मानसून और स्थिर वस्तु कीमतों के आधार पर FY27 में मुद्रास्फीति औसतन लगभग 4% रहने की संभावना है।

तरलता स्थिति और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप

- **तरलता में कमी:** बैंकिंग प्रणाली की औसत तरलता हाल के महीनों में ₹2 ट्रिलियन से घटकर लगभग ₹0.7 ट्रिलियन रह गई है, जिसका एक कारण विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप है।
- **RBI का हस्तक्षेप:** RBI ने रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप किया, जिससे अस्थायी रूप से घरेलू तरलता अवशोषित हुई।
- **आगे सुधार की संभावना:** बेहतर पूंजी प्रवाह से रुपये पर दबाव कम हो सकता है, जिससे बार-बार हस्तक्षेप की आवश्यकता घटेगी।

- **संतुलन बनाए रखना:** RBI का लक्ष्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना है, बिना मुद्रास्फीति या परिसंपत्ति संकट को बढ़ावा दिए।
- **नई CPI श्रृंखला का प्रभाव:** RBI और विश्लेषक सतर्क हैं क्योंकि नई CPI श्रृंखला मुद्रास्फीति मापन और नीति आकलन को प्रभावित कर सकती है।



सरकारी उधारी और बॉन्ड बाज़ार दबाव

- **G-Sec यील्ड में वृद्धि:** नीति दर कटौती के बावजूद 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-sec) यील्ड लगभग 45 आधार अंक बढ़ी है, जो आपूर्ति-पक्ष दबाव को दर्शाती है।
- **उच्च उधारी आवश्यकता:** FY27 के लिए केंद्र सरकार की बड़ी उधारी और राज्यों की उधारी ने मांग-आपूर्ति संतुलन को प्रभावित किया है।
- **यील्ड स्प्रेड का विस्तार:** रेपो दर और 10-वर्षीय G-sec के बीच अंतर लगभग 150 आधार अंक तक बढ़ गया है, जबकि राज्य विकास ऋण (SDL) स्प्रेड 70 आधार अंक तक पहुँच गया है।
- **OMO की भूमिका:** RBI बाज़ार को स्थिर रखने और बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने हेतु ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) का उपयोग कर सकता है।

निष्कर्ष

RBI का यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय एक व्यावहारिक और अग्रदृष्टि युक्त मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में होने और वृद्धि गति पकड़ने के साथ, केंद्रीय बैंक ने भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए पर्याप्त नीति साधन सुरक्षित रखे हैं। आगे ध्यान पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने, बॉन्ड बाज़ार को स्थिर बनाए रखने और अस्थिर वैश्विक वातावरण में सतत वृद्धि को समर्थन देने पर रहेगा। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के समन्वय तथा बाह्य क्षेत्र की स्थिरता भारत की समष्टि आर्थिक लचीलापन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संतुलित मुद्रास्फीति के बावजूद नीति दरों को यथावत रखने का RBI का निर्णय मुख्यतः किसको दर्शाता है?

- (a) राजकोषीय प्रभुत्व का भय
- (b) मौद्रिक नीति स्थान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता
- (c) बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति
- (d) घटती ऋण मांग

उत्तर: (b)

सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन & दुर्लभ मृदा भू-राजनीति

चर्चा में क्यों: वैश्विक सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस कंपनियाँ यट्रियम और स्कैंडियम जैसे महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्वों की कमी का सामना कर रही हैं, जबकि चीन-अमेरिका व्यापार तनाव उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय शिखर वार्ता से पहले बढ़ रहे हैं।



दुर्लभ मृदा आपूर्ति शृंखलाओं में चीन का प्रभुत्व

- **प्रसंस्करण में लगभग एकाधिकार:** चीन वैश्विक REE खनन का लगभग 60-70% और प्रसंस्करण क्षमता का 85-90% नियंत्रित करता है, जिससे उसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिलता है।
- **भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में निर्यात नियंत्रण:** चीन समय-समय पर निर्यात प्रतिबंध लगाता रहा है, जिससे आपूर्ति शृंखलाएँ आर्थिक रणनीति का साधन बनती हैं।
- **मूल्य शृंखला में बढ़त:** खनन के अलावा चीन परिष्करण, पृथक्करण & मैग्नेट निर्माण जैसे तकनीकी चरणों में भी अग्रणी है।

मुख्य विवरण:

- यट्रियम और स्कैंडियम की कमी, जिनका उत्पादन मुख्यतः चीन में होता है, अमेरिका की सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित कर रही है।
- यट्रियम की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है, जबकि चीनी नियंत्रणों के कारण अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई है।
- यह मुद्दा 5G चिप्स, जेट इंजन और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है।
- यह विषय आगामी उच्च-स्तरीय अमेरिका-चीन कूटनीतिक वार्ताओं में प्रमुख रहेगा।

दुर्लभ मृदा तत्व (REEs): रणनीतिक महत्व

- **परिभाषा और संरचना:** दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का समूह हैं, जिनमें यट्रियम और स्कैंडियम सम्मिलित हैं। ये कम मात्रा में उपयोग के बावजूद उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
- **आधुनिक प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका:** REEs सेमीकंडक्टरों, विद्युत वाहनों, पवन टर्बाइनों, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस कोटिंग्स के लिए अनिवार्य हैं, जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में आते हैं।
- **उच्च मूल्य-निम्न मात्रा प्रकृति:** आपूर्ति में मामूली बाधा भी उन्नत प्रौद्योगिकियों को बाधित कर सकती है, क्योंकि इनके विकल्प सीमित हैं और प्रसंस्करण जटिल है।
- **रणनीतिक खनिज वर्गीकरण:** भारत और अमेरिका सहित कई देश REEs को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज मानते हैं।

- **वैश्विक निर्भरता का जोखिम:** एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता आपूर्ति संकटों, मूल्य अस्थिरता और रणनीतिक संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

5G और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- **नेक्स्ट-जनरेशन चिप्स पर जोखिम:** स्कैंडियम की कमी उन्नत 5G सेमीकंडक्टर घटकों के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, जिससे दूरसंचार अवसंरचना में देरी हो सकती है।
- **एयरोस्पेस और रक्षा चिंताएँ:** यट्रियम-आधारित तापीय कोटिंग्स जेट इंजन और टर्बाइनों के लिए आवश्यक हैं, जहाँ ऊष्मा प्रतिरोध महत्वपूर्ण होता है।

- **आपूर्ति शृंखला की नाजुकता:** पहले से ही चिप कमी से जुड़ा रहा सेमीकंडक्टर उद्योग, भू-राजनीतिक विखंडन के कारण और अधिक प्रभावित हो सकता है।
- **उद्योग की प्रतिक्रिया:** कुछ कंपनियों ने सामग्री का राशनिंग और प्राथमिकता निर्धारण शुरू कर दिया है, जो आपूर्ति के कड़े होने का संकेत है।

भू-राजनीतिक आयाम: अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिद्वंद्विता

- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** दुर्लभ मृदा मुद्दा AI, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में व्यापक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
- **व्यापार युद्ध के अवशेष:** यद्यपि निर्यात नियंत्रणों में आंशिक ढील दी गई है, फिर भी अमेरिका को आपूर्ति सीमित है, जिससे विश्वास की कमी बनी हुई है।
- **आपूर्ति शृंखलाओं का हथियारीकरण:** महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण को अब भू-आर्थिक प्रभाव के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, जैसे ऊर्जा भू-राजनीति में होता है।
- **कूटनीतिक सहभागिता:** आगामी शिखर सम्मेलन तनाव प्रबंधन के प्रयासों को दर्शाता है, परंतु उच्च-प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा बनी रहने की संभावना है।

भारत के लिए निहितार्थ

- **आपूर्ति विविधीकरण का अवसर:** चीन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास भारत को वैकल्पिक प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र बनने का अवसर देते हैं।
- **घरेलू संसाधन क्षमता:** भारत के पास दुर्लभ मृदा भंडार हैं, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत में, हालांकि निष्कर्षण और प्रसंस्करण सीमित है।
- **सेमीकंडक्टर मिशन से समन्वय:** भारत का सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और PLI योजनाएँ घरेलू चिप क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखती हैं, जिनके लिए सुरक्षित खनिज आपूर्ति आवश्यक है।
- **रणनीतिक साझेदारियाँ:** भारत मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) और क्राड जैसे मंचों में भाग ले रहा है, जिससे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ता है।

नीतिगत चुनौतियाँ

- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** दुर्लभ मृदा खनन और प्रसंस्करण से रेडियोधर्मी अपशिष्ट और पारिस्थितिक क्षति होती है, जिससे विस्तार जटिल होता है।
- **तकनीकी बाधाएँ:** पृथक्करण और परिष्करण प्रौद्योगिकियाँ जटिल और पूंजी-गहन हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक निवेश और अनुसंधान आवश्यक है।
- **बाज़ार अस्थिरता:** दुर्लभ मृदा की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है।
- **आपूर्ति शृंखला एकाग्रता:** विविधीकृत आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण में समन्वय आवश्यक है।

आगे की राह

- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण:** देशों को एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करनी चाहिए और भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिए।

- **घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना (भारत फोकस):** भारत को मोनाजाइट और अन्य दुर्लभ मृदा भंडारों की खोज तेज करनी चाहिए, IREL जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रसंस्करण क्षमता बढ़ानी चाहिए और खनिज सुरक्षा को सेमीकंडक्टर मिशन से जोड़ना चाहिए।
- **पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक कचरे, मैग्नेट और औद्योगिक स्कैप से दुर्लभ मृदा पुनर्प्राप्ति में निवेश द्वितीयक आपूर्ति स्रोत बना सकता है।
- **रणनीतिक साझेदारियाँ गहरी करना:** क्राड, MSP और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सुरक्षित आपूर्ति, संयुक्त उद्यम और दीर्घकालिक अनुबंध सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
- **अनुसंधान एवं विकल्पों में निवेश:** पदार्थ विज्ञान में सार्वजनिक-निजी निवेश से वैकल्पिक सामग्री विकसित करने, दक्षता बढ़ाने और स्वदेशी पृथक्करण तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **सतत खनन प्रथाएँ सुनिश्चित करना:** पर्यावरणीय सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शी विनियमन आवश्यक हैं ताकि खनन और पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन बना रहे।

निष्कर्ष

दुर्लभ मृदा तत्वों (रेयर-अर्थ एलीमेंट्स) पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा तकनीकी युग में महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। देशों को आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण, घरेलू प्रसंस्करण में निवेश, पुनर्चक्रण को बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना होगा। भारत के लिए यह चुनौती के साथ-साथ अवसर भी है, जिससे वह अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को मजबूत कर सके और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्कैंडियम और येट्रियम मुख्यतः किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं?

- खाद्य संरक्षण
- सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी
- वस्त्र रंगाई
- औषधीय एंटीबायोटिक्स

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं के वैश्विक विविधीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने में भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मेक इन इंडिया

चर्चा में क्यों: हालिया केंद्रीय बजट उपायों, PLI योजनाओं के विस्तार, सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर जोर और चीन-प्लस-वन रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति शृंखला बदलावों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण मेक इन इंडिया चर्चा में है।

मुख्य विवरण:

- **मेक इन इंडिया** भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी।

- इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है।
- यह 25 प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें सम्मिलित हैं:



पहल के मुख्य स्तंभ:

- **व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business):** विनियमन में कमी और प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- **FDI उदारीकरण:** प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा।
- **कौशल विकास:** स्किल इंडिया के माध्यम से उद्योग-अकादमिक सहयोग।
- **अवसंरचना निर्माण:** औद्योगिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स सहित अवसंरचना का विकास।
- घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर जोर।

मुख्य स्तंभों का विस्तृत विवरण

- 1. व्यवसाय सुगमता**
 - ✓ कानूनों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
 - ✓ ऑनलाइन स्वीकृतियाँ और समयबद्ध अनुमतियाँ
 - ✓ नियामकीय बोझ में कमी
- 2. अवसंरचना विकास**
 - ✓ औद्योगिक गलियारे और विनिर्माण क्लस्टर
 - ✓ लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, राजमार्ग और माल गलियारे
- 3. कौशल विकास**
 - ✓ उद्योग-सम्बद्ध कौशल कार्यक्रम
 - ✓ विनिर्माण-विशिष्ट और उन्नत कौशलों पर ध्यान
- 4. नवाचार एवं प्रौद्योगिकी**
 - ✓ अनुसंधान एवं विकास (R&D) और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा
 - ✓ इंडस्ट्री 4.0, स्वचालन और डिजिटल विनिर्माण को प्रोत्साहन

प्राथमिक क्षेत्र

यह पहल 25 रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करती है, जिनमें सम्मिलित हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर
- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक
- रक्षा विनिर्माण

- फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
- वस्त्र एवं परिधान
- नवीकरणीय ऊर्जा
- रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स
- लक्षित निवेश आकर्षित करने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ बनाई गई हैं।

मुख्य नीतिगत साधन

A. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना

- ✓ उत्पादन और बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है
- ✓ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने का लक्ष्य
- ✓ आयात-निर्भर असेंबली के बजाय घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, EVs, फार्मास्यूटिकल्स और सोलर मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान
- ✓ भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में सम्मिलित होने में सहायता

B. FDI उदारीकरण

- ✓ विनिर्माण क्षेत्रों में FDI सीमा बढ़ाई गई और स्वचालित मार्ग अनुमतियाँ दी गईं
- ✓ रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में उदारीकरण
- ✓ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा
- ✓ भारत की विनिर्माण गंतव्य के रूप में आकर्षकता में वृद्धि

C. औद्योगिक गलियारे एवं विनिर्माण क्लस्टर

- ✓ बहु-मोडल कनेक्टिविटी वाले औद्योगिक गलियारों का विकास
- ✓ प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना वाले एकीकृत टाउनशिप का निर्माण
- ✓ लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार
- ✓ क्लस्टर-आधारित विनिर्माण और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा

D. MSME समर्थन उपाय

- ✓ ऋण गारंटी योजनाओं के माध्यम से वित्त तक बेहतर पहुँच
- ✓ तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान
- ✓ सरकारी खरीद और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से बाज़ार पहुँच
- ✓ MSMEs को बड़े विनिर्माण मूल्य शृंखलाओं से जोड़ना

अब तक की उपलब्धियाँ

- विशेषकर मोबाइल फोन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि
- रक्षा उत्पादन में वृद्धि और रक्षा निर्यात में स्थिर बढ़ोतरी
- निवेश वातावरण में सुधार और निवेशकों का बढ़ता विश्वास
- चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण
- भारत को उभरते वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में पहचान

चुनौतियाँ

- उच्च लॉजिस्टिक्स और इनपुट लागत से प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित
- भूमि अधिग्रहण और श्रम विनियमों की जटिलताएँ

- उद्योग की जरूरतों और कार्यबल कौशल के बीच असंगति
- सीमित गहन मूल्य संवर्धन और आयातित घटकों पर निर्भरता
- राज्यों में सुधारों का असमान क्रियान्वयन

आगे की राह

- MSME भागीदारी और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ कर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा करना
- उच्च-प्रौद्योगिकी और सूर्यस्त उद्योगों में PLI योजनाओं का विस्तार
- इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप कौशल और पुनः कौशल विकास में निवेश
- बहु-मोडल परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार
- जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित विनिर्माण को बढ़ावा
- भूमि, श्रम और अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी हेतु राज्य-स्तरीय सुधारों को सुदृढ़ करना

निष्कर्ष

मेक इन इंडिया भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में केंद्रीय पहल है। निवेश, नवाचार, अवसंरचना और कौशल विकास को बढ़ावा देकर यह घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करता है, आयात निर्भरता कम करता है और रोजगार सृजन करता है। इसकी दीर्घकालिक सफलता निरंतर सुधारों, तकनीकी अपनाने, MSME एकीकरण और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख नीतिगत साधनों में कौन-से सम्मिलित हैं?

1. व्यवसाय सुगमता हेतु विनियमन में कमी
2. विनिर्माण क्षेत्रों में FDI उदारीकरण
3. उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास
4. औद्योगिक गलियारों सहित अवसंरचना विकास

सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करना है।” चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

WHO को कम संवेदनशील वित्तीय मॉडल की आवश्यकता क्यों?

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने से एक बड़ा वित्तीय अंतर उत्पन्न हो गया है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य शासन की स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

मुख्य विवरण:

- अमेरिका के बाहर होने से WHO के 2026-27 बजट में लगभग \$4 बिलियन की कमी आई है, जिससे लगभग 15% का वित्तीय अंतर उत्पन्न हुआ है।

- WHO ने प्राथमिकताओं के “रीसेट” की घोषणा की है, जिसमें जीवन-रक्षक सेवाओं पर ध्यान और कम प्रभाव वाले कार्यक्रमों में कटौती सम्मिलित है।
- संरचनात्मक सुधारों में विभागों का विलय, निदेशक-स्तर के पदों में कमी और 7,000 से अधिक कर्मचारियों की संभावित कटौती सम्मिलित है।
- इस संकट ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन के लिए एक सुदृढ़ और पूर्वानुमेय वित्तीय मॉडल पर बहस को जन्म दिया है।

WHO का जनादेश और वैश्विक भूमिका

- **विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (1948):** WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को सर्वोच्च संभव स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करने में मदद करना है।
- **मानक-निर्धारण प्राधिकरण:** WHO अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, रोग वर्गीकरण प्रणाली और वैश्विक स्वास्थ्य मानक (जैसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005) विकसित करता है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया नेतृत्व:** WHO महामारी (COVID-19), इबोला प्रकोप और पोलियो उन्मूलन प्रयासों के दौरान समन्वय करता है और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- **विकासशील देशों के लिए समर्थन:** कई निम्न और मध्यम आय वाले देश टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रोग निगरानी प्रणालियों के लिए WHO पर निर्भर हैं।

वित्तपोषण संरचना और कमजोरियाँ

- **निर्धारित बनाम स्वैच्छिक योगदान:** WHO का वित्तपोषण सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान और सरकारों/निजी दाताओं के स्वैच्छिक योगदान से होता है। कुल वित्त का 70% से अधिक स्वैच्छिक स्रोतों से आता है।
- **प्रमुख दाताओं पर निर्भरता:** अमेरिका ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है, जिससे वित्तपोषण भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनता है।
- **चिह्नित निधि (Earmarked Funding) समस्या:** अधिकांश स्वैच्छिक निधि विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित होती है, जिससे उभरती प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधन आवंटन में लचीलापन कम होता है।
- **बजटीय कमी:** अमेरिकी वापसी के कारण लगभग \$4B की कमी आई है, जिससे संचालन में पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।

वित्तीय संकट का प्रभाव

- **कार्यक्रमों का तर्क संगठन (Logic organization):** WHO “जीवन-रक्षक सेवाओं” पर ध्यान केंद्रित करेगा और कम प्रभाव वाले कार्यक्रमों में कटौती करेगा, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभावित हो सकता है।
- **कार्यबल में कमी:** पुनर्गठन से 7,000 कर्मचारियों तक की कमी हो सकती है, जिससे सदस्य देशों को तकनीकी सहायता सीमित हो सकती है।
- **संघर्ष क्षेत्रों पर प्रभाव:** गाज़ा और सूडान जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ संसाधन सीमाओं के कारण प्रभावित हो सकती हैं।
- **टीकाकरण और प्रकोप प्रतिक्रिया:** वित्तीय कमी टीकाकरण अभियानों को बाधित कर सकती है और संक्रामक रोग प्रकोपों के प्रति तैयारी को कमजोर कर सकती है।

वैश्विक स्वास्थ्य शासन एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में

- **वैश्विक सार्वजनिक वस्तु:** संक्रामक रोग सीमाओं का पालन नहीं करते, इसलिए वैश्विक स्वास्थ्य शासन सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- **COVID-19 से सीख:** महामारी ने अंतरराष्ट्रीय समन्वय की कमजोरियों को उजागर किया और मजबूत बहुपक्षीय संस्थानों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता:** वैश्विक रोग निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार संस्था का कार्य राजनीतिक अनिश्चितता पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- **समानता और पहुँच:** WHO टीकों, दवाओं और स्वास्थ्य तकनीकों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर वैश्विक दक्षिण में।

भारत का दृष्टिकोण और बहुपक्षवाद

- **जिम्मेदार हितधारक के रूप में भारत:** भारत ने लगातार बहुपक्षीय स्वास्थ्य पहलों का समर्थन किया है और टीकों के समान वितरण की वकालत की है।
- **घरेलू अनुभव:** भारत की बड़े पैमाने पर टीकाकरण और डिजिटल स्वास्थ्य पहलें वैश्विक सुधारों को दिशा दे सकती हैं।
- **वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व:** भारत विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **SDG के साथ संरेखण:** सतत विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के लिए एक स्थिर और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित WHO आवश्यक है।

निष्कर्ष

- वर्तमान वित्तीय संकट वैश्विक स्वास्थ्य शासन की वित्तीय संरचना पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करता है। एक सुदृढ़ WHO के लिए आवश्यक है:
 - ✓ स्वैच्छिक योगदान पर निर्भरता कम कर निर्धारित योगदान का हिस्सा बढ़ाना।
 - ✓ भू-राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षित एक वैश्विक स्वास्थ्य आकस्मिक निधि (Contingency Fund) बनाना।
 - ✓ उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित विविध दाताओं की भागीदारी बढ़ाना।
 - ✓ पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना ताकि दाता विश्वास बढ़े।
- एक स्थिर और पूर्वानुमेय वित्तीय मॉडल आवश्यक है ताकि वैश्विक स्वास्थ्य राजनीतिक उतार-चढ़ाव से प्रभावित न हो। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में WHO को कमजोर करना सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसकी वित्तीय सुदृढ़ता केवल संस्थागत सुधार नहीं, बल्कि वैश्विक आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में हुई थी।
2. इसका वित्तपोषण पूरी तरह सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान पर आधारित है।

3. यह स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के समन्वय में भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1 और 2 केवल
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा एवं गोपनीयता

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए दंड के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप और मेटा प्लेटफॉर्म की 2021 की डेटा-साझाकरण नीति पर प्रश्न उठाए।

मुख्य विवरण:

- **सर्वोच्च न्यायालय की जांच:** न्यायालय ने व्हाट्सएप की डेटा-साझाकरण प्रथाओं और बाजार प्रभुत्व पर चिंता व्यक्त की।
- **गोपनीयता नीति परिवर्तन:** 2021 के अपडेट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ डेटा साझा करने की अनुमति दी, जिसे "टेक इट ऑर लीव इट" आधार पर लागू किया गया।
- **CCI का दंड:** CCI द्वारा ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जो वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- **बाजार प्रभुत्व:** व्हाट्सएप का मजबूत नेटवर्क प्रभाव भारत में लगभग सार्वभौमिक उपयोग सुनिश्चित करता है।
- **नियामकीय अंतर:** यह मामला एक समर्पित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता को दर्शाता है।

नेटवर्क प्रभाव एवं बाजार प्रभुत्व

- **नेटवर्क प्रभाव की परिभाषा:** किसी प्लेटफॉर्म का मूल्य उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, जिससे आत्म-सुदृढ़ चक्र बनता है।
- **लगभग सार्वभौमिक उपस्थिति:** भारत में 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप संचार पर हावी है, जिससे प्रतिस्पर्धियों के लिए जगह बनाना कठिन हो जाता है।
- **प्रवेश अवरोध:** सिग्नल या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म संघर्ष करते हैं क्योंकि उपयोगकर्ता वहीं रहते हैं जहाँ उनके संपर्क पहले से मौजूद हैं।
- **लॉक-इन प्रभाव:** उपयोगकर्ता आसानी से प्लेटफॉर्म नहीं बदल सकते क्योंकि सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क खोने का जोखिम होता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्प सीमित होते हैं।

डेटा साझाकरण एवं गोपनीयता चिंताएँ

- **2021 की गोपनीयता नीति:** व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ता डेटा को मेटा के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिससे डेटा मुद्र्रीकरण और प्रोफाइलिंग पर चिंता बढ़ी।
- **ले लो या छोड़ दो सहमति:** उपयोगकर्ताओं को नए नियम स्वीकार करने या प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे स्वतंत्र और सूचित सहमति का सिद्धांत कमजोर हुआ।
- **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन विरोधाभास:** संदेश सुरक्षित रहते हैं, लेकिन मेटा डेटा (जैसे उपयोग पैटर्न, संपर्क) साझा किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता जोखिम बढ़ता है।

- **डेटा एक आर्थिक संसाधन:** डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ता डेटा विज्ञापन और राजस्व सृजन का प्रमुख स्रोत है, जिससे नियामकीय जांच बढ़ती है।

प्रतिस्पर्धा कानून एवं नियामकीय चुनौतियाँ

- **CCI का हस्तक्षेप:** प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2002 के अधिनियम के तहत व्हाट्सएप पर प्रभुत्व के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
- **वैश्विक नियामकीय रुझान:** EU (डिजिटल मार्केट्स एक्ट) जैसे देशों में बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं।
- **मौजूदा कानूनों की सीमाएँ:** पारंपरिक प्रतिस्पर्धा कानून कीमत पर केंद्रित होते हैं, जबकि डिजिटल बाजारों में डेटा नियंत्रण और नेटवर्क प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।
- **नियामकीय ओवरलैप:** गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

उपयोगकर्ता (यूजर) विकल्प एवं ऑफ-आउट की सीमाएँ

- **डिफॉल्ट पूर्वाग्रह समस्या:** अधिकांश यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ऑफ-आउट अप्रभावी हो जाता है।
- **विकल्प का भ्रम:** व्हाट्सएप के प्रभुत्व के कारण उपयोगकर्ताओं के पास वास्तविक विकल्प नहीं होते।
- **सूचना विषमता:** उपयोगकर्ता यह नहीं समझ पाते कि उनका डेटा कैसे उपयोग हो रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है।
- **संरचनात्मक प्रभुत्व:** प्रमुख प्लेटफॉर्म एकतरफा शर्तें लागू कर सकते हैं, जिससे पूर्व-नियामक हस्तक्षेप (Ex-Ante Regulation) की आवश्यकता होती है।

भारत में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता

- **ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (2024):** यह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों (SIDs) को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।
- **पूर्व-नियमन दृष्टिकोण:** पारंपरिक कानूनों के विपरीत, यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को पहले ही रोकने का प्रयास करता है।
- **तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था:** लगभग 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत को भविष्य के संघर्षों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

- **नवाचार और विनियमन का संतुलन:** कानून को नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए एकाधिकारवादी प्रथाओं को रोकना चाहिए।

डिजिटल शासन में न्यायपालिका की भूमिका

- **न्यायिक निगरानी:** सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों और बाजार निष्पक्षता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
- **गोपनीयता के अधिकार से संबंध:** डेटा-साझाकरण मुद्दे निजता के अधिकार (पुट्टास्वामी निर्णय, 2017) & अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** न्यायालय कॉर्पोरेट शक्ति और नियामकीय अंतराल दोनों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं।
- **नीति सुधार का उत्प्रेरक:** न्यायिक टिप्पणियाँ सरकार को व्यापक कानूनी ढाँचा विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष

नेटवर्क इफेक्ट से उत्पन्न व्हाट्सएप का प्रभुत्व उपयोगकर्ता सहमति को काफी हद तक प्रतीकात्मक बना देता है, जबकि डेटा मुद्रीकरण उपभोक्ता विकल्पों को सीमित करता है। वैध डेटा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून, बेहतर संस्थागत समन्वय और पारदर्शिता आवश्यक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष, जवाबदेह और पारदर्शी बाजार सुनिश्चित करना समय की मांग है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "नेटवर्क इफेक्ट" का सर्वोत्तम वर्णन क्या है?

- इंटरनेट की गति में वृद्धि
- उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर सेवा का मूल्य बढ़ना
- नेटवर्क का सरकारी विनियमन
- डेटा एन्क्रिप्शन तंत्र

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल प्लेटफॉर्म की डेटा-साझाकरण नीतियों के भारत में प्रतिस्पर्धा और गोपनीयता पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

पर्यावरण एवं भूगोल

कार्बन कैप्चर एवं नेट-जीरो लक्ष्य

चर्चा में क्यों: केंद्रीय बजट 2026 ने भारत के नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए हैं।

मुख्य विवरण:

- CCUS में औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को अवरुद्ध कर उसे संग्रहीत करना या उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है।
- भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है (COP26, ग्लासगो)।
- सीमेंट, इस्पात, ऊर्जा और रसायन जैसे कठिन-उत्सर्जन क्षेत्रों (Hard-To-Abate Sectors) पर विशेष ध्यान है।
- वैश्विक स्तर पर CCUS का उपयोग अभी सीमित है, लेकिन जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक माना जाता है।

CCUS प्रौद्योगिकी की समझ

- कार्बन कैप्चर:** औद्योगिक प्रक्रियाओं (जैसे सीमेंट भट्टियाँ, इस्पात भट्टियाँ, रिफाइनरियाँ और बिजली संयंत्र) से CO₂ को वातावरण में जाने से पहले पकड़ लिया जाता है।
- कार्बन उपयोग:** पकड़े गए CO₂ को ईंधन, रसायन, निर्माण सामग्री में बदला जा सकता है या उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति (Enhanced Oil Recovery) में उपयोग किया जा सकता है, जिससे आर्थिक मूल्य उत्पन्न होता है।
- कार्बन भंडारण:** CO₂ को गहरे भू-वैज्ञानिक संरचनाओं जैसे समाप्त तेल और गैस भंडारों में संग्रहीत किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक पृथक्करण सुनिश्चित होता है।
- प्रौद्योगिकी श्रृंखला:** CCUS एकल तकनीक नहीं बल्कि पकड़, परिवहन, उपयोग और भंडारण की एक जटिल प्रक्रिया श्रृंखला है, जिसमें उन्नत इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है।

कार्बन कैप्चर की वैश्विक स्थिति

- सीमित वर्तमान तैनाती:** वैश्विक स्तर पर लगभग 45 वाणिज्यिक CCUS संयंत्र कार्यरत हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन टन CO₂ को कैप्चर करते हैं, जो वैश्विक उत्सर्जन का 0.5% से भी कम है।
- जलवायु लक्ष्यों का अंतर:** 2050 तक वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक CCUS क्षमता को 435 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना आवश्यक है, जो एक बड़ी चुनौती है।
- क्षेत्रीय अग्रणी:** अमेरिका, यूरोप और चीन जलवायु नीतियों और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के कारण CCUS में अग्रणी हैं।
- लागत एवं पैमाना बाधाएँ:** उच्च लागत, अवसंरचना की कमी और सुरक्षा चिंताओं के कारण इसका व्यापक विस्तार धीमा है।

भारत के लिए CCUS का महत्व

- बढ़ते उत्सर्जन:** अवसंरचना विकास और औद्योगिकीकरण के कारण भारत के उत्सर्जन निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है।

- कठिन-उत्सर्जन क्षेत्र:** सीमेंट और इस्पात उद्योगों में अधिकांश CO₂ रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जिसे केवल नवीकरणीय ऊर्जा से समाप्त नहीं किया जा सकता।
- नेट-जीरो प्रतिबद्धता:** 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए CCUS आवश्यक है, जैसा कि वैश्विक जलवायु आकलनों में बताया गया है।
- ऊर्जा सुरक्षा संतुलन:** CCUS भारत को विकास आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।

भारत की प्रगति (नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास)

- पायलट परियोजनाएँ:** NTPC, टाटा स्टील, डालमिया सीमेंट और ONGC जैसी कंपनियाँ CCUS के पायलट और प्रदर्शन परियोजनाएँ चला रही हैं।
- अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** IIT बॉम्बे और JNCASR, बेंगलुरु जैसे संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी समाधान विकसित कर रहे हैं।
- भंडारण क्षमता मानचित्रण:** भारत ने दीर्घकालिक कार्बन भंडारण के लिए संभावित भू-वैज्ञानिक स्थलों की पहचान की है।
- DST CCUS रोडमैप 2030:** दिसंबर में जारी इस रोडमैप ने तकनीकी, वित्तीय और नीतिगत बाधाओं की पहचान की है।

बजटीय समर्थन का महत्व

- वित्तीय अंतर को पाटना:** CCUS प्रौद्योगिकियाँ अभी प्रयोगशाला स्तर पर हैं और उन्हें बड़े निवेश की आवश्यकता है ताकि वाणिज्यिक स्तर पर लागू किया जा सके।
- प्रौद्योगिकी तैयारी में सुधार:** बजट समर्थन से तकनीकी तत्परता स्तर (TRLs) को पायलट से वाणिज्यिक स्तर तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- क्षेत्रीय फोकस:** ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन जैसे प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- परिवर्तनकारी क्षमता:** विशेषज्ञों के अनुसार अगले पाँच वर्षों में भारत में CCUS का वाणिज्यिक उपयोग शुरू हो सकता है।

आर्थिक एवं रणनीतिक लाभ

- औद्योगिक प्रतिस्पर्धा:** CCUS भारतीय निर्यात को EU के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे उपायों के अनुरूप बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- रोजगार सृजन:** कैप्चर, परिवहन, भंडारण और उपयोग में नई मूल्य श्रृंखलाएँ रोजगार उत्पन्न करेंगी।
- अवसंरचना समन्वय:** यह अवसंरचना विकास को समर्थन देता है, साथ ही कार्बन तीव्रता को कम करता है।
- जलवायु नेतृत्व:** स्वदेशी CCUS समाधान भारत की जिम्मेदार जलवायु कार्यवाई में भूमिका को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष

कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण भारत के नेट-जीरो लक्ष्य के लिए एक वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यक रणनीति है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ मिलकर यह कठिन-उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए एकमात्र व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है। ₹20,000 करोड़ का बजटीय प्रोत्साहन,

अनुसंधान, नियामकीय स्पष्टता और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ, CCUS को पायलट परियोजनाओं से मुख्यधारा समाधान में परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकालिक सफलता के लिए चरणबद्ध, क्षेत्र-विशिष्ट और लागत-प्रभावी रणनीति आवश्यक होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: CCUS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुख्यतः उन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है जहाँ उत्सर्जन रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है।
2. केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर होकर सीमेंट उत्पादन से CO₂ उत्सर्जन पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।
3. वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CCUS आवश्यक है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 केवल
- (b) 2 केवल
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

रणनीतिक विकास बनाम सततता

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा है, जबकि इसके पारिस्थितिक और जनजातीय प्रभावों पर चिंताएँ बनी हुई हैं।

मुख्य विवरण:

- NGT ने सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा।
- परियोजना में ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, टाउनशिप और 450 मेगावाट बिजली संयंत्र शामिल हैं।
- लगभग 130 वर्ग किमी क्षेत्र में 9 लाख पेड़ों की कटाई हो सकती है, जिससे जैव विविधता पर चिंता बढ़ी है।

• द ग्रेट निकोबार परियोजना



प्रस्तावित
हवाई अड्डा



विद्युत
संयंत्र



प्रस्तावित
ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह

- परियोजना में एक एकीकृत टाउनशिप भी शामिल है
- परियोजना में 130 वर्ग किमी वन क्षेत्र का विचलन तथा लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई शामिल है



पर्यावरणीय चिंताएँ और जैव विविधता हानि

- **वनों की कटाई और पर्यावास हानि:** 130 वर्ग किमी क्षेत्र में 9 लाख पेड़ों की कटाई से प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है।
- **संकटग्रस्त प्रजातियों को खतरा:** यह द्वीप लेदरबैक कछुओं का पर्यावास है, जिनके प्रजनन स्थल प्रभावित हो सकते हैं।

- लेदरबैक कछुओं के प्रजनन स्थलों और प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) के जोखिम को उजागर किया गया है।
- जनजातीय सहमति और वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना का रणनीतिक महत्व

- **भू-रणनीतिक स्थान:** ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे यह भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बनता है।
- **ट्रांस-शिपमेंट हब की क्षमता:** प्रस्तावित बंदरगाह कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम कर सकता है, जिससे व्यापार दक्षता और लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- **रक्षा और सुरक्षा आयाम:** यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी उपस्थिति की निगरानी और नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने में सहायक है।
- **एक्ट ईस्ट नीति के साथ एकीकरण:** यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है।

अवसंरचना एवं आर्थिक विकास

- **बहु-घटक मेगा परियोजना:** इसमें बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र शामिल हैं, जो द्वीप को एक आर्थिक केंद्र में बदल सकते हैं।
- **व्यापार और निवेश में वृद्धि:** बेहतर अवसंरचना से विदेशी निवेश, शिपिंग गतिविधियाँ और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **रोजगार सृजन:** लॉजिस्टिक्स, निर्माण और सेवाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
- **क्षेत्रीय विकास:** यह परियोजना दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय आर्थिक ढाँचे से जोड़कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है।

- **प्रवाल भित्तियों को नुकसान:** तटीय अवसंरचना प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जो समुद्री जैव विविधता और प्राकृतिक आपदा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **संवेदनशील द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र:** द्वीपों की पारिस्थितिकी संवेदनशील होती है, जहाँ क्षति अक्सर अपरिवर्तनीय होती है और पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) कठिन होती है।

जनजातीय अधिकार और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे

- **स्वदेशी समुदाय:** यह द्वीप शोम्पेन (विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह) और निकोबारी जनजातियों का निवास स्थान है।
- **वन अधिकार अधिनियम संबंधी चिंताएँ:** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन, विशेषकर सहमति और भूमि अधिकारों को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं।
- **बलपूर्वक सहमति के आरोप:** रिपोर्टों के अनुसार जनजातीय प्रतिनिधियों पर सहमति दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया, जिससे स्वतंत्र और सूचित भागीदारी पर प्रश्न उठते हैं।
- **सांस्कृतिक विस्थापन का जोखिम:** बड़े पैमाने पर विकास पारंपरिक जीवन शैली को बाधित कर सकता है, जिससे पहचान और सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन का खतरा है।

कानूनी और संस्थागत मुद्दे

- **NGT की भूमिका:** NGT ने पर्यावरणीय मंजूरी को रणनीतिक महत्व और प्रक्रियात्मक अनुपालन के आधार पर बरकरार रखा।
- **मूल्यांकन प्रक्रिया पर चिंताएँ:** आलोचकों का कहना है कि निर्णय सरकारी रिपोर्टों पर अधिक निर्भर था और स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन की कमी थी।
- **पारदर्शिता मुद्दे:** सीमित सार्वजनिक जानकारी से जवाबदेही और लोकतांत्रिक निगरानी पर प्रश्न उठते हैं।
- **विकास और न्याय का संतुलन:** यह मामला राष्ट्रीय हितों और पर्यावरणीय शासन के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है।

वैश्विक उदाहरणों से सीख

- **नाउरू और बनावे का उदाहरण:** फॉस्फेट खनन के कारण 20वीं सदी में पर्यावरणीय विनाश और जनजातीय विस्थापन हुआ।
- **अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति:** बनावे द्वीप लगभग रहने योग्य नहीं रहा, जिससे अल्पकालिक आर्थिक लाभों के दीर्घकालिक दुष्परिणाम स्पष्ट होते हैं।
- **नाजुक क्षेत्रों के लिए चेतावनी:** संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में सतत योजना आवश्यक है।

विकास बनाम पर्यावरण बहस

- **आर्थिक वृद्धि का तर्क:** भारत जैसे विकासशील देशों को व्यापार, अवसंरचना और रणनीतिक सुरक्षा के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता होती है।
- **पारिस्थितिक सततता:** दीर्घकालिक अस्तित्व, जलवायु सहनशीलता और जैव विविधता संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है।
- **समावेशी विकास:** विकास में जनजातीय समुदायों के अधिकार और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** यह बहस द्विआधारी नहीं है; सतत और सहभागी विकास मॉडल आवश्यक है।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना रणनीतिक हितों, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सततता और जनजातीय अधिकारों के जटिल संतुलन को दर्शाती है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और सामाजिक अन्याय की कीमत पर प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। एक पारदर्शी, वैज्ञानिक और सहभागी निर्णय प्रक्रिया आवश्यक है, ताकि विकास सतत और समावेशी बना रहे। इस

परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इन प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के बीच कैसे संतुलन स्थापित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ग्रेट निकोबार द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

- (a) यह मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है
- (b) इसमें प्रमुख खनिज भंडार हैं
- (c) यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है
- (d) यह अरब सागर में स्थित है

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ग्रेट निकोबार परियोजना के पर्यावरणीय, रणनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्या रणनीतिक हित पारिस्थितिक लागत और जनजातीय अधिकारों से जुड़े चिंताओं को उचित ठहरा सकते हैं। (250 शब्द, 15 अंक)

महासागरीय शासन एवं जैव विविधता

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अधिकांश देश अनुमोदन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उच्च समुद्र संधि के प्रवर्तन के करीब आने के साथ वैश्विक समुद्री जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान बढ़ रहा है।

मुख्य विवरण:

- **उच्च समुद्र संधि (BBNJ समझौता, 2023)** एक संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाला समझौता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता की रक्षा करना है।
- यह **UNCLOS (1982)** को पूरक करता है, जो विश्व के लगभग दो-तिहाई महासागरों को नियंत्रित करता है।
- यह **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs)** के निर्माण को सक्षम बनाता है, जिससे 30x30 लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- यह **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** को अनिवार्य बनाता है और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों के न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करता है।

उच्च समुद्र (हाई-सी) एवं शासन अंतराल

- **उच्च समुद्र की परिभाषा:** वे समुद्री क्षेत्र जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZs) से परे हैं, जो समुद्र के लगभग 64% सतही क्षेत्र और 95% आयतन को कवर करते हैं, जिससे वे वैश्विक पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **समग्र ढाँचे का अभाव:** संधि से पहले, शासन विभिन्न निकायों जैसे क्षेत्रीय मत्स्य संगठनों में बंटा हुआ था, जिससे जैव विविधता संरक्षण में नियामकीय अंतराल उत्पन्न हुआ।
- **संस्थागत सीमाएँ:** UNCLOS समुद्री क्षेत्रों के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष तंत्रों का अभाव था।
- **वैश्विक साझा संसाधन की चुनौती:** उच्च समुद्र एक वैश्विक साझा संसाधन हैं, जहाँ स्पष्ट स्वामित्व और कमजोर प्रवर्तन के कारण अत्यधिक दोहन की समस्या होती है।

उच्च समुद्र संधि की आवश्यकता

- **बढ़ते पर्यावरणीय खतरे:** अत्यधिक मत्स्यन, अवैध मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण और गहरे समुद्र खनन से पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** महासागर का ताप बढ़ना, अम्लीकरण और ऑक्सीजन की कमी समुद्री जैव विविधता को प्रभावित कर रही है और वैश्विक कार्बन चक्र को बाधित कर रही है।
- **जैव विविधता में कमी:** अस्थिर प्रथाओं के कारण समुद्री प्रजातियों में गिरावट हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है।
- **समानता की चिंताएँ:** उन्नत राष्ट्र समुद्री आनुवंशिक संसाधनों तक अधिक पहुँच रखते हैं, जिससे विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत लाभ-साझाकरण की आवश्यकता बढ़ती है।

संधि के मुख्य उद्देश्य

- **संरक्षण और सतत उपयोग:** यह संधि पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक उपयोग के बीच संतुलन बनाते हुए समुद्री संसाधनों के दीर्घकालिक सतत उपयोग को सुनिश्चित करती है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs):** यह उच्च समुद्र में MPAs घोषित करने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करती है, जिससे 2030 तक 30% संरक्षण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का विनियमन (MGRs):** फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले संसाधनों से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):** खनन और मत्स्यन जैसी गतिविधियों के पूर्व आकलन को अनिवार्य बनाता है ताकि अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति रोकी जा सके।

मुख्य प्रावधान एवं संस्थागत तंत्र

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs):** निर्णय पक्षकारों के सम्मेलन (COP) द्वारा लिए जाएंगे, जिससे वैश्विक सहयोग सुनिश्चित होगा।
- **न्यायसंगत लाभ-साझाकरण:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, विशेषकर विकासशील देशों के लिए।
- **वैज्ञानिक एवं तकनीकी निकाय:** निर्णयों को साक्ष्य और पारिस्थितिक सततता के आधार पर सुनिश्चित करने हेतु वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- **क्षमता निर्माण:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तपोषण और प्रशिक्षण के माध्यम से विकासशील देशों को महासागर शासन में भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

भारत के लिए महत्व

- **ब्लू इकोनॉमी विकास:** भारत की डीप ओशन मिशन जैसी पहलें और नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान बेहतर वैश्विक शासन ढाँचे से लाभान्वित होंगे।
- **समुद्री संसाधनों तक पहुँच:** यह फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** यह जलवायु समझौतों और सतत विकास लक्ष्यों (विशेषकर SDG 14) के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

- **रणनीतिक समुद्री हित:** यह समुद्री कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सहयोग को बढ़ाता है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **अनुमोदन आवश्यकता:** संधि के प्रभावी होने के लिए कम से कम 60 देशों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, जिससे कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।
- **प्रवर्तन समस्याएँ:** विशाल समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी केंद्रीय प्राधिकरण और लॉजिस्टिक सीमाओं के कारण कठिन है।
- **आर्थिक बनाम पर्यावरण संतुलन:** मत्स्यन, शिपिंग और खनन जैसे व्यावसायिक हितों के साथ संरक्षण लक्ष्यों का टकराव हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** गहरे समुद्र संसाधनों को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सहयोग को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- **शीघ्र अनुमोदन एवं घरेलू समन्वय:** देशों को संधि का शीघ्र अनुमोदन करना चाहिए और घरेलू कानूनों को इसके अनुरूप बनाना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना:** राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय निकायों और संस्थानों के बीच सहयोग आवश्यक है ताकि वैश्विक साझा संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन हो सके।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी:** उपग्रह निगरानी, एआई-आधारित ट्रैकिंग और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग प्रवर्तन को मजबूत कर सकता है।
- **संरक्षण और आर्थिक हितों का संतुलन:** नीतियों को पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन करना चाहिए।
- **विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण:** वित्त, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- **SDG 14 के साथ एकीकरण:** समुद्री संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत संसाधन उपयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा साझाकरण:** सहयोगी शोध और खुला डेटा नीति-निर्माण और संरक्षण रणनीतियों को बेहतर बनाएंगे।

निष्कर्ष

उच्च समुद्र संधि (हाई-सी ट्रीटी) वैश्विक महासागर शासन में एक ऐतिहासिक कदम है, जो लंबे समय से चली आ रही पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। शीघ्र अनुमोदन, मजबूत प्रवर्तन तंत्र, तकनीकी निगरानी और समावेशी अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। SDG 14 (जल के नीचे जीवन) के साथ इसका समन्वय भविष्य की पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधनों के सतत और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उच्च समुद्र संधि (BBNJ समझौता) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे UNCLOS के ढाँचे के अंतर्गत अपनाया गया है।
2. यह तटीय राज्यों के EEZ के भीतर समुद्री क्षेत्रों पर लागू है।
3. यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में MPAs के निर्माण की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मध्य भारत का मानव-हाथी संकट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाथियों के हमलों में वृद्धि ने मध्य भारत में बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष को उजागर किया है।

मुख्य विवरण:

- हाल ही में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाथियों के हमलों से कई लोगों की मृत्यु हुई।
- भारत के लगभग 28,446 हाथियों में से 8% से कम हाथी संघर्ष घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।
- खनन, जलाशयों और सूखे के कारण पर्यावास विखंडन प्रमुख कारण है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि फसल-निर्भर हाथी आबादी बढ़ने से संघर्ष और बढ़ सकता है।

मानव-हाथी संघर्ष (HEC): प्रकृति और प्रवृत्तियाँ

- **परिभाषा और दायरा:** मानव-हाथी संघर्ष से तात्पर्य मनुष्यों और हाथियों के बीच नकारात्मक अंतःक्रियाओं से है, जिससे फसल क्षति, संपत्ति नुकसान और मानव/पशु मृत्यु होती है। भारत में हाथियों के कारण प्रतिवर्ष 500 से अधिक मानव मृत्यु होती हैं (MoEFCC अनुमान)।
- **भौगोलिक विस्तार:** परंपरागत रूप से यह संघर्ष पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक सीमित था, लेकिन अब यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मध्य भारतीय क्षेत्रों में फैल रहा है।
- **कुछ झुंडों का असमान प्रभाव:** आंकड़े बताते हैं कि 8% से कम हाथी लगभग 50% हताहतों के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि समस्या पूरे समूह की बजाय कुछ विशेष झुंडों से जुड़ी है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** छोटे और सीमांत किसान भारी फसल नुकसान झेलते हैं, जिससे आजीविका संकट, प्रतिशोधात्मक हत्याएँ & संरक्षण के प्रति समर्थन में कमी आती है।

मध्य भारत में हाथियों के विस्थापन के कारण

- **श्रृंखलाबद्ध सूखा (1980 का दशक):** 1982-83 और 1986-87 के एल नीनो वर्षों में गंभीर सूखे ने प्राकृतिक चारा और जल की उपलब्धता घटाई, जिससे हाथियों को क्षेत्र विस्तार करना पड़ा।
- **खनन विस्तार:** सिंहभूम, केओझार, सुंदरगढ़ और तलचर जैसे क्षेत्रों में लौह अयस्क और कोयला खनन के विस्तार ने हाथियों के मुख्य पर्यावास और प्रवासन मार्गों को विखंडित कर दिया।
- **जलाशय निर्माण:** महानदी और ब्राह्मणी बेसिन में बड़े बांधों ने समृद्ध नदी तटीय वनों को डुबो दिया, जो हाथियों के महत्वपूर्ण पर्यावास थे।
- **रेखीय अवसंरचना विकास:** सड़कें, रेलमार्ग, बिजली लाइनें और बस्तियाँ अवरोध प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे मौसमी प्रवास बाधित होता है और मानव-हाथी संपर्क बढ़ता है।

पर्यावास विखंडन और कॉरिडोर बाधा

- **प्रवासन मार्गों का नुकसान:** हाथी लंबी दूरी तक विचरण करने वाले जीव हैं, जो मौसमी प्रवास पर निर्भर रहते हैं। 1980 के दशक के मध्य से कॉरिडोर बाधित होने के कारण झुंड स्थायी समूहों में बदल गए हैं।
- **वन गुणवत्ता में गिरावट:** मध्य भारत के कई वन एकल प्रजाति वाले रोपण हैं, जो प्राकृतिक मिश्रित वनों की तुलना में कम गुणवत्ता वाला चारा प्रदान करते हैं।
- **धारण क्षमता असंतुलन:** कुछ क्षेत्रों में हाथियों की संख्या पारिस्थितिक धारण क्षमता से अधिक हो गई है, जिससे वे कृषि क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं।
- **परिदृश्य-स्तरीय विस्तार:** पश्चिम बंगाल के जंगल-महल, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जैसे क्षेत्रों में हाथियों की उपस्थिति बढ़ी है, जो पारिस्थितिक परिवर्तन को दर्शाता है।

फसल-निर्भर झुंड: बढ़ती पारिस्थितिक चिंता

- **उच्च पोषक फसलों का आकर्षण:** धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलें वन चारे की तुलना में अधिक कैलोरी प्रदान करती हैं, जिससे बार-बार फसल पर आक्रमण होता है।
- **व्यवहार में परिवर्तन:** फसल-आधारित झुंडों में जन्मे नए बछड़े प्राकृतिक भोजन खोजने की क्षमता खो सकते हैं, जिससे व्यवहार में स्थायी बदलाव आ सकता है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** बेहतर पोषण के कारण प्रजनन सफलता बढ़ती है, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में झुंड का आकार बढ़ता है।
- **लंबी पुनर्स्थापन अवधि:** विशेषज्ञों के अनुसार सार्थक पर्यावास पुनर्स्थापन में 20-40 वर्ष लग सकते हैं, जिससे संघर्ष लंबे समय तक बना रह सकता है।

संस्थागत और नीतिगत ढाँचा

- **प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992):** हाथी संरक्षण, कॉरिडोर सुरक्षा और संघर्ष न्यूनीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
- **हाथी अभयारण्य:** भारत में 30 से अधिक हाथी अभयारण्य हैं, लेकिन कई कॉरिडोर अभी भी असुरक्षित हैं।
- **क्षतिपूर्ति तंत्र:** राज्य सरकारें मृत्यु, फसल नुकसान और संपत्ति क्षति के लिए मुआवजा देती हैं, लेकिन देरी और कम मूल्यांकन समस्याएँ बनी रहती हैं।
- **राष्ट्रीय हाथी कार्ययोजना (2020):** पर्यावास सुरक्षा, संघर्ष न्यूनीकरण, तकनीक (अर्ली वार्निंग, ड्रोन) और सामुदायिक भागीदारी पर जोर।

उभरते चर

- **जलवायु परिवर्तन संबंध:** सूखे और चरम मौसम की बढ़ती आवृत्ति हाथियों के पर्यावास पर दबाव बढ़ाती है।
- **विकास बनाम संरक्षण द्वंद्व:** हसदेव अरण्य जैसे जैव विविधता क्षेत्रों में खनन आर्थिक विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच टकराव को दर्शाता है।
- **अंतर-राज्य समन्वय की कमी:** हाथी कई राज्यों में विचरण करते हैं, लेकिन प्रबंधन राज्य-आधारित है, जिससे समन्वय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **मानव सुरक्षा आयाम:** बढ़ता संघर्ष वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका संकट भी है, जिसके लिए एकीकृत नीति की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मध्य भारत में मानव-हाथी संघर्ष पर्यावास विखंडन, अनियोजित विकास और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गहरे पारिस्थितिक तनाव को दर्शाता है। भारत को कॉरिडोर पुनर्स्थापन, जलवायु-लचीले पर्यावास, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक निगरानी पर आधारित एक परिदृश्य-स्तरीय, बहु-राज्य रणनीति अपनानी चाहिए। संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि यह संकट दीर्घकालिक मानव-वन्यजीव संघर्ष में न बदल जाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खनन और अवसंरचना विस्तार जैसी विकासात्मक गतिविधियों ने भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कैसे बढ़ाया है? हाथियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

IEA की पूर्ण सदस्यता के लिए भारत की पहल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत के पूर्ण सदस्यता अनुरोध पर प्रगति की है, जिसके लिए इसके संस्थापक चार्टर में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य विवरण:

- भारत 2017 से IEA का **एसोसिएट सदस्य** है और अब पूर्ण सदस्यता चाहता है।
- पूर्ण सदस्यता वर्तमान में **OECD देशों** तक सीमित है, जिससे कानूनी बाधा उत्पन्न होती है।
- IEA ऊर्जा सुरक्षा, नीतिगत समन्वय और ऊर्जा संक्रमण के लिए एक प्रमुख वैश्विक संस्था है।
- भारत को पूर्ण सदस्यता देने के लिए IEA के संस्थापक चार्टर में संशोधन करना पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA): उत्पत्ति और विकास

- **1973 तेल संकट के बाद स्थापना:** IEA की स्थापना 1974 में 17 OECD देशों द्वारा यौम किप्पुर युद्ध के दौरान तेल प्रतिबंध से उत्पन्न संकट के बाद की गई थी।
- **प्रारंभिक उद्देश्य – ऊर्जा सुरक्षा:** प्रारंभ में IEA का लक्ष्य स्थिर तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आयातित तेल पर निर्भरता कम करना था।
- **भूमिका का विस्तार:** समय के साथ IEA ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, जलवायु नीति और ऊर्जा डेटा विश्लेषण में अपनी भूमिका बढ़ाई।
- **वैश्विक प्रभाव:** आज IEA के 32 पूर्ण सदस्य और कई एसोसिएट सदस्य हैं, जो वैश्विक ऊर्जा मांग का ~ 80% प्रतिनिधित्व करते हैं।

सदस्यता संरचना और कानूनी बाधाएँ

- **OECD से जुड़ाव:** IEA के चार्टर के अनुसार पूर्ण सदस्यता OECD सदस्य देशों तक सीमित है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाधा उत्पन्न होती है।
- **एसोसिएट सदस्यता मॉडल (2015):** गैर-OECD देशों को जोड़ने के लिए यह श्रेणी बनाई गई, जिसमें भागीदारी तो होती है लेकिन मतदान अधिकार नहीं होते।
- **भारत की वर्तमान स्थिति:** भारत 2017 से एसोसिएट सदस्य है और डेटा सहयोग तथा नीतिगत संवाद में भाग लेता है, लेकिन निर्णय-निर्माण में भागीदारी नहीं है।

- **चार्टर संशोधन की आवश्यकता:** भारत को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए पात्रता नियमों में संशोधन या अपवाद बनाना होगा, जिसके लिए सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है।

पूर्ण सदस्यता के लिए भारत का रणनीतिक तर्क

- **वैश्विक ऊर्जा शासन में आवाज:** पूर्ण सदस्यता भारत को वैश्विक ऊर्जा नियमों और नीतियों को आकार देने में भूमिका देगी, विशेषकर ऊर्जा संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं में।
- **ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकता:** विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता होने के नाते भारत को वैश्विक ऊर्जा समन्वय तंत्र में गहरी भागीदारी की आवश्यकता है।
- **उन्नत डेटा और नीति उपकरणों तक पहुँच:** IEA के व्यापक ऊर्जा डेटाबेस साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए उपयोगी हैं।
- **जलवायु नेतृत्व के साथ तालमेल:** भारत की LiFE पहल और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार IEA के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

रणनीतिक महत्व

- **वैश्विक ऊर्जा मांग में बदलाव:** IEA के गठन के समय OECD देश प्रमुख उपभोक्ता थे, जबकि अब उभरती अर्थव्यवस्थाएँ ऊर्जा मांग को संचालित कर रही हैं, जिससे भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है।
- **IEA की प्रतिनिधित्व क्षमता में वृद्धि:** भारत को शामिल करने से संस्था की वैधता और समावेशिता बढ़ेगी।
- **प्रमुख देशों का समर्थन:** अमेरिका और अन्य साझेदार भारत की सदस्यता के प्रति सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं।
- **अन्य देशों का दबाव:** ब्राज़ील जैसे देश भी पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहे हैं, जिससे संस्थागत सुधार का दबाव बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **कानूनी और संस्थागत कठोरता:** चार्टर संशोधन के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है, जो राजनीतिक रूप से जटिल हो सकता है।
- **OECD-IEA संबंध:** कुछ सदस्य चिंतित हैं कि OECD शर्तों में बदलाव से संस्था की प्रकृति प्रभावित हो सकती है।
- **रणनीतिक भंडार दायित्व:** पूर्ण सदस्य देशों को अनिवार्य रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखने होते हैं, जिससे अवसंरचना निवेश की आवश्यकता बढ़ सकती है।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने से ऊर्जा भू-राजनीति और शक्ति संतुलन बदल सकता है।

भारत-IEA सहयोग: हालिया विकास

- **औपचारिक आवेदन (2023):** भारत ने अक्टूबर 2023 में औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करकूटनीतिक प्रयास तेज किए।
- **विश्लेषणात्मक सहयोग में वृद्धि:** IEA ने भारत-केंद्रित ऊर्जा रिपोर्ट जारी की हैं, जिससे साझेदारी मजबूत हुई है।
- **LiFE पहल की मान्यता:** IEA के अध्ययन के अनुसार, भारत की LiFE पहल 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 2 बिलियन टन तक कमी ला सकती है।
- **मंत्री-स्तरीय समर्थन (2026):** पेरिस में हुई बैठक में भारत की सदस्यता प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

निष्कर्ष

IEA में भारत की पूर्ण सदस्यता वैश्विक ऊर्जा शासन को अधिक समावेशी और यथार्थवादी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। यद्यपि कानूनी और संस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, जलवायु नेतृत्व बढ़ेगा और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति मिलेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की स्थापना मूल रूप से किसके प्रत्युत्तर में की गई थी?

- (a) एशियाई वित्तीय संकट
- (b) 1973 का तेल संकट
- (c) क्योटो प्रोटोकॉल
- (d) पेरिस समझौता

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के प्रयास के महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

पराली दहन की निगरानी हेतु अग्नि-पहचान एल्गोरिदम

चर्चा में क्यों: हाल ही में, ISRO उत्तर-पश्चिम भारत में पराली दहन की वर्षभर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए रबी फसल के दौरान एक उन्नत उपग्रह एल्गोरिदम का परीक्षण करने जा रहा है।

मुख्य विवरण:

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने खरीफ मौसम के बाद कृषि अग्नि निगरानी का दायरा बढ़ाया है।
- ISRO ने उपग्रह-आधारित अग्नि-पहचान एल्गोरिदम को उन्नत किया है, ताकि खेतों में आग की कम रिपोर्टिंग की समस्या दूर की जा सके।
- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश-एनसीआर में प्रतिवर्ष लगभग 28 मिलियन टन धान की पराली उत्पन्न होती है।
- पराली जलाने से दिल्ली के शीतकालीन PM2.5 प्रदूषण का लगभग 40% तक योगदान हो सकता है।

पराली दहन का पैमाना एवं प्रकृति

- **बड़े पैमाने पर अवशेष उत्पादन:** पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 दिनों की छोटी अवधि में लगभग 28 मिलियन टन पराली उत्पन्न होती है, जिससे किसानों पर दबाव बढ़ता है।
- **संकीर्ण बुवाई अवधि:** धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच केवल 10-20 दिन का समय होता है, जिससे जलाना सबसे तेज विकल्प बन जाता है।
- **लागत और पहुँच की सीमाएँ:** हैप्पी सीडर और सुपर एसएमएस जैसी मशीनों की लागत अधिक है और उपलब्धता सीमित है, विशेषकर छोटे किसानों के लिए।
- **नियमों के बावजूद निरंतरता:** प्रतिबंध और दंड के बावजूद पराली जलाना जारी रहता है, जो दर्शाता है कि इसके कारण संरचनात्मक हैं, केवल व्यवहारगत नहीं।

पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव

- **PM2.5 का प्रमुख स्रोत:** पराली जलाने से सूक्ष्म कण और विषैले गैसें निकलती हैं, जो दिल्ली के प्रदूषण भार का 40% तक योगदान करती हैं।
- **मौसमी प्रदूषण चरम:** मानसून के बाद शांत हवाएँ और तापमान उलटाव अक्टूबर-नवंबर में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करते हैं।
- **दीर्घ-दूरी प्रदूषक परिवहन:** उत्तर-पश्चिमी हवाएँ पंजाब और हरियाणा से धुआँ दिल्ली-एनसीआर तक लाती हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ:** उच्च PM2.5 स्तर श्वसन रोग, हृदय रोग और जीवन प्रत्याशा में कमी से जुड़े हैं।

मौजूदा निगरानी तंत्र की सीमाएँ

- **उपग्रह पहचान अंतराल:** जमीनी आंकड़ों और उपग्रह डेटा में अंतर पाया गया है, जिससे कम पहचान और अधिक अनुमान की समस्या होती है।
- **स्थिर अवलोकन समय:** Terra, Aqua (MODIS) और Suomi-NPP (VIIRS) जैसे उपग्रह निश्चित समय पर गुजरते हैं, जिससे बाद के समय की आग की निगरानी छूट जाती है।
- **जलाने के समय में बदलाव:** शोध के अनुसार आग लगाने का समय 2020 के 1:30 बजे से बदलकर 2024 में लगभग 5 बजे शाम हो गया है, जिससे पहचान कठिन होती है।
- **नीति निर्भरता और अधूरी जानकारी:** अपूर्ण डेटा पर आधारित निर्णय नीति असंगति & विश्वसनीयता समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।

ISRO के उन्नत एल्गोरिदम की विशेषताएँ

- **उन्नत पहचान मॉडल:** सक्रिय आग और जली हुई भूमि की बेहतर पहचान के लिए एल्गोरिदम में सुधार किया गया है।
- **रबी मौसम में परीक्षण:** नई प्रणाली का परीक्षण गेहूं कटाई के मौसम (मार्च-मई) में किया जाएगा, ताकि वर्षभर निगरानी क्षमता का आकलन किया जा सके।
- **जमीनी सत्यापन के साथ एकीकरण:** CAQM ने जिला-स्तरीय टीमों को उपग्रह डेटा के पूरक के रूप में खेत मानचित्रण और क्षेत्रीय सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
- **निरंतर निगरानी की ओर:** यह पहल मौसमी निगरानी से वर्षभर कृषि अग्नि निगरानी की ओर बदलाव को दर्शाती है।

संस्थागत और नीतिगत प्रतिक्रिया

- **CAQM की भूमिका:** 2026 में राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ और सख्त प्रवर्तन लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना:** हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस और मल्चर जैसी मशीनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **बाह्य स्थानों को बढ़ावा:** पराली के उपयोग को बायोएनर्जी, पशु चारा, पैकेजिंग और CNG उत्पादन में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **सुप्रीम कोर्ट की निगरानी:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियमित निगरानी करते हुए तकनीकी समाधान और जवाबदेही पर जोर दिया है।

पराली दहन को समाप्त करने की संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **किसानों की आर्थिक बाधता:** मशीनरी विकल्पों की तुलना में जलाना सबसे सस्ता और तेज तरीका है।
- **खंडित भूमि जोत:** छोटे खेतों के कारण महंगी मशीनों का उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

- **बाज़ार संपर्क की कमी:** पराली के बाह्य स्थानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और सुनिश्चित खरीद की कमी है।
- **व्यवहार और प्रवर्तन सीमाएँ:** केवल दंडात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, जब तक व्यवहार्य आर्थिक विकल्प उपलब्ध न हों।

निष्कर्ष

अग्नि-पहचान तकनीक (फायर-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी) में सुधार आवश्यक है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। भारत को सटीक उपग्रह निगरानी, सस्ती अवशेष प्रबंधन तकनीक, बायोमास के लिए बाज़ार निर्माण और सहकारी संघीय नीति के साथ बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी। दीर्घकालिक सफलता किसानों के आर्थिक प्रोत्साहनों और पर्यावरणीय लक्ष्यों के संतुलन पर निर्भर करेगी, जिससे सिंधु-गंगा मैदानों में सतत कृषि और स्वच्छ वायु सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पराली दहन की निगरानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. MODIS और VIIRS उपग्रहों का उपयोग कृषि अग्नि पहचान में किया जाता है।
2. पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर में शीतकालीन PM2.5 स्तर में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3. फसल अवशेष प्रबंधन योजना केवल बाह्य स्थानों (Ex-Situ) को बढ़ावा देती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पराली दहन पर्यावरणीय और कृषि नीति दोनों के लिए चुनौती क्यों है? इसके समाधान हेतु प्रौद्योगिकी और नीतिगत उपायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

USEPA: अब जलवायु इनकारवाद की आवाज?

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (USEPA) ने ओबामा-कालीन “एंडेंजरमेंट फाइंडिंग” को वापस ले लिया है, जो बढ़ती वैश्विक जलवायु चिंताओं के बीच एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देता है।

मुख्य विवरण:

- अमेरिकी प्रशासन ने “एंडेंजरमेंट फाइंडिंग” को कमजोर किया, जो पहले ग्रीनहाउस गैसों के नियमन को अनिवार्य बनाता था।
- ऑटोमोबाइल उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के समर्थन में कमी की गई है।
- यह कदम बिजली संयंत्रों और तेल एवं गैस क्षेत्रों के उत्सर्जन मानकों को भी कमजोर कर सकता है।
- यह निर्णय वैश्विक स्तर पर सख्त जलवायु शमन प्रतिबद्धताओं की प्रवृत्ति के विपरीत है।

एंडेंजरमेंट फाइंडिंग और जलवायु विनियमन का कानूनी आधार

- **एंडेंजरमेंट फाइंडिंग (2009) क्या है:** USEPA ने निष्कर्ष निकाला था कि छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा हैं, जिससे क्लीन एयर एक्ट के तहत नियमन संभव हुआ।
- **अमेरिकी जलवायु नीति का आधार:** यह ऑटोमोबाइल, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक स्रोतों के उत्सर्जन मानकों का कानूनी आधार बना।
- **वैज्ञानिक सहमति:** यह निष्कर्ष IPCC जैसे संस्थानों के व्यापक वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित था, जो GHG सांद्रता को वैश्विक तापवृद्धि और चरम मौसम से जोड़ते हैं।
- **वापसी के निहितार्थ:** इसे कमजोर करने से USEPA की नियामक शक्ति कम होती है और जलवायु सुरक्षा उपाय कमजोर पड़ सकते हैं।

परिवहन क्षेत्र और उत्सर्जन चिंताएँ

- **अमेरिका में सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत:** परिवहन क्षेत्र कुल GHG उत्सर्जन का लगभग 28–29% योगदान देता है, इसलिए यह शमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ऑटो उत्सर्जन मानकों में ढील:** मानकों को आसान करने से वाहन निर्माताओं पर दक्षता सुधार या कम-उत्सर्जन वाहनों की ओर जाने का दबाव घटेगा।
- **इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमण में मंदी:** EV सब्सिडी हटाने से अपनाने की गति धीमी हो सकती है।
- **वैश्विक जलवायु प्रभाव:** अमेरिका दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में वैश्विक उत्सर्जन प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकता है।

जीवाश्म ईंधन बनाम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण

- **जीवाश्म ईंधन को समर्थन:** यह नीति बदलाव तेल, गैस और कोयला अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन पर खतरा:** बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन मानकों में ढील से स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रगति धीमी हो सकती है।
- **वैश्विक नवीकरणीय रुझान:** इसके विपरीत, विश्व स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार के साथ नवीकरणीय क्षमता तेजी से बढ़ रही है।
- **कार्बन लॉक-इन का जोखिम:** जीवाश्म ईंधन में निरंतर निवेश “अवरुद्ध परिसंपत्तियों” का जोखिम बढ़ाता है और नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन बनाता है।

जलवायु इनकारवाद & राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Climate Denialism & Political Economy)

- **जलवायु संशयवाद (Climate Skeptic) का उदय:** कुछ राजनीतिक समूह वैज्ञानिक सहमति के बावजूद जलवायु परिवर्तन पर संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे नीति कार्रवाई में देरी होती है।
- **नीतिगत संचार की विफलता:** कई विकसित देशों में जलवायु नीतियों को महंगा माना गया, जिससे राजनीतिक विरोध बढ़ा।
- **समानता और न्यायपूर्ण संक्रमण मुद्दे:** डीकार्बोनाइजेशन से प्रभावित श्रमिकों और उद्योगों के लिए पर्याप्त समर्थन की कमी से जन समर्थन घटा।
- **नीति धुंधीकरण:** अमेरिका में जलवायु परिवर्तन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिससे दीर्घकालिक नीति स्थिरता प्रभावित होती है।

वैश्विक जलवायु शासन पर प्रभाव

- **पेरिस समझौते के लक्ष्यों से विरोधाभास:** घरेलू नियमों में ढील 1.5°C लक्ष्य को सीमित करने के प्रयासों को कमजोर करती है।
- **जलवायु नेतृत्व पर प्रभाव:** एक प्रमुख उत्सर्जक के रूप में अमेरिका की नीति वैश्विक महत्वाकांक्षा और जलवायु वित्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।
- **विकासशील देशों के लिए संकेत:** विकसित देशों में नीतिगत ढील "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" (CBDR) सिद्धांत को कमजोर कर सकती है।
- **बहुपक्षीय प्रयास जारी:** बाधाओं के बावजूद कई देश और उप-राष्ट्रीय इकाइयाँ जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत कर रही हैं।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- **स्वच्छ ऊर्जा प्रतिस्पर्धा:** विकसित देशों की नीति अनिश्चितता भारत के लिए नवीकरणीय विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी में अवसर पैदा कर सकती है।
- **व्यापार और कार्बन सीमा उपाय:** भिन्न जलवायु नीतियाँ भविष्य में कार्बन सीमा कर और हरित व्यापार नियमों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण:** भारत राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन और अद्यतन NDCs के माध्यम से विकास और सततता के बीच संतुलन बना रहा है।
- **जलवायु कूटनीति:** भारत को वैश्विक मंचों पर समानता और जलवायु न्याय के मुद्दों को और मजबूती से उठाना होगा।

निष्कर्ष

USEPA द्वारा जलवायु सुरक्षा उपायों में ढील एक महत्वपूर्ण वैश्विक नीति परिवर्तन को दर्शाती है। यद्यपि इससे अल्पकालिक घरेलू आर्थिक राहत मिल सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिक सहमति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर सकती है।

सतत वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए विज्ञान-आधारित नीति, स्वच्छ ऊर्जा की विश्वसनीय दिशा और न्यायपूर्ण संक्रमण आवश्यक हैं। भारत के लिए यह घटना विकास और जलवायु सहनशीलता के संतुलन के महत्व को रेखांकित करती है, साथ ही बहुपक्षीय जलवायु शासन को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संयुक्त राज्य अमेरिका में "एंडेंजरमेंट फाइंडिंग" किससे संबंधित है?

- (a) परमाणु सुरक्षा विनियमन
- (b) पर्यावरण कानून के तहत ग्रीनहाउस गैसों का नियमन
- (c) जैव विविधता संरक्षण
- (d) महासागर प्रदूषण नियंत्रण

उत्तर: (b)

अरावली को कोई नहीं छू सकता: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना पर प्रगति की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक एवं समग्र आकलन होने तक कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

मुख्य विवरण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना के लिए संशोधित DPR प्रस्तुत करने के हरियाणा के अनुरोध को खारिज कर दिया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बिना अरावली क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
- इससे पहले न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की 100 मीटर ऊँचाई परिभाषा को स्वीकार करने वाले आदेश को स्थगित रखा था।
- यह चिंता व्यक्त की गई कि पहाड़ियों की नई परिभाषा से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन और विकास के मार्ग खुल सकते हैं।

अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिक महत्व

- **प्राचीन पर्वतमाला:** अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसका क्षरण उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- **मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध:** अरावली थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। इसका क्षरण हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीकरण के जोखिम को बढ़ा सकता है।
- **भूजल पुनर्भरण और जलवायु नियंत्रण:** यह क्षेत्र भूजल पुनर्भरण और NCR में सूक्ष्म-जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वनावरण की कमी से हीट वेव और जल संकट बढ़ सकता है।
- **जैव विविधता केंद्र:** यहाँ तेंदुओं और कई स्थानिक प्रजातियों सहित विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। खनन और अवसंरचना विकास से पर्यावास निरंतरता प्रभावित होती है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा

- **अनुच्छेद 48A (डीपीएसपी):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।
- **अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के रूप में विस्तारित किया है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह औद्योगिक और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) की भूमिका:** यह न्यायालय की सहायता करती है & पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी करती है।

परिभाषा का मुद्दा और नियामकीय प्रभाव

- **100 मीटर ऊँचाई मानदंड विवाद:** एक सरकारी समिति ने अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली भूमि के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे छोटी पहाड़ियाँ संरक्षण से बाहर हो जाएँगी।
- **खनन संबंधी चिंताएँ:** यदि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ बाहर हो जाती हैं, तो वे विशेषकर हरियाणा और राजस्थान में खनन & व्यावसायिक उपयोग के लिए खुल सकती हैं।

- **सावधानी सिद्धांत:** न्यायालय का निर्णय इस सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके अनुसार वैज्ञानिक अनिश्चितता की स्थिति में भी निवारक कदम उठाए जाने चाहिए।
- **समग्र पारिस्थितिकी दृष्टिकोण:** न्यायालय ने कहा कि अरावली को एक राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसलिए पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय होना चाहिए।

विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण बहस

- **चिड़ियाघर सफारी परियोजना प्रस्ताव:** हरियाणा सरकार ने परियोजना क्षेत्र को 10,000 एकड़ से घटाकर 3,300 एकड़ कर दिया और इसे इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बताया।
- **पारिस्थितिक व्यवधान की आशंका:** अवसंरचना विकास, सड़कें और पर्यटन सुविधाएँ पर्यावासों को खंडित कर सकती हैं और नाजुक पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती हैं।
- **सतत विकास सिद्धांत:** पर्यावरणीय न्यायशास्त्र आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन की वकालत करता है।
- **न्यायिक पर्यावरणवाद:** सर्वोच्च न्यायालय ने खनन प्रतिबंध, वन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर पर्यावरणीय अधिकारों को मजबूत किया है।

पर्यावरणीय शासन में न्यायपालिका की भूमिका

- **जनहित याचिका (PIL):** पर्यावरणीय मुद्दे अक्सर PIL के माध्यम से न्यायालय तक पहुँचते हैं, जो न्यायिक सक्रियता को दर्शाता है।
- **विशेषज्ञ-आधारित निर्णय:** न्यायालय ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति पर जोर देकर वैज्ञानिक साक्ष्यों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **संघीय पर्यावरण शासन:** अरावली कई राज्यों में फैली है, इसलिए समन्वित राज्य और केंद्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **न्यायिक निगरानी बनाम कार्यपालिका:** यह मामला राज्य विकास योजनाओं और न्यायिक निगरानी के बीच संतुलन को दर्शाता है।

निष्कर्ष

अरावली का मुद्दा एक वैज्ञानिक, पारदर्शी और पारिस्थितिकी-आधारित नियामक ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्पष्ट परिभाषाएँ, अंतर-राज्य समन्वय और पर्यावरणीय कानूनों का सख्त पालन आवश्यक है। विकास परियोजनाओं को कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से गुजरना चाहिए और सावधानी एवं सतत विकास सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अरावली की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि उत्तर भारत की पारिस्थितिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पर्यावरणीय शासन में सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle) का अर्थ है:

- (a) संरक्षण से पहले विकास को प्राथमिकता देना
- (b) पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में भी निवारक कदम उठाना
- (c) प्रदूषकों को प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देना
- (d) वनों का निजीकरण करना

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा कीजिए और भारत में विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

अवैध खनन शासन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, मेघालय में रैट-होल खदान विस्फोट (फरवरी 2026) में 18 श्रमिकों की मृत्यु ने लगातार जारी अवैध खनन, कमजोर प्रवर्तन और तात्कालिक शासन चुनौतियों को उजागर किया है।

मुख्य विवरण:

- **घटना:** मेघालय की एक अवैध रैट-होल खदान में विस्फोट से 18 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे असुरक्षित खनन प्रथाएँ सामने आईं।
- **कानूनी स्थिति:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2014 से रैट-होल खनन पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी यह जारी है।
- **कारण:** इंजीनियरिंग समर्थन की कमी, अवैध संचालन और कमजोर निगरानी के कारण बार-बार दुर्घटनाएँ होती हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** कोयला आधारित आजीविका पर निर्भरता, कमजोर प्रवर्तन और अनौपचारिक श्रम प्रणाली इस प्रथा को बनाए रखते हैं।

रैट-होल माइनिंग (खनन) की प्रकृति

- **आदिम खनन तकनीक:** इसमें पहाड़ियों में संकीर्ण क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं, जो अक्सर केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती हैं, जिससे यह अत्यंत खतरनाक होता है।
- **भू-वैज्ञानिक संदर्भ:** मेघालय में पतली कोयला परतें और खंडित भूमि स्वामित्व बड़े पैमाने की यंत्रीकृत खनन को कठिन बनाते हैं, जिससे छोटे, अनौपचारिक खनन को बढ़ावा मिलता है।
- **सुरक्षा अवसंरचना का अभाव:** इन खदानों में वेंटिलेशन, संरचनात्मक समर्थन और जल निकासी प्रणाली का अभाव होता है, जिससे धंसाव, जलभराव & गैस जमा होने का खतरा बढ़ता है।
- **पूर्वोत्तर भारत में व्यापकता:** कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक आवश्यकता के कारण यह प्रथा व्यापक रूप से जारी है।

कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा

- **NGT प्रतिबंध (2014):** रैट-होल खनन को पर्यावरणीय क्षति और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण प्रतिबंधित किया गया।
- **नियामकीय अंतराल:** राज्य प्राधिकरणों, जनजातीय भूमि अधिकारों और केंद्रीय कानूनों के बीच अधिकार क्षेत्र के टकराव से प्रवर्तन में अस्पष्टता पैदा होती है।
- **छठी अनुसूची की जटिलता:** मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदों के पास भूमि और संसाधनों का नियंत्रण है, जिससे खनन कानूनों का क्रियान्वयन जटिल हो जाता है।
- **कमजोर शासन:** सीमित प्रशासनिक क्षमता और भ्रष्टाचार के कारण अवैध खनन नेटवर्क दंडमुक्ति के साथ कार्य करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक कारण

- **आजीविका पर निर्भरता:** हजारों परिवार कोयला खनन पर निर्भर हैं, जिससे वैकल्पिक रोजगार के बिना प्रतिबंध लागू करना कठिन है।

- **खंडित भूमि स्वामित्व:** छोटे भूखंड और कई ठेकेदार जवाबदेही को कमजोर करते हैं।
- **अनौपचारिक श्रम बाजार:** श्रमिक अक्सर पंजीकृत नहीं होते, जिससे सुरक्षा, बीमा और कानूनी संरक्षण का अभाव होता है।
- **संरक्षण नेटवर्क:** स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक हित अवैध गतिविधियों को संरक्षण देते हैं, जिससे प्रवर्तन कमजोर होता है।

पर्यावरणीय एवं मानवीय लागत

- **जीवन की हानि:** बार-बार होने वाली दुर्घटनाएँ गंभीर व्यावसायिक खतरों को दर्शाती हैं।
- **जल प्रदूषण:** अम्लीय खदान जल निकासी नदियों, पेयजल और कृषि भूमि को प्रदूषित करती है।
- **भूमि क्षरण:** अनियंत्रित खनन से मृदा अपरदन, वनों की कटाई और अस्थिर भू-दृश्य बनते हैं।
- **सामाजिक समस्याएँ:** बाल श्रम, खराब कार्य परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य जोखिम गंभीर सामाजिक चिंताओं को दर्शाते हैं।

आपूर्ति शृंखला चुनौतियाँ

- **वैध कोयले के साथ मिश्रण:** अवैध कोयला औपचारिक बाजार में मिल जाता है, जिससे ट्रेसिबिलिटी कठिन हो जाती है।
- **कमजोर निगरानी प्रणाली:** रीयल-टाइम ट्रैकिंग के अभाव में अवैध परिवहन पकड़ में नहीं आता।
- **बाज़ार प्रोत्साहन:** कोयले की उच्च मांग अवैध खनन को लाभकारी बनाए रखती है।
- **नियामकीय बचाव:** व्यापारी कानूनी खामियों का उपयोग कर अवैध कोयले को वैध आपूर्ति में बदल देते हैं।

तकनीकी एवं प्रवर्तन उपाय

- **जीपीएस ट्रैकिंग:** कोयला परिवहन वाहनों में GPS उपकरण लगाने से मार्ग अनुपालन और पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है।
- **उपग्रह एवं ड्रोन निगरानी:** रिमोट सेंसिंग तकनीकों से अवैध खनन स्थलों की पहचान और वास्तविक समय में पर्यावरणीय क्षति की निगरानी संभव है।
- **कड़े दंड:** कोयले की जब्ती, लाइसेंस रद्द करना और अभियोजन से अवैध गतिविधियों की लागत बढ़ाई जा सकती है।
- **मध्यस्थों पर कार्रवाई:** व्यापारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग और नीलामी प्रतिबंध से आपूर्ति शृंखला बाधित की जा सकती है।

आर्थिक विकल्प और पुनर्वास

- **आजीविका विविधीकरण:** बागवानी, पर्यटन और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर खनन पर निर्भरता कम की जा सकती है।
- **कौशल विकास:** प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में स्थानांतरित करने में मदद कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम:** मनरेगा जैसी योजनाएँ आय सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।
- **बाज़ार और ऋण सुविधा:** वित्तीय सहायता और बाज़ार पहुँच से वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित होंगी।

श्रम और शासन सुधार

- **श्रम का औपचारीकरण:** श्रमिकों का पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन शोषण कम करेगा।

- **जवाबदेही तंत्र:** स्वतंत्र ऑडिट और अधिकारियों के रोटेशन से भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को निगरानी में शामिल करने से जवाबदेही बढ़ेगी।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** अत्यधिक दमन बिना विकल्पों के खनन को और भूमिगत कर सकता है, इसलिए समेकित नीति आवश्यक है।

निष्कर्ष

मेघालय की यह त्रासदी दर्शाती है कि केवल कानूनी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं। मजबूत शासन, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और सामाजिक-आर्थिक विकल्पों के साथ बहु-आयामी रणनीति आवश्यक है। समुदाय-आधारित प्रवर्तन, श्रम सुधार और वैकल्पिक आजीविका के माध्यम से ही अवैध रैट-होल खनन को समाप्त किया जा सकता है, जिससे न्याय, सुरक्षा और पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: रैट-होल खनन में सामान्यतः क्या शामिल होता है?

- गहरी ऊर्ध्वाधर खदानें
- संकीर्ण क्षैतिज सुरंगें, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती हैं
- खुली खदान (ओपन-कास्ट)
- हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मेघालय में अवैध रैट-होल खनन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस समस्या के समाधान हेतु एक समग्र रणनीति सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

कश्मीर के पुष्प पर्यटन को बढ़ावा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, SKUAST-कश्मीर के शोधकर्ताओं ने ट्यूलिप का शीतकालीन फूल खिलना सफलतापूर्वक संभव किया है, जिससे फूलों के उत्पादन को मांग चक्र के अनुरूप बनाया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले।

मुख्य विवरण:

- ट्यूलिप अब दिसंबर में खिल रहे हैं, जो उनके सामान्य मौसम से लगभग चार महीने पहले है।
- यह उपलब्धि बल्ब प्रोग्रामिंग और फोर्सिंग तकनीकों के माध्यम से प्राप्त हुई है।
- SKUAST के प्रायोगिक उद्यान में 4,000 में से लगभग 3,000 बल्ब सफलतापूर्वक खिले।
- इस नवाचार का कश्मीर में पुष्पकृषि, पर्यटन और कृषि-उद्यमिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर): एक उभरता कृषि क्षेत्र

- **उच्च मूल्य कृषि:** पुष्पकृषि बागवानी का उच्च आय वाला क्षेत्र है, जिसमें कटे फूलों और सजावटी पौधों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ रही है।
- **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र वर्ष भर रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर महिलाओं और छोटे किसानों के लिए, और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।

- **पर्यटन से जुड़ाव:** ट्यूलिप उत्सव जैसे फूल-आधारित पर्यटन कृषि को सेवा क्षेत्र से जोड़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
- **नीतिगत महत्व:** यह किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि-स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और पारंपरिक खेती से विविधीकरण की पहल के अनुरूप है।

वैज्ञानिक नवाचार: बल्ब प्रोग्रामिंग और फोर्सिंग

- **बल्ब प्रोग्रामिंग तकनीक:** इसमें तापमान, प्रकाश और रोपण समय को नियंत्रित कर पौधों की वृद्धि और फूल आने के समय को निर्धारित किया जाता है।
- **फोर्सिंग विधि:** इसमें पर्यावरणीय और रासायनिक परिस्थितियों में बदलाव कर पौधों को उनके प्राकृतिक मौसमी चक्र से बाहर फूलने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- **बाजार उन्मुख उत्पादन:** इन तकनीकों से उत्पादक क्रिसमस, नववर्ष और वेलेंटाइन डे जैसे उच्च मांग वाले समय में फूल उपलब्ध करा सकते हैं।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** यह तकनीक नीदरलैंड में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है; कश्मीर की कृषि-जलवायु परिस्थितियों में इसका सफल अनुकूलन पहली बार हुआ है।

कश्मीर के पुष्प पर्यटन को बढ़ावा

- **पर्यटन मौसम का विस्तार:** सामान्यतः ट्यूलिप मार्च-अप्रैल में खिलते हैं, लेकिन शीतकालीन फूलन से पर्यटन अवधि बढ़ सकती है और भीड़ का दबाव कम हो सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पिछले वर्ष लगभग 8 लाख पर्यटक आए, जो उच्च पर्यटन क्षमता को दर्शाता है।
- **आकर्षणों का विविधीकरण:** ऑफ-सीजन फूलन से पर्यटन के कम महीनों में भी पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे स्थानीय आय स्थिर होगी।
- **दोहराने योग्य सफलता:** शरद ऋतु में खिलने वाले गुलदाउदी के सफल प्रयोग इस नवाचार की व्यापकता को दर्शाते हैं।

आयात निर्भरता और बल्ब उत्पादन की चुनौती

- **आयात पर निर्भरता:** कश्मीर ट्यूलिप बल्ब के लिए नीदरलैंड पर निर्भर है, जिससे लागत और जोखिम बढ़ते हैं।
- **उत्कृष्टता केंद्र पहल:** SKUAST ने डच दूतावास के सहयोग से गगन (दक्षिण कश्मीर) में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है।
- **स्थानीय उत्पादन में प्रगति:** बल्ब उत्पादन 1 लाख से बढ़कर एक वर्ष में 3-4 लाख हो गया है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति दर्शाता है।
- **रणनीतिक महत्व:** घरेलू उत्पादन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करता है।

अनुसंधान संस्थानों और उद्यमिता की भूमिका

- **विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग:** SKUAST का शोध कृषि विश्वविद्यालयों की नवाचार में भूमिका को दर्शाता है।
- **निजी निवेश की आवश्यकता:** बड़े स्तर पर विस्तार के लिए उद्यमियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी आवश्यक है।
- **कौशल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** किसानों को नियंत्रित वातावरण कृषि में प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
- **अन्य क्षेत्रों के लिए मॉडल:** इसी प्रकार की तकनीक अन्य पर्वतीय राज्यों में अपनाकर हॉर्टी-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

ट्यूलिप का शीतकालीन फूलन विज्ञान, कृषि और पर्यटन के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। बल्ब उत्पादन का विस्तार, निजी निवेश को बढ़ावा और कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करने से कश्मीर को वर्षभर के पुष्प पर्यटन केंद्र में बदला जा सकता है। ऐसे नवाचार जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देते हैं और किसानों की आय तथा क्षेत्रीय विकास में योगदान करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बल्ब प्रोग्रामिंग और फोर्सिंग तकनीक मुख्यतः किससे संबंधित हैं?

- मृदा उर्वरता में वृद्धि
- फसलों का ऑफ-सीजन फूलन
- आनुवंशिक संशोधन
- कीट प्रतिरोध

उत्तर: (b)

डल झील

चर्चा में क्यों: हाल ही में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने ₹416.72 करोड़ की पुनर्वास-आधारित पुनर्स्थापन योजना को स्थगित कर **इन-सीट्ट संरक्षण दृष्टिकोण** अपनाया है, जिसमें निवासियों को झील पारिस्थितिकी का हिस्सा माना गया है।

मुख्य विवरण:

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने ₹416.72 करोड़ (2009) की पुनर्वास-आधारित डल झील पुनर्स्थापन योजना को स्थगित कर दिया।
- पूर्व योजना का लक्ष्य 9,000 परिवारों का पुनर्वास था, लेकिन केवल 1,808 परिवारों का ही पुनर्वास हो सका (केवल 27% लक्ष्य प्राप्त)।
- डल झील गंभीर प्रदूषण, सीवेज प्रवाह, अतिक्रमण, खरपतवार वृद्धि और जैव विविधता हानि का सामना कर रही है।
- नई नीति **इन-सीट्ट संरक्षण** को अपनाती है, जिसमें निवासियों को पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा माना गया है।
- ₹212.38 करोड़ की DPR (5 वर्ष) में STPs, सीवेज उपचार, ड्रेजिंग और जल परिसंचरण बहाली पर ध्यान है।

जम्मू-कश्मीर सरकार का निर्णय

- सरकार ने श्रीनगर स्थित डल झील के लिए ₹416.72 करोड़ की पुनर्स्थापन एवं संरक्षण योजना को स्थगित किया।
- यह निर्णय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक के प्रश्न के उत्तर में घोषित किया गया।
- पूर्व योजना (2009, मनमोहन सिंह सरकार) का उद्देश्य लगभग 9,000 झील निवासियों का पुनर्वास था।
- इसका लक्ष्य था:
 - ✓ झील क्षेत्र में कमी
 - ✓ जल गुणवत्ता में गिरावट
 - ✓ अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह
 - ✓ जनसंख्या दबाव
- अब सरकार ने इन-सीट्ट संरक्षण योजना अपनाई है, जिससे निवासी झील में रह सकेंगे।

डल झील की प्रमुख समस्याएँ

- पिछले चार दशकों में मानवीय दबाव के कारण जल गुणवत्ता में तीव्र गिरावट आई है।
- 2022 के SKUAST अध्ययन में निम्न समस्याएँ सामने आईं:
 - ✓ गंभीर प्रदूषण स्तर
 - ✓ झील और उसके आसपास अतिक्रमण
 - ✓ आक्रामक वनस्पतियाँ और विदेशी प्रजातियाँ
- अनुपचारित सीवेज (बिंदु और गैर-बिंदु स्रोतों से) जल गुणवत्ता को खराब कर रहा है।
- **अन्य कारण:**
 - ✓ वनों की कटाई और चराई
 - ✓ कृषि गतिविधियाँ
 - ✓ जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन
 - ✓ जल प्रवाह में कमी और आंतरिक जल चैनलों का अवरोध
- पोषक तत्वों की अधिकता के कारण:
 - ✓ अत्यधिक खरपतवार वृद्धि
 - ✓ जैव विविधता में परिवर्तन

पूर्व योजना के मुख्य पहलू

- 2009 में ₹416.72 करोड़ की योजना के तहत 9,000 परिवारों को बेमिना (राख-ए-अर्थ कॉलोनी) में स्थानांतरित करना था।
- प्रत्येक परिवार को:
 - ✓ भूमि का प्लॉट
 - ✓ ₹1.05 लाख निर्माण सहायता
 - ✓ ₹3.91 लाख एकमुश्त मुआवजा
- पुनर्वास स्थल:
 - ✓ निम्न-भूमि और बाढ़-प्रवण क्षेत्र
 - ✓ भूमि भराई की आवश्यकता
- धन का बड़ा हिस्सा भूमि भराई में खर्च हुआ, जिससे बुनियादी ढांचे में देरी हुई।
- 17 वर्षों में केवल 1,808 परिवारों का पुनर्वास हुआ।
- योजना ठोस परिणाम देने में विफल रही (केवल 27% लक्ष्य प्राप्त)।

नई प्रस्तावित पहलें

- वर्ष 2022 में उच्च-स्तरीय समिति ने इन-सीटू संरक्षण दृष्टिकोण सुझाव दिया।
- झील निवासियों को पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा माना गया।
- डल झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (LCMA) को व्यापक नीति तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

मुख्य उपाय

- प्राथमिक क्षेत्रों में शेष संरचनाओं का आंशिक पुनर्वास
- 58 बस्तियों की पहचान, जिनमें 6 में दो मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) लगाए जाएंगे

प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत

- डल-निगीन झील प्रणाली के लिए एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया गया

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) - IIT रुड़की द्वारा तैयार DPR में ₹212.38 करोड़ (5 वर्ष) का प्रावधान है:

- 28 आंतरिक बस्तियों में सीवेज समस्या का समाधान

- जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले प्रवाह का उपचार
- आंतरिक चैनलों की ड्रेजिंग
- जल परिसंचरण और नौवहन सुधार
- परियोजना वर्तमान में वित्त विभाग की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा में है।

निष्कर्ष

पूर्व पुनर्वास-आधारित योजना को स्थगित करना डल झील संरक्षण में नीति परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ अब **इन-सीटू संरक्षण** पर जोर है। नई नीति निवासियों को हितधारक के रूप में मान्यता देती है। प्रभावी सीवेज उपचार, पर्यावास पुनर्स्थापन और जल परिसंचरण सुधार आवश्यक होंगे। दीर्घकालिक सफलता संतुलित विकास, निरंतर वित्तपोषण और मजबूत संस्थागत क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डल झील कश्मीर घाटी के श्रीनगर में स्थित है।
2. इसे आसपास के जलग्रहण क्षेत्र से झरनों और प्रवाहों द्वारा जल प्राप्त होता है।
3. यह एक प्राकृतिक निकास के माध्यम से सीधे अरब सागर से जुड़ी है।
4. यह डल-निगीन झील प्रणाली का हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डल झील दशकों से पारिस्थितिक क्षरण का सामना कर रही है। हाल की पुनर्स्थापन योजना को स्थगित करने के कारणों तथा इसके व्यापक पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

मकाक बन्दर

चर्चा में क्यों: हाल ही में, जापान के एक चिड़ियाघर से जुड़ी एक वायरल कहानी, जिसमें एक परित्यक्त शिशु जापानी मकाक ("पंच") का उल्लेख है, ने मकाक समाजों में जटिल सामाजिक पदानुक्रम और भावनात्मक निर्भरता को उजागर किया है।

मकाक के बारे में

- मकाक पुराने विश्व के बंदरों का एक वंश (Genus) है, जो **सेरकोपिथेसिडी (Cercopithecidae)** कुल से संबंधित हैं।
- ये सबसे व्यापक और विविध प्राइमेट समूहों में से एक हैं, जिनकी 20 से अधिक प्रजातियाँ मुख्यतः एशिया और उत्तर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
- ये अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और विभिन्न पारिस्थितिक परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं।

- **जापानी मकाक (Snow Monkey):** यह जापान का मूल निवासी है और ठंडे जलवायु तथा गर्म जलस्रोतों में स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है।
- **रीसस मकाक:** यह उत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है और चिकित्सा एवं जैव-चिकित्सा अनुसंधान में उपयोग किया जाता है।
- **लायन-टेल्ड मकाक:** यह पश्चिमी घाट (भारत) का एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जो अपनी विशिष्ट चाँदी-सफेद अयाल (mane) के लिए जानी जाती है।
- **क्रेस्टेड ब्लैक मकाक:** यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का मूल निवासी है और अपने काले शिखा (crest) तथा अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति के लिए जाना जाता है।

सामाजिक व्यवहार और पदानुक्रम

- मकाक अत्यधिक **सामाजिक/मिलनसार (gregarious)** जीव होते हैं और समूहों (troops) में रहते हैं, जिनमें एक स्पष्ट प्रभुत्व संरचना होती है।

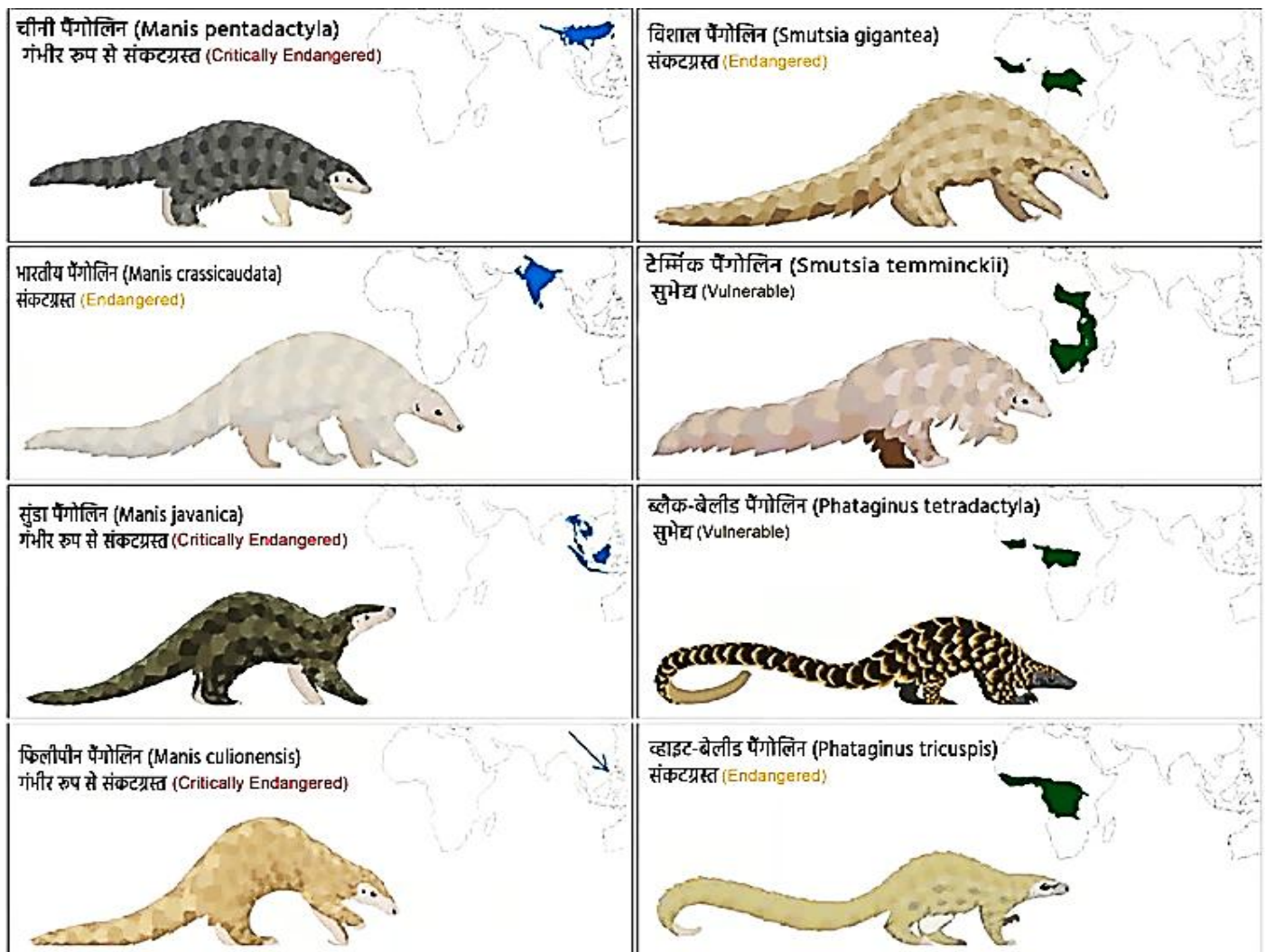
- मादा प्रभुत्व क्रम सामान्यतः **मातृवंशीय** होता है, अर्थात् बेटियों का स्थान उनकी माताओं के निकट होता है। कुछ प्रजातियों (जैसे जापानी मकाक) में "सबसे छोटी बहन नियम" लागू होता है, जिसमें सबसे छोटी बहन का स्थान बड़ी बहनों से ऊपर होता है।
- नर प्रभुत्व क्रम आमतौर पर **गठबंधनों, शारीरिक शक्ति और लड़ने की क्षमता** पर आधारित होता है। नर अक्सर समूहों के बीच प्रवास करते हैं।

पैंगोलिन

चर्चा में क्यों: हाल ही में जारी CITES की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर 5,00,000 से अधिक पैंगोलिन का अवैध शिकार किया गया है।

पैंगोलिन के बारे में

- पैंगोलिन ऐसे स्तनधारी हैं जिनके शरीर पर **केराटिन की शल्क (scales)** होती हैं; यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं।



- ये अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से **चींटियाँ, दीमक और लार्वा** आदि कीट-पतंगे खाते हैं।
- खतरा होने पर ये अपने शरीर को गोल गेंद की तरह समेट लेते हैं (वोल्यूशन), जिससे उनकी कवच जैसी शल्कनुमा उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- इन्हें **“पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर”** माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी के वातन और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- विश्व स्तर पर पैंगोलिन की **आठ मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ** हैं।
- इनमें से **चार प्रजातियाँ अफ्रीका** (ब्लैक-बेलीड, व्हाइट-बेलीड, जाइंट ग्राउंड और टेम्मिन्क्स ग्राउंड पैंगोलिन) में पाई जाती हैं, जबकि **चार प्रजातियाँ एशिया** (भारतीय, फिलीपीन, सुंडा और चीनी पैंगोलिन) में पाई जाती हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जल सुरक्षा एवं माइक्रोप्लास्टिक्स

चर्चा में क्यों: हाल ही में, बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स और रासायनिक रिसाव के बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों ने भारत में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और नियामकीय चिंताएँ पैदा की हैं।

मुख्य विवरण:

- नगरपालिकाओं के जल आपूर्ति तंत्र पर घटते विश्वास के कारण बोतलबंद पानी एक **दैनिक आवश्यकता** बन गया है।
- नागपुर, मुंबई और आंध्र प्रदेश** में किए गए अध्ययनों में परीक्षण किए गए बोतलबंद पानी के ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए।
- प्लास्टिक बोतलें विशेषकर ऊष्मा के संपर्क में आने पर **एंटीमनी** और **फ्थैलेट्स** का रिसाव कर सकती हैं।
- वर्तमान विनियमों में माइक्रोप्लास्टिक्स और दीर्घकालिक रासायनिक संपर्क के लिए **विशिष्ट मानक नहीं हैं**।

बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता:

- विलासिता से आवश्यकता तक परिवर्तन:** बोतलबंद पानी अब कभी-कभार उपयोग से बदलकर शहरी और अर्ध-शहरी भारत में दैनिक उपभोग का हिस्सा बन गया है।
- सार्वजनिक आपूर्ति में घटता विश्वास:** प्रदूषण, कमजोर अवसंरचना और अनियमित जल आपूर्ति जैसी समस्याओं ने नगरपालिका जल प्रणालियों पर भरोसा कम किया है।

- सुरक्षा और स्वच्छता की धारणा:** सीलबंद बोतलों को सुरक्षित और शुद्ध माना जाता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे अदृश्य प्रदूषकों के प्रति जागरूकता सीमित है।
- बाजार का विस्तार:** भारत का बोतलबंद जल उद्योग तेजी से बढ़ा है, जो उपभोक्ता निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायीकरण को दर्शाता है।

उभरती वैज्ञानिक चिंताएँ:

- सूक्ष्मजीवों से आगे प्रदूषण:** पहले चिंता बैक्टीरिया तक सीमित थी, अब माइक्रोप्लास्टिक्स & रासायनिक प्रदूषकों पर ध्यान देना।
- अदृश्य स्वास्थ्य जोखिम:** ये प्रदूषक स्वाद या गंध से पहचाने नहीं जाते, जिससे ये अधिक खतरनाक और नियंत्रित करना कठिन हो जाते हैं।
- वैश्विक वैज्ञानिक सहमति:** अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में पेयजल में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएँ बढ़ी हैं।
- दीर्घकालिक अनिश्चितता:** मानव स्वास्थ्य पर इनके दीर्घकालिक प्रभावों पर पर्याप्त शोध नहीं है, किंतु प्रारंभिक निष्कर्ष संभावित **विषाक्त और हार्मोनल प्रभावों** की ओर संकेत करते हैं।



माइक्रोप्लास्टिक्स: एक अदृश्य प्रदूषक

- परिभाषा और उपस्थिति:** माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो प्लास्टिक के क्षरण और पैकेजिंग प्रक्रियाओं के कारण बोतलबंद पानी में पाए जाते हैं।
- भारत में प्रमाण:** नागपुर के एक अध्ययन में प्रति लीटर 72-212 कण पाए गए, जबकि मुंबई और आंध्र प्रदेश में भी प्रदूषण दर्ज किया गया।
- स्वास्थ्य प्रभाव:** छोटे कण, विशेषकर नैनोप्लास्टिक्स, जैविक अवरोधों को पार कर रक्त प्रवाह & अंगों में प्रवेश कर सकते हैं।
- नियामकीय शून्य:** भारत में पेयजल में माइक्रोप्लास्टिक्स के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है।

- प्रदूषण के स्रोत:** बोतल की सामग्री, ढक्कन, और उत्पादन व भंडारण के दौरान पर्यावरणीय संपर्क।

प्लास्टिक बोतलों से रासायनिक रिसाव:

- विषाक्त रसायनों का उत्सर्जन:** प्लास्टिक से **एंटीमनी** (PET बोतलों में प्रयुक्त) और **फ्थैलेट्स** (प्लास्टिसाइज़र) जल में मिल सकते हैं।
- पर्यावरणीय परिस्थितियों की भूमिका:** ऊष्मा, सूर्यप्रकाश और लंबे समय तक भंडारण से रासायनिक रिसाव बढ़ता है, विशेषकर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।
- स्वास्थ्य जोखिम:** फ्थैलेट्स अंतःस्रावी तंत्र में व्यवधान से जुड़े हैं, जबकि एंटीमनी विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है।

- **परीक्षण की सीमाएँ:** वर्तमान परीक्षण रसायनों का अलग-अलग और अल्पकालिक मूल्यांकन करते हैं, जिससे संचयी और दीर्घकालिक जोखिमों की अनदेखी होती है।

नियामकीय और शासन संबंधी चुनौतियाँ:

- **FSSAI की भूमिका:** बोतलबंद पानी का नियमन **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** के अंतर्गत होता है।
- **माइक्रोप्लास्टिक्स मानकों का अभाव:** वर्तमान नियमों में परीक्षण या सीमा निर्धारण अनिवार्य नहीं है, जिससे नीतिगत शून्यता उत्पन्न होती है।
- **कमजोर प्रवर्तन तंत्र:** विशेषकर छोटे और असंगठित इकाइयों में निगरानी असंगत है।
- **खंडित संस्थागत निगरानी:** पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा विनियमों के बीच समन्वय की कमी से जवाबदेही प्रभावित होती है।

पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध:

- **प्लास्टिक अपशिष्ट संकट:** भारत में बढ़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें बोतलबंद पानी प्रमुख है।
- **माइक्रोप्लास्टिक चक्र:** प्लास्टिक कचरा टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स बनता है, जो मिट्टी, जल स्रोतों और अंततः पेयजल को प्रदूषित करता है।
- **समाज पर दोहरा बोझ:** यह निर्भरता स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय क्षरण दोनों को बढ़ाती है।
- **सतत विकास लक्ष्य:** यह मुद्दा सीधे **SDG 6 (स्वच्छ जल)** और **SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन)** से जुड़ा है।

सुरक्षित और सतत विकल्पों की दिशा में:

- **सार्वजनिक जल प्रणालियों को सुदृढ़ करना:** नगरपालिका जल गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार।
- **घरेलू निस्पंदन:** उचित भंडारण के साथ फिल्ट्रेशन से जोखिम कम किए जा सकते हैं।
- **नियामकीय सुधार:** माइक्रोप्लास्टिक्स, संचयी रासायनिक संपर्क और नियमित परीक्षण के लिए मानक निर्धारित करना।
- **सतत पैकेजिंग को बढ़ावा:** पुनः प्रयोज्य बोतलें और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री।
- **जन-जागरूकता:** नागरिकों को जोखिमों और विकल्पों के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष:

भारत में बोतलबंद पानी अब पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता। माइक्रोप्लास्टिक्स, रासायनिक रिसाव और नियामकीय कमियों के बढ़ते प्रमाण सुधार की आवश्यकता दर्शाते हैं। सार्वजनिक जल प्रणालियों को सुदृढ़ करना, सुरक्षा मानकों को अद्यतन करना, प्रवर्तन में सुधार करना और सतत विकल्पों को बढ़ावा देना **जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता** सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: माइक्रोप्लास्टिक्स को प्लास्टिक कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है:

- (a) 5 मिमी से बड़े
- (b) 5 मिमी से छोटे

- (c) केवल नग्न आँख से दिखाई देने वाले
- (d) केवल महासागरों में पाए जाने वाले

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में बोतलबंद पानी की बढ़ती खपत से उत्पन्न नियामकीय और पर्यावरणीय चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोजगार संक्रमण

चर्चा में क्यों: भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के उपयोग को व्यापक रोजगार सृजन और समावेशी विकास के साथ संतुलित करने की तात्कालिक आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

मुख्य विवरण:

- यह शिखर सम्मेलन **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा आयोजित किया गया, जिसका केंद्र एआई युग में नौकरियों का भविष्य था।
- विशेषज्ञों ने नियमित कौशलों के बजाय **रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और आजीवन अधिगम** पर जोर दिया।
- भारत बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से **उत्तरदायी और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र** बनाने का लक्ष्य रखता है।
- एआई पर वैश्विक बहस अब केवल अपनाने से हटकर **जवाबदेही और शासन** की ओर बढ़ रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवधारणा एवं महत्व

- **परिभाषा और दायरा:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन मशीनों को संदर्भित करती है जो सीखना, तर्क करना और निर्णय लेना जैसे मानव-बुद्धि संबंधी कार्य करती हैं; इससे स्वास्थ्य, शासन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा है।
- **आर्थिक वृद्धि का प्रेरक:** एआई उत्पादकता वृद्धि, स्वचालन और नवाचार के माध्यम से GDP में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे **डिजिटल अर्थव्यवस्था** का विस्तार होगा।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण:** एआई, बिग डेटा, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर **चौथी औद्योगिक क्रांति** को गति दे रहा है।
- **वैश्विक सामरिक महत्व:** देश आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व के लिए एआई क्षमताओं में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एवं नीतिगत दृष्टि

- **वैश्विक नेतृत्व:** भारत ने अपना पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित कर **समावेशी और उत्तरदायी एआई शासन** में नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया।
- **तीन स्तंभ:** पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस — मानव-केंद्रित एआई, स्थिरता और नवाचार-आधारित विकास पर जोर।
- **टीम इंडिया दृष्टिकोण:** सरकार, उद्योग, शिक्षाविद् और समाज के बीच सहयोग पर बल।
- **राष्ट्रीय पहलों के साथ सामंजस्य:** इंडिया एआई मिशन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के साथ समन्वय।

रोजगार संरचना पर एआई का प्रभाव

- **नियमित कार्यों का स्वचालन:** BPO, लिपिकीय कार्य और विनिर्माण क्षेत्र में एआई दोहराए जाने वाले कार्यों को प्रतिस्थापित कर रहा है, जिससे कम-कौशल नौकरियों में कमी आ रही है।
- **मध्यम-कौशल नौकरियों में गिरावट:** पारंपरिक मध्यम आय वाली नौकरियाँ घट रही हैं, जिससे श्रम बाजार में "खोखलापन" उत्पन्न हो रहा है।
- **आईटी क्षेत्र का रूपांतरण:** एआई अब कोडिंग, परीक्षण और समर्थन कार्य संभाल रहा है, जिससे आईटी और आउटसोर्सिंग उद्योग में कार्यबल पुनर्गठन हो रहा है।
- **परिवर्तन का पैमाना:** अनुमान है कि 2030 तक भारत के लगभग 38% कार्यबल को कौशल परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

एआई अर्थव्यवस्था में उभरते अवसर

- **नई नौकरियों का सृजन:** एआई/एमएल इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ रही है।
- **उच्च विकास संभावनाएँ:** 2027 तक लगभग 47 लाख एआई-संबंधित नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है।
- **उच्च उत्पादकता और वेतन:** एआई-आधारित नौकरियाँ बेहतर वेतन और उच्च उत्पादकता प्रदान करती हैं।
- **उद्यमिता और स्टार्टअप:** स्वास्थ्य, कृषि और गतिशीलता क्षेत्रों में नवाचार आधारित रोजगार का विस्तार।



बदलती कौशल आवश्यकताएँ

- **डिग्री से कौशल की ओर बदलाव:** नियोजित पारंपरिक योग्यता के बजाय व्यावहारिक कौशल, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन का महत्व:** ये कौशल एआई द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते।
- **आजीवन अधिगम का महत्व:** तेजी से बदलती तकनीक के साथ निरंतर कौशल उन्नयन आवश्यक है।
- **डिजिटल और एआई साक्षरता:** सभी पेशों के लिए बुनियादी डिजिटल समझ आवश्यक होती जा रही है।

शासन एवं सामाजिक क्षेत्रों में एआई

- **स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन:** एआई निदान, टेलीमेडिसिन और निवारक देखभाल में सुधार करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लगभग 1834 डॉक्टर प्रति लाख की कमी है।

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** आधार और UPI जैसे प्लेटफॉर्म शासन और सेवा वितरण में एआई के उपयोग को सक्षम बनाते हैं।
- **कृषि और ग्रामीण विकास:** फसल पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान और सटीक कृषि से उत्पादकता बढ़ती है।
- **स्मार्ट अवसंरचना और गतिशीलता:** एआई आधारित यातायात प्रणाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक है (प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख मृत्यु)।

नैतिक, शासन एवं जवाबदेही से जुड़ी चिंताएँ

- **डेटा गोपनीयता और स्वामित्व:** डेटा के उपयोग और स्वामित्व को लेकर प्रश्न बढ़ रहे हैं।
- **पूर्वाग्रह और सटीकता:** एआई मॉडल पक्षपाती या गलत परिणाम दे सकते हैं।

- **डिजिटल विभाजन:** असमान तकनीकी पहुंच सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती है।
- **जवाबदेही की ओर बदलाव:** वैश्विक स्तर पर एआई के नियमन, लेखापरीक्षण और नैतिक शासन पर जोर बढ़ रहा है।

कौशल विकास हेतु सरकारी पहलें

- **फ्यूचर स्किल्स प्राइम:** MeitY और NASSCOM का कार्यक्रम, उभरती तकनीकों में कौशल विकास हेतु।
- **स्किल इंडिया मिशन:** व्यावसायिक प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने का प्रयास।
- **SOAR पहल:** विद्यालय स्तर पर एआई जागरूकता को बढ़ावा।
- **उद्योग सहयोग:** IBM, Microsoft और AWS जैसी कंपनियों के साथ प्रशिक्षण और इंटरशिप कार्यक्रम।

निष्कर्ष:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। जहां यह पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकती है, वहीं यह उच्च-कौशल रोजगार और नवाचार के नए मार्ग भी खोलती है। **कौशल विकास, उत्तरदायी एआई शासन और समावेशी डिजिटल अवसंरचना** पर ध्यान केंद्रित कर भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह नियमित नौकरियों की मांग को कम कर सकता है।
 2. यह उच्च-कौशल रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।
 3. इसका कौशल आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत में रोजगार के स्वरूप को बदल रही है।" एआई-प्रेरित श्रम बाजार परिवर्तनों से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का परीक्षण कीजिए। (GS पेपर III)

कैंसर के संकेत पहचान हेतु एआई-संचालित उपकरण

चर्चा में क्यों: आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए किफायती, एआई-संचालित निदान उपकरण प्रस्तुत किए।

मुख्य विवरण:

- आईआईटी शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर, मुख कैंसर, नेत्र रोगों और श्वास-आधारित निदान के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं।
- ये उपकरण **प्रारंभिक पहचान, सटीकता और पहुंच** में सुधार करते हैं, विशेषकर संसाधन-सीमित क्षेत्रों में।
- **MammoX** और एआई-सक्षम श्वास विश्लेषक जैसे उपकरण **गैर-आक्रामक और किफायती** हैं।

- ये नवाचार भारत के **एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन** को समर्थन देते हैं।

स्वास्थ्य सेवा में एआई: एक उभरता परिवर्तनकारी उपकरण

- **निदान में सुधार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा डेटा में पैटर्न पहचानकर रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान संभव बनाती है, जिससे प्रारंभिक कैंसर पहचान दर में उल्लेखनीय सुधार होता है।
- **मानवीय त्रुटि में कमी:** एआई सिस्टम असामान्यताओं को चिन्हित कर चिकित्सकों की सहायता करते हैं, जिससे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में त्रुटियाँ कम होती हैं।
- **स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करना:** भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी है; एआई उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग देकर शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करते हैं।
- **डिजिटल हेल्थ मिशन का समर्थन:** एआई-आधारित निदान **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** जैसी पहलों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

MammoX: एआई-आधारित स्तन कैंसर स्क्रीनिंग

- **मिस्ट डायग्नोसिस का समाधान:** भारत में लगभग **20% स्तन कैंसर मामलों** की पहचान छूट जाती है। MammoX मैमोग्राफी स्कैन का विश्लेषण कर संदिग्ध क्षेत्रों को चिन्हित करता है।
- **जोखिम वर्गीकरण:** यह प्लेटफॉर्म मरीजों को उच्च-जोखिम और निम्न-जोखिम श्रेणियों में विभाजित करता है, जिससे उपचार प्राथमिकता तय करने में सहायता मिलती है।
- **अस्पताल प्रणालियों के साथ एकीकरण:** MammoX, **PACS (पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम)** से डेटा प्राप्त कर अस्पताल कार्यप्रवाह में सहज एकीकरण सुनिश्चित करता है।
- **सहयोगात्मक सत्यापन:** इस उपकरण का परीक्षण **मैक्स अस्पताल, साकेत** जैसे संस्थानों के साथ किया जा रहा है।

एआई-सक्षम श्वास विश्लेषक: गैर-आक्रामक निदान

- **VOC पहचान का सिद्धांत:** मानव श्वास में **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)** जैसे अमोनिया, एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, जो रोग का संकेत दे सकते हैं।
- **हैंडहेल्ड और किफायती डिजाइन:** आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित यह उपकरण उपयोगकर्ता-अनुकूल और बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त है।
- **समय-श्रृंखला सिग्नल प्रोसेसिंग:** एल्गोरिद्म श्वास संकेतों का विश्लेषण कर गैसों की सांद्रता का अनुमान लगाते हैं, जिससे बिना रक्त परीक्षण या इमेजिंग के रोग की पहचान संभव होती है।
- **बहु-रोग उपयोगिता:** कैंसर के अलावा यह उपकरण चयापचय विकार, फेफड़ों के रोग और संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग में भी उपयोगी है।

संसाधन-सीमित क्षेत्रों में पहुंच में सुधार

- **ग्रामीण स्वास्थ्य अंतर को पाटना:** किफायती एआई उपकरण जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपयोग किए जा सकते हैं।
- **लागत-प्रभावशीलता:** गैर-आक्रामक उपकरण महंगे परीक्षणों पर निर्भरता कम कर मरीजों का खर्च घटाते हैं।

- **जन-स्तरीय स्क्रीनिंग की क्षमता:** पोर्टेबल उपकरण बड़े पैमाने पर कैंसर जांच कार्यक्रमों को सक्षम बनाते हैं।
- **निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा:** प्रारंभिक पहचान उपचार के बोझ को कम कर रोकथाम आधारित प्रणाली को मजबूत करती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** बड़े डेटा सेट के उपयोग से मरीज की सहमति, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **एल्गोरिदमिक पक्षपात:** सीमित डेटा पर प्रशिक्षित मॉडल पक्षपाती या गलत परिणाम दे सकते हैं।
- **नियामकीय स्वीकृति:** CDSCO जैसे संस्थानों से स्वीकृति आवश्यक होती है, जिससे तैनाती में विलंब हो सकता है।
- **चिकित्सक-एआई एकीकरण:** एआई को चिकित्सकीय निर्णय का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक उपकरण के रूप में उपयोग करना आवश्यक है।

भारत के स्वास्थ्य और नवाचार इकोसिस्टम के लिए प्रासंगिकता

- **मेडटेक नवाचार को बढ़ावा:** एआई नवाचार भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं और **मेक इन इंडिया** पहल को समर्थन देते हैं।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ सामंजस्य:** ये उपकरण गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बोझ को कम करने में सहायक हैं, जो भारत में 60% से अधिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** किफायती एआई निदान उपकरण वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- **अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा:** इंजीनियरिंग संस्थानों और अस्पतालों के बीच सहयोग अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है।

निष्कर्ष

आईआईटी द्वारा विकसित एआई-आधारित निदान उपकरण सुलभ, किफायती और सटीक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इनके व्यापक उपयोग के लिए **नियामकीय स्पष्टता, डेटा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण** आवश्यक है। जिम्मेदार उपयोग के साथ, एआई भारत में निवारक और सटीक स्वास्थ्य सेवा का आधार बन सकता है।

3डी फेफड़ा मॉडल और भारत का टीबी से संघर्ष

चर्चा में क्यों: हाल ही में, आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने 3डी फेफड़ा उतक मॉडल विकसित किया है, जो टीबी दवाओं के परीक्षण में महत्वपूर्ण सुधार करता है और भारत के टीबी उन्मूलन प्रयासों को नई दिशा देता है।

मुख्य विवरण:

- आईआईएससी वैज्ञानिकों ने **3डी कोलेजन-आधारित फेफड़ा मॉडल** विकसित किया, जो मानव फेफड़ों के सूक्ष्म परिवेश की नकल करता है।
- यह मॉडल **वसा-युक्त प्रतिरक्षा कोशिकाओं और बैक्टीरियल क्लस्टर** जैसी यथार्थ विशेषताएँ दर्शाता है।

- इसने सफलतापूर्वक **पाइराजिनामाइड** दवा की प्रभावशीलता प्रदर्शित की, जिसे पूर्व प्रयोगशाला मॉडल सही ढंग से नहीं दिखा पाए थे।
- इस शोध को **इंडिया अलायंस (DBT-Wellcome Trust साझेदारी)** द्वारा वित्तपोषित किया गया।

भारत में तपेदिक (टीबी) का बोझ:

- **उच्च रोग भार:** भारत में प्रति वर्ष लगभग **25-30 लाख टीबी मामले** दर्ज होते हैं, जिससे यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।
- **दवा-प्रतिरोधी टीबी:** भारत MDR-TB और RR-TB के मामलों में शीर्ष देशों में शामिल है, जिससे उपचार जटिल और मृत्यु जोखिम बढ़ता है।
- **आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव:** टीबी कार्यशील आयु वर्ग को अधिक प्रभावित करती है, जिससे उत्पादकता हानि और स्वास्थ्य व्यय बढ़ता है।
- **राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** **राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)** के तहत भारत ने 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान टीबी दवा परीक्षण मॉडलों की सीमाएँ:

- **प्लवक जीवाणु संवर्धन:** मुक्त तैरते बैक्टीरिया पर आधारित परीक्षण मानव फेफड़ों की जटिल अंतःक्रियाओं को नहीं दर्शाते।
- **2D सेल कल्चर मॉडल:** ये फेफड़ों के उतक की संरचनात्मक और यांत्रिक जटिलता को प्रतिबिंबित नहीं करते।
- **पशु मॉडल:** चूहों जैसे मॉडल मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को पूरी तरह नहीं दर्शाते, जिससे नैतिक और वैज्ञानिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **नियामकीय बदलाव:** FDA Modernization Act 3.0 (अमेरिका) और भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल नियम वैकल्पिक परीक्षण विधियों को बढ़ावा देते हैं।

आईआईएससी द्वारा विकसित 3डी फेफड़ा मॉडल का महत्व:

- **यथार्थ सूक्ष्म परिवेश:** कोलेजन हाइड्रोजेल मानव फेफड़ों जैसी जैव-रासायनिक और यांत्रिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
- **रोग का बेहतर प्रतिनिधित्व:** यह मॉडल वसा-युक्त प्रतिरक्षा कोशिकाओं और बैक्टीरियल क्लस्टर को पुनः निर्मित करता है।
- **सटीक दवा प्रतिक्रिया:** पाइराजिनामाइड की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो पुराने मॉडलों में संभव नहीं था।
- **विस्तारणीय और मॉड्यूलर डिजाइन:** इसे आसानी से दोहराया और बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

दवा-प्रतिरोधी टीबी अनुसंधान में प्रासंगिकता:

- **MDR/XDR-TB परीक्षण:** यह मॉडल दवा-प्रतिरोधी टीबी के लिए नई दवा संयोजनों की पहचान में सहायक हो सकता है।
- **ट्रैनुलोमा की समझ:** शोधकर्ता टीबी ट्रैनुलोमा की संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो दवा की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
- **तेज दवा विकास:** विश्वसनीय प्रीक्लिनिकल परीक्षण समय और लागत को कम कर सकते हैं।
- **स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा:** यह नवाचार भारत की बायोमेडिकल अनुसंधान क्षमता को दर्शाता है।

नीति, नवाचार और सतत विकास लक्ष्यों से संबंध:

- **स्वास्थ्य एवं SDG:** यह SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को समर्थन देता है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमता को मजबूत करता है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** DBT-Wellcome Trust साझेदारी अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाती है।
- **नैतिक अनुसंधान:** पशु परीक्षण पर निर्भरता कम कर नैतिक मानकों को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

आईआईएससी का 3डी फेफड़ा मॉडल टीबी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो प्रयोगशाला परीक्षण और वास्तविक मानव रोग स्थितियों के बीच की दूरी को कम करता है। यह दवा-प्रतिरोधी टीबी के सटीक परीक्षण को संभव बनाकर भारत के टीबी उन्मूलन प्रयासों को सुदृढ़ करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नियामकीय सुधारों के साथ इसका एकीकरण टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति को तेज कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा विकसित 3डी फेफड़ा मॉडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

1. मानव फेफड़ों के सूक्ष्म परिवेश की सटीक नकल करता है।
2. पाइराजिनामाइड जैसी दवाओं की प्रभावशीलता परीक्षण में सहायता करता है।
3. दवा-प्रतिरोधी टीबी पर शोध में सहायक हो सकता है।
4. वैश्विक स्तर पर पशु परीक्षण के विकल्पों को बढ़ावा देता है।

सही विकल्प चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं टीकाकरण

चर्चा में क्यों: भारत ने किशोरियों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बोझ को कम करने और निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए देशव्यापी एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

मुख्य विवरण:

- भारत ने **14-वर्षीय बालिकाओं** को लक्षित करते हुए **एकल-खुराक (single-dose)** एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जैसा कि WHO द्वारा अनुशंसित है।
- टीकाकरण **निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों** में प्रशिक्षित स्टाफ और **AEFI (टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं)** की निगरानी के साथ किया जाएगा।
- **HPV प्रकार 16 और 18** भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लगभग **80% मामलों** के लिए जिम्मेदार हैं।
- वर्ष **2022** में भारत में **1,27,526** मामले और **79,906** मृत्यु दर्ज की गईं, जबकि स्क्रीनिंग कवरेज केवल **1.9%** है।

एचपीवी टीकाकरण का सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व

- **निवारक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण:** यह पहल उपचार-आधारित प्रणाली से हटकर **रोकथाम-आधारित स्वास्थ्य सेवा** की ओर बदलाव को दर्शाती है।
- **मृत्यु और रोगभार में कमी:** गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भारत में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है; टीकाकरण से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- **लागत-प्रभावशीलता:** टीकाकरण दीर्घकालिक उपचार की तुलना में अधिक किफायती है, जिससे स्वास्थ्य व्यय कम होता है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुदृढ़ करना:** यह कार्यक्रम **UHC** के लक्ष्य के अनुरूप है और जीवनरक्षक सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

वैज्ञानिक आधार और निवारक महत्व

- **एचपीवी का मुख्य कारण:** लगभग सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर मामले **उच्च-जोखिम एचपीवी संक्रमण** (विशेषकर प्रकार 16 और 18) के कारण होते हैं।
- **उच्च-जोखिम स्टेन कवरेज:** ये दोनों प्रकार भारत में 80% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और टीकाकरण द्वारा प्रभावी रूप से लक्षित किए जाते हैं।
- **वैश्विक प्रमाण:** 90 से अधिक देशों ने एचपीवी टीकाकरण अपनाया है, जिससे संक्रमण दर और कैंसर में कमी देखी गई है।
- **सरल खुराक रणनीति:** WHO की **एकल-खुराक** सिफारिश से पहुंच और अनुपालन में सुधार होता है।

भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का बोझ

- **उच्च रोग भार:** दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में लगभग **65% मामलों** में भारत का योगदान है।
- **चिंताजनक मृत्यु दर:** 2022 में **79,906 मृत्यु** जो देर से पहचान और अपर्याप्त रोकथाम को दर्शाती है।
- **कम स्क्रीनिंग कवरेज:** केवल **1.9% महिलाओं (30-49 वर्ष)** की स्क्रीनिंग हुई है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** यह रोग विशेष रूप से **ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं** को प्रभावित करता है।

क्रियान्वयन रणनीति और सुरक्षा तंत्र

- **संस्थागत वितरण ढांचा:** टीकाकरण केवल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा।
- **प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी:** प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों द्वारा सुरक्षित प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा।
- **AEFI निगरानी प्रणाली:** प्रतिकूल घटनाओं की त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया के लिए मजबूत तंत्र।
- **कोल्ड चेन प्रबंधन:** तापमान-नियंत्रित भंडारण और परिवहन से टीके की प्रभावशीलता बनाए रखना।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **ऐतिहासिक विवाद और विश्वास की कमी:** पूर्व परीक्षणों से जुड़ी घटनाओं ने सार्वजनिक संदेह को बढ़ाया है।
- **टीका हिचकिचाहट:** वैश्विक स्तर पर टीका विरोधी भावनाओं का प्रभाव।
- **भ्रामक जानकारी और जागरूकता की कमी:** गलत सूचना और कम जागरूकता स्वीकृति में बाधा डालती है।

- **शहरी-ग्रामीण विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और जानकारी की कमी से असमानता बढ़ती है।

शासन और नीतिगत आयाम

- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** WHO दिशानिर्देशों पर आधारित नीति विश्वसनीयता बढ़ाती है।
- **अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच सहयोग आवश्यक है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय:** यह मौजूदा टीकाकरण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करता है।
- **लैंगिक दृष्टिकोण:** किशोरियों को लक्षित कर महिला स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करता है।

आगे की राह

- **शासन और समन्वय को मजबूत करना:** विभिन्न स्तरों पर समन्वित तंत्र स्थापित करना।
- **प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी:** डिजिटल प्लेटफॉर्म से टीकाकरण ट्रैकिंग और पारदर्शिता बढ़ाना।
- **कड़े प्रवर्तन उपाय:** गलत सूचना और अवैध प्रथाओं पर नियंत्रण।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को शामिल कर जागरूकता बढ़ाना।
- **जागरूकता और शिक्षा:** टीकाकरण के लाभों पर व्यापक अभियान चलाना।

निष्कर्ष:

भारत का एचपीवी टीकाकरण अभियान गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता पारदर्शी क्रियान्वयन, मजबूत सुरक्षा तंत्र, प्रभावी कोल्ड चेन, और जन-जागरूकता पर निर्भर करेगी। यह पहल न केवल जीवन बचाएगी, बल्कि समावेशी और वैज्ञानिक सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन को भी सुदृढ़ करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) मुख्यतः किससे संबंधित है?

- (a) फेफड़ों का कैंसर
- (b) गर्भाशय ग्रीवा कैंसर
- (c) यकृत कैंसर
- (d) स्तन कैंसर

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक चुनौतियों और उपायों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

हिमशीतित भ्रूण का दान (फ्रोजेन एम्ब्रीओ डोनेशन)

चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है जो प्रजनन उपयोग हेतु अतिरिक्त हिमशीतित भ्रूणों के दान पर प्रतिबंध लगाते हैं।

मुख्य विवरण:

- याचिका में दाता और प्राप्तकर्ता दंपतियों की सहमति के बावजूद जीवित हिमशीतित भ्रूणों को अनिवार्य रूप से नष्ट करने के प्रावधान को चुनौती दी गई है।
- ART अधिनियम, 2021 प्रजनन उद्देश्यों के लिए शुक्राणु और अंडाणु दान की अनुमति देता है, लेकिन भ्रूण दान को प्रतिबंधित करता है।
- भारत में 2-3 करोड़ दंपति बांझपन से प्रभावित हैं, जिससे IVF और ART एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन जाता है।
- याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए मनमानी और निर्णयात्मक स्वायत्तता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART): अवधारणा और विकास

- **अर्थ:** ART में IVF, ICSI और गैमीट दान जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो तब गर्भधारण में सहायता करती हैं जब प्राकृतिक रूप से गर्भधारण संभव न हो।
- **भारत में विस्तार:** बांझपन, विलंबित विवाह, जीवनशैली संबंधी रोग और चिकित्सा पर्यटन के कारण ART एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- **नैतिक और नियामकीय आवश्यकता:** पहले विनियमन के अभाव में शोषण और अनियमित व्यावसायीकरण हुआ, जिससे कानूनी नियंत्रण आवश्यक हुआ।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ:** यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कठोर नैतिक और सहमति-आधारित ढाँचे के तहत भ्रूण दान की अनुमति है।

ART (विनियमन) अधिनियम, 2021: प्रमुख प्रावधान

- **क्लीनिक और बैंक का विनियमन:** ART क्लीनिक और गैमीट बैंक का पंजीकरण, मानकीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- **अनुमेय दान:** परोपकारी (Altruistic) आधार पर शुक्राणु और अंडाणु दान की अनुमति है, जिसमें "डबल डोनर IVF" भी शामिल है।
- **भ्रूण भंडारण नियम:** भ्रूणों को 10 वर्षों तक क्रायोप्रेजर्व किया जा सकता है, उसके बाद उन्हें नष्ट करना या अनुसंधान हेतु उपयोग करना होता है।
- **भ्रूण दान पर प्रतिबंध:** क्लीनिकों को हिमशीतित भ्रूणों को किसी अन्य दंपति को प्रजनन हेतु स्थानांतरित करने से रोका गया है, भले ही सूचित सहमति हो।

जमे हुए भ्रूण (फ्रोजेन एम्ब्रीओ) और IVF: चिकित्सीय दृष्टिकोण

- **अधिशेष भ्रूण का निर्माण:** IVF चक्र में सफलता दर बढ़ाने हेतु कई भ्रूण बनाए जाते हैं; सभी का प्रत्यारोपण नहीं होता।
- **चिकित्सीय समानता:** जमे हुए भ्रूण, पिघलने के बाद, जैविक रूप से ताजे भ्रूण के समान होते हैं और विश्वभर में उपयोग किए जाते हैं।
- **लागत और उपलब्धता:** IVF महंगा है; भ्रूण दान बांझ दंपतियों के लिए किफायती विकल्प हो सकता है।
- **वर्तमान कानूनी बाधा:** चिकित्सा रूप से संभव होने के बावजूद, भारतीय कानून जमे हुए भ्रूणों को प्रजनन उपयोग हेतु स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देता।

पीआईएल से जुड़े संवैधानिक मुद्दे

- **अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार:** तर्क है कि ताजे दाता भ्रूण की अनुमति और हिमशीतित भ्रूण दान (फ्रोजेन एम्ब्रीओ डोनेशन) पर प्रतिबंध **मनमाना वर्गीकरण** है।
- **अनुच्छेद 21 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** प्रजनन विकल्प और मातृत्व/पितृत्व के निर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता के अंतर्गत आते हैं।
- **दोहरा मानदंड तर्क:** ताजे IVF भ्रूण स्वीकार्य हैं, जबकि जमे हुए भ्रूणों को अस्वीकार करना असंगत है।
- **न्यायिक परीक्षण:** दिल्ली उच्च न्यायालय यह जांच कर रहा है कि यह भेदभाव संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं।



राज्य विनियमन बनाम व्यक्तिगत स्वायत्तता

- **विनियमन का औचित्य:** राज्य व्यावसायीकरण और नैतिक उल्लंघनों को रोकना चाहता है।
- **अतिरिक्त हस्तक्षेप की सीमा:** अत्यधिक प्रतिबंध प्रजनन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा को प्रभावित कर सकते हैं।
- **संतुलन परीक्षण:** यह मुद्दा **राज्य हित, नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता** के बीच संतुलन का प्रश्न है।
- **न्यायपालिका की भूमिका:** जब कानून तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों से पीछे रह जाते हैं, तब न्यायालय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

जमे हुए भ्रूण दान पर बहस तकनीकी प्रगति और नियामकीय रूढ़िवादिता के बीच तनाव को दर्शाती है। एक संतुलित नीतिगत ढाँचा, जो नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ प्रजनन अधिकारों का सम्मान करे, आवश्यक है। संवैधानिक मूल्यों, चिकित्सा विज्ञान और सामाजिक समानता के आधार पर विकसित नीति यह सुनिश्चित करेगी कि ART प्रणाली **मानवीय, तर्कसंगत और समावेशी** बनी रहे।

मोटापा एक दीर्घकालिक रोग के रूप में

चर्चा में क्यों: हाल के बहु-केंद्रित भारतीय अध्ययन ने सुझाव दिया है कि मोटापे को **दीर्घकालिक रोग** के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और 2050 तक इसके प्रसार में तेज वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है।

नैतिक और सामाजिक आयाम

- **भ्रूण नष्ट करने का मुद्दा:** उपयोग योग्य भ्रूणों को नष्ट करना जीवन की संभावनाओं की बर्बादी से जुड़ी नैतिक चिंता उठाता है।
- **बांझपन एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या:** लाखों प्रभावित दंपतियों के लिए भ्रूण दान एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।
- **समानता संबंधी चिंता:** समृद्ध दंपति विदेश में विकल्प तलाश सकते हैं, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं।
- **सहमति-आधारित नैतिकता:** दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की स्वेच्छिक और सूचित सहमति आवश्यक है।

मुख्य विवरण:

- एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत में **17.4% महिलाएँ** और **12.1% पुरुष** मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं।
- **बाल्यावस्था मोटापा** 1990 से 2022 के बीच तेजी से बढ़ा है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं।
- विशेषज्ञ मोटापे को केवल जीवनशैली का परिणाम नहीं, बल्कि **जटिल जैविक तंत्रों** से जुड़ा मानते हैं।
- अध्ययन **नीति-स्तरीय हस्तक्षेपों** और मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल देता है।

मोटापा एक दीर्घकालिक रोग के रूप में

- **चिकित्सीय मान्यता:** मोटापा अब एक दीर्घकालिक रोग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें असामान्य **चयापचय और हार्मोनल प्रक्रियाएँ** शामिल होती हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक प्रबंधन आवश्यक है।
- **WHO वर्गीकरण:** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में **अंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD)** में मोटापे को शामिल किया।
- **जीवनशैली से परे:** मोटापा केवल अधिक खाने का परिणाम नहीं है; इसमें **आनुवंशिक, न्यूरोबायोलॉजिकल, चयापचय और पर्यावरणीय कारक** शामिल होते हैं।
- **दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता:** अन्य असंचारी रोगों की तरह इसमें निरंतर निगरानी, व्यवहारिक उपचार और कभी-कभी औषधीय उपचार की आवश्यकता होती है।

भारत में मोटापे का बढ़ता बोझ

- **अनुमानित प्रसार:** 2050 तक लगभग हर छह में एक महिला और हर आठ में एक पुरुष मोटापे से ग्रस्त हो सकता है।
- **बाल्यावस्था मोटापा:** 5–19 वर्ष के बच्चों में प्रसार 1990 में 0.1–0.2% से बढ़कर 2022 में 3% हो गया, यानी लगभग **1.25 करोड़ बच्चे** प्रभावित हैं।
- **लैंगिक आयाम:** महिलाओं में मोटापा लगभग **10% अधिक** पाया जाता है।
- **भारतीय फेनोटाइप जोखिम:** “थिन-फैट फेनोटाइप” के कारण सामान्य BMI वाले लोगों में भी अधिक वसा और स्वास्थ्य जोखिम पाया जाता है।

जैविक और स्वास्थ्य प्रभाव

- **चयापचय असंतुलन:** वसा कोशिकाओं का बढ़ना दीर्घकालिक सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न करता है।
- **कैंसर से संबंध:** अग्न्याशय और मूत्राशय कैंसर में लगभग **30% वृद्धि**; महिलाओं में स्तन & गर्भाशय कैंसर का जोखिम बढ़ता है।
- **बहु-प्रणाली प्रभाव:** मोटापा **फैटी लिवर, डिस्टिपिडेमिया, स्लीप एपनिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस** से जुड़ा है।
- **आर्थिक बोझ:** मोटापा-संबंधी स्वास्थ्य व्यय 2060 तक **17 गुना** बढ़ सकता है।

मोटापा महामारी के प्रमुख कारण

- **निष्क्रिय जीवनशैली:** अधिक स्क्रीन समय, कम शारीरिक गतिविधि, और शहरी जीवनशैली।
- **आनंद-आधारित भोजन और भावनात्मक खान-पान:** तनाव, अवसाद और खाद्य संकेतों से प्रेरित अत्यधिक भोजन।
- **खाद्य परिवेश में बदलाव:** फूड डिलीवरी ऐप्स, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और उच्च कैलोरी आहार का बढ़ता उपयोग।
- **नींद और तनाव:** नींद की कमी और तनाव हार्मोनल असंतुलन (ग्रेलिन और लेप्टिन) उत्पन्न करते हैं।

नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अंतराल

- **मानकीकृत दिशानिर्देशों की कमी:** मोटापा स्क्रीनिंग और उपचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान प्रोटोकॉल का अभाव।
- **सीमित संस्थागत ध्यान:** मधुमेह या टीबी की तरह कोई समर्पित राष्ट्रीय मिशन नहीं।
- **बीमा और उपचार बाधाएँ:** परामर्श और चिकित्सा उपचार का बीमा कवरेज सीमित है।
- **स्कूल-स्तरीय रोकथाम की कमी:** पोषण और शारीरिक गतिविधि कार्यक्रम राज्यों में असमान हैं।

सरकारी पहलें और मौजूदा ढाँचा

- **NPCDCS कार्यक्रम:** कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम में मोटापे को जोखिम कारक माना गया है।
- **फिट इंडिया मूवमेंट:** शारीरिक गतिविधि और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
- **ईट राइट इंडिया अभियान:** स्वस्थ आहार, फूड लेबलिंग और ट्रांस-फैट में कमी पर जोर।
- **पोषण अभियान:** कुपोषण के साथ-साथ मोटापे के दोहरे बोझ को भी संबोधित करता है।

निष्कर्ष:

भारत तीव्र पोषण और जीवनशैली परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो मोटापा महामारी को बढ़ा रहा है। मोटापे को दीर्घकालिक रोग के रूप में मान्यता देने से प्रारंभिक पहचान, बेहतर उपचार और स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया मजबूत होगी। एक समग्र रणनीति जिसमें मानकीकृत दिशानिर्देश, स्कूल-आधारित रोकथाम, खाद्य नियमन और बीमा कवरेज शामिल हों, आवश्यक है। आज मोटापे से निपटना भविष्य में असंचारी रोगों के बढ़ते बोझ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मोटापे को दीर्घकालिक रोग के रूप में वर्गीकृत करने का सर्वोत्तम कारण क्या है?

- (a) यह संक्रमण के माध्यम से फैलता है
- (b) इसमें दीर्घकालिक चयापचय असंतुलन शामिल होता है
- (c) यह केवल जीवनशैली विकल्पों को प्रभावित करता है
- (d) यह हमेशा आनुवंशिक होता है

उत्तर: (b)

जीनोम एडिटिंग ट्रीटमेंट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, Nature में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने एक नई जीनोम एडिटिंग ट्रीटमेंट (PERT) प्रस्तुत की है, जो **नॉनसेंस म्यूटेशन** से उत्पन्न कई आनुवंशिक विकारों के उपचार में सहायक हो सकती है।

मुख्य विवरण:

- शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग ट्रीटमेंट - PERT (Prime Editing-mediated Readthrough of Premature Termination Codons) विकसित किया है।
- यह दोषपूर्ण आनुवंशिक संकेतों को बायपास कर कोशिकाओं को **अपूर्ण स्टॉप कोडॉन को अनदेखा करने** में सक्षम बनाता है, जिससे पूर्ण प्रोटीन बन सकता है।
- यह दृष्टिकोण **जीन-निरपेक्ष (Gene-Agnostic)** है, अर्थात् एक ही रणनीति से कई रोगों को लक्षित किया जा सकता है।
- यह दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के **किफायती और प्रभावी उपचार** के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है।

आनुवंशिक विकार और नॉनसेंस म्यूटेशन

- **आनुवंशिक विकारों का स्वरूप:** डीएनए अनुक्रम में त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रोटीन संश्लेषण प्रभावित होता है; उदाहरण—सिस्टिक फाइब्रोसिस, बेटेन रोग।
- **नॉनसेंस म्यूटेशन की अवधारणा:** समय से पहले स्टॉप कोडॉन उत्पन्न होता है, जिससे प्रोटीन अधूरा और कार्यहीन बन जाता है।
- **समस्या का पैमाना:** ऐसे म्यूटेशन लगभग **25% आनुवंशिक रोगों** के लिए जिम्मेदार हैं।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** ये एंजाइम उत्पादन और कोशिकीय मरम्मत जैसी प्रक्रियाओं को बाधित कर **दीर्घकालिक और घातक रोग** उत्पन्न करते हैं।

जीनोम और जीन अभिव्यक्ति (जीन एक्सप्रेशन)

- **जीनोम की परिभाषा:** कोशिका में डीएनए निर्देशों का पूर्ण सेट, जिसमें मनुष्यों में **23 जोड़ी गुणसूत्र** और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शामिल हैं।
- **विकास और कार्य में भूमिका:** यह वृद्धि, चयापचय, प्रतिरक्षा और प्रजनन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

- **जीन अभिव्यक्ति (जीन एक्सप्रेशन) तंत्र:** डीएनए से RNA और फिर प्रोटीन बनता है; म्यूटेशन इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
- **रोगों में प्रासंगिकता:** एक न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन भी गंभीर विकार उत्पन्न कर सकता है।

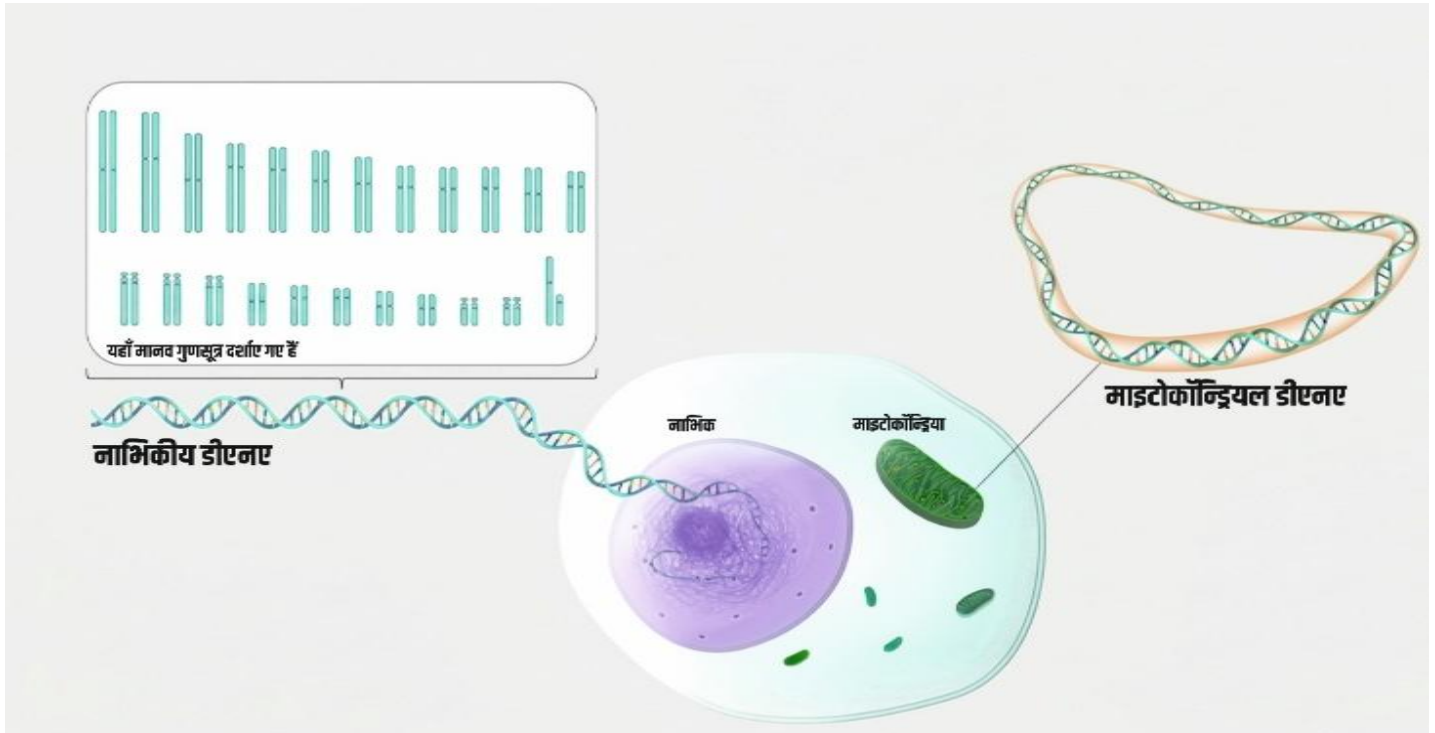
जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियाँ

- **अवधारणा और तंत्र:** लक्षित रूप से डीएनए को काटना, बदलना या संशोधित करना।
- **प्रौद्योगिकी का विकास:** ZFN और TALEN के बाद **CRISPR-Cas9** ने सरलता, गति और सटीकता प्रदान की।
- **CRISPR के लाभ:** लागत-प्रभावी, अत्यधिक सटीक और विस्तार योग्य।

- **अनुप्रयोग:** चिकित्सा (जीन थेरेपी), कृषि (GM फसलें), और जैव-प्रौद्योगिकी।

PERT: एक क्रांतिकारी जीन-संपादन रणनीति

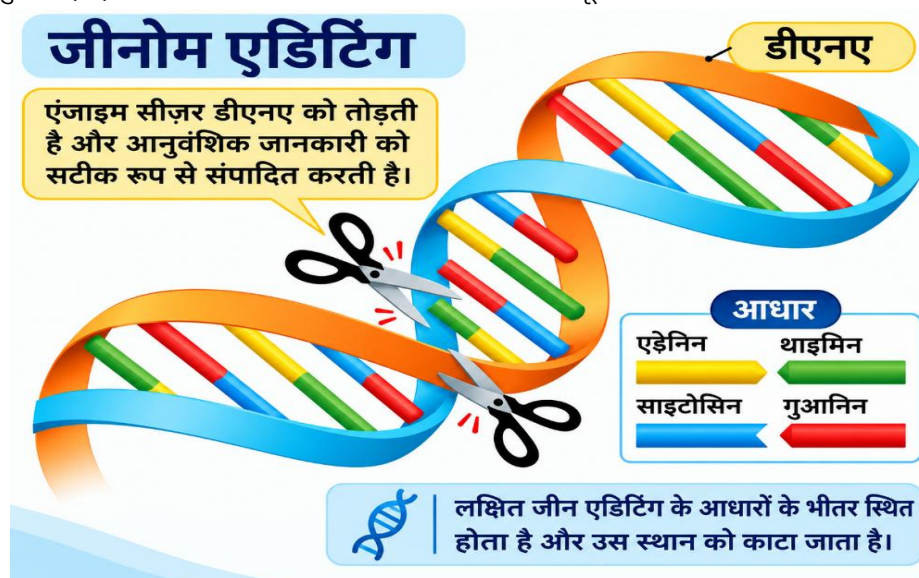
- **कार्य तंत्र:** PERT कोशिका तंत्र को **समयपूर्व स्टॉप संकेतों को पार करने** में सक्षम बनाता है।
- **जीन-निरपेक्ष दृष्टिकोण:** कई जीनों में उत्परिवर्तन को एक ही रणनीति से लक्षित किया जा सकता है।
- **नवाचार और दक्षता:** यह **प्राइम एडिटिंग** का उपयोग करता है, जो अधिक सटीक है और अनचाहे म्यूटेशन को कम करता है।
- **दुर्लभ रोगों के लिए महत्व:** एक सार्वभौमिक रणनीति से उपचार लागत और समय कम हो सकता है।



जीन थेरेपी: अवधारणा और प्रकार

- **परिभाषा और दायरा:** दोषपूर्ण जीन को बदलना या सुधारना ताकि रोग का मूल कारण समाप्त हो सके।
- **प्रकार:**
 - ✓ **सोमैटिक जीन थेरेपी:** शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव; परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते।

- ✓ **जर्मलाइन जीन थेरेपी:** प्रजनन कोशिकाओं पर प्रभाव; परिवर्तन वंशानुगत होते हैं (नैतिक चिंताएँ)।
- **चिकित्सीय संभावनाएँ:** कैंसर, आनुवंशिक विकार और वायरल संक्रमण के उपचार में उपयोगी।
- **सीमाएँ:** उच्च लागत, वितरण संबंधी चुनौतियाँ और अनपेक्षित म्यूटेशन का जोखिम।



नैतिक, नियामकीय और नीतिगत आयाम

- **नैतिक चिंताएँ:** "डिज़ाइनर बेबी", आनुवंशिक असमानता और तकनीक के दुरुपयोग की आशंका।
- **नियामकीय ढाँचा:** भारत में ICMR और DBT जैसी संस्थाएँ दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं।
- **सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन:** उच्च सटीकता, ऑफ-टार्गेट प्रभावों से बचाव और दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक।
- **समानता और उपलब्धता:** उन्नत उपचार सभी के लिए सुलभ और किफायती होने चाहिए।

निष्कर्ष

PERT जैसी जीनोम एडिटिंग तकनीकें चिकित्सा विज्ञान में **परिवर्तनकारी बदलाव** ला सकती हैं, विशेषकर आनुवंशिक रोगों के उपचार में। हालांकि, इनके सुरक्षित और न्यायसंगत उपयोग के लिए **मजबूत नैतिक मानदंड, प्रभावी विनियमन और समान पहुंच** आवश्यक है। नवाचार और जिम्मेदारी के संतुलन से ही मानव कल्याण के लिए इन तकनीकों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CRISPR-Cas9 एक जीन संपादन उपकरण है।
2. नॉनसेंस म्यूटेशन प्रोटीन संश्लेषण को समयपूर्व समाप्त करते हैं।
3. जर्मलाइन जीन थेरेपी के परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आनुवंशिक रोगों के उपचार में जीनोम एडिटिंग तकनीकों के महत्व पर चर्चा कीजिए। PERT जैसे नवाचारों की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

रक्षा एवं सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी जीत, लेकिन आराम का समय नहीं

चर्चा में क्यों: हालिया सुरक्षा अभियानों और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण से संकेत मिलता है कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/माओवादी विद्रोह अपने अंतिम चरण के निकट है, हालांकि सतर्कता अभी भी आवश्यक है।

मुख्य विवरण

- माओवादी प्रभाव 223 जिलों (2009-10) से घटकर आज लगभग 11 जिलों तक रह गया है, जिनमें तीन सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- वरिष्ठ माओवादी नेताओं का निष्प्रभावीकरण या आत्मसमर्पण हो चुका है, जिससे नेतृत्व में शून्य उत्पन्न हुआ है।
- सुरक्षा बलों का लक्ष्य मार्च 2026 तक समन्वित अभियानों के माध्यम से विद्रोह को समाप्त करना है।
- विशेषज्ञ आत्मसंतोष के विरुद्ध चेतावनी देते हैं और जनजातीय कल्याण तथा संतुलित विकास पर जोर देते हैं।

वामपंथी उग्रवाद का पतन

- **तीव्र भौगोलिक संकुचन:** एलडब्ल्यूई का दायरा 2010 में 223 जिलों से घटकर लगभग 11 जिलों तक आ गया है, जो निरंतर प्रतिरोध-विरोधी सफलता को दर्शाता है।
- **नेतृत्व का क्षरण:** कई केंद्रीय समिति और पोलितब्यूरो सदस्यों के निष्प्रभावी होने या आत्मसमर्पण करने से संगठनात्मक और रणनीतिक क्षमता कमजोर हुई है।
- **सामूहिक आत्मसमर्पण (2025 के आंकड़े):** केवल छत्तीसगढ़ में 1,400 से अधिक आत्मसमर्पण हुए और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में सैकड़ों, जिससे मनोबल में गिरावट और कैडर शक्ति में कमी आई है।
- **सशस्त्र विंग का विघटन:** पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) के कमजोर होने से माओवादियों की मुख्य सैन्य क्षमता में क्षरण का संकेत मिलता है।

सरकार की सफलता के पीछे के कारण:

- **दृढ़ राजनीतिक संकल्प:** केंद्र सरकार द्वारा समयबद्ध लक्ष्य (मार्च 2026) सहित निरंतर नीति प्राथमिकता ने सतत प्रशासनिक ध्यान सुनिश्चित किया।
- **खुफिया-आधारित अभियान:** बेहतर मानव और तकनीकी खुफिया ने सटीक हमलों को सक्षम बनाया, जिससे पार्श्व क्षति कम हुई और संचालन दक्षता बढ़ी।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** संयुक्त अभियान, एकीकृत कमांड संरचना और सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के तहत बेहतर वित्तपोषण ने परिणामों में सुधार किया।
- **विशेषीकृत बल:** ग्रेहाउंड्स और कोबरा जैसी इकाइयों ने जंगल युद्ध क्षमता को बढ़ाया और भौगोलिक चुनौतियों का समाधान किया।
- **विकासात्मक हस्तक्षेप:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सड़क संपर्क, मोबाइल टावर और वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं ने माओवादियों के स्थानीय समर्थन को कम किया।

एलडब्ल्यूई के विरुद्ध सरकारी रणनीति

- **समाधान सिद्धांत:** सरकार की व्यापक रणनीति में स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा, क्रियान्वयन योग्य खुफिया, डैशबोर्ड-आधारित केपीआई, तकनीक का उपयोग, कार्ययोजना और वित्त तक पहुंच न होना शामिल है।
- **सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण:** भारत दो-आयामी रणनीति अपनाता है—क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान और उन्हें स्थिर करने हेतु विकास पहल।
- **कानूनी ढांचा:** गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूपीए) और राज्य-विशिष्ट सुरक्षा कानूनों ने प्रतिरोध-विरोधी कार्यवाही का कानूनी आधार प्रदान किया है।
- **राज्यों की क्षमता निर्माण:** पुलिस आधुनिकीकरण और सुदृढ़ पुलिस थानों के लिए केंद्रीय सहायता ने राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया को मजबूत किया है।

स्थायी चिंताएँ और जोखिम

- **अवशिष्ट विद्रोह की संभावना:** कमजोर होने के बावजूद उग्रवादी समूह दूरस्थ वन क्षेत्रों में, विशेषकर केंद्रीय भारत के त्रि-जंक्शन क्षेत्रों में, पुनर्गठित हो सकते हैं।
- **जनजातीय अलगाव:** भूमि अधिकार, विस्थापन, वन संसाधनों तक पहुंच और शासन घाटे से जुड़े ऐतिहासिक मुद्दे अभी भी संवेदनशील हैं।
- **विकास बनाम पर्यावरण बहस:** साफ किए गए क्षेत्रों में खनन और कॉर्पोरेट परियोजनाओं का विस्तार नए सामाजिक-आर्थिक तनाव पैदा कर सकता है यदि संवेदनशीलता से न संभाला जाए।
- **शहरी नेटवर्क का खतरा:** माओवादी विचारधारा शहरी मोर्चों और भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से जीवित रह सकती है, जिसके लिए निरंतर खुफिया सतर्कता आवश्यक है।

आंतरिक सुरक्षा की पिछली चुनौतियों से सीख

- **पंजाब विद्रोह का अनुभव:** उग्रवाद के पतन ने दिखाया कि समय से पहले आत्मसंतोष चरमपंथी कथाओं के पुनरुत्थान को जन्म दे सकता है।
- **सुशासन की आवश्यकता:** दीर्घकालिक शांति केवल सुरक्षा सफलता पर नहीं बल्कि उत्तरदायी प्रशासन और न्याय वितरण पर भी निर्भर करती है।
- **दिल जीतना और विश्वास बनाना:** अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि समुदाय का विश्वास और समावेशन शांति बनाए रखने में निर्णायक हैं।
- **संस्थागत निरंतरता:** प्रतिरोध-विरोधी उपलब्धियों को पुलिस सुधार, अवसंरचना और स्थानीय सशक्तिकरण के माध्यम से संस्थागत बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण पाने में ऐतिहासिक सफलता के करीब है, लेकिन अंतिम चरण में संतुलित सतर्कता की आवश्यकता है। अब ध्यान केवल सुरक्षा-केंद्रित अभियानों से हटकर सतत शासन, जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। आत्मसंतोष से बचना, जमीनी संस्थाओं को मजबूत करना

और विकास को पर्यावरण तथा जनजातीय अधिकारों के साथ संतुलित करना आवश्यक होगा ताकि माओवादी विद्रोह फिर से उभर न सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है, परंतु यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालिया सफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए और आगे की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

ड्रोन शासन और नवाचार

चर्चा में क्यों: हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े (फरवरी 2026) शासन, कृषि, अवसंरचना और रक्षा क्षेत्रों में भारत के विनियमित ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के तेज विस्तार को दर्शाते हैं।

मुख्य विवरण

- भारत ने ड्रोन नियम, 2021 और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से ड्रोन नियमों को उदार बनाया है।

- 38,500 से अधिक ड्रोन पंजीकृत हैं और लगभग 39,900 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं (फरवरी 2026)।
- स्वामित्व (SVAMITVA), नमो ड्रोन दीदी, और पीएलआई योजना जैसी सरकारी पहलें अपनाने को बढ़ावा दे रही हैं।
- ड्रोन का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना निगरानी और रक्षा में तेजी से बढ़ रहा है।

ड्रोन नियामक ढांचा और सुधार

- ड्रोन नियम, 2021 – उदारीकरण:** इन नियमों ने प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाकर विश्वास-आधारित, स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू की, जिससे अनुपालन का बोझ काफी कम हुआ।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई और शुल्क में कमी की गई, जिससे व्यापार करना आसान हुआ।
- वायुक्षेत्र प्रबंधन (ग्रीन जोन):** भारतीय वायुक्षेत्र के बड़े हिस्सों को "ग्रीन जोन" घोषित किया गया, जहां बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं, जिससे वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा मिला।
- प्रमाणीकरण सुधार:** पारंपरिक पायलट लाइसेंस को डीजीसीए द्वारा जारी रिमोट पायलट प्रमाणपत्रों से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे प्रशिक्षण और कौशल विकास में तेजी आई।



ड्रोन के विभिन्न प्रकार

आधुनिक तकनीक – सुरक्षित भविष्य

निगरानी और टोही ड्रोन (ISR ड्रोन)	सशस्त्र/कॉम्बैट ड्रोन (UCAVs)	लॉन्जिस्टिक एयरोस्पेस	स्वॉर्म ड्रोन
 ये ड्रोन मुख्यतः खुफिया, निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत के पास हैं: - TAPAS-BH-201 (सशस्त्र उच्च लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट) - रुस्तम (DRDO द्वारा विकसित) - हेरॉन (इजराइल)	 मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAVs) मिसाइल दागने या बम गिराने में सक्षम होते हैं। भारत के पास हैं: - DRDO का पटल (विकसदित), - हेरॉन TP (इजराइल से)	 ये ड्रोन किसी लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराने के लिए बनाए जाते हैं और लक्ष्य की पहचान होने पर हमला करते हैं। भारत के पास हैं: - नागास्र (Solar Industries और Zmotion द्वारा निर्मित), - बरगोट (पेलोड ड्रोन)	 एक साथ कई ड्रोन संचालित होते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। DRDO और निजी कंपनियाँ ऐसे स्वॉर्म ड्रोन तकनीकियों पर काम कर रही हैं। भारत के पास हैं: DRDO और निजी कंपनियाँ के प्रोजेक्ट्स

डिजिटल शासन और संस्थागत तंत्र:

- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म:** ड्रोन पंजीकरण, उड़ान अनुमति और वायु क्षेत्र प्रबंधन के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है, पारदर्शिता और वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करता है।
- डीजीसीए प्लेटफॉर्म:** पायलट प्रमाणन, लाइसेंसिंग और अनुपालन जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, नौकरशाही में देरी कम करता है और शासन दक्षता बढ़ाता है।
- डेटा-आधारित शासन:** फरवरी 2026 तक 38,500 ड्रोन पंजीकृत, जो ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के तेजी से औपचारिककरण और विकास को दर्शाता है।

- नियामकीय निगरानी:** डीजीसीए सुरक्षा मानकों की देखरेख करता है, जबकि वायु रक्षा और उड्डयन प्रणालियों के साथ एकीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय को मजबूत करता है।

विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक प्रोत्साहन:

- पीएलआई योजना ड्रोन हेतु:** ₹120 करोड़ के व्यय के साथ यह योजना ड्रोन और उनके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, "आत्मनिर्भर भारत" का समर्थन करती है।
- एमएसएमई और स्टार्ट-अप प्रोत्साहन:** प्रोत्साहन स्टार्ट-अप और एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाते हैं, जिससे भारत वैश्विक ड्रोन विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

- **कर तर्कसंगतता:** ड्रोन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे संचालन लागत कम हुई और कृषि व लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनाने में वृद्धि हुई।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत का लक्ष्य 2030 तक ड्रोन हब बनना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात क्षमता बढ़ेगी।

क्षमता निर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:

- **स्वयम कार्यक्रम:** कौशल विकास और प्रशिक्षण पर केंद्रित, मानवरहित विमान प्रणालियों के लिए भविष्य के कुशल कार्यबल का निर्माण करता है।
- **एनआईडीएआर पहल:** राष्ट्रीय नवाचार चुनौती अनुसंधान एवं विकास, स्वायत्त ड्रोन विकास और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देती है।
- **मानव संसाधन विकास:** लगभग 39,900 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र जारी, जो प्रशिक्षित जनशक्ति के तेजी से विस्तार को दर्शाता है।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** अकादमिक, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों को समर्थन देता है।

कृषि और ग्रामीण विकास में अनुप्रयोग:

- **नमो ड्रोन दीदी योजना:** महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करती है, सटीक कृषि को बढ़ावा देती है, लागत कम करती है और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करती है।
- **सटीक कृषि:** फसल छिड़काव, मिट्टी की निगरानी और उपज अनुमान में ड्रोन उपयोग से उत्पादकता और स्थिरता बढ़ती है।
- **स्वामित्व योजना:** 3.28 लाख गांवों का मानचित्रण और 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार, जिससे भूमि विवाद कम होते हैं और ऋण तक पहुंच आसान होती है।
- **ग्रामीण परिवर्तन:** डिजिटल भूमि अभिलेख, शासन दक्षता और वित्तीय समावेशन में सुधार करता है।

अवसंरचना निगरानी और शासन:

- **राष्ट्रीय राजमार्ग निगरानी (एनएचएआई):** मासिक ड्रोन रिकॉर्डिंग से परियोजना प्रगति का ट्रैकिंग, पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण और विवाद समाधान में मदद मिलती है।
- **रेलवे निगरानी:** पटरियों, पुलों और यार्ड की जांच में ड्रोन उपयोग, सुरक्षा बढ़ाता है और मैनुअल निरीक्षण जोखिम कम करता है।
- **शहरी योजना:** स्मार्ट सिटी योजना, अतिक्रमण पहचान और भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **ई-गवर्नेंस उपकरण:** ड्रोन साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को मजबूत करते हैं।

आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा:

- **आपदा प्रतिक्रिया:** बाढ़, भूस्खलन और भूकंप के दौरान वास्तविक समय हवाई दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे बचाव कार्य तेज होते हैं।
- **एनडीआरएफ पहल:** विशेष ड्रोन भारी उपकरण ले जा सकते हैं और अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं, जिससे खोज और बचाव दक्षता बढ़ती है।
- **भीड़ निगरानी और पुलिसिंग:** कानून प्रवर्तन एजेंसियां निगरानी, भीड़ नियंत्रण और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए ड्रोन का उपयोग करती हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** सेंसर के साथ एकीकरण जोखिम आकलन और आपदा तैयारी में मदद करता है।

रक्षा और सामरिक अनुप्रयोग:

- **सीमा निगरानी:** संवेदनशील सीमाओं की निगरानी में सुधार, स्थिति जागरूकता और खुफिया जानकारी एकत्रण को मजबूत करता है।
- **सटीक अभियान:** ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में उपयोग, लक्षित और कम-जोखिम वाले अभियानों को सक्षम बनाता है।
- **रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकरण:** रडार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकरण से महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा होती है।
- **भविष्य का युद्ध:** स्वायत्त युद्ध, स्वार्म ड्रोन और हाइब्रिड संघर्षों में बढ़ती भूमिका।

निष्कर्ष

भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र तकनीक, शासन और आर्थिक विकास का संगम है। इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए मजबूत डेटा संरक्षण कानून, वायु क्षेत्र प्रबंधन, स्वदेशी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना आवश्यक है। सही नीति प्रोत्साहन के साथ, ड्रोन "डिजिटल इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और स्मार्ट शासन का प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ड्रोन संचालन के लिए एकल-खिड़की अनुमति प्रदान करता है।
2. स्वामित्व योजना शहरी संपत्ति मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करती है।
3. ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दर घटाई गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ड्रोन तकनीक के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए और सुरक्षित तथा समावेशी ड्रोन शासन सुनिश्चित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भारत की विमानन प्रणाली को डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता

चर्चा में क्यों: इंडिगो के दिसंबर 2025 के परिचालन संकट ने देशभर में हवाई किरायों में तीव्र वृद्धि कर दी, जिसके कारण सरकार ने किराया सीमा (प्राइस कैप) लागू की और डीजीसीए ने संभावित बाजार वर्चस्व के दुरुपयोग की जांच शुरू की। इससे भारत में डेटा-आधारित विमानन विनियमन की आवश्यकता सामने आई।

मुख्य विवरण:

- इंडिगो के दिसंबर 2025 संकट ने भारत की विमानन नियामक डेटा प्रणालियों में संरचनात्मक कमियों को उजागर किया।

- सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी किराया सीमा लागू की और डीजीसीए ने संभावित बाजार वर्चस्व के दुरुपयोग की जांच शुरू की।
- भारत में व्यवस्थित, दीर्घकालिक किराया निगरानी ढांचा नहीं है, जिससे मांग में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा-विरोधी मूल्य निर्धारण के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- अमेरिका का 10% टिकट सैंपलिंग मॉडल (DB1B) दर्शाता है कि पारदर्शी किराया डेटा निगरानी और प्रतिस्पर्धा विश्लेषण को मजबूत कर सकता है।
- **डेटा-प्रथम नियामक दृष्टिकोण** पारदर्शिता, बाजार अनुशासन और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देगा, बिना एयरलाइन संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप किए।

इंडिगो संकट और नियामकीय जागरूकता:

- दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने परिचालन व्यवधान का सामना किया, जिससे देशभर में हवाई किरायों में अचानक वृद्धि हुई।
- इस घटना ने एक संरचनात्मक चिंता को उजागर किया: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन रहा है, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रणालियां अभी विकसित नहीं हैं।
- इस संकट ने बाजार विस्तार और नियामक डेटा अवसंरचना के बीच असंतुलन को रेखांकित किया।

तात्कालिक नियामकीय प्रतिक्रिया:

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों पर अस्थायी किराया सीमा लागू की।
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के इनपुट पर निम्न एयरलाइन्स से औसत किराया डेटा मांगा:
 - ✓ इंडिगो
 - ✓ एयर इंडिया
 - ✓ स्पाइसजेट
 - ✓ आकाशा (1-15 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए)
- उद्देश्य संभावित बाजार वर्चस्व के दुरुपयोग की जांच करना था।

प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं:

- आपातकालीन हस्तक्षेप अल्पकालिक यात्री संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन गहरे नियामकीय अंतराल को संबोधित नहीं करते।
- डेटा एकत्र करने के बाद भी नियामकों के पास अक्सर निम्न की कमी होती है:
 - ✓ निरंतर किराया दृश्यता
 - ✓ मूल्य निर्धारण प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के उपकरण
- एक सुसंगत निगरानी ढांचे के अभाव में यह तय करना कठिन होता है:
 - ✓ वास्तविक मांग-आधारित किराया वृद्धि
 - ✓ प्रतिस्पर्धा-विरोधी या वर्चस्व-प्रेरित किराया वृद्धि

अमेरिकी विमानन डेटा मॉडल से सीख:

- यह संकट डीजीसीए को प्रतिक्रियात्मक नियामक से सक्रिय नियामक में बदलने का अवसर प्रदान करता है।
- अमेरिका में परिवहन सांख्यिकी ब्यूरो (BTS) एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- BTS "एयरलाइन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे (DB1B)" डेटाबेस का प्रबंधन करता है।

DB1B प्रणाली की विशेषताएं:

- 1995 से प्रत्येक तिमाही में सभी घरेलू टिकटों का 10% यादृच्छिक नमूना एकत्र करता है।
- उड़ान-स्तर डेटा प्रकाशित करता है, जिसमें शामिल हैं:
 - ✓ वास्तविक भुगतान किया गया किराया
 - ✓ मार्ग प्रवाह
 - ✓ कैरियर विवरण
- दीर्घकालिक डिजिटल मूल्य निर्धारण रिकॉर्ड तैयार करता है।
- DGCA के विपरीत (जो मुख्यतः यात्री और माल मात्रा को ट्रैक करता है), DB1B बाजार व्यवहार की निगरानी को सक्षम बनाता है।

भारत के लिए 10% सैंपलिंग ढांचे की उपयोगिता:

- **ऐसा ढांचा:**
 - ✓ पारदर्शिता बढ़ाएगा
 - ✓ व्यवस्थित किराया निगरानी सक्षम करेगा
 - ✓ नियामकीय निगरानी को मजबूत करेगा
- जैसे राजमार्ग पर स्पीड कैमरा का उद्देश्य लगातार दंड देना नहीं बल्कि:
 - ✓ अनुपालन सुनिश्चित करना
 - ✓ बाजार अनुशासन बनाए रखना
 - ✓ दीर्घकालिक बाजार स्वच्छता को बढ़ावा देना

एयरलाइन मूल्य निर्धारण पर पारदर्शिता का प्रभाव:

- किराया डेटा की सार्वजनिक या नियामकीय जांच एयरलाइन्स को प्रेरित करती है कि वे:
 - ✓ मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम में नैतिक सुरक्षा उपाय बनाएं
 - ✓ अवसरवादी या एल्गोरिदम-प्रेरित किराया वृद्धि से बचें
- इससे जोखिम कम होता है:
 - ✓ जन असंतोष
 - ✓ कानूनी चुनौतियां (जैसे सर्वोच्च न्यायालय में चल रही जनहित याचिका)

अनुसंधान और नीति लाभ: "साउथवेस्ट प्रभाव"

- 30 से अधिक वर्षों के अमेरिकी DB1B डेटा ने शैक्षणिक शोध को सक्षम बनाया है।
- शोधकर्ताओं ने "साउथवेस्ट प्रभाव" पहचाना:
 - ✓ जब साउथवेस्ट एयरलाइंस किसी नए मार्ग पर प्रवेश करती है:
 - औसत किराया घटता है
 - यात्री यातायात बढ़ता है
- **भारत में समान डेटासेट नियामकों को मदद कर सकता है:**
 - ✓ मार्गों पर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार का अध्ययन करने में
 - ✓ वर्चस्व के पैटर्न की पहचान करने में;
 - ✓ संरचनात्मक अक्षमताओं का आकलन करने में;

डेटा कैसे बाजार शक्ति (मार्केट पावर) का पता लगा सकता है:

- एक संरचित डेटासेट नियामकों को सक्षम बनाता है:
 - ✓ **मार्ग तुलना:** एकल एयरलाइन द्वारा प्रभुत्व वाले मार्गों पर अधिक किराया बाजार शक्ति का संकेत हो सकता है।
 - ✓ **प्रवेश और निकास प्रभाव ट्रैक करना:**
 - प्रतिस्पर्धी के बाहर होने पर किराया बढ़ना
 - नए प्रतिस्पर्धी के आने पर किराया घटना

- ✓ **पीक अवधि मूल्य निर्धारण का आकलन:**
 - छुट्टियों के दौरान उच्च बाजार हिस्सेदारी वाले मार्गों पर असमान किराया वृद्धि

उद्योग संबंधी चिंताओं का समाधान:

- **स्वामित्व एल्गोरिदम की सुरक्षा:**
 - ✓ एयरलाइंस कहती हैं कि राजस्व प्रबंधन प्रणाली उनकी "गुप्त तकनीक" है।
 - ✓ 10% सैंपल मॉडल "कैसे" (एल्गोरिदम) को छुपाते हुए "क्या" (वास्तविक किराया) पर निगरानी करता है।
- **तकनीकी बोझ:**
 - ✓ सीमित यादृच्छिक नमूना संचालन पर न्यूनतम भार डालता है।
- **मूल्य समन्वय का जोखिम:**
 - ✓ डेटा स्क्रेपिंग के युग में एयरलाइंस पहले से ही प्रतिस्पर्धियों के मूल्य ट्रैक करती हैं।
 - ✓ त्रैमासिक देरी से डेटा प्रकाशित करने से तत्काल मूल्य समन्वय का जोखिम कम होता है।

आगे की राह:

- **आवधिक उपाय करना, जैसे:**
 - ✓ तदर्थ किराया सीमा
 - ✓ समय-समय पर जांच
- डेटा-प्रथम नियामक ढांचा अपनाना।
- **सुनिश्चित करना:**
 - ✓ एल्गोरिदम प्रतिस्पर्धा करें
 - ✓ नियामक और जनता परिणामों की निगरानी कर सकें
- भारत के विमानन क्षेत्र को उसके बाजार आकार के अनुरूप संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत का विमानन बाजार संकट के समय प्रतिक्रियात्मक किराया नियंत्रण पर निर्भर नहीं रह सकता। जैसे-जैसे क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, नियमन को तदर्थ हस्तक्षेप से डेटा-आधारित निगरानी की ओर विकसित होना चाहिए। एक पारदर्शी, संरचित किराया निगरानी ढांचा—जैसे 10% टिकट सैंपलिंग मॉडल—प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा, उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा और नवाचार या स्वामित्व प्रणालियों को प्रभावित किए बिना दीर्घकालिक बाजार अनुशासन सुनिश्चित करेगा।

भारत का रक्षा उछाल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के रक्षा आवंटन में तेज वृद्धि की गई है, जिससे यह बहस छिड़ी है कि यह कदम सैन्यीकरण को दर्शाता है या रणनीतिक आवश्यकता को।

मुख्य विवरण:

- भारत ने बजट 2026-27 में रक्षा के लिए रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.19% अधिक है।
- पूंजीगत व्यय में 21.8% की वृद्धि कर ₹2.19 लाख करोड़ किया गया है, ताकि सैन्य आधुनिकीकरण को तेज किया जा सके।
- आधुनिकीकरण निधि का लगभग 75% घरेलू खरीद के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत निर्धारित है।

- यह वृद्धि जटिल सुरक्षा वातावरण में विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से है।

भारत का रक्षा बजट उछाल:

- **रिकॉर्ड आवंटन:** ₹7.85 लाख करोड़ (लगभग \$86.7 बिलियन) भारत का अब तक का सबसे अधिक रक्षा व्यय है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को वित्तीय योजना में प्राथमिकता देने को दर्शाता है।
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि:** पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹2.19 लाख करोड़ किया गया है, जिसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, ड्रोन और उन्नत निगरानी प्रणालियों की खरीद पर ध्यान है।
- **संचालन तैयारी:** ₹3.65 लाख करोड़ का राजस्व व्यय वेतन, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव को समर्थन देता है, जिससे हालिया परिचालन अनुभवों के बाद बलों की युद्ध-तत्परता सुनिश्चित होती है।
- **दीर्घकालिक आधुनिकीकरण:** खर्च का पैटर्न मानव-बल आधारित रक्षा से तकनीक-आधारित क्षमता निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो आधुनिक युद्ध प्रवृत्तियों के अनुरूप है।

प्रतिरोध की रणनीतिक तर्क:

- **सैन्यवाद बनाम प्रतिरोध:** रक्षा सुदृढीकरण का उद्देश्य आक्रामक विस्तार नहीं, बल्कि आक्रमण की लागत बढ़ाकर संघर्ष को रोकना है।
- **विश्वसनीय क्षमता की आवश्यकता:** प्रभावी प्रतिरोध आधुनिक प्लेटफॉर्म, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर निर्भर करता है—केवल कूटनीतिक संकेतों पर नहीं।
- **तत्परता अंतराल को पाटना:** संसदीय समितियों और सैन्य नेतृत्व ने लड़ाकू स्काइनों, वायु रक्षा और नौसैनिक परिसंपत्तियों में कमी को बार-बार उजागर किया है।
- **दबाव के विरुद्ध सुरक्षा:** ऐतिहासिक रूप से कम निवेश प्रतिद्वंद्वियों को प्रोत्साहित करता है; इसलिए बढ़ा हुआ व्यय रणनीतिक निवारण के रूप में कार्य करता है।

भारत का विकसित होता सुरक्षा वातावरण:

- **चीन की चुनौती:** चीन ने दो दशकों में तेज सैन्य आधुनिकीकरण किया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत की है, जैसा कि 2020 के गलवान संकट से स्पष्ट हुआ।
- **पाकिस्तान का जोखिम:** पाकिस्तान की रणनीति परमाणु प्रतिरोध और पारंपरिक उकसावों का संयोजन है, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता बनी रहती है।
- **दो-मोर्चा स्थिति:** चीन-पाकिस्तान रणनीतिक समन्वय में वृद्धि से उत्तरी & पश्चिमी सीमाओं पर एक साथ दबाव की आशंका बढ़ती है।
- **विस्तारित समुद्री क्षेत्र:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा तथा समुद्री सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है।

आत्मनिर्भर भारत रक्षा में:

- **घरेलू खरीद पर जोर:** आधुनिकीकरण निधि का लगभग 75% घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित, जिससे आयात निर्भरता कम होती है और स्वदेशी क्षमता बढ़ती है।
- **रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा:** ड्रोन, मिसाइल, विमान घटक और नौसैनिक प्लेटफॉर्म का स्वदेशी उत्पादन रोजगार और तकनीकी क्षमता को बढ़ाता है।

- **बाहरी निर्भरता में कमी:** विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता संकट के समय आपूर्ति झटके पैदा कर सकती है; स्वदेशीकरण आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाता है।
- **निर्यात क्षमता:** हाल के वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात ₹21,000 करोड़ से अधिक हो गया है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

वैश्विक अनिश्चितता में रणनीतिक स्वायत्तता:

- **अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था:** महाशक्तियों की नीतियों में बदलाव और लेन-देन आधारित भू-राजनीति बाहरी सुरक्षा गारंटी पर अधिक निर्भरता को जोखिमपूर्ण बनाती है।
- **क्षमता के माध्यम से स्वायत्तता:** वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता के लिए सीमाओं की रक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से संघर्ष बनाए रखने की क्षमता आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका:** एक सैन्य रूप से सक्षम भारत एशिया में शक्ति संतुलन में योगदान देता है और स्थिर हिंद-प्रशांत व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- **हथियारों की होड़ नहीं:** भारत का व्यय रक्षात्मक और अंतराल-पूर्ति पर केंद्रित है, न कि बड़ी सैन्य शक्तियों के साथ बराबरी की होड़ पर।

चिंताएँ और चुनौतियाँ:

- **राजकोषीय संतुलन:** उच्च रक्षा व्यय को स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसे सामाजिक क्षेत्रों की जरूरतों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
- **खरीद की दक्षता:** अधिग्रहण में देरी और लागत वृद्धि रक्षा परियोजनाओं में लगातार समस्या बनी हुई है।
- **संयुक्तता और सुधार की आवश्यकता:** बजट वृद्धि के साथ-साथ थिएटर कमांड, एकीकरण और सिद्धांतगत आधुनिकीकरण जरूरी है।
- **प्रौद्योगिकी अवशोषण:** केवल प्लेटफॉर्म खरीदना पर्याप्त नहीं; नेटवर्क-केंद्रित युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं पर जोर आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत का हालिया रक्षा उछाल सैन्यवाद नहीं, बल्कि विश्वसनीय प्रतिरोध की दिशा में सुधारात्मक कदम है। जटिल खतरों और अनिश्चित भू-राजनीति के दौर में सैन्य क्षमता को मजबूत करना संप्रभुता की रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए, भारत को उच्च व्यय को रक्षा सुधार, स्वदेशी नवाचार और संयुक्त बल एकीकरण के साथ जोड़ना होगा, ताकि प्रभावी सुरक्षा परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। एक सुरक्षित भारत अंततः अधिक स्थिर एशिया में योगदान देता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "विश्वसनीय प्रतिरोध" की अवधारणा को निम्न में से कौन सबसे बेहतर वर्णित करता है?

- (a) केवल सैनिक संख्या बढ़ाना
- (b) आक्रमण की लागत बढ़ाकर संघर्ष को रोकना
- (c) रक्षा व्यय से बचना
- (d) केवल परमाणु हथियारों पर निर्भर रहना

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "भारत का बढ़ता रक्षा व्यय सैन्यवाद के बजाय रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।" भारत के सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में इस कथन की परीक्षा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

समुद्री साझेदारी सुदृढीकरण

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया, जो हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा पहुँच में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण:

- सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और बांग्लादेश शामिल हैं।
- भारत और सेशेल्स ने एक संयुक्त दृष्टि (SESEL) अपनाई और समुद्री, डिजिटल, स्वास्थ्य तथा क्षमता निर्माण सहयोग को कवर करने वाले सात समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
- भारत ने सेशेल्स के लिए \$175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया।
- यह यात्रा सेशेल्स की स्वतंत्रता और द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाती है।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन: रणनीतिक महत्व

- **क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा मंच:** 2011 में स्थापित, यह सम्मेलन हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती-रोधी, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **IOR में विस्तार को सुदृढ करना:** सेशेल्स को पूर्ण सदस्य बनाने से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समूह की कवरेज मजबूत होती है, जो व्यापार मार्गों और ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भारत की नेतृत्व भूमिका:** भारत निगरानी, प्रशिक्षण और सूचना-साझाकरण क्षमताएं प्रदान कर समन्वयक भूमिका निभाता है, जो "नेट सुरक्षा प्रदाता" बनने की उसकी आकांक्षा के अनुरूप है।
- **सामूहिक सुरक्षा दृष्टिकोण:** यह सम्मेलन द्विपक्षीय तंत्रों का पूरक है और औपचारिक सैन्य गठबंधनों के बिना बहुपक्षीय समुद्री शासन को सुदृढ करता है।

भारत-सेशेल्स समुद्री और रक्षा सहयोग

- **समुद्री निगरानी और क्षमता निर्माण:** भारत ने तटीय रडार प्रणालियों, गश्ती पोतों और प्रशिक्षण के माध्यम से सेशेल्स की सहायता की है, जिससे उसकी समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ी है।
- **गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला:** सहयोग समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थ तस्करी और समुद्री आतंकवाद पर केंद्रित है, जो समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) के लिए खतरा हैं।
- **पश्चिमी हिंद महासागर की स्थिरता:** सेशेल्स का रणनीतिक स्थान प्रमुख नौवहन मार्गों के पास है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **जन-केंद्रित सुरक्षा मॉडल:** रक्षा सहयोग के साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत और नागरिक क्षमता विकास भी शामिल है।

आर्थिक, विकासात्मक और डिजिटल सहयोग

- **विशेष आर्थिक पैकेज (\$175 मिलियन):** इसमें \$125 मिलियन की ऋण सुविधा (Line of Credit) और \$50 मिलियन की अनुदान सहायता शामिल है, जो अवसंरचना, आवास, गतिशीलता और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करती है।
- **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल सहयोग पर समझौता भारत की ई-गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और क्षमता निर्माण विशेषज्ञता को साझा करने का लक्ष्य रखता है।
- **स्वास्थ्य और वैज्ञानिक सहयोग:** औषधीय सहयोग और मौसम विज्ञान संबंधी समझौते सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु लचीलापन को मजबूत करते हैं।
- **पर्यटन और कनेक्टिविटी:** बेहतर हवाई संपर्क और बढ़ते भारतीय पर्यटक आगमन से सेशेल्स की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

जलवायु, संधारणीयता और ब्लू इकोनॉमी

- **स्थिरता के लिए संयुक्त दृष्टि (SESEL):** यह दृष्टि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सुरक्षा को एकीकृत करती है।
- **महासागर अवलोकन और समुद्री अनुसंधान:** समुद्री विज्ञान और डेटा-साझाकरण में सहयोग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु परिवर्तन प्रभावों की समझ को बढ़ाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु समाधान:** भारत सेशेल्स को नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **ब्लू इकोनॉमी ढांचा:** समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को आजीविका, खाद्य सुरक्षा और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

भारत की हिंद महासागर रणनीति (स्थायी + समकालीन)

- **विजन महासागर (MAHASAGAR):** सेशेल्स भारत के महासागर दृष्टिकोण का प्रमुख स्तंभ है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है।
- **पड़ोस प्रथम और सागर (SAGAR):** यह साझेदारी सहयोग पर जोर देती है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं।
- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का संतुलन:** मजबूत संबंध भारत को अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करते हैं और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
- **लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक संबंध:** साझा लोकतांत्रिक मूल्य, ऐतिहासिक संबंध और जन-से-जन संपर्क इस साझेदारी को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करना:** भारत और सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत सूचना-साझाकरण, संयुक्त गश्त और समन्वित निगरानी को और संस्थागत बनाना चाहिए।
- **ब्लू इकोनॉमी सहयोग का क्रियान्वयन:** सतत मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और महासागर-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संयुक्त विकास आवश्यक है।
- **जलवायु और आपदा लचीलापन सुदृढ़ करना:** जलवायु अनुकूलन, महासागर अवलोकन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सहयोग को बढ़ाना चाहिए।

- **डिजिटल और क्षमता निर्माण साझेदारी का विस्तार:** भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और प्रशिक्षण कार्यक्रम सेशेल्स में शासन सुधार और सेवा वितरण को मजबूत कर सकते हैं।
- **समावेशी क्षेत्रीय बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना:** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, सागर और महासागर जैसे मंचों के माध्यम से विश्वास-आधारित सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत-सेशेल्स संबंध एक व्यापक समुद्री साझेदारी का उदाहरण हैं, जो सुरक्षा, विकास, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग को एकीकृत करते हैं। सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होना क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है और हिंद महासागर में भारत की जिम्मेदार भूमिका को सुदृढ़ करता है। भविष्य में, सतत बहुपक्षीय सहयोग, क्षमता निर्माण और ब्लू इकोनॉमी पहलें एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संधारणीय हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?

- (a) व्यापार उदारीकरण
- (b) समुद्री सुरक्षा सहयोग
- (c) जलवायु वार्ता
- (d) रक्षा गठबंधन

उत्तर: (b)

एनवीएस-02 उपग्रह विफलता

चर्चा में क्यों: इसरो ने प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद एनवीएस-02 उपग्रह की विफलता के निष्कर्ष जारी किए, जिससे भारत के विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र में पारदर्शिता, आंतरिक जवाबदेही और संस्थागत उत्तरदायित्व पर प्रश्न उठे।

मुख्य विवरण:

- इसरो ने एनवीएस-02 उपग्रह विफलता पर पूर्ण तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित करने के बजाय सीमित प्रेस बयान जारी किया।
- विफलता का कारण यह था कि एक महत्वपूर्ण ऑक्सीडाइज़र वाल्व तक संकेत नहीं पहुंचा, संभवतः ढीले या दोषपूर्ण विद्युत संपर्क के कारण, जिससे प्राथमिक और बैकअप दोनों लाइनें प्रभावित हुईं।
- इस खराबी के कारण इंजन प्रज्वलित नहीं हो सका, और उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच पाया।
- इसरो ने दावा किया कि सुधारात्मक कदम लागू किए गए, जिसका प्रमाण एलवीएम-3 एम5 प्रक्षेपण (जीसैट-7आर, नवंबर 2025) की सफलता से मिलता है।
- हालांकि, सीमित पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, और सार्वजनिक विश्वास तथा संस्थागत विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए अधिक स्पष्ट खुलासा आवश्यक है।

पृष्ठभूमि और प्रारंभिक खुलासा:

- एक संवेदनशील संस्था पर अपारदर्शिता के आरोपों के बीच पारदर्शिता के संकेत के रूप में प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया गया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक किए।

- एनवीएस-02 के अपनी निर्धारित कक्षा तक न पहुंचने के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी।
- उपग्रह को 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था।
- हाल तक इस विसंगति के लिए कोई औपचारिक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था।
- हालांकि, पूर्ण रिपोर्ट जारी करने के बजाय इसरो ने केवल सीमित विवरणों के साथ प्रेस बयान जारी किया।

एपेक्स समिति के निष्कर्ष:

- एक "एपेक्स" समिति ने निर्धारित किया कि महत्वपूर्ण ऑक्सीडाइज़र लाइन को सक्रिय करने वाला संकेत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा।
- यह वाल्व उस इंजन के प्रज्वलन के लिए आवश्यक था जो अंतरिक्ष यान को उसकी निर्धारित कक्षा में ले जाता है।
- संभावित कारण एक ढीला या विफल विद्युत संपर्क पाया गया।
- इस खराबी ने प्राथमिक और बैकअप दोनों सिग्नल लाइनों को प्रभावित किया, जिससे सिग्नल का संचार पूरी तरह रुक गया।
- जबकि यह तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आंतरिक सुधारात्मक उपायों के पूर्ण विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया।

सुधारात्मक उपाय और बाद की सफलता:

- इसरो ने बताया कि विफलता से सीखे गए पाठों को बाद के मिशन में सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- 2 नवंबर 2025 को एलवीएम-3 एम5 प्रक्षेपण वाहन ने जीसैट-7आर, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
- यह सफलता दर्शाती है कि सुधारात्मक कदम प्रभावी ढंग से लागू किए गए।

पारदर्शिता से संबंधित चिंताएं:

- संस्था से अधिक स्पष्टता और विस्तृत खुलासा अपेक्षित था।
- जब जानकारी लगभग एक वर्ष बाद जारी की जाती है, तो जोर स्पष्ट व्याख्या पर होना चाहिए, न कि अनिच्छुक गोपनीयता हटाने पर।
- इसरो को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि समस्या उत्पन्न हुई:
 - ✓ असेंबली में चूक के कारण
 - ✓ निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में विफलताओं के कारण
 - ✓ या समय के साथ विकसित हुए विनिर्माण दोष के कारण जो अनदेखा रह गया

संस्थागत खुलेपन की आवश्यकता:

- अधिक पारदर्शिता सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता को बढ़ाएगी।
- पारदर्शिता का अर्थ व्यक्तिगत दोष तय करना नहीं है।
- संवेदनशील स्वामित्व या रणनीतिक विवरण सुरक्षित रखते हुए भी सार्थक खुलासा किया जा सकता है।
- ऐतिहासिक रूप से, विस्तृत विफलता विश्लेषण रिपोर्ट प्रकाशित करना सामान्य प्रथा रही है।
- हाल के रुझान बढ़ती संस्थागत संकुचनशीलता को दर्शाते हैं।

व्यापक संदर्भ और भविष्य की दिशा:

- पीएसएलवी मिशनों की जनवरी और मई 2025 की लगातार विफलताओं के बाद इसरो ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है।
- तकनीकी जांच के अलावा, इन विफलताओं के पीछे प्रणालीगत मुद्दों की जांच के लिए एक अन्य समिति गठित की गई है।
- ऐसे समय में जब वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बदल रहा है, इसरो को अलगाव में जाने के बजाय संरचित पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और सुधार-उन्मुख शासन को अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

एनवीएस-02 प्रकरण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अधिक संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि सुधारात्मक कदम और बाद की सफलताएं तकनीकी क्षमता को दर्शाती हैं, सीमित खुलासा सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में, इसरो को वैज्ञानिक उत्कृष्टता के साथ-साथ संरचित पारदर्शिता, मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण और प्रणालीगत सुधार को अपनाना होगा, ताकि विश्वसनीयता, जवाबदेही और दीर्घकालिक नेतृत्व को मजबूत किया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में संस्थागत पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रणालीगत सुधार के महत्व की जांच कीजिए। अधिक खुलापन किस प्रकार रणनीतिक हितों से समझौता किए बिना सार्वजनिक विश्वास को मजबूत कर सकता है?

सामाजिक मुद्दे

एचआईवी दवा नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों: एक हालिया अध्ययन पुष्टि करता है कि एचआईवी कैप्सिड प्रोटीन को लक्षित करने वाली दवा 'लेनाकैपाविर' प्रतिरोध के बावजूद प्रभावी बनी हुई है, जो एचआईवी उपचार और रोकथाम में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

मुख्य विवरण:

- लेनाकैपाविर, एक कैप्सिड अवरोधक, एचआईवी प्रतिकृति को रोकता है - वर्ष में केवल दो इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।
- एचआईवी केवल अपने कैप्सिड संरचना को क्षति पहुँचाकर ही प्रतिरोध विकसित करता है, जिससे उसकी जीवित रहने की क्षमता कम हो जाती है।
- जिम्बाब्वे जैसे देशों में दीर्घ-अवधि इंजेक्शन आधारित PrEP (पूर्व-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस) का विस्तार शुरू हो चुका है।
- इस दवा ने क्लिनिकल परीक्षणों में लगभग 100% प्रभावशीलता दिखाई है, जिससे दैनिक गोलीयों की तुलना में अनुपालन बेहतर होता है।

एचआईवी संरचना और कैप्सिड को दवा लक्ष्य के रूप में:

- कैप्सिड प्रोटीन की भूमिका:** कैप्सिड एक प्रोटीन आवरण है जो एचआईवी की आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करता है और वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नया चिकित्सीय लक्ष्य:** पहले की दवाओं के विपरीत, कैप्सिड अवरोधक वायरस की संरचना पर कार्य करते हैं, जिससे एंटीवायरल उपचार में एक नया आयाम खुलता है।
- प्रतिरोध की सीमा:** अध्ययनों से पता चलता है कि लेनाकैपाविर के विरुद्ध उत्परिवर्तन स्वयं कैप्सिड को कमजोर कर देते हैं, जिससे वायरस की फिटनेस & जीवित रहने की क्षमता घटती है।
- वैज्ञानिक महत्व:** यह पुष्टि करता है कि कैप्सिड एक मजबूत और संधारणीय दवा लक्ष्य है, जो एचआईवी उपचार में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को संबोधित करता है।

एचआईवी उपचार का विकास:

- प्रारंभिक प्रगति - ज़िडोबुडीन (1987):** पहली एचआईवी दवा ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को लक्षित किया, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण जल्दी अप्रभावी हो गई।
- संयोजन चिकित्सा (ART):** कई दवाओं का उपयोग (रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, प्रोटीएज़, और इंटीग्रेज़ पर लक्षित) से जीवित रहने की दर में सुधार हुआ और वायरल लोड कम हुआ।
- दीर्घ-अवधि दवाओं की ओर बदलाव:** लेनाकैपाविर जैसी दवाएं नई श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो द्विवार्षिक खुराक के साथ दैनिक दवा पर निर्भरता कम करती हैं।
- नियामकीय उपलब्धि:** अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित, यह विश्व का पहला कैप्सिड-आधारित एचआईवी अवरोधक है।

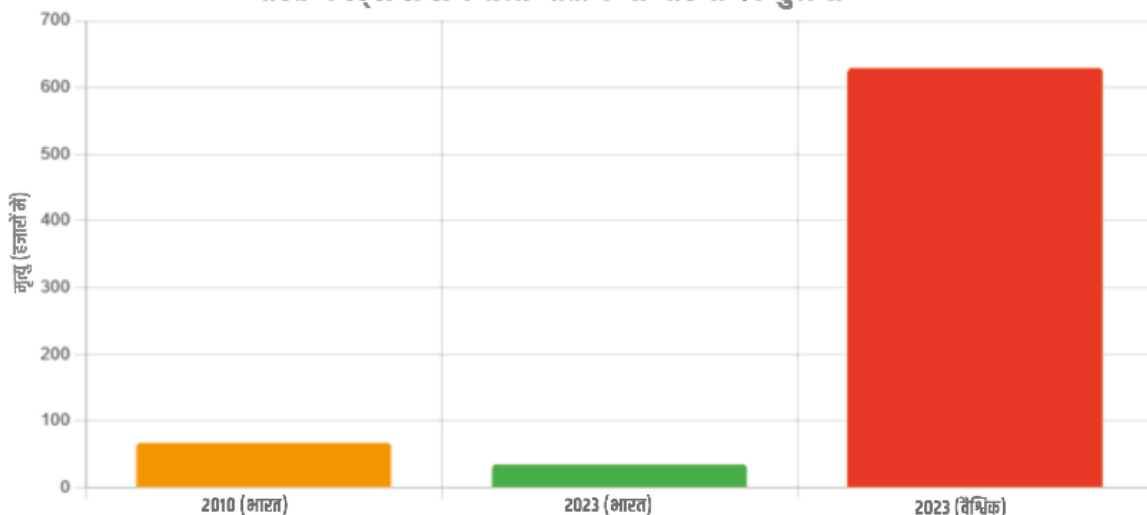
लेनाकैपाविर का सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व:

- अनुपालन में सुधार:** वर्ष में दो बार इंजेक्शन दैनिक या मौखिक PrEP व्यवस्थाओं में अनुपालन की बड़ी चुनौती को कम करते हैं।
- रोकथाम उपकरण (PrEP):** उच्च जोखिम वाले समूहों में संक्रमण के जोखिम को काफी कम करता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य समानता:** जिम्बाब्वे जैसे देशों में इसका विस्तार संसाधन-सीमित क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- WHO और SDG संबंध:** यह SDG 3.3 (2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना) के लक्ष्य को समर्थन देता है।

एचआईवी/एड्स: प्रमुख अवधारणाएं

- रोग की प्रकृति:** एचआईवी CD4+ T कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और तपेदिक जैसे संक्रमणों की संभावना बढ़ती है।
- एड्स की प्रगति:** एचआईवी संक्रमण का उन्नत चरण, जिसमें गंभीर प्रतिरक्षा क्षति होती है।
- संक्रमण के तरीके:** रक्त, वीर्य, योनि द्रव, स्तन दूध और माँ से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से फैलता है।
- कोई पूर्ण इलाज नहीं:** एचआईवी का प्रबंधन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से किया जाता है, जो प्रतिकृति को दबाती है।

भारत में एड्स से होने वाली मौतें: कमी और वैश्विक तुलना



भारत में एचआईवी/एड्स परिदृश्य:

- **घटती प्रसार दर:** एचआईवी प्रसार 0.33% (2010) से घटकर 0.20% (2024) हो गया है, जो प्रभावी हस्तक्षेप को दर्शाता है।
- **वैश्विक तुलना:** भारत की प्रसार दर 0.7% के वैश्विक औसत से काफी कम है।
- **वैश्विक बोझ में योगदान:** भारत वैश्विक नए संक्रमणों का लगभग 5% (2024) हिस्सा रखता है।
- **सफलता के कारक:** परीक्षण का विस्तार, ART कवरेज, जागरूकता अभियान और कलंक-निरोधक प्रयास।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP):

- **चरण विकास:** NACP I (1992) से NACP V (2021–26) तक कार्यक्रम जागरूकता से व्यापक देखभाल तक विकसित हुआ है।
- **मुख्य हस्तक्षेप:** उच्च जोखिम समूहों पर लक्षित उपाय, ART विस्तार और वायरल लोड निगरानी।
- **कानूनी ढांचा:** HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 भेदभाव-रहितता और रोगियों के अधिकार सुनिश्चित करता है।
- **वर्तमान लक्ष्य:** 2030 तक एड्स को समाप्त करना (SDG 3.3)।

एनएसीपी-V के मुख्य लक्ष्य (2021–26)

लक्ष्य

- 01** वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों में 80% की कमी (2010 के आधार स्तर से)
- 02** एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% की कमी (2010 के आधार स्तर से)
- 03** एचआईवी और सिफिलिस के ऊर्ध्वधर संचरण (मां से बच्चे) का उन्मूलन
- 04** जोखिमग्रस्त और संवेदनशील आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण एसटीआई/आरटीआई सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना
- 05** एचआईवी/एड्स से संबंधित कलंक और भेदभाव का उन्मूलन



परिचालन लक्ष्यों में 95-95-95 कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है: 95% जोखिम में लोग परीक्षण करें, 95% एचआईवी-पॉजिटिव अपनी स्थिति जानें, 95% उपचार पर हों, और उनमें से 95% में वायरल दमन प्राप्त हो।



साथ ही, एचआईवी के साथ जी रही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में वायरल दमन सुनिश्चित कर संक्रमण के उन्मूलन को प्राप्त करना।

स्रोत: राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चरण-V (2021–26) पुस्तिका

एचआईवी नियंत्रण में चुनौतियां:

- **दवा प्रतिरोध:** एचआईवी का निरंतर उत्परिवर्तन दीर्घकालिक उपचार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- **कलंक और भेदभाव:** सामाजिक कलंक परीक्षण और उपचार को प्रभावित करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **पहुंच में असमानता:** लेनाकैपाविर जैसी उन्नत दवाओं की उपलब्धता विकासशील देशों में सीमित है।
- **वित्तीय बाधाएं:** बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए निरंतर वित्तपोषण आवश्यक है।

निष्कर्ष:

लेनाकैपाविर जैसी कैप्सिड-लक्षित दवाओं की खोज एचआईवी उपचार और रोकथाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, वैज्ञानिक प्रगति को सुलभ पहुंच, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और सामाजिक जागरूकता के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। भारत का NACP दर्शाता है कि नीति, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का संयोजन एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. एचआईवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रतिरक्षा प्रणाली के CD4+ T कोशिकाओं पर हमला करता है।
2. इसे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।
3. यह रक्त और वीर्य जैसे शारीरिक द्रवों के माध्यम से फैलता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. एचआईवी उपचार में हालिया प्रगति सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार के महत्व को रेखांकित करती है। लेनाकैपाविर जैसी कैप्सिड-लक्षित दवाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत में लापता बच्चे

चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस के हालिया आंकड़े (जनवरी 2024–2026) लापता बच्चों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाते, जिससे अचानक वृद्धि की आशंकाएं कम होती हैं, लेकिन लगातार बनी संरचनात्मक चिंताओं को उजागर करते हैं।

मुख्य विवरण:

- दिल्ली में हर जनवरी लगभग 1,700–1,800 लोग लापता होते हैं, जिनमें बच्चों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है।
- जनवरी 2026 में 430 बच्चे लापता दर्ज किए गए, जो 2025 के आंकड़ों से थोड़ा कम है।
- 12–18 वर्ष आयु वर्ग लगभग 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- पुलिस डेटा संगठित तस्करी गिरोहों की संलिप्तता नहीं दर्शाता, हालांकि अप्राप्त (अनट्रैस्ड) मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है।

लापता बच्चों का पैमाना और प्रवृत्ति:

- **तीन वर्षों में स्थिर संख्या:** पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में जनवरी 2024 (436), 2025 (436) और 2026 (430) के बीच मामलों में स्थिरता रही, जिससे किसी असामान्य वृद्धि का संकेत नहीं मिलता।
- **आयु-आधारित वितरण:** 12–18 वर्ष आयु वर्ग प्रमुख है, जिसमें 380 से अधिक मामले हैं, जो संगठित अपहरण के बजाय किशोर संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
- **कम आयु वर्ग का जोखिम:** 0–8 वर्ष आयु वर्ग में मामले कम (लगभग 30 प्रति वर्ष) हैं, लेकिन इस समूह में तस्करी और अवैध गोद लेने का जोखिम अधिक होता है।
- **अप्राप्त मामले:** ट्रैसिंग दर में सुधार के बावजूद कई मामले अनसुलझे रहते हैं, विशेषकर किशोरों में, जिसके लिए दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक है।

लापता बच्चों के कारण:

- **किशोरों का स्वैच्छिक घर छोड़ना:** अधिकतर मामलों में प्रेम संबंध, पारिवारिक विवाद या स्वैच्छिक घर छोड़ने के कारण होते हैं, खासकर 12–18 वर्ष की लड़कियों में।
- **परिवार और सामाजिक तनाव:** गरीबी, घरेलू हिंसा, एकल अभिभावक परिवार और मोबाइल फोन या व्यक्तिगत मांगों से जुड़े विवाद प्रमुख कारण हैं।
- **शहरी संवेदनशीलता:** प्रवासन, अनौपचारिक बस्तियां और कमजोर सामुदायिक नेटवर्क शहरों में बच्चों के लापता होने की संभावना बढ़ाते हैं।
- **डिजिटल प्रभाव:** सोशल मीडिया और ऑनलाइन संबंध किशोरों के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे समस्या का नया आयाम जुड़ता है।

कानूनी और संस्थागत ढांचा:

- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015:** लापता बच्चों को “देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे” मानता है और तत्काल पुलिस कार्रवाई अनिवार्य करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश:** लापता बच्चों के मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है, और देरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- **बाल कल्याण समितियाँ (CWC):** पुनर्वास, परामर्श और पुनर्संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स (AHTUs):** विशेष रूप से छोटे बच्चों में तस्करी जोखिम को संबोधित करती हैं।

पुलिसिंग उपाय और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:

- **ऑपरेशन तलाश:** 2022 में शुरू किया गया, यह पहल लापता व्यक्तियों की खोज पर केंद्रित है, जिसमें जिला-स्तरीय दस्ते और समन्वित डेटाबेस शामिल हैं।
- **मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs):** तत्काल अलर्ट, फील्ड सत्यापन, तकनीकी विश्लेषण और एनजीओ समन्वय का पालन किया जाता है।
- **संवेदनशील समूहों को प्राथमिकता:** 0–8 वर्ष आयु वर्ग को तस्करी जोखिम के कारण सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- **अंतर-राज्य समन्वय:** लापता बच्चों के नेटवर्क विभिन्न राज्यों में फैले होते हैं, इसलिए समन्वय आवश्यक है।

व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

- **एनसीआरबी डेटा:** भारत में हर वर्ष 90,000 से अधिक बच्चे लापता होते हैं, जिनमें शहरी केंद्रों का योगदान अधिक है।
- **लैंगिक आयाम:** किशोर लड़कियों का अनुपात अधिक है, जिससे सुरक्षा, प्रारंभिक विवाह और शोषण संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं।
- **हर मामला अपराध नहीं:** एनसीआरबी और पुलिस डेटा दर्शाते हैं कि अधिकांश बच्चे मिल जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी मामले तस्करी से जुड़े नहीं होते।
- **निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता:** यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक मुद्दा भी है।

आगे की राह

- **प्रतिक्रियात्मक से निवारक दृष्टिकोण:** दीर्घकालिक समाधान के लिए परिवार परामर्श, स्कूल संपर्क और जोखिमग्रस्त किशोरों की पहचान जरूरी है।

- **परिवार और समुदाय समर्थन:** आरडब्ल्यूए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और स्कूल काउंसलर को प्रारंभिक संकेतों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **स्कूल-आधारित हस्तक्षेप:** जीवन कौशल शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा जागरूकता और भावनात्मक परामर्श आवश्यक हैं।
- **तकनीकी ट्रेकिंग और डेटा एकीकरण:** पुलिस, AHTUs, रेलवे पुलिस और TrackChild जैसे पोर्टल्स के बीच वास्तविक समय डेटा साझा करना मजबूत किया जाना चाहिए।
- **संवेदनशील आयु वर्ग पर ध्यान:** 0-8 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक दस्तावेजीकरण & त्वरित प्रतिक्रिया टीम आवश्यक हैं।
- **पुनर्वास और पुनर्संयोजन:** केवल खोज पर्याप्त नहीं; परामर्श, पारिवारिक मध्यस्थता और सामाजिक पुनर्वास जरूरी है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय:** पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और न्याय संस्थानों के बीच समन्वय मजबूत किया जाए।
- **जन जागरूकता और जिम्मेदार मीडिया:** समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए और सनसनीखेज प्रस्तुति से बचा जाए।

निष्कर्ष

हालांकि हालिया आंकड़े लापता बच्चों की संख्या में कोई असामान्य वृद्धि नहीं दिखाते, लेकिन उच्च संख्या स्वयं एक गंभीर चिंता है। प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर निवारक सामाजिक हस्तक्षेपों की ओर बढ़ना आवश्यक है। परिवार परामर्श, स्कूल जागरूकता, डिजिटल सुरक्षा, डेटा एकीकरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान संभव है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में लापता बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लापता बच्चों के मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है।
2. अधिकांश मामले संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़े होते हैं।
3. किशोर (12-18 वर्ष) सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में लापता बच्चों की समस्या से निपटने में संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। सुधार के उपाय सुझाइए। (सामान्य अध्ययन 2, 150 शब्द, 10 अंक)

मासिक धर्म स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल किया तथा राज्यों को स्कूलों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का निर्देश दिया, जिससे मासिक धर्म गरीबी और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अधिकार-आधारित परिवर्तन का संकेत मिला।

मुख्य विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना।
- निर्णय ने शारीरिक स्वायत्तता, समानता और मानवीय गरिमा को आपस में जोड़ा।
- न्यायालय ने कहा कि शौचालय, स्वच्छ जल, मासिक धर्म उत्पाद और स्वच्छ निपटान प्रणाली के बिना स्वायत्तता संभव नहीं है।
- सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और मासिक धर्म से जुड़ी कलंक, रूढ़िवादिता और अपमान को समाप्त करना राज्य की जिम्मेदारी है।
- सुविधाओं की कमी को "मासिक धर्म गरीबी" कहा गया, जो लड़कियों की शिक्षा के अधिकार को सीमित करता है और समानता का उल्लंघन करता है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में कार्यात्मक, पृथक (लड़कियों के लिए अलग) शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
- अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया।
 - ✓ **सरकारी स्कूल:** विफलताओं के लिए राज्य सीधे उत्तरदायी होगा।
 - ✓ **निजी स्कूल:** अनुपालन न करने पर मान्यता रद्द हो सकती है।

मासिक धर्म स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना।
- निर्णय ने अधिकार-आधारित, समग्र दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें मासिक धर्म को स्वायत्तता, गरिमा और समानता का विषय माना गया, न कि वर्जना।
- न्यायालय ने कहा कि शारीरिक स्वायत्तता तभी संभव है जब कार्यात्मक शौचालय, स्वच्छ जल, सस्ते मासिक धर्म उत्पाद और सुरक्षित निपटान प्रणाली उपलब्ध हों।
- न्यायालय ने जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से राज्य पर डाली, ताकि लड़कियों के साथ होने वाले कलंक, रूढ़िवादिता और अपमान को समाप्त किया जा सके।
- सुविधाओं की कमी को "मासिक धर्म गरीबी" कहा गया, जो सीधे शिक्षा को प्रभावित करती है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नुकसान पहुंचाती है।

न्यायालय के निर्देश:

- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर स्कूल में कार्यात्मक, पृथक शौचालय सुनिश्चित करें।
- अनुपालन न करने पर दंडात्मक उपाय लागू होंगे।
- सरकारी स्कूलों में कमी के लिए राज्य जिम्मेदार होगा।
- निजी स्कूल अनुपालन न करने पर मान्यता खो सकते हैं।

जमीनी वास्तविकताएं और संरचनात्मक अंतराल

- NFHS-5 के अनुसार 15-24 वर्ष की महिलाओं में स्वच्छ मासिक धर्म प्रथाओं में सुधार (77.3%) हुआ है, लेकिन लगभग एक-चौथाई को अभी भी पहुंच नहीं है।

- यह समस्या स्वास्थ्य अवसंरचना और संसाधनों तक पहुंच में लैंगिक असमानता को दर्शाती है।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन असमान और अक्सर प्रकरण-आधारित है।
- गैर-सरकारी संगठनों ने कुछ अंतराल भरे हैं, परंतु उनके प्रयास बिखरे हुए और सीमित हैं, जिससे गहरे सामाजिक कलंक को समाप्त करना कठिन है।
- यह निर्णय प्रणालीगत और दीर्घकालिक सुधार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है।

आगे की राह

- मासिक धर्म स्वच्छता को परियोजना-आधारित नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की मूल प्राथमिकता बनाया जाए।
- मासिक धर्म उत्पादों, स्वच्छता अवसंरचना और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
- स्कूल पाठ्यक्रम में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल कर बातचीत को सामान्य बनाया जाए और कलंक कम किया जाए।
- स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में निगरानी और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाए।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और महिला एवं बाल विकास विभागों के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाया जाए।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मासिक धर्म स्वास्थ्य में कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित शासन की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव है। गरिमा, स्वायत्तता और शिक्षा से इसे जोड़कर यह राज्य पर स्पष्ट दायित्व स्थापित करता है। निरंतर नीति प्रतिबद्धता और सामाजिक सुधार के साथ ही मासिक धर्म अब किसी लड़की की शिक्षा में बाधा नहीं बनेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मासिक धर्म स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना।
2. निर्णय ने मासिक धर्म सुविधाएं सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों पर डाली।
3. निजी स्कूल अनुपालन न करने पर मान्यता खो सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मातृत्व लाभ अधिनियम प्रगतिशील है

चर्चा में क्यों: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की प्रभावशीलता पर चर्चा हो रही है, क्योंकि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और कार्यस्थल समर्थन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

मुख्य विवरण:

- मातृत्व लाभ अधिनियम 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे उदार प्रावधानों में से एक है।
- कानूनी सुरक्षा के बावजूद, कई महिलाओं को प्रसव के बाद करियर में ठहराव और कार्यस्थल पक्षपात का सामना करना पड़ता है।
- सस्ती बाल देखभाल (चाइल्डकेयर) अवसंरचना की कमी एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा बनी हुई है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कानूनी प्रावधानों के साथ संगठनात्मक संवेदनशीलता और सामाजिक समर्थन भी आवश्यक है।

मातृत्व लाभ अधिनियम: कानूनी ढांचा

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1961 अधिनियम):** यह अधिनियम प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करने और सवेतन अवकाश सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिससे मातृ स्वास्थ्य और नौकरी सुरक्षा की रक्षा हो सके।
- **2017 संशोधन:** इस संशोधन ने सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, जिससे भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप हो गया।
- **प्रभाव क्षेत्र:** यह अधिनियम मुख्यतः औपचारिक क्षेत्र की वेतनभोगी महिलाओं पर लागू होता है, जबकि 90% से अधिक महिला कार्यबल वाले असंगठित क्षेत्र को प्रभावी सुरक्षा नहीं मिलती।
- **अतिरिक्त प्रावधान:** 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य है और जहां संभव हो वहां वर्क-फ्रॉम-होम की अनुमति दी गई है।

वैश्विक संदर्भ में प्रगतिशीलता:

- **तुलनात्मक रूप से उदार अवकाश:** भारत का 26 सप्ताह का अवकाश ILO की 14 सप्ताह की न्यूनतम सिफारिश से अधिक है।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान:** यह छह महीने तक विशेष स्तनपान को बढ़ावा देता है, जो WHO की सिफारिशों के अनुरूप है।
- **कल्याणकारी दृष्टिकोण का संकेत:** यह संशोधन लैंगिक-संवेदनशील विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **सीमाएं (वैश्विक तुलना):** कई OECD देशों की तरह भारत में सार्वभौमिक अभिभावक अवकाश और मजबूत राज्य-समर्थित चाइल्ड केयर का अभाव है।

महिला श्रम शक्ति भागीदारी की चुनौती:

- **घटती भागीदारी:** भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 37% (2023-24) है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
- **मातृत्व दंड (Motherhood Penalty):** कई महिलाएं प्रसव के आसपास नौकरी छोड़ देती हैं, जिसका कारण करियर अवरोध, कार्यस्थल पक्षपात और देखभाल का बोझ है।
- **नेतृत्व में कमी:** शिक्षा & शुरुआती नौकरियों में सफलता के बावजूद वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड स्तर पर महिलाओं की संख्या घट जाती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भारत के GDP में सैकड़ों अरब डॉलर का योगदान संभव है, जिससे आर्थिक विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यस्थल पर कार्यान्वयन की कमी:

- **अनुपालन बनाम स्वीकार्यता:** कई निजी कंपनियां औपचारिक रूप से अधिनियम का पालन करती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को पदोन्नति या भर्ती में नुकसान पहुंचाती हैं।
- **नियोक्ताओं पर लागत बोझ:** चूंकि मातृत्व लाभ मुख्यतः नियोक्ता द्वारा वित्तपोषित होते हैं, विशेषकर MSMEs में महिलाओं को लागत बोझ के रूप में देखा जाता है।
- **असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा:** कृषि, घरेलू कार्य और गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाली महिलाओं को सवेतन मातृत्व लाभ नहीं मिलता।
- **संगठनात्मक संस्कृति की कमी:** लचीले कार्य, पुनः प्रवेश (re-entry) अवसर और सहयोगी पर्यवेक्षण की कमी से कानून की प्रभावशीलता घटती है।

बाल देखभाल अवसंरचना की कमी:

- **क्रेच प्रावधान की चुनौतियां:** 50+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्यता के बावजूद लागत, स्थान और निगरानी समस्याओं के कारण क्रियान्वयन कमजोर है।
- **सस्ती चाइल्डकेयर की कमी:** शहरी कामकाजी माताओं को विश्वसनीय चाइल्डकेयर की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार पर निर्भरता अधिक होती है।
- **रोजगार अवसर:** चाइल्डकेयर सेवाओं का औपचारिककरण अर्ध-कुशल महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकता है।
- **गुणवत्ता और नियमन:** उचित प्रमाणन और निगरानी के बिना सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम:

- **लैंगिक देखभाल बोझ:** भारत में मातृत्व को मुख्यतः महिला की जिम्मेदारी माना जाता है, जिससे बिना वेतन वाले देखभाल कार्य का असमान वितरण होता है।
- **DINK परिवारों का उदय:** “डबल इनकम, नो किड्स” प्रवृत्ति आंशिक रूप से करियर बाधाओं के कारण बढ़ रही है, न कि केवल जीवनशैली विकल्प के कारण।
- **परिवार समर्थन प्रणाली:** कानून साझा घरेलू जिम्मेदारी का विकल्प नहीं हो सकता, जो महिलाओं के करियर के लिए महत्वपूर्ण है।
- **संवेदनशीलता की आवश्यकता:** भावनात्मक तनाव, अपराधबोध और कार्यस्थल धारणाएं कामकाजी माताओं की वापसी को प्रभावित करती हैं, इसलिए सहानुभूतिपूर्ण संगठनात्मक व्यवहार आवश्यक है।

निष्कर्ष:

मातृत्व लाभ अधिनियम एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन केवल कानूनी अधिकार लैंगिक-समान कार्यस्थल सुनिश्चित नहीं कर सकते। साझा अभिभावक जिम्मेदारी, राज्य-समर्थित चाइल्डकेयर, नियोक्ता प्रोत्साहन और सांस्कृतिक बदलाव आवश्यक हैं। संवेदनशील कार्यस्थल नीतियां और पारिवारिक समर्थन ही महिलाओं के कार्यबल से बाहर होने को रोक सकते हैं और वास्तविक समानता सुनिश्चित कर सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने सवेतन मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया।
 2. यह कुछ प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य करता है।
 3. यह असंगठित क्षेत्र सहित सभी महिलाओं पर लागू होता है।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मातृत्व लाभ अधिनियम प्रगतिशील है, लेकिन महिलाओं की निरंतर कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

अलारा दर्शन (ALARA Philosophy)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने निर्देशों और नियमों से ALARA दर्शन को हटा दिया है, जो लंबे समय से स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रथा से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

परिचय:

- **रैखिक नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल और ALARA सिद्धांत** कई दशकों से वैश्विक विकिरण सुरक्षा ढांचे की वैचारिक और परिचालन नींव रहे हैं।
- **LNT मॉडल:** यह एक जोखिम आकलन ढांचा है जो कहता है कि विकिरण की कोई भी मात्रा, चाहे कितनी भी कम हो, हानि (विशेषकर कैंसर) का कुछ जोखिम रखती है।
 - ✓ दूसरे शब्दों में, विकिरण के लिए कोई सुरक्षित सीमा नहीं होती; जोखिम खुराक के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है।
- **ALARA (As Low As Reasonably Achievable):** यह विकिरण सुरक्षा का संचालनात्मक दर्शन है।
 - ✓ यह सुरक्षा को व्यवहार्यता, लागत और सामाजिक आवश्यकता के साथ संतुलित करता है, और बेहतर शील्डिंग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर सुधार का लक्ष्य रखता है।
- ALARA का उद्देश्य इंजीनियरिंग नियंत्रणों के माध्यम से अनावश्यक विकिरण संपर्क को कम करना और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, चिकित्सा इमेजिंग (एक्स-रे, सीटी स्कैन), औद्योगिक रेडियोग्राफी & अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

अवॉइडेंट/रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर (ARFID)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, ARFID (अवॉइडेंट/रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर) एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, जो दिखने में चयनात्मक (पिकी) खाने जैसा लग सकता है।

परिचय:

- यह एक प्रकार का खाने का विकार है, जिसे वैश्विक स्तर पर एक बढ़ते लेकिन उपचार योग्य विकार के रूप में पहचाना जा रहा है।
- अवॉइडेंट/रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर (ARFID) एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बहुत सीमित मात्रा और प्रकार का भोजन

करता है। यह अन्य खाने के विकारों की तरह शरीर की छवि के प्रति असंतोष या वजन घटाने की इच्छा के कारण नहीं होता।

- ARFID के कारण व्यक्ति:
 - ✓ खाने में रुचि खो सकता है।
 - ✓ खाने के परिणामों (जैसे घुटन या उल्टी) को लेकर चिंता महसूस कर सकता है।
 - ✓ कुछ खाद्य पदार्थों से उनके अनचाहे रंग, स्वाद, बनावट या गंध के कारण बचता है।
- यह मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों & पोषण विशेषज्ञों के उचित पेशेवर सहयोग से उपचार योग्य है।

मेनिंगोकोकल रोग

चर्चा में क्यों: हाल ही में, मेघालय सरकार ने उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है, जब शिलांग के असम रेजिमेंटल सेंटर में दो अग्रिवीर प्रशिक्षुओं की संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण से मृत्यु हो गई।

मेनिंगोकोसीमिया संक्रमण:

- यह एक गंभीर रक्त-प्रवाह संक्रमण है, जो Neisseria Meningitidis नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो अक्सर बुखार, रक्तस्रावी चकत्ते तथा तेजी से सेप्टिक शॉक और बढ़ता है।
 - ✓ Neisseria Meningitidis एक महत्वपूर्ण बैक्टीरियल संक्रमण है, जो रक्तप्रवाह में प्रवेश कर मेनिन्जाइटिस, सेप्टीसीमिया या दोनों के रूप में प्रकट हो सकता है।
- यह श्वसन बूंदों (Respiratory Droplets) के माध्यम से फैलता है, और शिशु तथा किशोर सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, गर्दन में जकड़न और चकत्ते शामिल हैं, और यह निकट संपर्क से फैलता है।
- यह एक गंभीर और तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, जो जानलेवा मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्क की झिल्ली का संक्रमण) या मेनिंगोकोसीमिया (रक्त विषाक्तता) का कारण बन सकती है।
- रोकथाम के लिए टीकाकरण और निकट संपर्क में आए लोगों को एंटीबायोटिक देना आवश्यक है, जबकि समय पर पहचान और उपचार (एंटीबायोटिक & सहायक देखभाल) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इतिहास एवं संस्कृति

त्रिवेणी कला संगम @75

चर्चा में क्यों: त्रिवेणी कला संगम, भारत की एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था, अपनी स्थापना के 75 वर्ष (1950-2026) पूर्ण होने पर 15 मार्च 2026 को एक स्मारक प्रदर्शनी के साथ उत्सव मना रहा है।

मुख्य विवरण:

- 1950 में शास्त्रीय नृत्यांगना सुंदरी श्रीधरानी द्वारा स्थापित, त्रिवेणी ने दिल्ली में एक छोटे शिक्षण संस्थान के रूप में शुरुआत की।
- यह संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कलाओं को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख बहुविषयक सांस्कृतिक केंद्र बन गया।
- वर्तमान भवन का डिजाइन जोसेफ स्टीन ने किया था और इसका उद्घाटन 1963 में राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने किया।
- 75 वर्ष पूरे होने पर यह संस्था भारत की सांस्कृतिक धरोहर के एक स्तंभ के रूप में अपनी यात्रा का उत्सव मना रही है।

स्वतंत्रता-उपरांत भारत में सांस्कृतिक संस्थान:

- राष्ट्र-निर्माण के माध्यम से संस्कृति:** स्वतंत्रता के बाद भारत ने संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान का केंद्र माना, जिसके परिणामस्वरूप संगीत नाटक अकादमी (1952), ललित कला अकादमी (1954) और त्रिवेणी जैसे स्वतंत्र केंद्र स्थापित हुए।
- विकेन्द्रीकृत सांस्कृतिक विकास:** राज्य-समर्थित अकादमियों के विपरीत, त्रिवेणी एक नागरिक-समाज आधारित पहल के रूप में उभरी, जो अनुच्छेद 29 के सांस्कृतिक स्वतंत्रता के आदर्श को दर्शाती है।
- सॉफ्ट पावर और धरोहर संरक्षण:** सांस्कृतिक संस्थाएं अमूर्त धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यूनेस्को जैसे मंचों के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त करती हैं।
- शहरी सांस्कृतिक स्थल:** त्रिवेणी शहर नियोजन में संस्कृति के समावेश का उदाहरण है, जो "कल्चरल कॉमन्स" की अवधारणा के अनुरूप है।

त्रिवेणी कला संगम: ऐतिहासिक विकास

- स्थापना दृष्टि (1950):** सुंदरी श्रीधरानी ने त्रिवेणी को भारतीय शास्त्रीय कलाओं हेतु एक शिक्षण स्थल के रूप में स्थापित किया।
- संस्थागत विस्तार:** केवल दो छात्रों से शुरू होकर यह धीरे-धीरे नृत्य, संगीत, रंगमंच और ललित कलाओं का प्रमुख केंद्र बन गया।
- स्थापत्य महत्व:** जोसेफ-स्टीन द्वारा डिजाइन किया गया यह परिसर आधुनिक वास्तुकला, खुले आंगनों और पारंपरिक सौंदर्य का मिश्रण प्रस्तुत करता है।
- राष्ट्रीय मान्यता:** राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन ने संस्कृति को सार्वजनिक हित के रूप में मान्यता दी।

भारत के कलात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:

- प्रतिभा का पोषण:** त्रिवेणी ने अर्पणा कौर जैसे कलाकारों को मंच प्रदान किया, जिससे उन्हें पहचान, मार्गदर्शन और पेशेवर विकास मिला।

- अंतःविषयक आदान-प्रदान:** संगीत, नृत्य और कला के सह-अस्तित्व से रचनात्मक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिला।
- सुलभता और समावेशन:** व्यावसायीकरण से दूर रहकर इसने सार्वजनिक पहुंच बनाए रखी, जिससे संस्कृति का लोकतंत्रीकरण हुआ।
- राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ाव:** नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे संस्थानों के कलाकारों ने यहां सहभागिता की, जिससे प्रदर्शन कला नेटवर्क मजबूत हुआ।

राज्य समर्थन, स्वायत्तता और सांस्कृतिक नीति:

- सरकारी सहयोग:** जवाहरलाल नेहरू की सांस्कृतिक नीतियों के तहत भूमि आवंटन ने कला के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाया।
- स्वायत्तता:** राज्य समर्थन के बावजूद, त्रिवेणी ने संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखी, जिससे रचनात्मक स्वतंत्रता और नवाचार संभव हुआ।
- सांस्कृतिक संघवाद:** यह राष्ट्रीय अकादमियों के पूरक के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत का बहुलतावादी सांस्कृतिक परिदृश्य सुदृढ़ होता है।
- वर्तमान प्रासंगिकता:** इसका मॉडल सार्वजनिक-निजी साझेदारी और सतत धरोहर प्रबंधन की समकालीन चर्चाओं से मेल खाता है।

त्रिवेणी @75: समकालीन महत्व

- जीवित सांस्कृतिक धरोहर:** स्थिर स्मारकों के विपरीत, त्रिवेणी एक जीवित सांस्कृतिक स्थल है जो कलाकारों और दर्शकों द्वारा निरंतर विकसित होता है।
- शहरी सांस्कृतिक लचीलापन:** तेजी से शहरीकरण के बीच ऐसे संस्थानों का अस्तित्व सांस्कृतिक स्थानों के महत्व को दर्शाता है।
- प्रदर्शनी और ऐतिहासिक स्मृति:** 75-वर्षीय प्रदर्शनी संस्थागत स्मृति को संरक्षित करती है और सांस्कृतिक इतिहास लेखन में योगदान देती है।
- संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप:** यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और सांस्कृतिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों के बीच, त्रिवेणी कला संगम जैसी संस्थाएं कलात्मक स्वायत्तता, समावेशिता और जन-भागीदारी का सतत मॉडल प्रस्तुत करती हैं। सहायक नीतियों, धरोहर-संवेदनशील शहरी नियोजन और युवाओं की भागीदारी से ही ऐसे संस्थानों को मजबूत किया जा सकता है। 75 वर्ष पूरे करने के बाद त्रिवेणी केवल एक सांस्कृतिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता और लोकतांत्रिक भावना का जीवित प्रतीक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. त्रिवेणी कला संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- विभिन्न भारतीय कला रूपों का संवर्धन
- जोसेफ स्टीन द्वारा आधुनिक वास्तुकला डिजाइन
- स्वतंत्रता-उपरांत सांस्कृतिक संस्थान निर्माण उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. त्रिवेणी कला संगम जैसे गैर-राज्य सांस्कृतिक संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विशेषकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन में। (150 शब्द, 10 अंक)

उग्र राष्ट्रवाद और एकता

चर्चा में क्यों: 18 फरवरी 2026 को 1946 के रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करने और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करती है।

मुख्य विवरण:

- RIN विद्रोह (1946) में 78 जहाजों और 20 प्रतिष्ठानों के 20,000 से अधिक नौसैनिक रेटिंग्स शामिल थे।
- यह नस्लीय भेदभाव, खराब परिस्थितियों और INA मुकदमों के कारण भड़का।
- इस विद्रोह ने दुर्लभ हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रदर्शित किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक झंडे एक साथ फहराए गए।
- दमन के बावजूद, इसने ब्रिटिश वापसी को तेज किया और औपनिवेशिक सैन्य नियंत्रण की कमजोरियों को उजागर किया।

विद्रोह की पृष्ठभूमि और प्रकृति:

- **वृहद-स्तरीय नौसैनिक विद्रोह:** यह विद्रोह HMIS तलवार (बंबई) से शुरू होकर कराची, मद्रास, कलकत्ता और विशाखापत्तनम तक फैल गया, जिसमें 20,000 से अधिक रेटिंग्स शामिल हुए, जिससे इसका अखिल-भारतीय स्वरूप स्पष्ट हुआ।
- **सैन्य आयात:** यह केवल विरोध नहीं बल्कि एक सशस्त्र चुनौती थी, जिसमें नौसैनिकों ने जहाजों पर कब्जा किया, हथियार संभाले और सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी।
- **स्वतःस्फूर्तता बनाम संगठन:** यद्यपि यह काफी हद तक स्वतःस्फूर्त था, फिर भी नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन कुछ समन्वय प्रदान करता था।
- **व्यापक संदर्भ (1945-46):** इसे INA मुकदमों के बाद हुए आंदोलनों और श्रमिक हड़तालों के साथ देखना चाहिए, जो औपनिवेशिक विरोध के अंतिम चरण को दर्शाते हैं।

कारण: तात्कालिक और संरचनात्मक:

- **सेवा स्थितियां और भेदभाव:** रेटिंग्स को खराब भोजन, कम वेतन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था।
- **INA मुकदमों का प्रभाव:** 1945 के रेड फोर्ट ट्रायल्स ने व्यापक जनसहानुभूति उत्पन्न की और नौसैनिकों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत कीं।
- **राजनीतिक जागरूकता:** भारत छोड़ो आंदोलन (1942) और आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव से राजनीतिक चेतना बढ़ी।
- **वैश्विक संदर्भ (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद):** युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य कमजोरी ने उपनिवेशों को चुनौती देने का अवसर दिया।

INA कारक और राष्ट्रवादी लामबंदी:

- **सशस्त्र प्रतिरोध का प्रतीक:** सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी।
- **रेड फोर्ट ट्रायल्स और एकता:** प्रेम सहगल (हिंदू), शाहनवाज खान (मुस्लिम), गुरबख्श ढिल्लों (सिख) के मुकदमों ने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया।
- **व्यापक राजनीतिक समर्थन:** कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य समूहों ने INA कैदियों का समर्थन किया, जिससे देशव्यापी लामबंदी हुई।
- **नारे आधारित राष्ट्रवाद:** "जय हिंद" और "इंकलाब जिंदाबाद" जैसे नारे नौसैनिकों की कार्यवाही को प्रेरित करते रहे।

हिंदू-मुस्लिम एकता और जन-भागीदारी:

- **प्रतीकात्मक एकता:** विद्रोहियों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहराए।
- **शहरी जनउभार:** बंबई में श्रमिकों, छात्रों और नागरिकों ने हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से समर्थन दिया।
- **संयुक्त समुदायिक भागीदारी:** हिंदू और मुस्लिम संयुक्त रूप से विरोध में शामिल हुए, जो एक दुर्लभ उदाहरण था।
- **सामाजिक-आर्थिक भागीदारी:** मिलों, रेल कार्यशालाओं और कारखानों के बंद होने से श्रमिक वर्ग की भागीदारी स्पष्ट हुई।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया और दमन:

- **सैन्य बल का प्रयोग:** ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए नौसैनिक जहाजों और हथियारबंद बलों का उपयोग किया।
- **हिंसक दमन:** नागरिकों और रेटिंग्स पर गोलीबारी से भारी हताहत हुए।
- **रणनीतिक अलगाव:** नौसैनिक इकाइयों को अलग-थलग कर सेना और वायुसेना से समन्वय रोक दिया गया।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने रेटिंग्स को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया, जिससे नियंत्रित समाधान संभव हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम में महत्व:

- **सैन्य निष्ठा का क्षरण:** इस विद्रोह ने दिखाया कि भारतीय सशस्त्र बलों पर ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हो रहा है।
- **स्वतंत्रता में तेजी:** इसने ब्रिटेन पर भारत से शीघ्र हटने का दबाव बढ़ाया।
- **नीतिगत रियायतें:** कैबिनेट मिशन (1946), INA मुकदमों में ढील और विदेशी तैनाती से भारतीय सैनिकों की वापसी जैसे कदम उठाए गए।
- **राष्ट्रीय एकता का प्रतीक:** इसने सांप्रदायिक विभाजनों के बावजूद एकता की संभावना को दर्शाया।

विद्रोह की सीमाएं:

- **केंद्रीय नेतृत्व का अभाव:** मजबूत राजनीतिक या सैन्य नेतृत्व की कमी से दीर्घकालिक रणनीति नहीं बन सकी।
- **राजनीतिक समर्थन की कमी:** कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर समर्थन नहीं किया, जिससे इसकी वैधता सीमित रही।
- **सीमित प्रसार:** यह मुख्यतः नौसैनिक इकाइयों और कुछ शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा।
- **ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता:** भारी हथियार और संसाधनों के कारण ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया।

संवैधानिक और स्वतंत्रता-उपरांत सीख:

- **नागरिक नियंत्रण सिद्धांत:** इस घटना ने यह सिद्ध किया कि सैन्य बलों को नागरिक नेतृत्व के अधीन होना चाहिए।
- **वार्तात्मक हस्तांतरण की प्राथमिकता:** यह दिखाता है कि संवैधानिक बातचीत के दौरान हिंसक विद्रोहों की सीमाएं होती हैं।
- **लोकतांत्रिक संस्थागतकरण:** स्वतंत्रता के बाद भारत ने सशस्त्र बलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक ढांचा अपनाया।
- **ऐतिहासिक विरासत:** यह विद्रोह सामूहिक प्रतिरोध और राष्ट्र-निर्माण में एकता के महत्व की याद दिलाता है।

निष्कर्ष

1946 का RIN विद्रोह एक निर्णायक क्षण था, जिसने भारत की सशस्त्र सेनाओं पर ब्रिटिश नियंत्रण की कमजोरी को उजागर किया। अपनी सीमाओं के बावजूद, इसने स्वतंत्रता को गति दी, साम्प्रदायिक एकता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया और स्वतंत्रता-उपरांत नागरिक-सैन्य संबंधों को आकार दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह मुख्यतः किस कारण से हुआ था?

- (a) भारत का विभाजन
- (b) INA मुकदमे और खराब सेवा स्थितियां
- (c) साइमन कमीशन
- (d) कैबिनेट मिशन

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह केवल एक बगावत नहीं था; यह ब्रिटिश सत्ता के क्षरण का प्रतीक था।" विश्लेषण कीजिए।
(150 शब्द, 10 अंक)

होयसल मंदिर

चर्चा में क्यों: हाल ही में, कर्नाटक में होयसल काल (11वीं-13वीं शताब्दी) के कई कम-ज्ञात मंदिर अपनी सूक्ष्म नक्काशी और विशिष्ट स्थापत्य के कारण पुनः चर्चा में हैं।



मुख्य विवरण:

- होयसल मंदिरों का निर्माण 1050-1300 ईस्वी के बीच होयसल वंश के शासन में हुआ।
- ये वेसर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नागर और द्रविड़ स्थापत्य परंपराओं का मिश्रण है।
- सोपस्टोन (क्लोराइट शिस्ट) के उपयोग से मूर्तियों में अत्यंत सूक्ष्म विवरण संभव हुआ।
- चेन्नकेशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वंशीय संदर्भ:

- **होयसल वंश (11वीं-14वीं शताब्दी):** इस वंश ने वर्तमान कर्नाटक के बड़े हिस्से पर शासन किया, जिनकी राजधानियां बेलूर और हलेबिडू थीं। मंदिर निर्माण को राजनीतिक वैधता और भक्ति के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया गया।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:** वंश ने शैव, वैष्णव, जैन और शाक्त परंपराओं को संरक्षण दिया, जो विभिन्न धार्मिक मंदिरों में परिलक्षित होता है।
- **आर्थिक समृद्धि:** जावगल और सोमनाथपुर जैसे व्यापारिक केंद्रों के विकास से बड़े मंदिर निर्माण संभव हुए, जो मजबूत कृषि और वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
- **निरंतरता और परिवर्तन:** होयसल वास्तुकला चालुक्य प्रभावों से विकसित हुई और आगे चलकर विजयनगर वास्तुकला को प्रभावित किया।

वेसर वास्तुकला: एक मिश्रित शैली

- **शैलियों का सम्मिश्रण:** वेसर शैली नागर (उत्तर भारत) की ऊर्ध्वाधर विशेषताओं और द्रविड़ (दक्षिण भारत) की पिरामिडीय शैली का संयोजन है।
- **क्षेत्रीय नवाचार:** यह शैली कर्नाटक के मंदिरों के लिए विशिष्ट स्थानीय अनुकूलन को दर्शाती है।
- **सजावटी प्रधानता:** पहले के मंदिरों की संरचनात्मक सादगी के विपरीत, होयसल मंदिरों में सतही अलंकरण और नक्काशी पर अधिक जोर दिया गया।

सामग्री और निर्माण तकनीक:

- **सोपस्टोन का उपयोग:** इस नरम पत्थर ने कारीगरों को आभूषण, बालों की लटों और नाखूनों जैसे सूक्ष्म विवरण उकेरने की अनुमति दी।
- **स्थायित्व और चमक:** समय के साथ पत्थर कठोर हो जाता है, जिससे स्थायित्व और सौंदर्य दोनों मिलते हैं।
- **उन्नत शिल्प कौशल:** कारीगरों ने उच्च सटीकता और समरूपता हासिल की, जो उन्नत इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल को दर्शाता है।
- **श्रम संगठन:** निर्माण में मूर्तिकारों और वास्तुकारों के संगठित गिल्ड शामिल थे, जो मध्यकालीन भारत में संगठित प्रणालियों को दर्शाते हैं।

भूमि योजना और संरचनात्मक नवाचार:

- **सितारा-आकार (स्टेलेट) योजना:** मंदिरों की सबसे विशिष्ट विशेषता तारा-आकार का मंच (जगती) है, जिससे नक्काशी के लिए अधिक सतह मिलती है।

- **एकाधिक गर्भगृह प्रकार:** एककूट, द्विकूट, त्रिकूट और पंचकूट मंदिर स्थापत्य विविधता को दर्शाते हैं।
- **ऊंचा मंच:** जगती धार्मिक (प्रदक्षिणा) और सौंदर्यात्मक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
- **पंचायतन शैली से तुलना:** पंचायती योजना के विपरीत, होयसल मंदिर जटिल ज्यामितीय संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं।

मूर्तिकला उत्कृष्टता और आइकनोग्राफी:

- **कथात्मक चित्र वल्लरी:** बाहरी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य अंकित हैं, जो दृश्य ग्रंथ का कार्य करते हैं।
- **मदानिका मूर्तियां:** ब्रैकेट आकृतियां नृत्य, सौंदर्य और सौंदर्यशास्त्र को दर्शाती हैं।
- **क्षैतिज चित्र वल्लरी:** हाथी, घोड़े, शेर और पौराणिक जीव शक्ति, गति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक हैं।
- **धार्मिक विविधता:** मूर्तियां विभिन्न धार्मिक परंपराओं को दर्शाती हैं, जो मध्यकालीन भारतीय समाज की बहुलता को दिखाती हैं।

शिखर और अधिरचना:

- **स्तरीय शिखर डिजाइन:** शिखर क्षैतिज परतों और मोल्डिंग से बने होते हैं, जो लयात्मक दृश्य प्रभाव देते हैं।
- **सूक्ष्म मंदिर प्रतिरूप:** छोटे-छोटे मंदिर रूपांकनों से जटिल पैटर्न बनते हैं।
- **आधार के साथ संतुलन:** उत्तर भारतीय शिखरों के विपरीत, होयसल संरचनाएं आधार के साथ संतुलित बनाए रखती हैं।
- **प्रतीकवाद:** संरचना ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दैवी पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रमुख होयसल मंदिर:

- **चेन्नकेशव मंदिर (बेलूर):** राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित, विष्णु को समर्पित, सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध।
- **होयसलेश्वर मंदिर (हालेबीडु):** एक भव्य शिव मंदिर, जिसमें घनी मूर्तिकला और महाकाव्य कथाएं हैं।
- **केशव मंदिर (सोमनाथपुर):** त्रिकूट मंदिर, जो समरूपता और कलात्मक पूर्णता का उदाहरण है।
- **अन्य स्थल:** कोरवांगला, जावगल और मांड्या क्षेत्रीय विविधता और प्रयोग को दर्शाते हैं।

यूनेस्को मान्यता और समकालीन महत्व:

- **विश्व धरोहर दर्जा (2023):** "होयसल के पवित्र समूह" को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली, जिससे वैश्विक पहचान बढ़ी।
- **पर्यटन और अर्थव्यवस्था:** पर्यटन में वृद्धि से स्थानीय आजीविका को लाभ मिला।
- **संरक्षण चुनौतियां:** अपक्षय, मानव हस्तक्षेप और जागरूकता की कमी प्रमुख समस्याएं हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** ये स्थल भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष:

होयसल मंदिर मध्यकालीन भारतीय मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां कलात्मक उत्कृष्टता और इंजीनियरिंग नवाचार का अद्भुत समन्वय है। इनके संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी, वैज्ञानिक संरक्षण और सतत पर्यटन नीतियां आवश्यक हैं। इन्हें जीवित धरोहर के रूप में पहचानना भारत की सांस्कृतिक विरासत को भविष्य तक संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. होयसल मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये मुख्यतः ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं।
2. इनकी भूमि योजना तारा-आकार की होती है।
3. ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. होयसल मंदिरों की स्थापत्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास में उनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उपनिवेशवाद से मुक्ति और राष्ट्रीय प्रतीक

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है, जो औपनिवेशिक विरासत से दूरी बनाने का प्रतीक है।

मुख्य विवरण:

- राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई जा रही है, जो इस भवन के पहले भारतीय प्रमुख थे।
- राजगोपालाचारी (राजाजी) भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल (1948-50) और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे।
- यह कदम सार्वजनिक स्थलों और प्रतीकों के उपनिवेश-मुक्तिकरण की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- यह राष्ट्र-निर्माण की कथाओं में भारतीय व्यक्तित्वों की मान्यता को भी रेखांकित करता है।

सार्वजनिक स्थलों में उपनिवेश-मुक्तिकरण का प्रतीकवाद:

- **औपनिवेशिक विरासत बनाम स्वदेशी पहचान:** औपनिवेशिक व्यक्तियों की जगह भारतीय प्रतीकों को स्थापित करना राष्ट्रीय पहचान को स्वदेशी योगदानों पर आधारित करने का प्रयास है।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्मृति राजनीति:** सार्वजनिक मूर्तियां और स्मारक सामूहिक स्मृति को आकार देते हैं और इतिहास की पुनर्व्याख्या का संकेत देते हैं।
- **समान पहल के उदाहरण:** राजपथ का कर्तव्य पथ नामकरण, औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाना और भारतीय धरोहर स्थलों को बढ़ावा देना।

एडविन लुटियंस और औपनिवेशिक शहरी नियोजन:

- **नई दिल्ली के वास्तुकार:** एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ & साउथ ब्लॉक जैसे प्रमुख स्थलों का डिजाइन किया।

- **लुटियंस दिल्ली की अवधारणा:** यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासनिक प्रभुत्व और साम्राज्यवादी भव्यता का प्रतीक है।
- **वास्तुशिल्प महत्व:** उनके कार्य में शास्त्रीय यूरोपीय शैलियों का उपयोग हुआ, जिसमें सीमित भारतीय तत्व शामिल थे।
- **आलोचनात्मक दृष्टिकोण:** वास्तुशिल्प महत्व के बावजूद, उनकी विरासत औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिनिधित्व से जुड़ी है।

सी. राजगोपालाचारी: स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- **प्रारंभिक राष्ट्रवादी सहभागिता:** बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर राजाजी ने कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया।
- **नमक सत्याग्रह में नेतृत्व:** उन्होंने वेदार्ण्यम नमक मार्च (1930) का नेतृत्व किया, जो दांडी मार्च का क्षेत्रीय रूप था।
- **महात्मा गांधी से संबंध:** गांधीजी के करीबी सहयोगी के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में गांधीवादी रणनीतियों को लागू किया।
- **सामाजिक सुधार:** दलितों के लिए मंदिर प्रवेश का समर्थन किया, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिला।

राजाजी के संवैधानिक और राजनीतिक योगदान:

- **भारत के गवर्नर-जनरल (1948-50):** वे इस पद पर आसीन होने वाले एकमात्र भारतीय थे, जो औपनिवेशिक शासन से भारतीय नेतृत्व में संक्रमण का प्रतीक है।
- **सी. आर. फॉर्मूला (1944):** कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव, जो पाकिस्तान मुद्दे के समाधान का प्रयास था।
- **स्वतंत्रता-उपरांत भूमिकाएं:** उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण सहित प्रारंभिक नीति ढांचे में योगदान दिया।
- **स्वतंत्र पार्टी (1959):** उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था और सीमित राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए इस पार्टी की स्थापना की।

आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि:

- **केन्द्रीय योजना की आलोचना:** राजाजी ने अत्यधिक राज्य नियंत्रण का विरोध किया और मुक्त बाजार तथा आर्थिक उदारवाद का समर्थन किया।
- **मुख्यमंत्री के रूप में नीतियां:** खाद्यान्न वितरण के नियंत्रण को कम किया, जिससे बाजार दक्षता बढ़ी और राज्य एकाधिकार कम हुआ।
- **पंचवर्षीय योजनाओं में योगदान:** उन्होंने प्रारंभिक आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाने में भूमिका निभाई।
- **समकालीन प्रासंगिकता:** उनके विचार आज के आर्थिक सुधार और उदारीकरण की बहसों में प्रासंगिक हैं।

साहित्यिक और बौद्धिक योगदान:

- **साहित्य अकादमी पुरस्कार (1958):** उनकी तमिल कृति 'चक्रवर्ती तिरुमगन' के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला, जो रामायण का पुनर्कथन है।

- **नैतिक साहित्य का प्रचार:** उनके लेखन का उद्देश्य आधुनिक युग में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था।
- **सार्वजनिक बुद्धिजीवी भूमिका:** उन्होंने सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय योगदान दिया और विविध वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
- **राष्ट्रीय सम्मान:** उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

गणतंत्र, स्मृति और लोकतांत्रिक मूल्य:

- **साम्राज्य से गणतंत्र तक:** लुटियंस से राजाजी की ओर बदलाव भारत की औपनिवेशिक अधीनता से लोकतांत्रिक संप्रभुता की यात्रा को दर्शाता है।
- **भारतीय योगदान की मान्यता:** यह भारतीय नेताओं की भूमिका को रेखांकित करता है जिन्होंने शासन और संवैधानिक मूल्यों को आकार दिया।
- **राष्ट्र-निर्माण में जनभागीदारी:** यह विचार मजबूत होता है कि गणतंत्र नागरिकों और उनकी ऐतिहासिक विरासत से संचालित होता है।
- **समकालीन बहस:** यह कदम धरोहर संरक्षण और वैचारिक पुनर्व्याख्या के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाता है।

निष्कर्ष:

लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करना केवल प्रतीकात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भारत की बदलती ऐतिहासिक समझ और राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। जहां एक ओर वास्तुकला में औपनिवेशिक योगदान को स्वीकार किया जाता है, वहीं स्वदेशी नेताओं को प्राथमिकता देना लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव को सुदृढ़ करता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए इतिहास का संरक्षण और समावेशी कथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सी. राजगोपालाचारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल थे।
 2. उन्होंने वेदार्ण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
 3. उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सी. राजगोपालाचारी के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता-उपरांत शासन में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

सरकारी योजनाएँ

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत माइलस्टोन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 30 लाख घरों द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाने की सराहना की, जो एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धि है।

नोट: गुजरात इस अपनाने में अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं, जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी व्यापक भागीदारी देखी जा रही है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY)

- भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) फरवरी, 2024 में शुरू की।
- इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) स्थापना करना है, जिनमें प्रत्येक घर को 75,021 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- यह योजना पात्र घरों को एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से किफायती स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सोलर पैनल स्थापित करने की अनुमति देती है।
- इस योजना के आसान वित्तपोषण विकल्प, जिनमें 2 लाख रुपये तक के बिना जमानत ऋण तथा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% की सब्सिडी युक्त ब्याज दर शामिल है, ने अपनाने को और तेज किया है।

पात्रता



परिवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।



परिवार के पास ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत पर सौर पैनल स्थापित करना संभव हो।



परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।



परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

लाभ:

- घर-परिवारों के लिए मुफ्त बिजली:** यह योजना सब्सिडी युक्त रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करके घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में काफी कमी आती है।
- सरकार के लिए बिजली लागत में कमी:** इस योजना के व्यापक सौर अपनाने से सरकार की बिजली लागत में बचत की अपेक्षा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि:** यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में अधिक संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिश्रण विकसित होता है।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी:** इस योजना के तहत सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जिससे भारत के कार्बन पदचिह्न को घटाने की प्रतिबद्धता को समर्थन मिलेगा।

सड़क सुरक्षा एवं कल्याण शासन

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पीएम राहत योजना (2026) शुरू की है, जिसका उद्देश्य रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर को कम करना है।

मुख्य विवरण

- 7 दिनों के लिए प्रति सड़क दुर्घटना पीड़ित ₹1.5 लाख तक कैशलेस उपचार।
- गोल्डन ऑवर हस्तक्षेप के लिए 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के साथ एकीकृत।
- निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने हेतु eDAR + TMS 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू।
- मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAIF) द्वारा वित्तपोषित, जिसमें बीमा एवं सरकारी समर्थन शामिल है।

भारत में सड़क सुरक्षा संकट

- उच्च मृत्यु बोझ:** भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु (MoRTH डेटा) दर्ज होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है, और सड़क सुरक्षा तथा ट्रॉमा देखभाल में प्रणालीगत अंतराल को दर्शाती है।
- स्वर्णिम घंटा का महत्व:** अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यदि पीड़ितों को पहले एक घंटे के भीतर उपचार मिल जाए तो लगभग 50% मौतें रोकी जा सकती हैं, जो त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है।
- आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव:** सड़क दुर्घटनाएँ उत्पादक कार्यबल की हानि का कारण बनती हैं, परिवारों को गरीबी में धकेलती हैं और जीडीपी का लगभग 3% नुकसान करती हैं (विश्व बैंक अनुमान)।
- क्षेत्रीय एवं अवसंरचनात्मक अंतराल:** ग्रामीण क्षेत्रों और राजमार्गों में अक्सर ट्रॉमा केंद्रों और एम्बुलेंस नेटवर्क की कमी होती है, जिससे महत्वपूर्ण देखभाल और प्रतिक्रिया समय में देरी होती है।

पीएम राहत योजना की मुख्य विशेषताएँ

- सार्वभौमिक कवरेज:** किसी भी श्रेणी की सड़क पर सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर लागू, सामाजिक-आर्थिक स्थिति से परे समावेश सुनिश्चित करता है।
- कैशलेस उपचार प्रावधान:** पीड़ितों को 7 दिनों के लिए ₹1.5 लाख तक उपचार का अधिकार, जिससे वित्तीय बाधाएँ दूर होती हैं और तत्काल अस्पताल में भर्ती सुनिश्चित होती है।
- स्थिरीकरण अवधि:** गंभीरता के अनुसार 24-48 घंटे तक उपचार सहायता, जिससे आगे के चिकित्सा निर्णयों से पहले जीवन रक्षक देखभाल सुनिश्चित होती है।
- गुड समैरिटन (राहगीर) की भूमिका:** मौजूदा गुड समैरिटन दिशानिर्देशों के अनुरूप, राहगीरों को कानूनी या वित्तीय हानि के भय के बिना पीड़ितों की सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रौद्योगिकी-आधारित शासन मॉडल

- **डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) और लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (TMS 2.0) को जोड़कर एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रेकिंग।
- **रियल-टाइम समन्वय:** पुलिस, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करता है, जिससे भर्ती और उपचार में देरी कम होती है।
- **प्रमाणीकरण के माध्यम से जवाबदेही:** 24-48 घंटों के भीतर पुलिस सत्यापन प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और धन के दुरुपयोग को रोकता है।
- **कुशल दावा निपटान:** दावों का 10 दिनों के भीतर प्रसंस्करण और भुगतान, जिससे अस्पतालों के बीच विश्वास बढ़ता है और सेवाएँ निर्बाध रहती हैं।

संस्थागत एवं वित्तीय ढांचा

- **मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAIF):** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019) के तहत एक समर्पित कोष, जो उपचार और मुआवजे के लिए वित्त उपलब्ध कराता है।
- **बीमा-आधारित समर्थन:** बीमित मामलों में लागत सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा वहन की जाती है, जिससे सरकार का वित्तीय बोझ कम होता है।
- **संवेदनशील मामलों में सरकारी समर्थन:** हिट-एंड-रन या बिना बीमा वाले वाहनों के मामलों में सरकार वित्त उपलब्ध कराती है, जिससे किसी भी पीड़ित को उपचार से वंचित न होना पड़े।
- **विकेंद्रीकृत शासन:** जिला सड़क सुरक्षा समितियाँ शिकायत निवारण संभालती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

संवैधानिक एवं शासन संबंधी पहलू

- **जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21):** समय पर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।
- **राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47):** सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का दायित्व पीएम राहत जैसी योजनाओं में परिलक्षित होता है।
- **कल्याणकारी राज्य दृष्टिकोण:** यह योजना नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल को दर्शाती है, जो आपात स्थितियों में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देती है।
- **सहकारी संघवाद:** क्रियान्वयन में केंद्र, राज्य, पुलिस, अस्पताल और बीमा एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **कार्यान्वयन अंतराल:** विभिन्न क्षेत्रों में सूचीबद्ध अस्पतालों और प्रशिक्षित ट्रॉमा स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौती बना हुआ है।
- **जागरूकता की कमी:** गुड समैरिटन सुरक्षा और योजना के लाभों के बारे में जानकारी की कमी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।
- **डेटा और निगरानी संबंधी मुद्दे:** दुर्घटना रिपोर्टिंग और सुदृढ़ निगरानी में वास्तविक समय डेटा का एकीकरण तथा सटीकता चुनौतीपूर्ण है।
- **वित्तीय स्थिरता:** MVAIF और बीमा योगदान के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण से स्थायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्व

- **स्वर्णिम घंटा प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना:** आपातकालीन प्रतिक्रिया का संस्थानीकरण मृत्यु दर को काफी कम कर सकता है।
- **जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहन:** कानूनी और वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से राहगीरों के हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार:** अस्पतालों को आपातकालीन देखभाल नेटवर्क में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **एसडीजी लक्ष्यों की ओर:** सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्यु दर को कम करने हेतु एसडीजी 3.6 के अनुरूप है।

निष्कर्ष

पीएम राहत योजना सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। हालांकि, इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता सृजन और आपातकालीन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करती है। सुरक्षित सड़कों, जिम्मेदार ड्राइविंग, सशक्त प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल प्रणालियों के संयोजन वाला समग्र दृष्टिकोण भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: PM राहत योजना के संदर्भ में निम्नकथनों पर विचार करें:

1. यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
 2. इसे पूरी तरह से संघ बजट द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
 3. यह eDAR और TMS प्लेटफॉर्म को एकीकृत करती है।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पीएम राहत योजना के महत्व पर चर्चा करें, जो भारत की सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित करें। (250 शब्द, 15 अंक)

भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR)

चर्चा में क्यों: सरकार ने भारत-विस्तार, एक एआई-आधारित बहुभाषी सलाहकारी मंच, को केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया, ताकि किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके।

मुख्य विवरण

- भारत-विस्तार कृषि के लिए एआई-आधारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) है, जो व्यक्तिगत सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह मोबाइल ऐप/हेल्पलाइन (155261) के माध्यम से बहुभाषी, वॉयस और चैट-आधारित पहुँच प्रदान करता है।
- यह पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करता है।

- इसका उद्देश्य किसानों के लिए उत्पादकता, बाजार पहुँच और शिकायत निवारण में सुधार करना है।

कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

- **DPI की अवधारणा एवं शासन:** DPI से आशय आधार, UPI और नई कृषि प्लेटफॉर्म जैसी परस्पर-संचालित डिजिटल प्रणालियों से है, जो कुशल सेवा वितरण और समावेशन सुनिश्चित करती हैं। भारत-विस्तार DPI को कृषि तक विस्तारित करता है।
- **एग्रीस्टैक के साथ एकीकरण:** यह प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक पर आधारित है, जो डेटा, भूमि अभिलेख और सेवाओं को एकीकृत करने वाला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिससे लक्षित और डेटा-आधारित नीति निर्माण संभव होता है।
- **किसान-केंद्रित शासन:** एकल डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करके यह योजनाओं के विखंडन को कम करता है और पारदर्शिता व सेवा वितरण में सुधार करता है।
- **डिजिटल इंडिया मिशन के साथ संरेखण:** यह भारत के प्रौद्योगिकी-चालित शासन के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो डिजिटल विभाजन को कम करता है।

एआई-आधारित व्यक्तिगत सलाहकारी प्रणाली

- **अनुकूलित कृषि सलाह:** एआई का उपयोग कर फसल-विशिष्ट, मृदा-विशिष्ट और जलवायु-विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता और दक्षता में सुधार होता है।
- **रियल-टाइम निर्णय समर्थन:** मौसम डेटा (IMD), बाजार मूल्य और ICAR अनुसंधान को एकीकृत कर बुवाई, सिंचाई और कटाई पर समयबद्ध सलाह देता है।

संवादी एआई इंटरफेस

- किसान वॉयस या चैट के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, जिससे यह गैर-साक्षर उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुलभ बनता है।
- **24x7 डिजिटल कृषि विशेषज्ञ:** चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि किसानों को त्वरित समाधान मिलें, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।

बहुभाषी और समावेशी पहुँच

- **भाषाई विविधता:** प्रारंभ में हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध, तथा 11 भाषाओं तक विस्तार की योजना, जिससे क्षेत्रीय समावेशन सुनिश्चित होता है।
- **वॉयस-आधारित हेल्पलाइन (155261):** स्मार्टफोन न रखने वाले किसान भी साधारण वॉयस कॉल के माध्यम से सलाह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डिजिटल विभाजन कम होता है।
- **सीमांत किसानों के लिए पहुँच:** छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि जनगणना के अनुसार 85% से अधिक जोत रखते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं।
- **डिजिटल अंतर को पाटना:** ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देता है, जो समावेशी विकास के उद्देश्यों के अनुरूप है।

सरकारी योजनाओं का एकीकरण

- **व्यापक योजना समेकन:** पीएम-किसान (आय सहायता), पीएमएफबीवाई (बीमा), मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को एक मंच पर लाता है।

- **लाभ ट्रैकिंग एवं पात्रता:** किसान योजना की पात्रता, आवेदन स्थिति और भुगतान की जानकारी देख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- **ऋण एवं अवसंरचना समर्थन:** कृषि अवसंरचना कोष और ब्याज सब्सिडी योजना से जुड़ाव, जिससे निवेश और सस्ती ऋण सुविधा मिलती है।
- **सिंचाई एवं यंत्रीकरण:** पीएम कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन जैसी योजनाओं का समर्थन, जिससे दक्षता बढ़ती है।

बाजार संपर्क और जोखिम में कमी

- **रियल-टाइम बाजार मूल्य:** अद्यतन बाजार दरें प्रदान करता है, जिससे किसान सूचित निर्णय ले सकें और शोषण से बच सकें।
- **कीट एवं रोग अलर्ट:** प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली फसल हानि को कम करती है & कृषि के प्रमुख जोखिमों का समाधान करती है।
- **जलवायु-स्मार्ट कृषि:** मौसम-आधारित सलाह किसानों को जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम घटनाओं के अनुकूल बनाती है।
- **आय स्थिरीकरण:** एमएसपी से संबंधित योजनाओं जैसे पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ एकीकरण मूल्य आश्वासन का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता प्लेटफॉर्म के पूर्ण उपयोग को बाधित कर सकती है।
- **डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा:** एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसान डेटा का संग्रह डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **क्रियान्वयन चुनौतियाँ:** केंद्र, राज्य और संस्थानों के बीच प्रभावी समन्वय सुचारु कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- **विश्वास और जागरूकता:** उचित जागरूकता और प्रशिक्षण के बिना किसान एआई-आधारित सलाह को अपनाने में संकोच कर सकते हैं।

भारतीय कृषि के लिए महत्व

- **उत्पादकता में वृद्धि:** वैज्ञानिक और रियल-टाइम सलाह उपज बढ़ा सकती है और लागत घटा सकती है।
- **किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य:** बेहतर बाजार पहुँच, कम जोखिम और दक्ष प्रथाएँ आय वृद्धि में योगदान देती हैं।
- **सूचना विषमता में कमी:** किसानों को जानकारी देकर सशक्त बनाता है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।
- **सतत कृषि को बढ़ावा:** उर्वरकों और पानी जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन मिलता है।

निष्कर्ष

भारत-विस्तार भारतीय कृषि के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, डेटा संरक्षण और किसान जागरूकता को मजबूत करना आवश्यक है। संस्थागत समर्थन को सुदृढ़ करना और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। अंततः, ऐसे प्रयास भारतीय कृषि को प्रौद्योगिकी-चालित, सुदृढ़ और किसान-केंद्रित बना सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक एआई-आधारित कृषि सलाहकारी मंच है।
 2. यह पीएम-किसान और पीएमएफबीवाई जैसी योजनाओं को एकीकृत करता है।
 3. यह केवल स्मार्टफोन के माध्यम से ही सुलभ है।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय कृषि के परिवर्तन में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका पर चर्चा करें। इस संदर्भ में भारत-विस्तार के महत्व का परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत की 'प्रहार' नीति

चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने 'प्रहार' (PRAHAAR), भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति का अनावरण किया है, जो खुफिया-आधारित सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाती है।

मुख्य विवरण

- 'प्रहार' आतंकवाद के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस** नीति अपनाती है, जिसमें **समग्र-सरकार** और **समग्र-समाज** दृष्टिकोण शामिल है।
- यह सात स्तंभों पर आधारित है, जिनमें रोकथाम, प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
- यह साइबर-आतंकवाद, ड्रोन और क्रिप्टो-वित्तपोषण जैसे आधुनिक खतरों पर केंद्रित है।
- यह बेहतर समन्वय के साथ राज्यों में एक **एकीकृत आतंकवाद-रोधी ढांचा** बनाने का लक्ष्य रखती है।

सक्रिय आतंकवाद-रोधी सिद्धांत की ओर बदलाव

- **प्रतिक्रियात्मक से निवारक दृष्टिकोण:** पहले भारत की प्रतिक्रिया घटना के बाद होती थी; 'प्रहार' खुफिया-आधारित पुलिसिंग के माध्यम से रोकथाम पर जोर देता है, जिससे हमले की संभावना कम होती है।
- **शून्य सहनशीलता नीति:** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद के हर कृत्य और उसके समर्थन तंत्र को अपराध घोषित किया जाए, जिससे एक सशक्त निरोध संकेत मिलता है।
- **समग्र-सरकार रणनीति:** केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, खुफिया इकाइयों और सशस्त्र बलों को एक समन्वित राष्ट्रीय ढांचे में एकीकृत करता है।
- **सिद्धांत-आधारित ढांचा:** पहले के विखंडित उपायों के विपरीत, 'प्रहार' एक संरचित राष्ट्रीय नीति प्रदान करता है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

खुफिया-आधारित रोकथाम तंत्र

- **MAC की भूमिका (मल्टी एजेंसी सेंटर):** केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच रियल-टाइम खुफिया साझाकरण सुनिश्चित करता है, जिससे खतरों का शीघ्र पता चलता है।

- **संयुक्त खुफिया कार्यबल (JTFI):** समन्वित खुफिया विश्लेषण को सुगम बनाता है, जिससे एजेंसियों के बीच अंतराल और दोहराव कम होता है।
- **आतंक पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन:** ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) नेटवर्क, वित्तपोषण चैनलों और लॉजिस्टिक समर्थन प्रणालियों को समाप्त करने पर जोर।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** एआई, बिग डेटा और निगरानी उपकरणों का उपयोग कर संदिग्ध पैटर्न का पता लगाना, विशेषकर साइबर और वित्तीय क्षेत्रों में।

प्रतिक्रिया और संस्थागत ढांचा

- **स्थानीय पुलिस प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता:** जमीनी स्तर की क्षमता को सुदृढ़ करता है, जिससे केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप से पहले तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होती है।
- **विशेषीकृत बलों की भूमिका:** एनएसजी और सीएपीएफ जैसी एजेंसियाँ उच्च जोखिम स्थितियों में विशेष हस्तक्षेप करती हैं।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):** उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करते हुए बहुआयामी जांच को मजबूत करती है, जो निरोध बढ़ाता है।
- **मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs):** राज्यों में एकरूप SOPs संकट प्रतिक्रिया में स्थिरता, गति और समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण

- **राज्यों में मानकीकरण:** एक समान आतंक-रोधी ढांचे का निर्माण, जिससे राज्य क्षमताओं में अंतर कम हो।
- **BPR&D की भूमिका:** पुलिस बलों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और आधुनिकीकरण के लिए इनपुट प्रदान करता है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना:** ड्रोन अवरोधन, साइबर फॉरेंसिक और CBRN रक्षा पर जोर।
- **कौशल विकास:** शहरी युद्ध, साइबर खतरों और खुफिया विश्लेषण के लिए विशेष प्रशिक्षण पर बल।

मानवाधिकार और विधि का शासन ढांचा

- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद-रोधी उपाय मौलिक अधिकारों और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप हों।
- **कानूनी ढांचा सुदृढ़ीकरण:** UAPA (1967), PMLA (2002) और नए आपराधिक कानून (2023) कानूनी कार्रवाई का आधार बनाते हैं।
- **न्यायिक निगरानी:** जिला न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बहु-स्तरीय पर्यवेक्षण शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है।
- **वैश्विक मानकों का अनुपालन:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप।

डी-रेडिकलाइजेशन और सामाजिक हस्तक्षेप

- **मूल कारणों का समाधान:** सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों और वैचारिक कट्टरता पर ध्यान, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।
- **स्तरीकृत प्रतिक्रिया तंत्र:** संवेदनशील युवाओं और कट्टर आतंकियों के बीच अंतर करते हुए संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
- **सामुदायिक सहभागिता:** एनजीओ, धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज को शामिल कर चरमपंथी कथाओं का मुकाबला करता है।
- **कारागार सुधार:** जेलों में कट्टरपंथीकरण रोकने हेतु कठोर विचारधारा वाले कैदियों को अलग रखना।

प्रहार रणनीति: वैश्विक सुरक्षा के लिए 7 स्तंभ

मुख्य रणनीतिक स्तंभ

संयोजन



अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक समन्वय

- **परस्पर कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs):** साक्ष्य साझा करने और सीमा-पार जांच को सुगम बनाती हैं।
- **प्रत्यर्पण संधियाँ:** भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाने में सहायता, सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करती हैं।
- **वैश्विक मंचों में भूमिका:** भारत संयुक्त राष्ट्र तंत्र में सक्रिय रूप से आतंकियों को नामित करने और वैश्विक मानदंडों को आकार देने में भाग लेता है।
- **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला:** आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे वैश्विक नेटवर्क से निपटना, जो सीमाओं के पार कार्य करते हैं।

भारत में उभरते आतंकवादी खतरे

- **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद:** विशेषकर जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर सीमा-पार खतरे।
- **अपराध-आतंक संबंध:** आतंक समूहों और संगठित अपराध नेटवर्क के बीच बढ़ता सहयोग।
- **साइबर और डिजिटल खतरे:** डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और क्रिप्टोकॉइन्स का उपयोग भर्ती और वित्तपोषण के लिए।

- **CBRN जोखिम:** आतंकियों द्वारा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु और डिजिटल उपकरणों के संभावित उपयोग का खतरा।

क्रियान्वयन चुनौतियाँ

- **संघीय समन्वय समस्याएँ:** 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य विषय हैं, जिससे अंतर-राज्यीय टकराव हो सकता है।
- **क्षमता अंतराल:** राज्य पुलिस में वित्त, प्रशिक्षण और उन्नत अवसंरचना की कमी।
- **नागरिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ:** कठोर कानूनों के दुरुपयोग और लंबी हिरासत की आशंका।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय की कमी:** एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय-अभाव रियल-टाइम प्रतिक्रिया को बाधित कर सकता है।

निष्कर्ष

'प्रहार' भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो रोकथाम, प्रतिक्रिया और लचीलापन को एकीकृत करती है। इसकी सफलता संघीय समन्वय को सुदृढ़ करने, तकनीकी क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा व नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करती है। नागरिक-केंद्रित और विधि-आधारित दृष्टिकोण भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति को प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाए रखता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 'प्रहार' रणनीति के संदर्भ में चर्चा करें कि भारत आतंकवाद-रोधी उपायों और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)

✓ अतिरिक्त रूप से, प्रति वर्ष 10 उत्कृष्ट राह-वीरों को ₹1 लाख और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

- इसका उद्देश्य कानूनी या प्रक्रियात्मक भय के कारण दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने में नागरिकों की झिझक को दूर करना है।

राज्य नवाचार मिशन (SIM)

चर्चा में क्यों: नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (AIM) ने त्रिपुरा में पहला राज्य नवाचार मिशन (SIM) शुरू किया।

मुख्य विवरण

- AIM 2.0 के अंतर्गत स्थापित SIM, नीति समर्थन, क्षमता निर्माण, साझेदारियों और संदर्भ-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक दीर्घकालिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो 'विकसित भारत' के नवाचार-आधारित विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।
- इस पहल के तहत प्रमुख हस्तक्षेपों में त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (TIFT) के अंतर्गत SIM का संस्थानीकरण, समर्पित इनक्यूबेशन सुविधा के रूप में T-NEST (त्रिपुरा – नवचिंतन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स) का उद्घाटन, जमीनी स्तर के नवाचार को बढ़ाने हेतु जिला नवाचार फेलोशिप का शुभारंभ, तथा अगरतला को एआई-सक्षम शहर में परिवर्तित करने के लिए समर्थन शामिल है।

'राह-वीर' योजना

चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए नागरिकों को प्रेरित करने हेतु केंद्र की 'राह-वीर' योजना को लागू करने जा रही है।

'राह-वीर' योजना

- यह योजना मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत गुड समैरिटेन नियमों के अनुरूप है।
- यह त्वरित मानवीय सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी सुरक्षा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **विशेषताएँ:** जो नागरिक 'स्वर्णिम घंटा' के भीतर गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करते हैं, उन्हें ₹25,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा।
 - ✓ एक जिला-स्तरीय समिति मामलों का मूल्यांकन करेगी, और पुरस्कार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: सैपियन लैब्स द्वारा जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट भारत और विश्व में युवा वयस्कों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में एक स्पष्ट पीढ़ीगत अंतर को दर्शाती है।

रिपोर्ट के बारे में

- पहले इसे **मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट** के नाम से जाना जाता था, यह ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकाशित होती है।
- यह अध्ययन भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और कार्यात्मक क्षमताओं को मापता है, जो जीवन, कार्य और संबंधों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं, और इसके लिए **माइंड हेल्थ क्वोटिएंट (MHQ)** को एक समग्र सूचक के रूप में उपयोग करता है।
- अध्ययन युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के चार प्रमुख कारणों की पहचान करता है:
 - ✓ पारिवारिक संबंधों का कमजोर होना
 - ✓ आध्यात्मिकता में कमी
 - ✓ स्मार्टफोन के प्रति प्रारंभिक संपर्क
- अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन

मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक प्रवृत्तियाँ:**
 - ✓ आर्थिक रूप से विकसित देशों के युवा वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में स्थिति बेहतर रही। जापान, ताइवान, हांगकांग, यूके और चीन जैसे देश अपेक्षाकृत नीचे स्थान पर रहे, जबकि घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केन्या और

तंजानिया जैसे कई उप-सहारा अफ्रीकी देशों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

- ✓ विशेष रूप से, फ़िनलैंड खुशी के स्तर में उच्च स्थान पर है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में समान अनुपात में नहीं, जिससे संकेत मिलता है कि जीवन संतुष्टि और मानसिक लचीलापन अलग-अलग मापदंड हैं।

भारत की स्थिति:

- ✓ **आयु 18-34 वर्ष:** MHQ स्कोर 33 के साथ वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर।
- ✓ **आयु 35-54 वर्ष:** MHQ स्कोर 96 के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर।

लैंगिक समानता अंतर

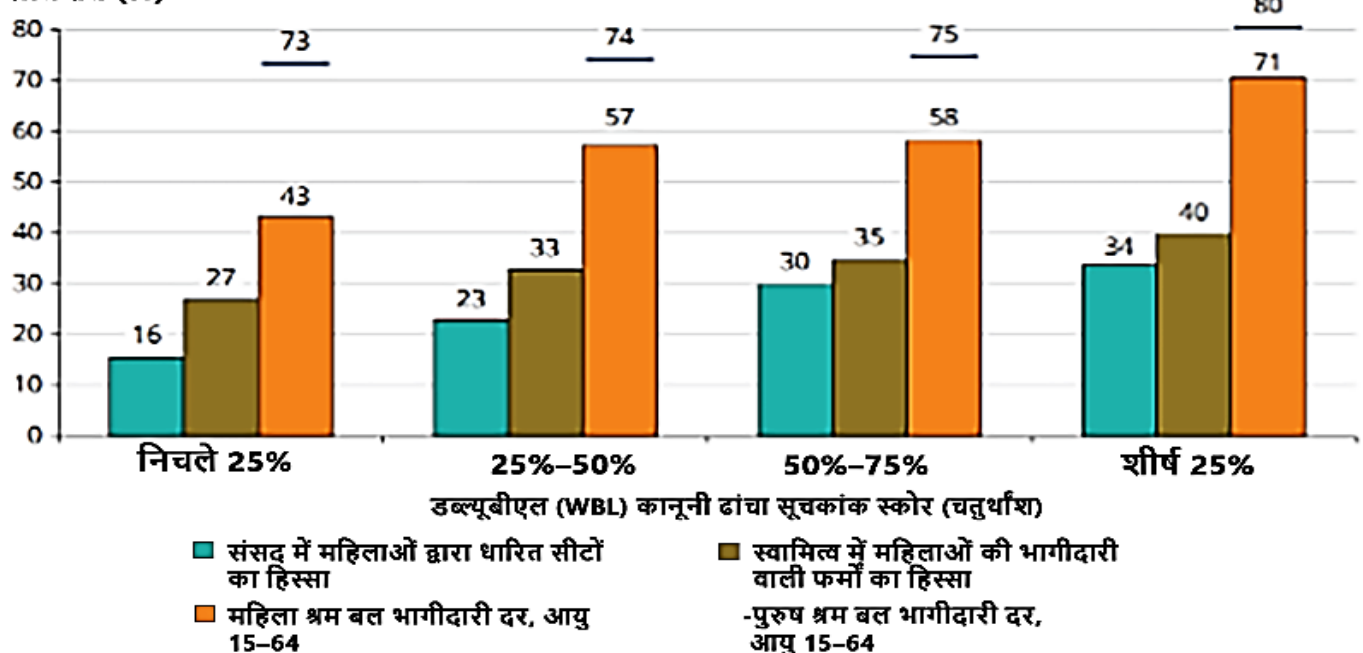
चर्चा में क्यों: विश्व बैंक की **वूमेन, बिज़नेस एंड द लॉ (WBL) 2026** रिपोर्ट महिलाओं की समानता के लिए कानूनी प्रावधानों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक बड़े वैश्विक अंतर को उजागर करती है।

मुख्य विवरण

- यह रिपोर्ट **WBL 2.0** ढांचे के तहत 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों का मूल्यांकन करती है।
- कागज़ पर बने कानूनों (67.9 स्कोर) और समर्थन प्रणालियों (47.3) तथा प्रवर्तन (53.4) के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया है।
- वैश्विक स्तर पर केवल 4% अर्थव्यवस्थाएँ ही लगभग पूर्ण कानूनी समानता के करीब हैं।
- लैंगिक अंतर को कम करने से अगले दशक में वैश्विक जीडीपी में 20% से अधिक वृद्धि हो सकती है।

चित्र ES.1: समानता कानूनों का संबंध अधिक महिलाओं के काम करने, व्यवसाय के स्वामित्व रखने और राजनीति में भागीदारी से है, साथ ही श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर में कमी से भी।

प्रतिशत (%)



‘वूमेन, बिज़नेस एंड द लॉ’ (WBL) फ्रेमवर्क

- **समग्र मापन उपकरण:** WBL रिपोर्ट विश्व बैंक की प्रमुख पहल है, जो आर्थिक भागीदारी के आठ आयामों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का आकलन करती है, जिससे यह एक प्रमुख मानक बनती है।
- **तीन-स्तंभ दृष्टिकोण (WBL 2.0):** यह कानूनी ढांचे (कानून), समर्थन ढांचे (नीतियाँ) और प्रवर्तन धारणाओं का मूल्यांकन करता है, जिससे कानून से परे समग्र समझ मिलती है।
- **ज्यूर से डी फैक्टो समानता की ओर बदलाव:** प्रवर्तन धारणाओं का समावेश कागज़ी कानूनी समानता से वास्तविक जीवन के परिणामों की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो शासन और SDG संकेतकों के अनुरूप है।
- **नीति-निर्माण में प्रासंगिकता:** सरकारें श्रम कानून, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन में सुधारों के लिए WBL डेटा का उपयोग करती हैं, जिससे यह तुलनात्मक नीति विश्लेषण के लिए उपयोगी उपकरण बनता है।

महिलाओं की आर्थिक समानता की वैश्विक स्थिति

- **कार्यान्वयन अंतर महत्वपूर्ण:** जहाँ वैश्विक कानूनी स्कोर 67.9 है, वहीं समर्थन प्रणालियाँ (47.3) और प्रवर्तन (53.4) पीछे हैं, जो कमजोर संस्थागत क्षमता को दर्शाता है।
- **उच्च प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं की कमी:** केवल 4% महिलाएँ ऐसे देशों में रहती हैं जहाँ स्कोर 90 से अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापक लैंगिक समानता अभी भी दुर्लभ है।
- **सुधार की गति:** पिछले वर्षों में 68 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं ने 113 सुधार लागू किए, जो नीति प्राथमिकता के रूप में लैंगिक समानता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय भिन्नताएँ:** उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्र सुधारों में अग्रणी हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं के कारण प्रगति धीमी है।

मुख्य चिंता के क्षेत्र

(a) सुरक्षा और कानूनी संरक्षण

- **कमजोर प्रवर्तन तंत्र:** कई देशों में उत्पीड़न के खिलाफ कानून मौजूद होने के बावजूद, 80% मामलों में प्रभावी प्रवर्तन नहीं होता, जिससे महिलाएँ असुरक्षित रहती हैं।
- **संस्थागत कमी:** विशेष न्यायालयों, पुलिस इकाइयों और हेल्पलाइन की कमी, विशेषकर विकासशील देशों में, न्याय तक पहुँच को सीमित करती है।

(b) बाल देखभाल और देखभाल अर्थव्यवस्था

- **बाल देखभाल की कमी:** 50% से कम अर्थव्यवस्थाएँ बाल देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जबकि निम्न-आय वाले देशों में केवल 1% आवश्यक तंत्र उपलब्ध हैं।
- **कार्यबल भागीदारी पर प्रभाव:** सस्ती बाल देखभाल के अभाव से “मातृत्व दंड” (Motherhood Penalty) होता है, जिससे महिलाएँ रोजगार से बाहर हो जाती हैं।

(c) वित्तीय समावेशन और उद्यमिता

- **ऋण तक पहुँच में बाधाएँ:** कानूनी अधिकार होने के बावजूद, केवल आधी अर्थव्यवस्थाएँ ही ऋण तक समान पहुँच सुनिश्चित करती हैं, जिससे महिला उद्यमिता सीमित होती है।
- **संरचनात्मक पक्षपात:** सामाजिक मानदंड और वित्तीय भेदभाव महिलाओं की सुरक्षित ऋण प्राप्ति की क्षमता को बाधित करते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

(d) निगरानी और डेटा की कमी

- **लैंगिक डेटा का अभाव:** अधिकांश देशों में लैंगिक-विभाजित डेटा प्रणाली नहीं है, जिससे नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन कठिन होता है।
- **कमजोर जवाबदेही:** उचित निगरानी के बिना, समान वेतन जैसे कानून केवल प्रतीकात्मक रह जाते हैं।

(e) मूल अधिकारों में कानूनी अंतर

- **कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध:** विश्व के कुछ हिस्सों में कानून अभी भी महिलाओं की गतिशीलता, रोजगार और वैवाहिक अधिकारों को सीमित करते हैं, जिससे कानूनी सुधार अधूरा रहता है।
- **धीमी सुधार प्रक्रिया:** सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध और राजनीतिक बाधाओं के कारण, विशेषकर पारंपरिक समाजों में, सुधार धीमे हैं।

आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव

- **वैश्विक जीडीपी में वृद्धि:** लैंगिक अंतर को कम करने से अगले दशक में वैश्विक जीडीपी में 20% से अधिक वृद्धि हो सकती है, जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग:** इस दशक में 600 मिलियन युवाओं के कार्यबल में प्रवेश के साथ, मानव पूंजी के उपयोग के लिए लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है।
- **सतत विकास लक्ष्यों से संबंध:** यह मुद्दा सीधे SDG 5 (लैंगिक समानता) से जुड़ा है और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर प्रभाव डालता है।
- **समावेशी विकास:** महिलाओं की भागीदारी उत्पादकता, नवाचार और समान आर्थिक विकास को बढ़ाती है।

वैश्विक अनुभवों से सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **एकीकृत नीति दृष्टिकोण:** कानूनों को बजट और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वित करने वाले देशों में बेहतर परिणाम देखे गए हैं।
- **देखभाल अर्थव्यवस्था समर्थन:** भुगतानयुक्त मातृत्व/पितृत्व अवकाश प्रदान करने वाले देशों में महिला कार्यबल भागीदारी अधिक होती है।
- **लैंगिक-संवर्धनशील खरीद:** सार्वजनिक खरीद में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने वाली नीतियाँ समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं।
- **विशेष सुरक्षा तंत्र:** समर्पित पुलिस इकाइयाँ और कानूनी सहायता प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं।

भारतीय संदर्भ

- **मजबूत कानूनी ढांचा:** भारत ने मातृत्व लाभ अधिनियम, POSH अधिनियम (2013) और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे कानून लागू किए हैं।
- **स्थायी चुनौतियाँ:** महिला श्रम बल भागीदारी कम (25-30%), वेतन अंतर और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **सरकारी पहलें:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं।
- **रैंकिंग सुधार का मार्ग:** बेहतर प्रवर्तन, मजबूत बाल देखभाल अवसरचना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

आगे की राह

- **कार्यान्वयन अंतर को कम करना:** संस्थागत क्षमता, वित्तपोषण और शासन तंत्र पर ध्यान देकर कानूनों को व्यवहार में लाना।

- **देखभाल अवसंरचना में निवेश:** सस्ती बाल देखभाल का विस्तार और बिना वेतन वाले देखभाल कार्य को कम करना।
- **वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना:** ऋण तक पहुँच बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली में लैंगिक पक्षपात को समाप्त करना।
- **सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना:** 24x7 हेल्पलाइन, त्वरित न्यायालय और विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना।
- **डेटा-आधारित शासन को बढ़ावा:** निगरानी और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए लैंगिक-विभाजित डेटा का उपयोग।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वूमेन, बिज़नेस एंड द लॉ (WBL) रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?

- (a) IMF
- (b) UNDP
- (c) विश्व बैंक
- (d) WTO

उत्तर: (c)

मानव विकास सूचकांक (HDI)

चर्चा में क्यों: हाल ही में जारी नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट भारत के HDI में सुधार को दर्शाती है, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में बनी हुई असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

मुख्य विवरण

- **मानव विकास सूचकांक (HDI)** प्रतिवर्ष **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा जारी किया जाता है।
- यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर विकास को मापता है, न कि केवल आय पर।
- भारत का HDI बढ़कर 0.685 (2023) हो गया, जिससे वह वैश्विक स्तर पर **130वें स्थान पर** है।
- असमानता-समायोजित HDI (IHDI) भारत में असमानताओं के कारण **लगभग 31% हानि** दर्शाता है।

मानव विकास की अवधारणा

- **GDP से मानव कल्याण की ओर बदलाव:** पारंपरिक सूचक जैसे GDP आर्थिक उत्पादन को मापते हैं, जबकि HDI लोगों की क्षमताओं और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है, जिससे आधुनिक विकास अर्थशास्त्र को दिशा मिलती है।
- **क्षमता दृष्टिकोण:** अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित, विकास को स्वतंत्रता, विकल्प और अवसरों के विस्तार के रूप में देखा जाता है, न कि केवल आय वृद्धि के रूप में।
- **मानव-केंद्रित विकास मॉडल:** HDI यह मूल्यांकन करता है कि लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जीते हैं, जो कल्याण अर्थशास्त्र के अनुरूप है।
- **नीति प्रासंगिकता:** सरकारें सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतराल की पहचान के लिए HDI का उपयोग करती हैं, जिससे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप संभव होते हैं।



मानव विकास सूचकांक

HDI के घटक

- **स्वास्थ्य आयाम (जीवन प्रत्याशा):** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है, जो पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और जीवन स्थितियों को दर्शाता है। भारत में यह 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई।

- **शिक्षा आयाम:** इसमें औसत अध्ययन वर्ष (6.2 वर्ष) और अपेक्षित अध्ययन वर्ष शामिल हैं, जो मानव पूंजी निर्माण को दर्शाते हैं।
- **जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति GNI):** क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर समायोजित आय को मापता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं तक वास्तविक पहुँच का आकलन होता है।

- **संतुलित विकास सूचक:** तीनों आयामों को समान महत्व दिया जाता है, जिससे कोई एक कारक विकास के आकलन पर हावी नहीं होता।

HDI की गणना पद्धति

- **आयाम सूचकांक गणना:** प्रत्येक घटक को न्यूनतम और अधिकतम मानों (जैसे जीवन प्रत्याशा 20–85 वर्ष) के आधार पर सामान्यीकृत किया जाता है।
- **ज्यामितीय माध्य का उपयोग:** HDI ज्यामितीय माध्य का उपयोग करता है, जिससे किसी एक आयाम का खराब प्रदर्शन दूसरे से पूरी तरह संतुलित नहीं हो सकता।
- **आय का लॉगरिदमिक समायोजन:** आय को लघुगणकीय रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो आय की घटती सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है।
- **समग्र सूचकांक:** अंतिम HDI मान 0 से 1 के बीच होता है, जिससे देशों के बीच तुलना और रैंकिंग संभव होती है।

देशों का वर्गीकरण

- **बहुत उच्च HDI (0.800+):** नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जैसे विकसित देश।
- **उच्च HDI (0.700–0.799):** उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, जिनमें सामाजिक संकेतकों में सुधार हो रहा है।
- **मध्यम HDI (0.550–0.699):** भारत सहित देश, जहाँ मध्यम प्रगति हुई है पर चुनौतियाँ बनी हैं।
- **निम्न HDI (<0.550):** कम विकसित देश, जहाँ बुनियादी क्षमताओं में गंभीर कमी है।

भारत का HDI प्रदर्शन

- **दीर्घकालिक सुधार:** भारत का HDI 0.434 (1990) से बढ़कर 0.685 (2023) हुआ, जो 48% वृद्धि दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का योगदान है।
- **क्षेत्रीय प्रगति:** जीवन प्रत्याशा बढ़ी, शिक्षा के वर्ष बढ़े और प्रति व्यक्ति GNI लगभग \$2,000 से बढ़कर \$9,000 (PPP) हुआ।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** केरल और गोवा जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्य पिछड़ रहे हैं, जो असमान विकास को दर्शाता है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जो सामाजिक क्षेत्र सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

असमानता और संबंधित सूचकांक

- **असमानता-समायोजित HDI (IHDI):** असमानताओं के कारण हानि को दर्शाता है; भारत लगभग 31% संभावित विकास खोता है।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII):** भारत 108वें स्थान पर है, जहाँ महिला श्रम भागीदारी 30% से कम है।
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में बहुआयामी अभाव को मापता है।
- **नीतिगत महत्व:** ये सूचकांक दर्शाते हैं कि औसत प्रगति के पीछे गहरी असमानताएँ छिपी हो सकती हैं।

HDI सुधार के लिए सरकारी पहलें

- **स्वास्थ्य क्षेत्र:** आयुष्मान भारत 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
- **शिक्षा सुधार:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, कौशल विकास और समावेशन पर केंद्रित है।
- **आय एवं आजीविका समर्थन:** पीएम-किसान और स्किल इंडिया जैसी योजनाएँ आय और रोजगार के अवसर बढ़ाती हैं।
- **महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल पहुँच:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया लैंगिक समानता और तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

HDI का महत्व

- **समग्र विकास माप:** केवल GDP नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आयामों को समाहित करता है।
- **वैश्विक तुलना:** देशों और क्षेत्रों के बीच तुलना और प्रगति का आकलन संभव बनाता है।
- **मानव कल्याण पर ध्यान:** आर्थिक वृद्धि से हटकर मानव विकास पर नीति का ध्यान केंद्रित करता है।
- **नीतिगत मार्गदर्शन:** कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **अतिसरलीकरण:** एकल सूचकांक क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को छिपा सकता है।
- **डेटा सीमाएँ:** समय अंतराल और डेटा गुणवत्ता से सटीकता प्रभावित हो सकती है।
- **मुख्य आयामों का अभाव:** पर्यावरणीय स्थिरता, शासन और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था शामिल नहीं हैं।
- **तुलनात्मक समस्याएँ:** पद्धति में बदलाव देशों के बीच तुलना को प्रभावित कर सकता है।

उभरते आयाम और भविष्य की प्रासंगिकता

- **प्रौद्योगिकी और एआई:** डिजिटल समावेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** पर्यावरणीय जोखिम स्वास्थ्य, आजीविका और शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जो HDI को प्रभावित करते हैं।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** HDI, SDG 3 (स्वास्थ्य), SDG 4 (शिक्षा) और SDG 10 (असमानता) के अनुरूप है।
- **सूक्ष्म डेटा की आवश्यकता:** जिला स्तर के HDI और डेटा विभाजन से नीति की सटीकता बढ़ेगी।

निष्कर्ष

भारत को HDI में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य समानता और समावेशी आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा। असमानताओं को कम करना, सामाजिक अवसरचना को सुदृढ़ करना और पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करना आवश्यक है। HDI को उभरती चुनौतियों को समाहित करने के लिए विकसित होना चाहिए, ताकि यह लोगों के जीवन में सुधार हेतु नीतियों का मार्गदर्शन करता रहे।

समाचार में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

महर्षि दयानंद सरस्वती

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सामाजिक सुधार एवं भारतीय राष्ट्रवाद में उनके योगदान को रेखांकित किया।



मुख्य विवरण:

- **जन्म:** 12 फरवरी 1824, टंकारा (गुजरात) में मूलशंकर के रूप में; 19वीं सदी के प्रमुख सुधारक बने।
- **आर्य समाज की स्थापना:** 1875 में वैदिक मूल्यों और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने हेतु।
- **विचारधारा:** "वेदों की ओर लौटो", एकेश्वरवाद, तथा सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध।
- **कृतियाँ:** सत्यार्थ प्रकाश तथा DAV विद्यालयों जैसी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा और राष्ट्रवाद को बढ़ावा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं जीवन

- **19वीं सदी का संदर्भ:** इस काल में सामाजिक ठहराव, जातिगत कठोरता और औपनिवेशिक प्रभुत्व था, जिससे ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों का उदय हुआ।
- **प्रारंभिक जीवन एवं परिवर्तन:** ब्राह्मण परिवार में मूलशंकर के रूप में जन्म; प्रारंभ में मूर्ति-पूजा पर प्रश्न उठाए और बाद में स्वामी विरजानंद के शिष्य बने।
- **सत्य की खोज:** उनकी आध्यात्मिक यात्रा तर्कपूर्ण खोज और अंधविश्वास के विरोध से प्रेरित थी, जिससे वैदिक प्रामाणिकता पर आधारित हिंदू धर्म का पुनर्व्याख्यान हुआ।
- **सुधारवादी नेतृत्व:** वे सामाजिक-धार्मिक सुधार के प्रमुख नेता बने, जिन्होंने शास्त्रों की नई व्याख्या को सामाजिक सक्रियता से जोड़ा।

मुख्य दर्शन एवं शिक्षाएँ

- **वेदों की ओर वापसी:** वेदों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते हुए उन्हें सार्वभौमिक और त्रुटिरहित बताया।
- **एकेश्वरवाद:** बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा का विरोध; निराकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास।
- **अनुष्ठानों का विरोध:** निरर्थक कर्मकांड, पुरोहितवाद और अंधविश्वास के विरुद्ध; सरल और तर्कसंगत धर्म का समर्थन।
- **समानता एवं सामाजिक न्याय:** जाति-आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध; जन्म के बजाय गुण और कर्म के आधार पर समानता की वकालत।

सामाजिक सुधार में योगदान

- **महिला सशक्तिकरण:** महिला शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन; बाल विवाह का विरोध।
- **अस्पृश्यता का विरोध:** इसे अवैदिक बताया और वंचित समुदायों के मुख्यधारा में समावेशन का प्रयास किया।
- **शुद्धि आंदोलन:** धर्म-परिवर्तित लोगों को पुनः हिंदू समाज में लाने की अवधारणा प्रस्तुत की।
- **शैक्षिक सुधार:** आधुनिक और वैदिक शिक्षा के समन्वय को बढ़ावा दिया।

आर्य समाज एवं संस्थागत प्रभाव

- **आर्य समाज की स्थापना (1875):** सत्य, ज्ञान और सामाजिक समानता के आधार पर हिंदू समाज में सुधार का उद्देश्य।
- **DAV आंदोलन:** अनुयायियों ने दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) संस्थाएँ स्थापित कीं, जहाँ वैदिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा दी गई।
- **शिक्षा का प्रसार:** पहला DAV विद्यालय लाहौर में 1886 में महात्मा हंसराज के नेतृत्व में स्थापित हुआ, जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय शैक्षिक नेटवर्क बना।
- **सामाजिक जागरण:** आर्य समाज ने सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान

- **स्वराज की अवधारणा:** 1875 में ही स्वराज (स्व-शासन) का विचार प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:** वैदिक विरासत पर जोर देकर भारतीय संस्कृति में गर्व की भावना जगाई और औपनिवेशिक हीनता की धारणा का विरोध किया।
- **स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव:** आर्य समाज के सदस्यों ने राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय भाग लेकर स्वतंत्रता संग्राम को गति दी।
- **बौद्धिक जागरण:** उनके विचारों ने आत्मसम्मान, तर्कशीलता और औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध चेतना को प्रोत्साहित किया।

लेखन एवं बौद्धिक विरासत

- **सत्यार्थ प्रकाश:** उनकी प्रमुख कृति, जिसमें धार्मिक आचरणों की आलोचनात्मक समीक्षा और सत्य, तर्क तथा सुधार पर बल दिया गया।
- **अन्य कृतियाँ:** संस्कार विधि और ऋग्वेद भाष्य में अनुष्ठानों और वैदिक व्याख्या पर विचार।
- **वैश्विक पहचान:** अमेरिकी चिंतक एंड्रयू जैक्सन डेविस ने उन्हें "ईश्वर का पुत्र" कहा, जो उनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
- **स्थायी विरासत:** उनकी शिक्षाएँ आज भी शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक चिंतन को प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष

महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार आज भी सामाजिक असमानता, लैंगिक अन्याय और धार्मिक असहिष्णुता जैसी चुनौतियों से निपटने में प्रासंगिक हैं। शिक्षा को सुदृढ़ करना, तर्कशीलता को बढ़ावा देना और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना उनके समानतामूलक समाज के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि परंपरा में निहित सुधार आधुनिकता के साथ समन्वित हो सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की।
2. उन्होंने मूर्ति-पूजा का समर्थन किया।
3. उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया।
4. उन्होंने शुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया? (150 शब्द, 10 अंक)

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2026

चर्चा में क्यों: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (19 फरवरी 2026) मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 395वीं जयंती का प्रतीक है और स्वदेशी शासन तथा स्वराज्य पर विमर्श को पुनर्जीवित करती है।



मुख्य विवरण

- **उत्सव:** प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज (1630-1680) के जन्म का प्रतीक है।
- **हिंदवी स्वराज्य:** स्व-शासन की स्थापना और मुगल प्रभुत्व का प्रतिरोध करने के लिए प्रसिद्ध।
- **गुरिल्ला युद्ध:** गुरिल्ला युद्धनीति (गनिमी कावा) और प्रशासनिक सुधारों के लिए विख्यात।

- **लोकप्रियता:** स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस उत्सव को लोकप्रिय बनाया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं मराठा शक्ति का उदय

- **जन्म एवं प्रारंभिक जीवन:** शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ और वे अपनी माता जीजाबाई से साहस एवं धर्म के मूल्य ग्रहण करते हुए बड़े हुए।
- **मराठा साम्राज्य की स्थापना:** उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा राज्य की नींव रखी, मुगलों और दक्कन सल्तनतों की सत्ता को चुनौती दी।
- **राज्याभिषेक (1674):** रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने "छत्रपति" की उपाधि धारण की, जो स्वराज्य और स्वदेशी शासन का प्रतीक थी।
- **स्वराज्य की दृष्टि:** उनका स्वराज्य का विचार राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और नैतिक शासन पर आधारित था।

सैन्य रणनीति एवं युद्ध नवाचार

- **गुरिल्ला युद्ध (गनिमी कावा):** अचानक हमले, छापामार रणनीति और भू-भाग आधारित युद्ध से छोटी सेना द्वारा बड़ी सेनाओं को पराजित किया।
- **प्रतापगढ़ का युद्ध (1659):** अफजल खान को निर्णायक रूप से पराजित किया; वाघ नख जैसे साधनों के प्रयोग से रणनीतिक कुशलता दिखाई।
- **रणनीतिक किले नेटवर्क:** सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे 300 से अधिक किलों पर नियंत्रण, जिससे सुरक्षा और सैन्य गतिशीलता सुनिश्चित हुई।
- **नौसेना का विकास:** सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किलों के साथ सशक्त नौसेना स्थापित की; उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था एवं शासन

- **अष्टप्रधान मंडल:** आठ मंत्रियों की परिषद ने वित्त, विदेश नीति और सैन्य प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रभावी शासन सुनिश्चित किया।
- **राजस्व सुधार:** सीधे किसानों से कर वसूली की व्यवस्था लागू की, जिससे बिचौलियों का शोषण कम हुआ और कृषि स्थिरता बढ़ी।
- **भाषा का प्रोत्साहन:** प्रशासन में फारसी और मराठी के स्थान पर संस्कृत का उपयोग बढ़ाया, जिससे सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई।
- **कुशल नौकरशाही:** प्रशासन में अनुशासन, जवाबदेही और योग्यता आधारित नियुक्तियों को बढ़ावा दिया।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ

- **धार्मिक सहिष्णुता:** हिंदू शासक होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान किया और पूजा स्थलों की रक्षा की।
- **महिलाओं की सुरक्षा:** महिलाओं के उत्पीड़न पर कड़े नियम लागू किए, जो उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक पुनर्जागरण:** स्थानीय परंपराओं, त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
- **जनकल्याण:** शासन का केंद्र न्याय, निष्पक्षता और आम जनता का कल्याण था।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका एवं राष्ट्रवाद

- **प्रतिरोध का प्रतीक:** शिवाजी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बने।

- **तिलक का योगदान:** बाल गंगाधर तिलक ने 1870 में शिवाजी जयंती को लोकप्रिय बनाकर राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित किया।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:** उनकी विरासत ने भारतीयों में एकता, गर्व और राजनीतिक चेतना को मजबूत किया।
- **आधुनिक प्रासंगिकता:** आज भी उनके विचार नेतृत्व, शासन और संघीय ढांचे पर विमर्श को प्रेरित करते हैं।

आर्थिक एवं समुद्री दृष्टि

- **व्यापार एवं वाणिज्य:** सुरक्षित मार्गों और बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई।
- **समुद्री सुरक्षा:** विदेशी आक्रमणों और समुद्री डकैती से रक्षा हेतु नौसैनिक ठिकानों का निर्माण किया।
- **किला-आधारित अर्थव्यवस्था:** किलों को प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया।
- **कृषि स्थिरता:** संतुलित कर व्यवस्था से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

समकालीन प्रासंगिकता

- **सुशासन का मॉडल:** उनका प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को दर्शाता है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** गुरिल्ला रणनीतियाँ आधुनिक असममित युद्ध के लिए उपयोगी हैं।
- **सांस्कृतिक एकीकरण:** विविधता का सम्मान करते हुए एकता को बढ़ावा देना भारतीय नीति का आधार है।
- **नेतृत्व नैतिकता:** कर्तव्य, अनुशासन और जनकल्याण पर जोर संवैधानिक मूल्यों से मेल खाता है।

आगे की राह

- **स्वदेशी शासन मॉडल:** उनके प्रशासनिक सिद्धांतों से विकेंद्रीकरण और जमीनी सुधारों को दिशा मिल सकती है।
- **समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ीकरण:** उनकी नौसैनिक दृष्टि भारत की आधुनिक ब्लू इकॉनमी के लिए प्रासंगिक है।
- **नैतिक नेतृत्व का संवर्धन:** सिविल सेवा प्रशिक्षण में नैतिकता, जवाबदेही और जनसेवा के मूल्यों को शामिल करना चाहिए।
- **सांस्कृतिक जागरूकता:** ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर अधिक जोर नागरिक जिम्मेदारी को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत इतिहास से परे जाकर स्वराज्य, सुशासन और नेतृत्व का कालातीत मॉडल प्रस्तुत करती है। उनकी स्वदेशी शासन व्यवस्था, न्याय और आत्मनिर्भर राज्य की अवधारणा आधुनिक भारत में अत्यंत प्रासंगिक है। शिवाजी जयंती केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पुनर्पुष्टि है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने प्रशासनिक भाषा के रूप में फारसी का परिचय कराया।
2. उन्होंने एक सशक्त नौसेना स्थापित की।
3. उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की।

उपर्युक्त में से सही कथन कौन से हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

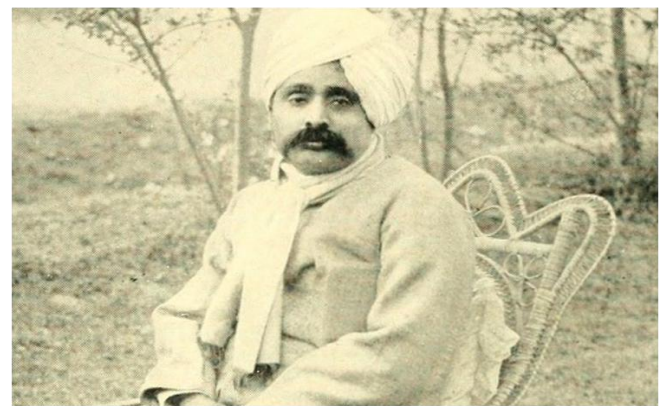
उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासनिक और सैन्य नवाचारों की चर्चा कीजिए तथा आधुनिक शासन में उनकी प्रासंगिकता बताइए। (150 शब्द, 10 अंक)

लाला लाजपत राय

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय की जयंती (28 जनवरी) पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित किया।



मुख्य विवरण

- लाला लाजपत राय (1865–1928), जिन्हें **पंजाब केसरी** के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे।
- वे प्रसिद्ध **लाल-बाल-पाल** त्रयी का हिस्सा थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे।
- उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संस्थाओं और संगठनों की स्थापना शामिल है।
- 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण उनका निधन हुआ।

प्रारंभिक जीवन एवं वैचारिक आधार

- **जन्म एवं शिक्षा:** 28 जनवरी 1865 को पंजाब में जन्म; उन्होंने लाहौर में कानून की पढ़ाई की, जिससे औपनिवेशिक कानून और शासन की समझ विकसित हुई।
- **आर्य समाज का प्रभाव:** स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर सामाजिक समानता और वैदिक मूल्यों को अपनाया।
- **सामाजिक सुधार उन्मुखता:** सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समर्थन किया और सामाजिक उत्थान को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा।
- **राष्ट्रवादी विचारधारा:** सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक दृढ़ता का समन्वय, जिसने उग्र राष्ट्रवादी राजनीति की नींव रखी।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका

- **उग्रवादी नेतृत्व:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट के प्रमुख नेता; स्वराज, स्वदेशी और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया।

- **लाल-बाल-पाल त्रयी:** तिलक और पाल के साथ मिलकर जनसहभागिता बढ़ाई और स्वतंत्रता संग्राम को अधिक आक्रामक दिशा दी।
- **कांग्रेस नेतृत्व (1920):** कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था।
- **ट्रेड यूनियन आंदोलन:** 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के निर्वाचित अध्यक्ष बने, जिससे श्रमिक अधिकारों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

संस्थाएँ एवं संगठनात्मक योगदान

- **सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी (1921):** सामाजिक सेवा, शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण के लिए स्थापना; आज भी कार्यरत है।
- **आर्थिक राष्ट्रवाद:** पंजाब नेशनल बैंक (1894) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका, जिससे स्वदेशी वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा मिला।
- **अंतरराष्ट्रीय पक्षधरता:** अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति वैश्विक समर्थन जुटाया।
- **शैक्षिक पहल:** दयानंद एंग्लो-वेदिक (DAV) संस्थानों का समर्थन, जिससे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ।

साहित्यिक योगदान एवं बौद्धिक चिंतन

- **प्रमुख कृतियाँ:** अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया—इनमें औपनिवेशिक शोषण की तीखी आलोचना की गई।
- **आर्थिक आलोचना:** ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारत की संपदा के शोषण को उजागर किया, जिससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बल मिला।
- **पत्रकारिता:** द पीपल पत्रिका की स्थापना और द ट्रिब्यून में योगदान; मीडिया को राष्ट्रवादी जागरण का माध्यम बनाया।
- **जीवनी लेखन:** माजिनी और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं पर लेखन, जिससे वैश्विक आंदोलनों और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच समानताएँ स्थापित कीं।

साइमन कमीशन विरोध (1928)

- **पृष्ठभूमि:** साइमन कमीशन का भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना गठन औपनिवेशिक अपमान का प्रतीक था।
- **नेतृत्व:** लाहौर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो अहिंसक प्रतिरोध का उदाहरण था।
- **लाठीचार्ज घटना:** ब्रिटिश पुलिस की कठोर कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुए।
- **बलिदान एवं प्रभाव:** उनकी मृत्यु ने क्रांतिकारियों (जैसे भगत सिंह) को प्रेरित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया।

मूल्य एवं विरासत

- **साहस एवं बलिदान:** ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका निडर संघर्ष नैतिक साहस का प्रतीक है।
- **दृढ़ता:** कारावास और निर्वासन के बावजूद राष्ट्रवादी कार्यों में निरंतर सक्रिय रहे।
- **सुधार और राष्ट्रवाद का समन्वय:** सामाजिक सुधार, आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक सक्रियता को एक साथ जोड़ा।
- **स्थायी प्रासंगिकता:** आत्मनिर्भरता, संस्थागत विकास और राष्ट्रीय गौरव के उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

आगे की राह

- **संवैधानिक राष्ट्रवाद का संवर्धन:** उनके मूल्यों को नागरिक शिक्षा में शामिल कर लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया जा सकता है।
- **स्वदेशी संस्थाओं का सशक्तिकरण:** घरेलू उद्योगों और संस्थानों को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।
- **समावेशी विकास:** सामाजिक सुधार और आर्थिक प्रगति के संतुलन पर जोर देना आवश्यक है।
- **ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण:** स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शिक्षा में अधिक स्थान देना चाहिए।

निष्कर्ष

लाला लाजपत राय केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और संस्थागत विकास को एकीकृत किया। उनका जीवन बलिदान, नेतृत्व और राष्ट्र-निर्माण की भावना का प्रतीक है, जिसने भारत की स्वतंत्रता को आकार दिया। उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उन मूल्यों की याद दिलाना है जो भारतीय गणराज्य को सुदृढ़ बनाते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट से जुड़े थे।
2. उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की।
3. उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया।

उपर्युक्त में से सही कथन कौन से हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

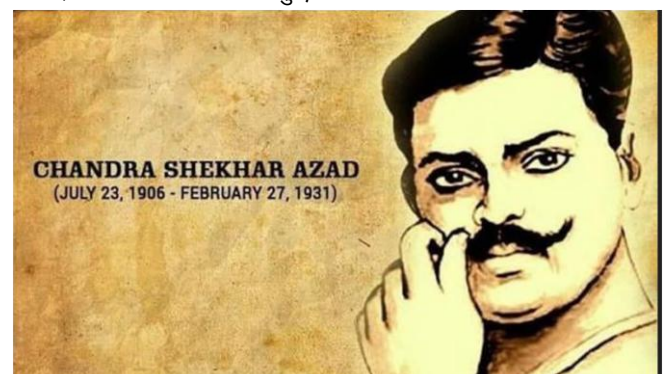
उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय की भूमिका पर चर्चा कीजिए तथा राजनीति से परे उनके योगदानों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

चंद्रशेखर आज़ाद

चर्चा में क्यों: भारत ने चंद्रशेखर आज़ाद की 95वीं पुण्यतिथि (27 फरवरी 2026) पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में योगदान को रेखांकित करते हुए।



मुख्य विवरण

- **जन्म:** 1906 में अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) में; प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे।
- **प्रारंभिक प्रभाव:** महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, पर असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़े।
- **महत्वपूर्ण भूमिका:** काकोरी कांड (1925) और HSRA (1928) के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई।
- **बलिदान:** 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए, अपने जीवित न पकड़े जाने के संकल्प को निभाते हुए।

प्रारंभिक जीवन एवं वैचारिक निर्माण

- **जन्म एवं पृष्ठभूमि:** 1906 में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) में जन्म; साधारण परिस्थितियों में पले-बढ़े, जिसने उनके संघर्षशील स्वभाव और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आकार दिया।
- **असहयोग आंदोलन (1921) का प्रभाव:** महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कम उम्र में आंदोलन में शामिल हुए, जिससे जन-आंदोलन की समझ विकसित हुई।
- **‘आज़ाद’ नाम की उत्पत्ति:** गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना नाम “आज़ाद”, पिता का नाम “स्वतंत्रता” और निवास “जेल” बताया— जो औपनिवेशिक सत्ता के प्रति उनके विरोध का प्रतीक था।
- **विचारों में परिवर्तन:** 1922 में आंदोलन की वापसी से निराश होकर वे क्रांतिकारी मार्ग की ओर अग्रसर हुए।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एवं संगठन

- **HRA से जुड़ाव:** राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़े, जो सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे।
- **HSRA का गठन (1928):** भगत सिंह के साथ मिलकर संगठन को पुनर्गठित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) बनाया, जिसमें समाजवादी दृष्टि को शामिल किया गया।
- **सैन्य रणनीतिकार:** संगठन के मुख्य रणनीतिकार के रूप में अभियानों की योजना बनाई और गुप्त संचालन सुनिश्चित किए।
- **वैचारिक झुकाव:** स्वतंत्रता के साथ-साथ एक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा।

प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियाँ

- **काकोरी कांड (1925):** क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु ट्रेन डकैती में महत्वपूर्ण भूमिका; गिरफ्तारी से बच निकले।
- **जॉन सॉन्डर्स की हत्या (1928):** लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स को निशाना बनाया।
- **छद्म नाम ‘बलराज’:** HSRA के घोषणापत्र ‘बलराज’ नाम से जारी किए गए, जिससे सामूहिक नेतृत्व और गुमनामी बनी रही।
- **गुप्त गतिविधियाँ:** केंद्रीय विधानसभा बम कांड (1929) के बाद विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्यों का समन्वय करते हुए गुप्त रूप से कार्य किया।

अंतिम बलिदान एवं विरासत

- **शहादत (1931):** अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर अंतिम गोली स्वयं को मारकर गिरफ्तारी से बचा लिया।

- **साहस का प्रतीक:** उनका जीवन निडरता, त्याग और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है।
- **स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव:** उनके कार्यों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया और जन-आंदोलन के साथ-साथ क्रांतिकारी धारा को सशक्त किया।
- **स्मारक:** अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया, जिससे उनकी विरासत जीवित है।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का महत्व

- **गांधीवादी पद्धति का पूरक:** क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने अहिंसक आंदोलन के साथ समानांतर दबाव बनाकर औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी।
- **युवा प्रेरणा:** आज़ाद और भगत सिंह जैसे नेताओं ने युवाओं को स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
- **वैश्विक प्रभाव:** समाजवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी विचारधाराओं से प्रेरित होकर अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अपनाया।
- **साधनों पर विमर्श:** स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा के उपयोग पर नैतिक और ऐतिहासिक बहस को जन्म दिया।

आगे की राह

- **संतुलित ऐतिहासिक समझ:** स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक और क्रांतिकारी दोनों योगदानों को मान्यता देना आवश्यक है।
- **संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन:** क्रांतिकारी उत्साह को लोकतांत्रिक भागीदारी, विधि का शासन और राष्ट्र-निर्माण में परिवर्तित करना चाहिए।
- **युवा सहभागिता:** त्याग और देशभक्ति की कहानियों से युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता और नेतृत्व के लिए प्रेरित करना।
- **विरासत का संरक्षण:** शिक्षा, संग्रहालय और जनचर्चा के माध्यम से क्रांतिकारी इतिहास का प्रसार।

निष्कर्ष

चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और निडर प्रतिरोध के सशक्त प्रतीक थे। उनका जीवन दर्शाता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुआयामी था, जिसमें संवैधानिक और क्रांतिकारी दोनों दृष्टिकोणों का योगदान रहा। उनकी विरासत आज भी न्याय, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणा देती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चंद्रशेखर आज़ाद किस संगठन से जुड़े थे?

- (a) इंडियन नेशनल आर्मी
- (b) हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
- (c) स्वराज पार्टी
- (d) गदर पार्टी

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्यधारा के आंदोलन को किस प्रकार पूरक बनाया? (150 शब्द, 10 अंक)

विविध समाचार

दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन

चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश में एक शोध केंद्र के रूप में “दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन” की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

मुख्य विवरण

- **घोषणा:** केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित; अक्टूबर 2025 में ₹11,440 करोड़ के व्यय के साथ प्रारंभ।
- **लक्ष्य:** 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- **मुख्य फसलें:** अरहर (तूर), उड़द और मसूर।
- **प्रमुख फोकस:** उत्पादन वृद्धि, सुनिश्चित खरीद और बीज ट्रेसबिलिटी।

दालें: पोषण एवं आर्थिक महत्व

- **पोषण सुरक्षा:** भारतीय आहार में 20-25% प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है, जो प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण से निपटने में सहायक है।
- **कम खपत:** प्रति व्यक्ति दाल उपलब्धता 85 ग्राम/दिन से कम है, जो पोषण सुरक्षा में अंतर दर्शाती है।
- **किसानों की आय:** छोटे और सीमांत किसान मुख्यतः दालें उगाते हैं; यह आय विविधीकरण और वर्षा-आधारित क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान करती है।
- **खाद्य सुरक्षा में भूमिका:** पीडीएस और मिड-डे मील जैसी योजनाओं में दालों का समावेश संतुलित आहार सुनिश्चित करता है।

उत्पादन प्रवृत्तियाँ एवं आयात निर्भरता

- **उत्पादन वृद्धि:** 2013-14 से 2024-25 के बीच 31% वृद्धि, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और आहार परिवर्तन के कारण मांग अधिक है।
- **उच्च आयात निर्भरता:** 2023-24 में 47.38 लाख टन दालों का आयात, जिससे वैश्विक मूल्य अस्थिरता और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है।
- **घरेलू उत्पादन अंतर:** 16% (1950) से बढ़कर 8% (2022-23) तक कमी के बावजूद अंतर बना हुआ है।
- **भविष्य की मांग:** 2050 तक लगभग 39 मिलियन टन की आवश्यकता; 2-2.2% वार्षिक वृद्धि जरूरी।

दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन: प्रमुख विशेषताएँ

- **समयबद्ध राष्ट्रीय मिशन:** 2025-26 से 2030-31 तक, संरचित नीति ढांचे के साथ आत्मनिर्भरता का लक्ष्य।
- **खेती क्षेत्र का विस्तार:** क्षेत्रफल 35 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य।
- **उत्पादन लक्ष्य:** घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना।
- **फसल रणनीति:** तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान।

संस्थागत एवं परिचालन तंत्र

- **साथी पोर्टल (डिजिटल शासन):** बीज ट्रेसबिलिटी, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- **सुनिश्चित खरीद तंत्र:** NAFED और NCCF के माध्यम से 100% खरीद की गारंटी, जिससे किसानों की आय सुरक्षित रहती है।
- **पीएम-आशा एकीकरण:** मूल्य समर्थन योजनाओं के साथ खरीद का समन्वय।
- **क्लस्टर आधारित विकास:** क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप, दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

मूल्य शृंखला एवं अवसरचना विकास

- **दाल प्रसंस्करण क्लस्टर:** 1,000 दाल मिलों की स्थापना, जिससे कटाई के बाद हानि कम होगी।
- **सब्सिडी समर्थन:** ₹25 लाख प्रति इकाई, निजी निवेश और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन।
- **बीज से बाजार तक दृष्टिकोण:** विकेंद्रीकृत बीज वितरण से समय पर उपलब्धता और बेहतर अनुकूलन।
- **किसान प्रोत्साहन:** ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता और बीज किट।

कृषि एवं पर्यावरणीय महत्व

- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण:** दालें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती हैं।
- **जलवायु अनुकूल फसलें:** कम पानी (25-60 सेमी वर्षा) में उगती हैं, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
- **फसल प्रणाली लाभ:** अंतरफसल और फसल विविधीकरण से उत्पादकता और स्थिरता बढ़ती है।
- **कम कार्बन प्रभाव:** सतत कृषि और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप।

नीति आयोग की सिफारिशें एवं सुधार

- **वन ब्लॉक-वन सीड विलेज:** FPOs के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति सुदृढ़ करना।
- **धान के खाली खेतों का उपयोग:** बिना अतिरिक्त भूमि के उत्पादन बढ़ाना।
- **आहार में समावेशन:** कल्याणकारी योजनाओं में दालों का अधिक उपयोग कर मांग बढ़ाना।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** अल्पावधि और जलवायु-सहिष्णु किस्मों का विकास।

दाल क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता:** तकनीकी अपनाने की कमी और सिंचाई की सीमित उपलब्धता।
- **मूल्य अस्थिरता:** कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों को हतोत्साहित करता है।
- **नीति पक्षपात:** MSP में चावल और गेहूं पर अधिक ध्यान से दालों का महत्व कम हुआ।
- **खंडित मूल्य शृंखला:** भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन ढांचे की कमी।

निष्कर्ष

दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें उत्पादन वृद्धि, सुनिश्चित खरीद, प्रौद्योगिकी नवाचार और मांग सृजन शामिल हों। मूल्य शृंखला को मजबूत करना, दालों को पोषण कार्यक्रमों में शामिल करना और जलवायु-सहिष्णु खेती को बढ़ावा देना राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह मिशन संतुलित कृषि और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दालें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं।
2. भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
3. दालों को 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत दालों के आयात पर निर्भर क्यों है? चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत जीआई (Bharat GI)

चर्चा में क्यों: हाल ही में “भारत जीआई” को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रस्तुत किया गया।

भारत जीआई के बारे में

- यह एक **नेशनल अम्ब्रेला इनिशिएटिव** है, जिसका उद्देश्य भारत के विशिष्ट जीआई उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
- **प्रारंभ:** वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू किया गया।
- **लाभ:** कारीगरों और किसानों के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय पहचान, प्रीमियम मूल्य निर्धारण और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है।

ओल चिकी लिपि

चर्चा में क्यों: भारत के राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि (OI Chiki script) के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

ओल चिकी लिपि के बारे में

- **विकास:** 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा विशेष रूप से संथाली भाषा के लिए विकसित की गई।
- **परिवर्तन:** संथाली भाषा को मौखिक परंपरा से लिखित परंपरा में परिवर्तित किया।

- ✓ **पूर्व स्थिति:** ओल चिकी से पहले संथाली को रोमन, बंगाली, ओड़िया और देवनागरी लिपियों में लिखा जाता था।

ᱠ	ᱡ	ᱢ	ᱣ	ᱤ
ᱥ	ᱦ	ᱧ	ᱨ	ᱩ
ᱪ	ᱫ	ᱬ	ᱭ	ᱮ
ᱯ	ᱰ	ᱱ	ᱲ	ᱳ
ᱴ	ᱵ	ᱶ	ᱷ	ᱸ
ᱹ	ᱺ	ᱻ	ᱼ	ᱽ
᱾	᱿	᱀	᱁	᱂
᱃	᱄	᱅	᱆	᱇
᱈	᱉	᱊	᱋	᱌
ᱍ	ᱎ	ᱏ	᱐	᱑
᱒	᱓	᱔	᱕	᱖
᱗	᱘	᱙	ᱚ	ᱛ
ᱜ	ᱝ	ᱞ	ᱟ	ᱠ
ᱡ	ᱢ	ᱣ	ᱤ	ᱥ
ᱦ	ᱧ	ᱨ	ᱩ	ᱪ
ᱫ	ᱬ	ᱭ	ᱮ	ᱯ
ᱰ	ᱱ	ᱲ	ᱳ	ᱴ
ᱵ	ᱶ	ᱷ	ᱸ	ᱹ
ᱺ	ᱻ	ᱼ	ᱽ	᱾
᱿	᱀	᱁	᱂	᱃
᱄	᱅	᱆	᱇	᱈
᱉	᱊	᱋	᱌	ᱍ
ᱎ	ᱏ	᱐	᱑	᱒
᱓	᱔	᱕	᱖	᱗
᱘	᱙	ᱚ	ᱛ	ᱜ
ᱝ	ᱞ	ᱟ	ᱠ	ᱡ
ᱢ	ᱣ	ᱤ	ᱥ	ᱦ
ᱧ	ᱨ	ᱩ	ᱪ	ᱫ
ᱬ	ᱭ	ᱮ	ᱯ	ᱰ
ᱱ	ᱲ	ᱳ	ᱴ	ᱵ
ᱶ	ᱷ	ᱸ	ᱹ	ᱺ
ᱻ	ᱼ	ᱽ	᱾	᱿
᱀	᱁	᱂	᱃	᱄
᱅	᱆	᱇	᱈	᱉
᱊	᱋	᱌	ᱍ	ᱎ
ᱏ	᱐	᱑	᱒	᱓
᱔	᱕	᱖	᱗	᱘
᱙	ᱚ	ᱛ	ᱜ	ᱝ
ᱞ	ᱟ	ᱠ	ᱡ	ᱢ
ᱣ	ᱤ	ᱥ	ᱦ	ᱧ
ᱨ	ᱩ	ᱪ	ᱫ	ᱬ
ᱭ	ᱮ	ᱯ	ᱰ	ᱱ
ᱲ	ᱳ	ᱴ	ᱵ	ᱶ
ᱷ	ᱸ	ᱹ	ᱺ	ᱻ
ᱼ	ᱽ	᱾	᱿	᱀
᱁	᱂	᱃	᱄	᱅
᱆	᱇	᱈	᱉	᱊
᱋	᱌	ᱍ	ᱎ	ᱏ
᱐	᱑	᱒	᱓	᱔
᱕	᱖	᱗	᱘	᱙
ᱚ	ᱛ	ᱜ	ᱝ	ᱞ
ᱟ	ᱠ	ᱡ	ᱢ	ᱣ
ᱤ				

ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों: हाल ही में, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट (SFDR) प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया है।

ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी के बारे में

अवधारणा: हाइब्रिड प्रणोदन



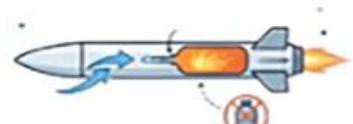
ठोस ईंधन रॉकेट को वायु-श्वसन रैमजेट के साथ जोड़ा है।

रैमजेट सिद्धांत (कोई जटिल गतिमान भाग नहीं)



आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए मिसाइल की अग्रिम गति का उपयोग करता है, जिससे जटिल घूर्णन भागों की आवश्यकता नहीं होती।

कार्यप्रणाली: ऑक्सीकारक की कम आवश्यकता



दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीकारक की आवश्यकता कम होती है।

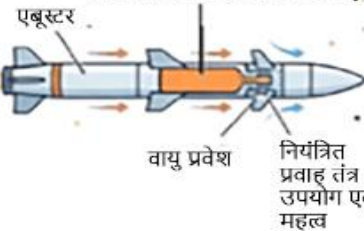
लाभ: अधिक दूरी और उच्च गति कूज़



लंबी संलग्नता दूरी और निरंतर उच्च गति कूज़ सक्षम करता है।

एसएफडीआर घटक

एसएफडीआर मोटर (Solid Fuel Ducted Ramjet)



एब्रुस्टर
वायु प्रवेश
नियंत्रित प्रवाह तंत्र उपयोग एवं महत्व

उपयोग एवं महत्व



मुख्यतः उन्नत लंबी दूरी की वायु-से-वायु मिसाइलों के लिए प्रयोजित

भारत को एसएफडीआर क्षमता वाले देशों के सीमित समूह में शामिल करता है।

'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न (फरवरी 2026)

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. मुद्रास्फीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में सतत वृद्धि।
2. लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति मजदूरी, ईंधन या कच्चे माल जैसी इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है।
3. मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति हमेशा आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) अर्थव्यवस्था में मशीनरी, उपकरण, अवसंरचना और भवन जैसे स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।

कथन 2: GFCF में वृद्धि क्षमता विस्तार को दर्शाती है और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख चालक है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 3. हाल के केंद्रीय बजट के संदर्भ में भारत की राजकोषीय रणनीति और वृद्धि दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बजट का उद्देश्य संरचनात्मक नीतिगत सुधारों के साथ राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के निकट संतुलन बनाना है।
2. भारत के मध्यम-अवधि के सार्वजनिक ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करना केवल केंद्र के राजकोषीय समेकन पर निर्भर नहीं करता बल्कि राज्यों के राजकोषीय अनुशासन पर भी निर्भर करता है।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि राजकोषीय स्थान का विस्तार और उच्च अवशोषण क्षमता है।
4. निजी क्षेत्र के निवेश में निरंतर वृद्धि आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय राजकोषीय समेकन और क्षमता सीमाओं से बाधित है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 4. शहरी महिलाओं में एग फ्रीजिंग और फर्टिलिटी बजटिंग की बढ़ती प्रवृत्ति, हाल की रिपोर्टों में चर्चा के अनुसार, मुख्यतः किन मुद्दों को उजागर करती है?

- (a) चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायीकरण में वृद्धि
- (b) महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, आर्थिक स्वायत्तता और स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतर का परस्पर संबंध
- (c) केवल आनुवंशिक कारकों के कारण प्रजनन दर में गिरावट
- (d) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का निजी फर्टिलिटी क्लिनिकों द्वारा प्रतिस्थापन

प्रश्न 5. आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं:

1. आर्द्रभूमि को केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया जाता है।
2. अधिसूचित आर्द्रभूमि के भीतर भूमि पुनर्भरण, उद्योगों की स्थापना और स्थायी निर्माण गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
3. पेयजल और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले नदी चैनल, धान के खेत और मानव-निर्मित जल निकाय आर्द्रभूमि की परिभाषा से बाहर हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कथन II: UGC को देशभर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित और वितरित करने का अधिकार है।

कथन III: UGC संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 7. व्हाट्सएप के खिलाफ चल रहा अमेरिकी मुकदमा, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, भारत में मुख्यतः निम्नलिखित विधिक और नियामक ढांचे में से किसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है?

- (a) भारतीय न्याय संहिता के तहत राजद्रोह कानूनों का प्रवर्तन
- (b) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की वैधता

(c) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या

(d) साइबरस्पेस में निवारक निरोध कानूनों का अनुप्रयोग

प्रश्न 8. भारत की अवसंरचना वित्तपोषण और समुद्री विकास पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सरकार PPP मॉडल के माध्यम से बंदरगाह अवसंरचना में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।
2. हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत परियोजना जोखिम सरकार और निजी डेवलपर के बीच साझा किया जाता है, बजाय इसके कि इसे पूरी तरह किसी एक पक्ष द्वारा वहन किया जाए।
3. भारत के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों द्वारा किया जाता है, जिससे माल भाड़ा और जहाज पट्टे पर लेने पर विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण व्यय होता है।
4. रेल, सड़क और बंदरगाहों को जोड़ने वाली मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की बढ़ावा देना भारत की समग्र लॉजिस्टिक लागत को कम करने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 9. लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
3. लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रशासन और विकास के लिए जिम्मेदार वैश्विक शासी निकाय है।

कथन II: ICC खेल की शर्तें निर्धारित करता है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के नियमों के अनुप्रयोग की देखरेख करता है।

कथन III: ICC अपने पूर्ण, सहयोगी और संबद्ध सदस्य राष्ट्रों के माध्यम से विश्वभर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 11. भारत सरकार द्वारा घोषित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ELI का उद्देश्य निजी क्षेत्र में उत्पन्न नए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
2. कैबिनेट अनुमोदन प्राप्त करने में देरी और योजना के संचालन में विलंब ने ELI के समयबद्ध क्रियान्वयन को प्रभावित किया है।
3. ELI की प्रभावशीलता नए रोजगार परिणाम उत्पन्न करने में अभी तक निर्णायक रूप से प्रदर्शित नहीं हुई है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 12. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी का अल्पकाल में भारत पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव क्या होगा?

- (a) भारत के चालू खाते के घाटे में वृद्धि
- (b) भारत के व्यापार संतुलन में सुधार
- (c) निर्यात प्रोत्साहनों के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि
- (d) भारतीय रुपये का अवमूल्यन

प्रश्न 13. लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

1. धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के संसद को संबोधन के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
2. धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत और उस पर बहस की जा सकती है।
3. लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव की पराजय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास मत के समान होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: भारत के संविधान में उपमुख्यमंत्री का पद उल्लेखित नहीं है।

कथन 2: उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति और सीमा-पार आतंकवाद से संबंधित नीतियों का समन्वय करता है।
2. सिंधु जल संधि विश्व बैंक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराकर किया गया एक द्विपक्षीय समझौता है।

3. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) 1985 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था।
4. गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 भारत सरकार को संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 16. कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CCUS तकनीकें औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवरुद्ध करने और उसे भूमिगत संग्रहित करने या उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती हैं।
2. औद्योगिक क्षेत्रों को नवीकरणीय बिजली में स्थानांतरित करना ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, जिससे CCUS अनावश्यक हो जाता है।
3. भारत ने 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है।
4. CCUS तकनीकें विशेष रूप से सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योगों के लिए प्रासंगिक हैं, जहाँ कार्बन उत्सर्जन उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 17. भारत में लापता बच्चों के संदर्भ में, हाल के दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 12-18 वर्ष आयु वर्ग में लापता बच्चों की संख्या में पिछले तीन वर्षों में तीव्र और निरंतर वृद्धि हुई है।
2. 0-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे तस्करी और अवैध गोद लेने के जोखिम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
3. पुलिस जांच में अधिकांश लापता बच्चों के मामलों में संगठित आपराधिक गिरोहों की संलिप्तता पाई गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 18. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: PM-JAY ने भारत की निचली 40% आबादी के लिए विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से होने वाले खर्च (OOP) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कथन II: बीमा के माध्यम से व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर देखभाल की गुणवत्ता में अंतर को स्वाभाविक रूप से पाट देती है और निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
- (d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

प्रश्न 19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सार्वजनिक सेवकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है।

कथन II: जांच के दौरान NHRC के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं।

कथन III: NHRC मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए मुआवजा या अन्य राहत की सिफारिश कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 20. भारत के लिए सोडियम-आयन प्रौद्योगिकी का एक रणनीतिक लाभ क्या है?

- (a) भारत के पास बड़े लिथियम भंडार हैं।
- (b) समुद्री जल में सोडियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- (c) सोडियम खनन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
- (d) सोडियम बैटरियाँ पुनर्चक्रण की आवश्यकता को समाप्त कर देती हैं।

प्रश्न 21. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर MPC के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
2. MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है।
3. मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) हिंद महासागर क्षेत्र तक चीन की रणनीतिक और आर्थिक पहुँच को बढ़ाता है।

कथन II: CPEC चीन के शिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सड़क, रेलमार्ग और पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है।

कथन III: ग्वादर बंदरगाह, चीन को ऊर्जा आयात के लिए मलक्का जलडमरूमध्य को दरकिनार करने वाला एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
 (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
 (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
 (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 23. भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. AI-प्रेरित स्वचालन का प्रभाव प्रवेश-स्तर के नियमित कोडिंग और रखरखाव भूमिकाओं पर उन्नत उच्च-स्तरीय रणनीतिक पदों की तुलना में अधिक होने की संभावना है।
2. उन्नत AI प्रणालियों के रोजगार प्रभाव को संबोधित करने के लिए नीति-निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग नेताओं के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 24. भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंदी के बीच लचीलेपन पर RBI गवर्नर की टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत की आर्थिक लचीलापन मजबूत घरेलू मांग, सुदृढ़ सेवा गतिविधि और सुधारते विनिर्माण प्रदर्शन के कारण है।
2. शहरी खपत में सुधार GST युक्तिकरण और सख्त मौद्रिक नीति के कारण कमजोर होने की अपेक्षा है।
3. उच्च क्षमता उपयोग, बढ़ता बैंक ऋण और सरकार-प्रेरित अवसंरचना व्यय निवेश गतिविधि को समर्थन देने की संभावना है।
4. 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कमजोर होने का अनुमान है, जिसका कारण सख्त वित्तीय परिस्थितियाँ और कम राजकोषीय समर्थन है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) केवल तीन
 (d) सभी चार

प्रश्न 25. भारत के हालिया व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. EU FTA के तहत, भारत ने मूल्य के आधार पर EU को अपने 99% से अधिक निर्यातों के लिए बाजार पहुंच सुरक्षित कर ली है।
2. कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) का मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में प्रासंगिक है, लेकिन भारत-EU वार्ताओं में नहीं।
3. EU और US दोनों व्यापार समझौतों का उद्देश्य कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना है।
4. US के साथ अंतरिम व्यापार ढांचा एक पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करने के लिए है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो

- (c) केवल तीन
 (d) कोई नहीं

प्रश्न 26. राजस्थान के प्रस्तावित कानून के संदर्भ में चर्चा किए गए "विघ्नित क्षेत्र" कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऐसे कानून राज्य प्रशासन को अधिसूचित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण को विनियमित या जांच करने का अधिकार देते हैं ताकि संकट बिजली को रोका जा सके।
2. इन कानूनों का मूल उद्देश्य तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना है।
3. ये कानून विशिष्ट अवैध कृत्यों के विनियमन से हटकर जनसांख्यिकीय पैटर्न के आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था के संभावित खतरों के आकलन की ओर बदलाव को दर्शाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) सभी तीन
 (d) कोई नहीं

प्रश्न 27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का उद्देश्य भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करना है।

कथन II: यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से समुद्र मार्ग से जोड़ती है और फिर कालादान नदी और सड़क नेटवर्क के माध्यम से मिजोरम तक जाती है।

कथन III: यह परियोजना उत्तर-पूर्व तक पहुंच के लिए भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
 (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
 (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
 (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 28. निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्ति नहीं है?

- (a) राष्ट्रपति को सलाह देना।
 (b) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 (c) लोकसभा को स्वतंत्र रूप से भंग करना।
 (d) विभागों का आवंटन करना।

प्रश्न 29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।
2. इन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. विदेशी नागरिक भी अनुच्छेद 19 के तहत इन स्वतंत्रताओं के हकदार होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: सतत विकास लक्ष्य (SDGs) सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए थे।

कथन 2: ये लक्ष्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 31. भारत-मलेशिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. भारत और मलेशिया ने 2024 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
- 2. भारत और मलेशिया के बीच सहयोग सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है।
- 3. भारत-मलेशिया संबंध ASEAN और BIMSTEC ढांचों के साथ भारत की सहभागिता को मजबूत करने के लिए भी देखे जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 32. भारत में संसदीय कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. संसद को राष्ट्रपति का संबोधन आगामी वर्ष के लिए सरकार की व्यापक नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- 2. लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन में बहसों का विनियमन करने और प्रस्तावों की ग्राह्यता तय करने का अधिकार होता है।
- 3. संसद में विपक्ष की कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 33. लोकसभा के महासचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- 1. महासचिव लोकसभा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- 2. महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- 3. महासचिव अपने पद के कारण संसद का सदस्य होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 34. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारत की रक्षा एयरोस्पेस क्षमता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कथन II: HAL विमान, हेलीकॉप्टर और एयरो-इंजन के डिजाइन, विकास, निर्माण और रखरखाव में संलग्न है।

कथन III: HAL भारतीय सशस्त्र बलों को लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 35. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नेतृत्व गतिशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. महात्मा गांधी ने कांग्रेस के भीतर एकल नेतृत्व के बजाय सामूहिक नेतृत्व के मॉडल को प्राथमिकता दी।
- 2. जवाहरलाल नेहरू के पास जन-आकर्षण कम था और वे मुख्यतः कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक समर्थन पर निर्भर थे।
- 3. सरदार वल्लभभाई पटेल को अधिक संगठनात्मक समर्थन प्राप्त था, जबकि नेहरू को जनता के बीच व्यापक स्वीकार्यता थी।
- 4. महात्मा गांधी ने वैचारिक मतभेदों के कारण जवाहरलाल नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरने का विरोध किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 36. आर्कटिक क्षेत्र में जहाजरानी से होने वाले ब्लैक कार्बन उत्सर्जन मुख्यतः चिंता का कारण हैं क्योंकि वे:

- (a) ओजोन समतापमंडल को कम करते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में पराबैंगनी विकिरण बढ़ाते हैं।
- (b) बर्फ और हिम की परावर्तन क्षमता (एल्बिडो) को कम करते हैं, जिससे क्षेत्रीय ऊष्मीकरण और बर्फ पिघलना बढ़ता है।
- (c) महासागर की लवणता को सीधे बढ़ाते हैं, जिससे थर्मोहिलाइन परिसंचरण प्रभावित होता है।
- (d) सल्फर जमाव के माध्यम से ध्रुवीय जल के अम्लीकरण का कारण बनते हैं।

प्रश्न 37. भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- 1. CPI का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए मुख्य संकेतक के रूप में किया जाता है।
- 2. बदलते उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए CPI का आधार वर्ष 2012 से 2024 में संशोधित किया गया है।
- 3. CPI केवल खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को मापता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित किया गया था।

कथन 2: यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू उपभोग का डेटा एकत्र करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 39. व्यापार कूटनीति और भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. व्यापार वार्ताएं अक्सर आर्थिक कारकों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों से भी प्रभावित होती हैं।
2. भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते से पहले भारत में विस्तृत संसदीय चर्चा हुई थी।
3. भारत घरेलू आर्थिक हितों से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से हट गया।
4. संसद की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर चर्चा कराने में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 40. 'मास ड्राइवर' की अवधारणा, जिसका कभी-कभी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, का अर्थ है:

- (a) एक प्रणोदन प्रणाली जो गहरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए रासायनिक ईंधन का उपयोग करती है
- (b) एक विद्युत-चुंबकीय प्रणाली जो पारंपरिक रॉकेट के बिना वस्तुओं को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन की गई है
- (c) चंद्रमा की कक्षा का उपयोग करते हुए गुरुत्वाकर्षण-सहायता चाल
- (d) अंतरग्रहीय मिशनों के लिए परमाणु-संचालित इंजन

प्रश्न 41. डल झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह एक मीठे पानी की झील है जो आसपास के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले स्रोतों और प्रवाह से पोषित होती है।
2. यह एक प्राकृतिक निकास के माध्यम से सीधे अरब सागर से जुड़ी हुई है।
3. डल झील बड़ी डल-निगीन झील प्रणाली का हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से पालन, आचरण और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

कथन II: राज्य इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है।

कथन III: राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 43. कोच्चि-मुज़िरिस बिनाले और मरीना अब्रामोविच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोच्चि-मुज़िरिस बिनाले केरल में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है।
2. मरीना अब्रामोविच प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए वैश्विक रूप से जानी जाती हैं।
3. मरीना अब्रामोविच संस्थान मुख्यतः शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है।
4. कोच्चि-मुज़िरिस बिनाले केवल पारंपरिक भारतीय कला रूपों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 44. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका पारंपरिक रूप से WHO के बजट में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है।
2. WHO की वित्तपोषण संरचना इसे प्रमुख दाता देशों के राजनीतिक निर्णयों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
3. विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 45. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 13वें जातीय संसद चुनावों में साधारण बहुमत प्राप्त किया।
2. जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश संसद में एकल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा।

3. बांग्लादेश में स्थिरता भारत की पूर्वी सुरक्षा संरचना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 46. अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (USEPA) और "एंडेजरमेंट फाईडिंग" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एंडेजरमेंट फाईडिंग USEPA को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ग्रीनहाउस गैसों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हुए विनियमित करने का निर्देश देती है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका में, विद्युत उत्पादन क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।
3. एंडेजरमेंट फाईडिंग को निरस्त करने से विद्युत संयंत्रों और तेल एवं गैस क्षेत्र से उत्सर्जन पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 47. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए की गई थी।

कथन II: संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित किया गया था।

कथन III: संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्र संघ का स्थान लिया।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 48. BRICS शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BRICS समूह में मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे।
2. BRICS शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
3. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना BRICS ढांचे के अंतर्गत की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 49. भारत में पुनर्नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पुनर्नवीनीकृत चिकित्सा उपकरण वे उपकरण हैं जिन्हें उनकी मूल संचालन स्थिति में बहाल किया गया है और सामान्यतः कम लागत पर बेचा जाता है।
2. भारत ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत पुनर्नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के लिए एक समर्पित नियामक मार्ग निर्धारित किया है।
3. उच्च-प्रयोग किए गए चिकित्सा उपकरणों के आयात को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से सख्त शर्तों और तकनीकी इनपुट के साथ अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 50. स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कम संसाधन वाली परिस्थितियों में, AI प्रणालियों में त्रुटियाँ कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण अनुपातहीन रूप से अधिक जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।
2. विकासशील देशों में AI को अपनाने में प्रमुख बाधा उपयोगकर्ता की तकनीकी दक्षता की कमी है।
3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में बिना निगरानी के AI उपकरण कमजोर उपयोगकर्ताओं में मनोवैज्ञानिक निर्भरता उत्पन्न कर सकते हैं।
4. AI के आसपास बढ़ती चिंताएँ उपयोगिता से समान रूप से स्वामित्व, शासन और जवाबदेही के मुद्दों से भी जुड़ी हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 51. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता निर्धारित करता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।

कथन II: केवल भारत के चुनाव आयोग के पास संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराने की शक्ति है।

कथन III: भारत का चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 52. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।

2. ICAR भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 53. रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. REITs निवेशकों को मुख्यतः आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए संसाधनों को एकत्र करते हैं।
2. भारत में REITs को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
3. REITs को अपने शुद्ध वितरित करने योग्य नकदी प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा अपने धारकों को वितरित करना आवश्यक होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: एक सुविकसित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कंपनियों की बैंक वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।

कथन II: कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों को निवेशकों से सीधे दीर्घकालिक धन जुटाने की अनुमति देते हैं।

कथन III: कई अर्थव्यवस्थाओं में कंपनियों के लिए दीर्घकालिक वित्त का एकमात्र स्रोत बैंक होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 55. भारत में जलवायु शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का जलवायु कार्य ढांचा वायु गुणवत्ता प्रबंधन, शहरी परिवहन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित उपायों को शामिल करता है।
2. भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) पेरिस समझौते के तहत घरेलू न्यायालयों में बाध्यकारी कानून के रूप में स्वतः लागू होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 56. RuPay और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के भविष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकार समर्थित अध्ययन यह जोर देता है कि UPI और RuPay की भविष्य की वृद्धि मूल्य-वर्धित सेवाओं पर काफी निर्भर करेगी।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI ने भारत में प्रमुख अवसंरचना और विश्वसनीयता चुनौतियों को पहले ही समाप्त कर दिया है।
3. माइक्रो-क्रेडिट, बीमा और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसी सेवाओं का एकीकरण डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को गहरा कर सकता है।
4. RuPay डेबिट कार्ड और कम-मूल्य BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना ने हाल के वर्षों में सरकारी भुगतान में वृद्धि देखी है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 57. जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. GenAI प्रशिक्षण डेटा के आधार पर पाठ, छवियां, ऑडियो और कोड जैसी नई सामग्री उत्पन्न कर सकता है।
2. GenAI मॉडल सामान्यतः असुपरिवेक्षित या स्व-पर्यवेक्षित शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके प्रशिक्षित किए जाते हैं।
3. GenAI प्रणालियाँ केवल पूर्व-विद्यमान डेटा को पुनः प्राप्त कर सकती हैं और नई सामग्री उत्पन्न नहीं कर सकती।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 58. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी विनिमय उल्लंघनों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

कथन II: ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 का प्रशासन करता है।

कथन III: ED गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 59. इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में प्रदर्शित हाल के AI नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Inya VoiceOS, जिसे Gnani.ai द्वारा विकसित किया गया है, एक बहुभाषी वॉइस-टू-वॉइस फाउंडेशनल AI मॉडल है।
2. Stellaview का सड़क सुरक्षा प्रणाली प्रसंस्करण के लिए वाहन डेटा को विदेशी क्लाउड सर्वरों पर भेजने पर निर्भर करती है।

3. Eka.care प्लेटफॉर्म डॉक्टरों को रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में सहायता के लिए AI उपकरण प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) कोई नहीं

प्रश्न 60. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "एंडेंजरमेंट फाइंडिंग" (2009) को निरस्त करना मुख्यतः महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह:

- (a) संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक जलवायु समझौतों में भाग लेने के संवैधानिक दायित्व को समाप्त करता है।
(b) संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के कानूनी आधार को कमजोर करता है।
(c) नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को तुरंत उलट देता है।
(d) अलग-अलग अमेरिकी राज्यों को अपनी जलवायु नीतियाँ अपनाने से रोकता है।

1. प्रश्न 61. कश्मीर घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

2. यह पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच स्थित है।
3. झेलम नदी घाटी से होकर बहती है।
4. यह ज़ांस्कर श्रेणी द्वारा लद्दाख से अलग है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 62. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम मानकों को बढ़ावा देता है।

कथन II: यह सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को शामिल करते हुए एक अद्वितीय त्रिपक्षीय संरचना पर कार्य करता है।

कथन III: इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 63. भारत में राजकोषीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभार विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते जिन्हें राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
2. वित्त आयोग को संवैधानिक रूप से संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया है।

3. विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा संविधान द्वारा स्थायी रूप से 41% निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 64. ग्रेट निकोबार मेगा अवसंरचना परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस परियोजना का उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को एक संयुक्त आर्थिक और रक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है।
2. गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो लेदरबैक कछुओं के घोंसले के लिए जाना जाता है।
3. पूरा ग्रेट निकोबार द्वीप अधिसूचित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बाहर आता है।
4. इस परियोजना में 100 वर्ग किमी से अधिक वन भूमि का विचलन शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

प्रश्न 65. भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी कैदियों के स्थानांतरण और शीघ्र रिहाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और बांग्लादेश के बीच सजा पाए कैदियों का स्थानांतरण 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते द्वारा शासित होता है।
2. प्राप्त करने वाला देश भेजने वाले देश की भूमिका के बिना ही समयपूर्व रिहाई का निर्णय कर सकता है।
3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के संप्रेषण को द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से निर्देशित किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

प्रश्न 66. बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सीधे निर्वाचित संसदीय सीटों का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा प्राप्त किया।
2. तीस्ता जल बंटवारा और सीमा-पार सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते रहते हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 67. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बनाए रखना है।

कथन II: यह प्रतिबंध लगा सकती है और बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है।

कथन III: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत इसके प्रस्ताव सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 68. सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) एक कानून है जिसे लागू किया गया है:

- (a) संयुक्त राष्ट्र द्वारा
- (b) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा
- (c) यूरोपीय संघ द्वारा
- (d) OECD द्वारा

प्रश्न 69. भारत रेलवे में हालिया AI एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) AI को रेलवे अनुप्रयोगों में समाहित करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रौद्योगिकी अंग है।
- 2. RailMadad प्लेटफॉर्म शिकायतों को वर्गीकृत और प्राथमिकता देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है।
- 3. RailOne एप्लिकेशन प्रतीक्षा सूची टिकटों की पुष्टि की संभावना का अनुमान लगाने के लिए AI का उपयोग करता है।
- 4. कोच मित्र सेवा मुख्यतः AI-आधारित विश्लेषण के माध्यम से माल ढुलाई लोडिंग को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 70. भारत की पहली राष्ट्रव्यापी बाल्यावस्था कैंसर उत्तरजीविता रजिस्ट्री (C2S cohort) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. यह रजिस्ट्री केवल उन बच्चों को ट्रैक करती है जिन्होंने कैंसर उपचार पूरा कर लिया है और जिन्हें रोगमुक्त घोषित किया गया है।
- 2. पाँच-वर्षीय समग्र उत्तरजीविता दर लगभग 94.5% बताई गई है।
- 3. अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत में अधिकांश बाल्यावस्था कैंसर जीवित बचे लोगों को कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएँ नहीं होती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 71. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: DIKSHA भारत में विद्यालय शिक्षा का समर्थन करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच है।

कथन II: यह ई-सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रश्न R-कोडित पाठ्यपुस्तकें प्रदान करता है, ताकि शिक्षण-सीखने को बेहतर बनाया जा सके।

कथन III: इसका विकास और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 72. पीएम eVIDYA के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- 1. इसका उद्देश्य बहु-प्रकार के माध्यमों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- 2. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
- 3. इसमें शैक्षिक प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 73. अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- 1. इसे 1977 में राष्ट्रपति की आपातकालीन आर्थिक शक्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- 2. यह राष्ट्रपति को शुल्क और सीमा शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार देता है।
- 3. यह राष्ट्रपति को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्थिक लेन-देन को विनियमित करने की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 74. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: पैक्स सिलिका एक वैश्विक व्यवस्था को संदर्भित करता है जो सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रभुत्व द्वारा आकार लेती है।

कथन 2: उन्नत चिप उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण आधुनिक युग में किसी राष्ट्र के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 75. हाल के अमेरिकी शुल्क विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 122 राष्ट्रपति को कांग्रेस की पूर्व स्वीकृति के बिना अस्थायी शुल्क लगाने की अनुमति देती है।
- 2. अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए शुल्कों को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- 3. 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 संयुक्त राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर शुल्क लगाने की अनुमति देती है।
- 4. हाल के विकास के बाद, अमेरिका के प्रति भारत का प्रभावी शुल्क जोखिम चीन की तुलना में स्थायी रूप से अधिक रहने की संभावना है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 76. भारत में मोटापे पर हालिया श्वेत पत्र के संदर्भ में, मोटापे को केवल जीवनशैली की स्थिति के बजाय एक दीर्घकालिक रोग के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जा रहा है?

- (a) क्योंकि मोटापा मुख्यतः अनुवंशिक विरासत द्वारा निर्धारित होता है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- (b) क्योंकि इसमें जटिल चयापचय और न्यूरो-बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- (c) क्योंकि यह केवल शहरी आबादी को प्रभावित करता है जिनकी जीवनशैली निष्क्रिय होती है।
- (d) क्योंकि इसे वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा एक संक्रामक रोग के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है।

प्रश्न 77. वृहद् भाषा मॉडल (LLMs) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- 1. इन्हें अनुक्रम में अगले शब्द की भविष्यवाणी करने के लिए विशाल मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- 2. ये स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की तरह जानकारी को समझते हैं।
- 3. ये ट्रांसफॉर्मर-आधारित न्यूरल नेटवर्क संरचनाओं का उपयोग करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 78. ब्राज़ील की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- 1. अमेज़न बेसिन उत्तरी ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आच्छादित करता है।
- 2. ब्राज़ीलियाई उच्चभूमि मुख्यतः देश के पूर्वी भाग में स्थित है।
- 3. एंडीज़ पर्वत मध्य ब्राज़ील से होकर गुजरते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 79. हाल की NCERT संशोधन भारत की स्वतंत्रता की व्याख्या में निम्नलिखित में से किस प्रकार के इतिहासलेखन बदलाव को दर्शाते हैं?

- (a) राष्ट्रवादी व्याख्या से मार्क्सवादी व्याख्या की ओर
- (b) एकल-नेता व्याख्या से बहु-कारक व्याख्या की ओर
- (c) औपनिवेशिक व्याख्या से सबअल्टर्न (उपाश्रय) व्याख्या की ओर
- (d) आर्थिक व्याख्या से सांस्कृतिक व्याख्या की ओर

प्रश्न 80. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में वैश्विक तेल संकट के बाद की गई थी।
- 2. IEA की पूर्ण सदस्यता सभी प्रमुख ऊर्जा-उपभोग करने वाले देशों के लिए उनके OECD स्थिति की परवाह किए बिना खुली है।
- 3. भारत वर्तमान में IEA में एक एसोसिएट सदस्य के रूप में भाग लेता है, बिना निर्णय लेने के अधिकारों के।
- 4. IEA के सभी सहयोगी सदस्यों को पूर्ण सदस्यों के समान अनिवार्य रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखना आवश्यक है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

- (a) केवल 4
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) केवल 2 और 4

प्रश्न 81. मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- 1. ये संविधान के भाग III में निहित हैं।
- 2. ये न्यायोचित (न्यायालय में प्रवर्तनीय) प्रकृति के होते हैं।
- 3. ये पूरी तरह ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 82. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।

कथन 2: भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों का आवंटन करने और सर्वोच्च न्यायालय की पीठों का गठन करने की शक्ति होती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
 (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
 (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
 (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 83. भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में अधिकांश AI परिनियोजन वर्तमान में API के माध्यम से उपलब्ध स्वामित्व वाले विदेशी मॉडलों पर निर्भर हैं।
2. AI के लिए भारत का मिशन-स्तरीय बजट आवंटन वैश्विक निवेशों की तुलना में अपर्याप्त होने के लिए आलोचित रहा है।
3. भारतीय AI स्टार्ट-अप्स द्वारा अधिकांश Gpu कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग अनुमान (Inference) के बजाय नए आधारभूत मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 84. भारत में कच्चे तेल के आयात निर्भरता में सतत वृद्धि का सबसे अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित में से किस व्यापक आर्थिक संकेतक पर पड़ने की संभावना है?

- (a) चालू खाते का संतुलन
 (b) सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
 (c) कृषि उत्पादन
 (d) मानव विकास सूचकांक

प्रश्न 85. भारत के हालिया रक्षा व्यय रुझानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रक्षा आवंटन में वृद्धि मुख्यतः सैन्य आधुनिकीकरण के उद्देश्य से पूंजीगत व्यय में वृद्धि द्वारा प्रेरित रही है।
2. आधुनिकीकरण बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।
3. रक्षा व्यय में वृद्धि मुख्यतः क्षेत्र में विस्तारवादी सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के भारत के इरादे को दर्शाती है।
4. परिचालन तत्परता और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना भी बढ़े हुए राजस्व व्यय के माध्यम से एक प्रमुख फोकस रहा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) केवल तीन
 (d) सभी चार

प्रश्न 86. पश्चिम एशिया में रणनीतिक गतिशीलताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री संकीर्ण मार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है।
2. ईरान का असममित युद्ध सिद्धांत काफी हद तक प्रॉक्सी, मिसाइलों और ड्रोन क्षमताओं पर निर्भर करता है।
3. हिंद-प्रशांत रणनीतिक झुकाव के लिए पश्चिम एशिया से निरंतर अमेरिकी सैन्य प्राथमिकता की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 87. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

कथन II: FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी।

कथन III: FSSAI खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करता है और खाद्य के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
 (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
 (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
 (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 88. लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित के आधार पर होते हैं:

- (a) आनुपातिक प्रतिनिधित्व
 (b) एकल हस्तांतरणीय मत
 (c) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली
 (d) सूची प्रणाली (लिस्ट सिस्टम)

प्रश्न 89. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए जवाबदेही तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
2. महाभियोग की पहल के लिए संसद सदस्यों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है।
3. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय विशेष रूप से स्थापित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) सभी तीन
 (d) कोई नहीं

प्रश्न 90. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्कैंडियम को एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसका उपयोग अगली पीढ़ी की अर्धचालक प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
2. दुर्लभ पृथ्वी निर्यात नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों में भू-राजनीतिक प्रभाव के उपकरण बन गए हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 91. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: I2U2 पश्चिम एशिया में आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर केंद्रित एक उभरता हुआ रणनीतिक मिनी-लैटरल मंच है।

कथन II: यह खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देता है।

कथन III: यह नाटो की तरह सामूहिक रक्षा प्रावधान वाला एक औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II सही है और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 92. म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- 1. म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से धन एकत्र करते हैं और इसे विविध प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
- 2. म्यूचुअल फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) ओपन-एंडेड योजनाओं के लिए प्रतिदिन गणना किया जाता है।
- 3. भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 93. भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में या उससे पहले, यदि वह आवश्यक समझे, किया जाता है।
- 2. यह केवल संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
- 3. 10वें वित्त आयोग के बाद से, पंचायती राज संस्थाओं (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के सशक्तिकरण के लिए विशेष अनुदानों की सिफारिश की गई है।
- 4. 15वें वित्त आयोग ने वायु गुणवत्ता और सेवा स्तर मानकों के आधार पर अनुदानों के एक हिस्से को "प्रदर्शन-आधारित" के रूप में सशर्त किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्रश्न 94. पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का उद्देश्य पाकिस्तान राज्य को उखाड़ फेंकना और एक इस्लामी खिलाफत स्थापित करना है।
- 2. 1893 में खींची गई डूरंड रेखा को अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में पूर्णतः स्वीकार किया गया है।
- 3. पाकिस्तान ने 2021 में अफगान तालिबान की सत्ता में वापसी को प्रारंभ में रणनीतिक रूप से लाभकारी माना था।
- 4. अफगान तालिबान संभावित संघर्ष में मुख्यतः पारंपरिक वायु शक्ति श्रेष्ठता पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3 और 4

प्रश्न 95. ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- 1. यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
- 2. इसे भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- 3. यह मैक 5 से अधिक की हाइपरसोनिक गति से संचालित होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 96. कोस्टा रिका निम्नलिखित में से किन दो देशों से घिरा है?

- (a) निकारागुआ और पनामा
- (b) होंडुरास और ग्वाटेमाला
- (c) कोलंबिया और इक्वाडोर
- (d) मेक्सिको और बेलीज

उत्तर कुंजी

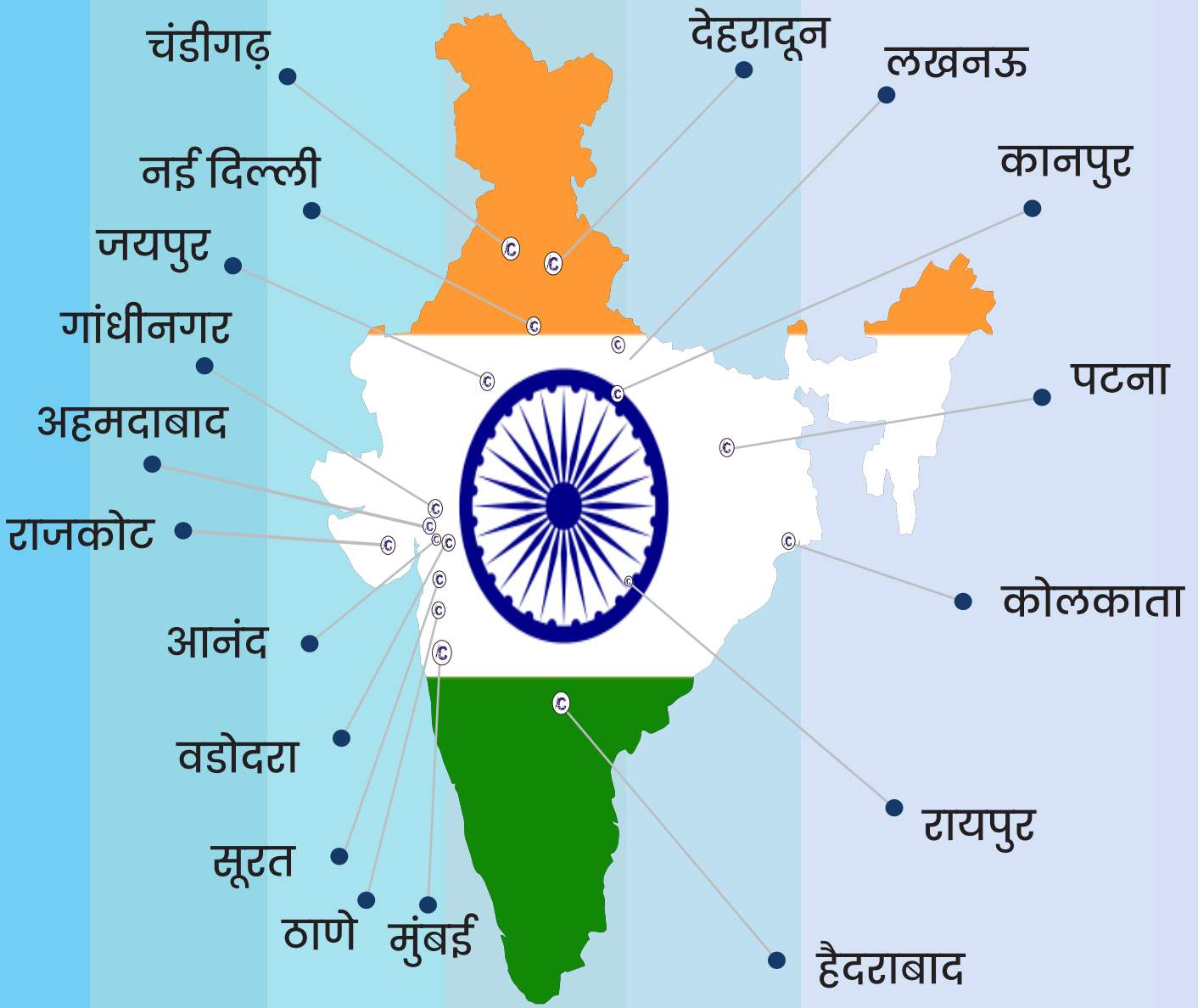
प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
प्रश्न 1	a	प्रश्न 2	a	प्रश्न 3	b	प्रश्न 4	b	प्रश्न 5	b
प्रश्न 6	a	प्रश्न 7	b	प्रश्न 8	d	प्रश्न 9	d	प्रश्न 10	a
प्रश्न 11	d	प्रश्न 12	b	प्रश्न 13	d	प्रश्न 14	a	प्रश्न 15	d
प्रश्न 16	b (2 & 3 केवल)	प्रश्न 17	a (2 केवल)	प्रश्न 18	c	प्रश्न 19	a	प्रश्न 20	b
प्रश्न 21	d	प्रश्न 22	a	प्रश्न 23	c	प्रश्न 24	b (2 & 4 केवल)	प्रश्न 25	a
प्रश्न 26	b (1 & 3 केवल)	प्रश्न 27	a	प्रश्न 28	c	प्रश्न 29	a	प्रश्न 30	a
प्रश्न 31	c	प्रश्न 32	a	प्रश्न 33	a	प्रश्न 34	a	प्रश्न 35	b (1 & 3 केवल)
प्रश्न 36	b	प्रश्न 37	a	प्रश्न 38	b	प्रश्न 39	c (1, 2 & 3 केवल)	प्रश्न 40	b
प्रश्न 41	c	प्रश्न 42	a	प्रश्न 43	b (3 & 4 केवल)	प्रश्न 44	a	प्रश्न 45	b (1 & 3 केवल)
प्रश्न 46	b	प्रश्न 47	a	प्रश्न 48	c	प्रश्न 49	b (1 एवं 3 केवल)	प्रश्न 50	c (1, 3 & 4 केवल)
प्रश्न 51	d	प्रश्न 52	c	प्रश्न 53	c	प्रश्न 54	c	प्रश्न 55	a
प्रश्न 56	a	प्रश्न 57	a	प्रश्न 58	c	प्रश्न 59	b	प्रश्न 60	b
प्रश्न 61	d	प्रश्न 62	c	प्रश्न 63	a	प्रश्न 64	c (1, 2 & 4 केवल)	प्रश्न 65	c (1, 2 & 4 केवल)
प्रश्न 66	c	प्रश्न 67	a	प्रश्न 68	c	प्रश्न 69	c (1, 2 & 3 केवल)	प्रश्न 70	b (1 & 2 केवल)
प्रश्न 71	c	प्रश्न 72	b (1 & 3 केवल)	प्रश्न 73	c	प्रश्न 74	a	प्रश्न 75	a
प्रश्न 76	b	प्रश्न 77	c	प्रश्न 78	b (1 & 2 केवल)	प्रश्न 79	b	प्रश्न 80	d
प्रश्न 81	a	प्रश्न 82	a	प्रश्न 83	a	प्रश्न 84	a	प्रश्न 85	c (1, 2 & 4 केवल)
प्रश्न 86	d	प्रश्न 87	a	प्रश्न 88	c	प्रश्न 89	b (1, & 2 केवल)	प्रश्न 90	c
प्रश्न 91	c	प्रश्न 92	b (1 & 2 केवल)	प्रश्न 93	c (1, 3 & 4 केवल)	प्रश्न 94	b	प्रश्न 95	b (1 & 2 केवल)
प्रश्न 96	a								



CHAHAL ACADEMY

सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक अग्रणी संस्थान

हमारी अखिल भारतीय स्तर पर अवस्थिति



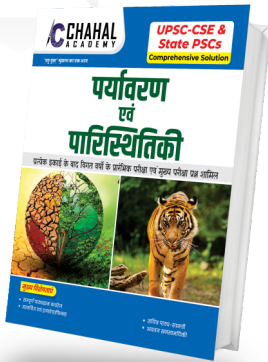
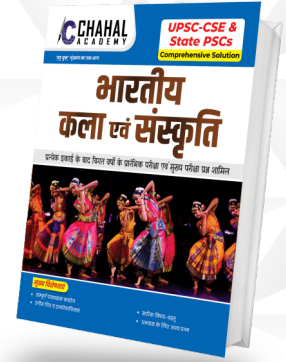
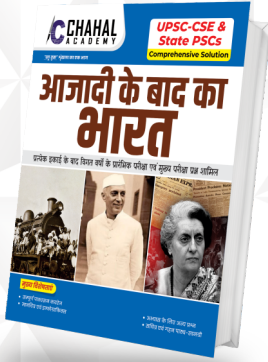
www.chahalacademy.com



contact@chahalacademy.com

चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650



CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹ 120.00